खण्ड–500, अंक–4
गुरुवार, 28 बैशाख, शक संवत् 1939
(18 मई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 500 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–8
भारत सरकार के वर्तमान पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री अनिल माधव देव के निधन पर शोकोद्‌गार	9–11
प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं लखनऊ में आज एक आई0ए0एस0 अधिकारी की हत्या पर नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	11–14
श्री लालजी वर्मा ने अपने द्वारा कल उठाये गये अपने विधायक के व्यक्तिगत प्रकरण को न सुने जाने का आक्षेप लगाते हुए अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये	14–15
प्रश्नोत्तर	15–23
दिनांक 22 अप्रैल, 2017 को गोरखपुर के एस0पी0 सिटी द्वारा बिना सर्च वारण्ट के श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा के निजी आवास पर अपराधी छुपाने की बात कहकर तलाशी लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	23–33
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	33–34
जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां अन्तर्गत गड़ौरा चीनी मिल के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	35
गोरखपुर महानगर में पी0ए0सी0 की पश्चिम तरफ की दीवाल 10 फीट हटाकर कतिपय मार्ग को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
विधान सभा क्षेत्र आगरा उत्तरी में जर्जर सड़कों एवं टूटी नालियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	35–36
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी अन्तर्गत कुवानों नदी के वनकटा घाट पर पक्का पुल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	36
फर्रुखाबाद स्थित श्रृंगीरामपुर सहित सभी आस–पास के आश्रमों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	36–37
प्रदेश में जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के	37

सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत रामघाट में बहने वाली हजारा नहर के पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	37
सहारनपुर नगर के बीचों–बीच बहने वाली ढमोला नदी पर बृजेश नगर के रेलवे ब्रिज के निकट लगभग 200 मीटर लम्बाई पर तटबन्ध एवं पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	37–38
जनपद आजमगढ़ के शारदा सहायक खण्ड–32 के अन्तर्गत दुर्वासा, कौडिया, बीनापारे, फूलपुर, रजवाहा माइनर पर ग्राम सेमराडीह के समीप ट्रैक्टर पुलिया के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	38
प्रदेश सरकार द्वारा गौ–वंश की अवैध हत्या पर रोक लगाये जाने के बाद लावारिस गौ–वंश की रक्षा एवं देखभाल हेतु न्याय पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर गौशाला बनवाने एवं गौ–वंश के गोबर एवं मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं में पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	39
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में आंधी एवं तूफान से हुयी बिजली के तारों एवं खम्भे टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी अन्तर्गत हैण्डपम्पों की बोरिंग डी0टी0एच0 प्रेशर मशीनों से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	39–40
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
प्रधान मंत्री के द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	40

मा0 सदस्यों के शैडो/गनर को विधान सभा परिसर के बाहर रुकने का स्थान सुनिश्चित कराने एवं सभी सदस्यों को दो शैडो/गनर उपलब्ध कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न 41

नेता सदन एवं नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान सदस्यों द्वारा टीका–टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... 41–43

विषय पृष्ठ–संख्या

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 (सदन के पटल पर रखा गया) 43

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोषल सेक्टर 31 मार्च, 2016 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 43

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त 31 मार्च, 2016 (सदन के पटल पर रखा गया) 43

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 43

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2016 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 44

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेष के विषेष प्रतिवेदन संख्या–7–15 (उप लो0आ0) स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित (सदन के पटल पर रखा गया)... ... 44

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन 2008–2009 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 44

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 44

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन 2010–2011 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 44

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 44

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013 (सदन के पटल पर रखा गया) ... 45

आगरा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल के रूप में किये जाने के सम्बन्धी संकल्प (स्वीकृत) ... 45–46

गोरखपुर हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल के रूप में किये जाने के सम्बन्ध में 46–49

संकल्प (स्वीकृत) ...
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ... 50—147
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दिनांक 31—12—16 व 31—03—16 के टंकण/छपाई में हुई त्रुटि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार ... ... 147—157
नियम—51 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... 157—160

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 18 मई, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–376

1. अक्षयवर लाल, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्रीसम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
8. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
11. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
12. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
13. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
15. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
18. अनूप, श्री अलीगढ़
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री महाराजगंज
22. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
25. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
26. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
27. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
28. अवतार सिंह भडाना, श्री मुजफ्फरनगर
29. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
31. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
32. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
33. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
34. असलम अली, श्री हापुड़
35. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
36. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
37. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
38. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
39. आलमबदी, श्री आजमगढ़
40. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
42. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
43. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
44. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
45. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
47. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी

48. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
49. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
50. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
51. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
52. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
53. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
54. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
55. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
56. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
57. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
58. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
59. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
60. काली प्रसाद, श्री देवरिया
61. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
62. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
63. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
64. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. केसर सिंह, श्री बरेली
67. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
68. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
69. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
70. गंगा, श्री कुशीनगर
71. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
73. गिर्राज सिंह धर्मेश, श्री आगरा
74. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
75. गौरी शंकर, श्री जालौन
76. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
77. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
78. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
79. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
80. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
81. छत्र पाल गंगवार, श्री बरेली
82. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
83. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
84. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
85. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
86. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
87. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
88. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जयमंगल, श्री महाराजगंज
91. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
92. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्रीमेरठ
93. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
94. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
95. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
96. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
97. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
98. तेजपाल सिंह नागर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
99. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
100. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
101. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
102. दल बहादुर, श्री रायबरेली
103. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
104. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
105. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
106. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
107. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
108. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
109. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़

110. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप, श्री कासगंज
113. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
115. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
116. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
118. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
119. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य उर्फ पप्पू भइया, श्री बदायूं
120. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
121. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
122. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
123. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्रीइलाहाबाद
124. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
125. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
126. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
127. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
130. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
131. नाहिद हसन, श्री शामली
132. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
133. निर्मला संखवार, श्रीमतीकानपुर देहात
134. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
135. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
136. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
137. नीलिमा कटियार, श्रीमतीकानपुर नगर
138. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
139. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
140. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
141. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
142. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
143. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
144. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
145. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
146. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
147. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
148. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
149. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
150. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
151. प्रभु नारायण यादव, श्री चन्दौली
152. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
153. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
154. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
155. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
156. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
157. फागू चौहान, श्री मऊ
158. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
159. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
160. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
161. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
162. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
163. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
164. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
165. बावन सिंह, श्री गोण्डा
166. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
167. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
168. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
170. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा

171. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
172. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
173. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
174. भगवती प्रसाद सागर, श्रीकानपुर नगर
175. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
176. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
177. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
178. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
179. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
180. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
181. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
182. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
183. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
184. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
185. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
186. महबूब अली, श्री अमरोहा
187. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
188. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
189. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
190. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
191. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
192. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
193. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
194. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
195. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
196. मुकेश बर्मा, श्री फिरोजाबाद
197. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
198. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
199. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
200. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्रीइलाहाबाद
201. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
202. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
203. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
204. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्रीरामपुर
205. यासर शाह, श्री बहराइच
206. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
207. योगेश धामा, श्री बागपत
208. योगेश वर्मा, श्री खीरी
209. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
210. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्रीकुशीनगर
211. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
212. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
213. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
214. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
215. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
216. रमेश चन्द्र, श्री औरैया
217. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
218. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
219. रवि शर्मा, श्री झांसी
220. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
221. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
222. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
223. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
224. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
225. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
226. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
227. राकेश सिंह बघेल, श्रीसन्तकबीर नगर
228. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
229. राज करन कबीर, श्री बांदा
230. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
231. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
232. राजबाला, श्रीमती रामपुर

233. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
234. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
235. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
236. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
237. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
238. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
239. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
240. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
241. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्रीमुरादाबाद
242. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
243. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
244. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0गोरखपुर
245. राम अचल राजभर, श्रीअम्बेडकर नगर
246. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
247. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
248. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्रीफिरोजाबाद
249. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
250. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
251. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
252. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
253. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
254. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
255. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
256. राम फेरन, श्री श्रावस्ती
257. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
258. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
259. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
260. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
261. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
262. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
263. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
264. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
265. लाखन सिंह, श्री औरैया
266. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
267. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
268. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
269. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
270. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
271. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
272. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
273. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
274. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
275. विजय कुमार कश्यप, श्रीमुजफ्फरनगर
276. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
277. विजय मिश्र, श्री भदोही
278. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
279. विनय कुमार, श्री गोण्डा
280. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
281. विनय शाक्य, श्री औरैया
282. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
283. विनोद कुमार कटियार, श्रीकानपुर देहात
284. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
285. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
286. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
287. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
288. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
289. वीरेन्द्र, श्री एटा
290. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
291. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
292. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
293. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर

294. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
295. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
296. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
297. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
298. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
299. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
300. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
301. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
302. शैलेश कुमार सिंह, श्री बलरामपुर
303. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
304. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
305. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
306. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
307. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
308. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
309. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
310. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
311. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
312. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
313. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
314. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
315. संजय, श्री बुलन्दशहर
316. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
317. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
318. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
319. संजय यादव, श्री बलिया
320. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
321. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
322. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
323. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
324. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
325. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
326. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
327. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
328. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
329. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
330. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
331. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
332. सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री मेरठ
333. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
334. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
335. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
336. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
337. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
338. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
339. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
340. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
341. सीताराम, श्री सुल्तानपुर
342. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
343. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
344. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
345. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
346. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
347. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
348. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
349. सुरेन्द्र, श्री बलिया
350. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
351. सुरेश कुमार, श्री शामली
352. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
353. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
354. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
355. सुरेश राही, श्री सीतापुर
356. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच

357. सुशान्त कुमार, श्री बिजनौर
358. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
359. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
360. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
361. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
362. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
363. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
364. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
365. सोहिल अख्तर अंसारी, श्रीकानपुर नगर
366. सौरभ सिंह, श्री खीरी
367. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
368. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
369. हरगोविन्द भार्गव, श्री सीतापुर
370. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
371. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
372. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
373. हरीराम, श्री सोनभद्र
374. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
375. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमतीआगरा
376. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

भारत सरकार के वर्तमान पर्यावरण और वन मंत्री श्री अनिल माधव दबे के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, एक दुःखद सूचना सदन को देना चाहते हैं आपकी अनुमति से। भारत सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री थे श्री अनिल माधव दवे, उनका निधन हो गया मान्यवर। वैसे तो यह परम्परा रही है कि हम सदन में इस प्रकार के निधन के निर्देश पूर्व सूचना के आधार पर ही आते हैं और आपकी अनुमति से उसमें हम शोक प्रस्ताव लाते हैं लेकिन मान्यवर, यह अभी–अभी जानकारी मिली इसलिये पहले से इसकी सूचना नहीं दे पाये थे तो हम चाहते हैं इसके ऊपर दो मिनट का मौन सदन में, चूंकि भारत सरकार के वर्तमान में मंत्री थे। इसलिये दो मिनट की यदि आपकी तरफ से अनुमति हो जायेगी तो उसमें शोक प्रस्ताव पेश करने के बाद हम लोग मौन रखेंगे और माननीय नेता सदन जी इसमें अपनी बात रखेंगे।

'मुख्य मंत्री (श्री आदित्यनाथ योगी)–

अध्यक्ष जी, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार, श्री अनिल माधव दवे के दुःखद निधन का समाचार मुझे आप सब लोगों को देना पड़ रहा है। श्री अनिल माधव दवे छात्र जीवन से ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। अपनी रचनात्मक गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम भागों में उनके रचनात्मक कार्यक्रमों की विभिन्न संगठनों ने संस्थाओं ने सदैव सराहना दी है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के साथ उनका लम्बे समय से जुड़ाव रहा और उनकी सेवाओं को देखते हुए और उनकी रचनात्मक गतिविधियों को देखते हुए अगस्त, 2009 में श्री अनिल माधव दवे को राज्य सभा के लिये चुना गया। राज्य सभा में जाने के बाद उन्होंने जल संसाधन सम्बन्धी जो संसद की समिति है, उस समिति के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जो भारत सरकार की स्टैन्डिंग कमेटी है इस कमेटी के माध्यम से भी अच्छा कार्य किया। इसके अलावा इस समय जो दुनिया के अन्दर ग्लोबल वार्मिंग की चर्चाएं चल रही हैं इस मामले में उनका बहुत अच्छा कार्य रहा है। विभिन्न संसदीय समितियों में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए संसद में उनकी रचनात्मक गतिविधियों को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उन्हें केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय का दायित्व केन्द्रीय मंत्रि–मण्डल में दिया अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए श्री अनिल माधव दबे सदैव स्मरण किये जाते रहेंगे। आज प्रातः ही दिल्ली में उनके दुःखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं पूरे सदन की ओर से और अपने विधान मण्डल दल की ओर से भी श्री अनिल माधव के दुःखद निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं ईश्वर से दिवंगत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आत्मा की शान्ति की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह सदन केन्द्रीय और पर्यावरण मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल माधव दवे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए शोक संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी और सदन की तरफ से जाए इस बात की मैं प्रार्थना करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने जो शोक संवेदनायें इस सदन में प्रकट की हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री अनिल माधव दवे जी एक सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, दृढ़ प्रतिज्ञ निश्चयी व्यक्ति थे उनके निधन से राजनीति में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। यह तो सब जानते हैं कि जिसको आना है उसको जाना है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ कर सकें समाज के लिए कुछ दे सकें समाज के लिए अपनी राजनीतिक गतिविधियां हमेशा चालू रख सकें उनके हित की रक्षा के लिए, ऐसे आदमी का, हमारे समाज के बीच में रहना आवश्यक था आज वह नहीं हैं हम लोग दुःखी हैं मैं पूरे विपक्ष की तरफ से पूरे सदन की तरफ से अपने दल की तरफ से उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके परिवार को पूरे विपक्ष की तरफ से सदन की तरफ से, मेरी तरफ, से शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माननीय अनिल माधव दवे जो भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं इनके निधन की सूचना दी है और जो शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं अपने दल की तरफ से चाहूंगा कि हमारे दल की तरफ से शोक संवेदनायें उनके परिवार को भेजने की कृपा करें मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री अजय कुमार लल्लू–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह दुःखद सूचना आदरणीय नेता सदन के द्वारा सदन में आयी आदरणीय अनिल माधव दवे जी जो राज्य सभा के सदस्य थे और भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के रूप में भारत सरकार में स्थापित थे। आज उनके हम लोगों के बीच में न रहने का और एक दुःख की घड़ी में हम और हमारा दल शोक संवेदना व्यक्त करता है और नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा की इस शोक संवेदना में अपने दल के साथ ईश्वर से हमारी कामना है कि इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार को इतना साहस दे कि इस तरह से जो आज दुःख का पहाड़ सा उनके परिजन पर टूटा है वह उसे बर्दाश्त कर सकें। इस पूरे सदन की तरफ से और मेरे दल की तरफ से शोक संवेदना उनके घर तक पहुंचाई जाए। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय राज्य मंत्री जी के निधन पर शोक संवेदना इस सदन में आपके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं हम सभी जानते हैं कि यह सृष्टि का नियम है जो भी यहां पर जन्मा है एक न एक दिन यहां से जाएगा लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो वक्त हमें मिला है उसका उपयोग हम जहां पर जन्मे हैं जिस समाज में जन्मे हैं जिस देश में जन्मे हैं उस समाज और उस देश के लिए हम क्या देकर जा रहे हैं यही हमारे जीवन का मूल्य है और निश्चय ही उनकी कमी जो हुई है पूरे देश ने एक कर्मठ, योग्य नेता को खोया है उस कमी को पूरा करने के लिए हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह अपूर्णनीय क्षति जल्द ही पूर्ण हो जाए और उनके परिवार को जो कमी हुई है हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें शांति दे और उनकी कमी को पूरा करने का कार्य करे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, माननीय अनिल माधव दवे जो राज्य मंत्री थे उनके निधन की सूचना है इसके लिए भारतीय समाज पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को सुख–शान्ति मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री और देश के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता नेता श्री अनिल माधव दवे जी के निधन पर यह आदरणीय सदन शोकाकुल है वह प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित सजग लेखक और भारतीय राष्ट्रवाद की भूमिका को समाज में ले जाने वाले विचारनिष्ठ कार्यकर्ता थे। संसार आवागमन का क्षेत्र है जो आता है सो जाता है लेकिन सामाजिक जीवन में भारतीय सांस्कृतिक परम्परा और उसके निर्वहन में नयी मर्यादाओं को गढ़ने में जो लोग लगातार ध्येयनिष्ठ, कर्मनिष्ठ बने रहते हैं इतिहास उनका अभिनन्दन करता है और वह इतिहास में अमर हो जाते हैं। श्री स्वर्गीय दवे जी के जाने से उत्तर प्रदेश और यह सदन शोकाकुल है। उनके निधन पर नेता सदन और मा0 मुख्यमंत्री श्रीमान् योगी आदित्यनाथ जी ने, मा0 नेता प्रतिपक्ष श्रीमान् राम गोविन्द चौधरी जी ने, नेता बहुजन समाज पार्टी श्रीमान् लाल जी वर्मा जी ने, कांग्रेस दल ने तथा अन्य सभी दलों ने जो भावनाएं यहां पर व्यक्त की हैं मैं उनसे स्वयं को सम्बद्ध करता हूं और आपके द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं के अनुरूप उनके शोक–संतप्त परिवार को सदन की यह शोक भावनाएं पहुंचाऊंगा। आप सब से अनुरोध है कि उनकी आत्मा के मोक्ष के लिये दो मिनट के मौन हेतु खड़े हो जाएं।

(सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष–

ओम् शान्ति।

प्रदेश की बिगड़ती कानून–व्यवस्था एवं लखनऊ में आज एक आई0ए0एस0 अधिकारी की हत्या पर नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

'श्री नितिन अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सदन के समक्ष अपनी बात रखना चाहता हूं। आज प्रदेश में कानून–व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब कोई बड़ी घटना न होती हो।

श्री अजय कुमार लल्लू–

मान्यवर, आज प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है। एक आई0ए0एस0 अधिकारी का शव मीराबाई मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में मिला है। मान्यवर, इसकी जांच कराई जानी चाहिये।

(इसी मध्य विपक्ष के डा0 संग्राम सिंह सहित कतिपय सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य कृपया बैठ जाएं। कृपया प्रश्नकाल हो जाने दें। यह ठीक नहीं है। आपका सदन में प्रश्नकाल रोकना अन्य मा0 सदस्यों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आपका इस तरह से सदन बाधित करना विधान सभा के मा0 सदस्यों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कृपया बैठ जाएं। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस समय जिस तरह से आप आदरणीय सदस्य खड़े हुये हैं, कृपया मर्यादा का पालन करें। मा0 सदस्य कृपया बैठ जाएं।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के कई सदस्य वेल में आ गये)

यह अनुचित है। आप अपनी बात माईक पर कहें तो ज्यादा उचित होगा। यह कोई तरीका नहीं है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आपको देख रही है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता आपके इस आचरण को देख रही है। मा0 सदस्य, आप लोग कृपया अपनी–अपनी सीटों पर जाएं। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वह अपने मा0 सदस्यों से अपने–अपने स्थानों पर बैठने का आग्रह करें। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वह अपने मा0 सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठने के लिये कहें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने सदस्यों को वापस बुला लेता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल से अपने–अपने आसन पर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

आप बड़ी कृपा कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की जनता पर कृपा कर रहे हैं। आप लोग अपने–अपने स्थान से आगे बोलियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपापूर्वक मेरी एक बात सुन लीजिये। आपकी आज्ञा और आपकी कार्य–मंत्रणा समिति की आज्ञा को पूरा विपक्ष एक स्वर से मान रहा है, लेकिन श्रीमन् जो समस्यायें आ रही हैं आखिर उसको हम कब कहें, कहां कहें, किससे कहें। आपकी आज्ञा के अनुसार और कार्य–मंत्रणा समिति के निर्णयानुसार नियम–56 हम नहीं दे रहे हैं और आप नहीं भी ले रहे हैं। तो आखिर में मेरे पास, हमारे विपक्ष के सदस्यों के पास कौन से ऐसे तरीके हैं कि जो जनता की ज्वलन्त समस्यायें हैं उनको हम माननीय सदन के अन्दर रख सकें। आप हमारे संरक्षक हैं और आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे सदस्यों की बात सुन लीजिये। निर्णय तो आपको करना है। कोई अगर कष्ट में है, अगर उसकी रोने की इच्छा हो रही है तो आप ही तो हमारे संरक्षक हैं जो हमें सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कल इसी आदरणीय सदन में आपके विचार बहुत ध्यान से सुने गये। आपने विस्तृत तरीके से और तमाम उपमायें देकर अपने विचार रखे और सबने स्वागत किया। अन्य माननीय सदस्यों ने भी श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने बहुमूल्य विचार रखे अपने ढंग से और जनतंत्रीय व्यवस्था को बढ़ाते हुए जमकर विरोध भी हुआ। सरकार का विरोध हुआ, सरकार की नीतियों का विरोध हुआ, कहीं सही हुआ और कहीं गलत हुआ, लेकिन पूरा अवसर मिला। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को पांच–पांच, सात–सात मिनट का समय मिल रहा था और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का ज्यादा अवसर मिल रहा था, दस मिनट, पन्द्रह मिनट से ज्यादा का अवसर मिल रहा था। अगर प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो जाये तो हम फिर से उसी धारा में बह चलें और श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आप जमकर बोलिये। एक–एक सदस्य को बोलवाइये। अगर आदरणीय सदन सहमत हों तो आज नौ बजे तक बैठे, कल ग्यारह बजे रात तक बैठें इसमें दिक्कत क्या है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा होती है उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, केवल संज्ञान होता है। ऐसे मामले जो पूरे प्रदेश को उद्वेलित करते हैं एक आई0ए0एस0 अफसर जो नौजवान लड़का है जिससे इस देश को उम्मीदें थीं कि वह देश के विकास के लिए, देश की समस्याओं के समाधान के लिए कितना कुछ कर सकता है उसकी ऐसे वी0आई0पी0 इलाके जहां सारी तरफ से सुरक्षा रहती है वहां हत्या हो जाये और हम मूकदर्शक बने रहें। मैं आपकी प्रतिष्ठा करता हूं,

इस माननीय सदन की प्रतिष्ठा करता हूं किन्तु विपक्ष की बात नहीं मानी जा रही है और नहीं सुनी जा रही है। एक आई0ए0एस0 अधिकारी की जघन्य हत्या हुई है, वी0आई0पी0 इलाके में हुई है इसलिये मैं इस सदन से अपने दल के सदस्यों के साथ वाकआउट करता हूं।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल के साथ समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

(श्री लाल जी वर्मा एवं श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइये। आप लोगों को अपनी बात कहने का आगे मौका मिलेगा।

श्री अजय कुमार लल्लू–

माननीय अध्यक्ष जी, बी0जे0पी0 कार्यालय से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर मीराबाई गेस्ट हाउस में इतनी बड़ी घटना हो गई। एक आई0ए0एस0 अफसर की हत्या कर दी गई और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। इतने सुरक्षित एरिया में जब आई0ए0एस0 अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम जनता की सुरक्षा सरकार कैसे करेगी। मान्यवर, इस घटना की जांच हम सी0बी0आई0 से कराने की मांग करते हैं। बागपत में महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष श्रीमती मुन्नी बेगम के परिवार को जिन्दा जलाने की कोशिश की गई किसी तरह से भाग कर उनकी जान बच पाई। यही नहीं गजरौला में बसपा नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है, इसलिये मैं अपने दल के सदस्यों के साथ इस सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन से बर्हिगमन कर गये)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर मैं निवेदन करना चाहता हूँ हम लोगों के पास मा0 संसदीय कार्य मंत्री परम्परा की बात करते हैं हालाँकि परम्परा का उल्लंघन उन्हीं के द्वारा ज्यादा होता है। मान्यवर, उनका यह कहना है कि हमने एक नोटिस लगाई थी नियम–311 में।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 आपको मालूम है कि नहीं दी जाती है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक एम0एल0ए0 के साथ ज्यादती की जा रही है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हमें अवसर देने का काम करें और हमें उस बात को रखने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं सुन लीजिए।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी अगर नहीं सुनना चाहते हैं वह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

सम्भव है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री के बयान के बाद आपका प्रश्न बचे ही नहीं।

श्री लाल जी वर्मा ने अपने द्वारा कल उठाये गये अपने विधायक के व्यक्तिगत प्रकरण को न सुने जाने का आक्षेप लगाते हुए अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह लोग तो गलत परम्पराओं को जन्म दे रहे हैं। मान्यवर, प्रश्नकाल के बाद इस प्रकार के प्रकरण लिए जाते थे। मान्यवर, आप बरसों की परम्पराओं को देख लें कि जिस समय प्रश्नकाल समाप्त हो जाता था उस समय इस प्रकार के प्रश्न सदन के सामने आते थे। मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख आज नेता विरोधी दल ने और नेता बसपा ने, नेता कांग्रेस ने किया है यह सही है कि एक आई0ए0एस0 अधिकारी की डेडबॉडी जिस स्थान पर बताया गया था उस स्थान पर मिली है यह बिल्कुल सही है। लेकिन उनके परिवार वालों का यह आरोप है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ वह हजारों–करोड़ों रुपए के घोटालों का पर्दाफाश करने वाले थे और इसके ऊपर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। मान्यवर, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है हमारी सरकार ऐसे मामलों में पूरी तरह से संवेदनशील है। हम लोगों ने चार डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया इसीलिए कि किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उसमें बिसरा प्रिजर्व किया गया है। उसमें अभी मौत का कारण ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाया है। सरकार किसी प्रकार से ना किसी घटना को छुपाना चाहती है ना उसको ट्विस्ट करना चाहती है। मान्यवर, जो कुछ भी होगा हम ''दूध का दूध, पानी का पानी'' सामने जरूर लाएंगे और जो कोई भी इसके पीछे दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी इस प्रकार का प्रयास सरकार पूरी तरह से करेगी। मान्यवर, हम ना किसी को बचाएंगे और ना ही इस मामले में किसी भी प्रकार का हीलाहवाला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगी मान्यवर, हम आज आपके माध्यम से पूरे सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं और प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

अब हम प्रश्नों को लेते हैं। मा0 अनुराग सिंह जी।

मिर्जापुर के पीतल, चुनार के मिट्टी बर्तन उद्योग को प्रोत्साहन करने की व्यवस्था

'01–श्री अनुराग सिंह–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रूग्ण होकर बन्दी के कगार पर पहुंच चुके परम्परागत उद्योगों को चिन्हित कराकर पुनर्जीवित व प्रोत्साहित करने की सरकार की क्या कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या मिर्जापुर के पीतल उद्योग तथा चुनार के मिट्टी बर्तन उद्योग को पुनर्जीवित, प्रोत्साहित व स्वावलम्बी बनाने पर भी सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुनर्वासित एवं पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में बनाये गये फ्रेम वर्क वर्ष 2015 में रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने की व्यवस्था है, जिसमें राज्य सरकार सहयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014 तथा उ0 प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2016 में उल्लिखित प्रोत्साहन प्राविधानों एवं सुविधाओं का परम्परागत उद्यमियों द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश की विचाराधीन नई औद्योगिक नीति में भी पारम्परिक उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु व्यवस्था प्रस्तावित है।

मिर्जापुर के पीतल उद्योग एवं चुनार के मिट्टी बर्तन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए गत वित्तीय वर्ष 2016–2017 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 09 लाभार्थियों तथा समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 04 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी है। पाम्परिक उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश की विचाराधीन औद्योगिक नीति में व्यवस्था प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

श्री अनुराग सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, चुनार में राजकीय चीनी पात्र विकास केंद्र पुनर्जीवित करने पर क्या सरकार विचार करेगी।

श्री सत्यदेव पचौरी–

मा0 अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा कि चुनार में ही जो लोगों को प्रोत्साहित किया गया है उनमें 09 लोग पीतल बर्तन उद्योग के हैं और 04 लोग मिटटी के बर्तन उद्योग के हैं वह चुनार के ही रहने वाले हैं और यह परम्परागत उद्योग पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। जहां पर 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निर्यात होता है। सबसे ज्यादा निर्यात छोटे उद्योगों का है। उत्तर प्रदेश सरकार की पुरानी नीति भी है जो 2014 और 2016 में बनायी गयी थी और फिर से हम इस नीति को बना रहे हैं ताकि जो छोटे उद्योग हैं, कामगार हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके और यह तो 14 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था को ही चौपट कर दिया गया है। इसलिए दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में यह नीतियां आ ही नहीं पायीं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब फिर से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

श्री अनुराग सिंह–

मा0 अध्यक्ष महोदय, एक राजकीय चीनी पात्र विकास केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहां स्थापित था जो कि अब बन्द के कगार पर आ चुका है। मेरा प्रश्न है कि उसको पुनर्जीवित करने के लिए क्या सरकार विचार करेगी।

श्री सत्यदेव पचौरी–

मान्यवर, सूचना एकत्र करके उसको दिखवा लिया जाएगा।

श्री महबूब अली–

पहली बार देख रहे हैं कि सरकार से सरकार प्रश्न कर रही है।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

आपके समय में तो आपको इस बात की इजाजत ही नहीं थी कि आप सरकार में सरकार से प्रश्न कर सकें। आप लोग तो चुपचाप बैठे रहते थे बोलने की हिम्मत तो होती नहीं थी। आप अपनी सरकार में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको मालूम था कि सब गलत है। पूछने के लिए ही कुछ नहीं होता था।

'02–श्री नितिन अग्रवाल–

ख्वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

'03–श्री पारस नाथ यादव–

ख्2सरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई से राहत देने हेतु विकलांग पेंशन धनराशि में वृद्धि किये जाने की मांग

'04–श्री संजय गर्ग–

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में बढ़ती मंहगाई से राहत देने हेतु क्या सरकार विकलांग पेंशन की धनराशि में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)–

जी हां।

कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, एक संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत आज मैं उन तमाम लोगों को जो 40 फीसदी से भी ज्यादा विकलांग हैं।

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्यत्र)–

कृपया विकलांग शब्द का प्रयोग न करें। विकलांग शब्द खत्म हो गया अब दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें तो अच्छा है।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, दिव्यांग लोगों के सशक्तीकरण के लिए जो व्यवस्था हुयी है एक बहुत लम्बे समय से जो राशि उन्हें मिल रही है निश्चित रूप से बढ़ती हुयी महंगाई को देखते हुए यह प्रश्न पूछने की जिज्ञासा सरकार से थी। उसमें जी हां तो कहा गया परन्तु कितनी राशि बढ़ोत्तरी करेंगे, कब तक करेंगे और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आम तौर पर यह ट्राई साइकिल देने का काम जो दिव्यांग लोगों को किया जा रहा है उसमें जो हाथ और पैर दोनों से दिव्यांग हैं वह लोग उस ट्राई साइकिल का संचालन करने में सक्षम नहीं हैं। क्या सरकार मोटराइज ट्राई साइकिल देने पर भी विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न के दो भाग हैं पहला तो इनकी चिन्ता का है। तो (ख) हिस्से का उत्तर देखें, कार्यवाही प्रचलित है। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम काम कर रहे हैं। दूसरी जो ट्राई साइकिल वाली बात है मा0 मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री ओम प्रकाश राजभर–

मा0 अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मा0 सदस्य जी ने बताया उसके लिए विचार किया जा रहा है और भारत सरकार को चिट्ठी लिखी गयी है।

'श्री नितिन अग्रवाल–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने अपने समय में समाजवादी पेन्शन योजना की शुरुआत की थी और वह पेन्शन सभी महिलाओं को मिल रही थी, उसमें तमाम विकलांग महिलाएं भी थीं, उसमें तमाम विधवा महिलाएं भी थीं क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जो समाजवादी पेन्शन योजना सरकार ने बन्द कर दी है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न ही नहीं है।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो समाजवादी पेन्शन विकलांग महिलाओं को मिल रही थी, उसको बन्द करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको अलग से पूछ लेना।

श्री नितिन अग्रवाल–

अध्यक्ष जी ये पेन्शन का मामला है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि विकलांगजनों का जो मेडिकल होता है, उनका मेडिकल सर्टीफिकेट जनपद मुख्यालय पर बृहस्पतिवार को सप्ताह में एक दिन बनता है, जबकि हमारी हर तहसील स्तर और हर ब्लाक स्तर पर सी0एच0सी0 है। तमाम विकलांगजन ऐसे हैं जिनको जनपद मुख्यालय पर ले जाना बड़ा कठिन है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार दिव्यांगों का दिव्यांगता प्रमाण–पत्र सी0एच0सी0 स्तर पर बनाने का निर्णय करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह विषय इन माननीय मंत्री जी से सम्बन्धित नहीं है, यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री से सम्बन्धित है।

'मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, सरकार पहले ही इस पर निर्णय ले चुकी है। दिव्यांगों के लिए अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी कि सोमवार के दिन सी0एम0ओ0 कार्यालय में उनके सर्टीफिकेट बन सकते हैं, उसमें कुछ देर होती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि प्रत्येक तहसील दिवस पर, अब तहसील दिवस केवल एक सामान्य औपचारिता नहीं होगी बल्कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के रूप में उसको बनाने की व्यवस्था हो रही है और तहसील दिवस के अन्दर दिव्यांगों के साथ–साथ, पेन्शन योजनाएं जितनी भी होंगी, अन्य कल्याणकारी योजनाएं सरकार की जितनी भी होंगी, उन सब के समाधान का वह दिवस होगा और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिव्यांगों की पेन्शन जो 300 रुपये थी, इस सरकार ने उसको 500 रुपये करने का भी निर्णय लिया है।

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

प्रदेश में कार्यरत पी0आर0डी0 जवानों का मानदेय व अन्य सुविधाओं को बढ़ाये जाने की मांग

'05–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

?क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत पी0आर0डी0 जवानों का मानदेय व अन्य सुविधाओं को बढ़ाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल, युवा कल्याण तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री चेतन चौहान)–

प्रदेश में कार्यरत पी0आर0डी0 जवानों को पूर्व में प्रतिदिन रु0 185/– मानदेय मिलता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासनादेश संख्या–1767/पचास–यु0क0–2015–102(पीवीडी)/88, दिनांक 16 फरवरी, 2016 के द्वारा रु0 185/– से बढ़ाकर रु0 200/– प्रतिदिन प्रति स्वयं सेवक किया गया। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 में शासनादेश संख्या–398/पचास–यु0क0–2015–102 (पीवीडी)/88, दिनांक 16 जून, 2016 द्वारा दरों को पुनरीक्षित करते हुए रु0 200/– से बढ़ाकर रु0 250/– प्रतिदिन प्रति स्वयं सेवक अनुमन्य किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में ड्यूटीरत पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों को रु0 250/– प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त शासन के आदेश संख्या–1397/पचास–यु0क0–2016–16(विविध)/2013, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के द्वारा पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के कार्यकाल की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न सं0–5।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पूर्व की श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के लिए निर्णयों को बता दिया। हम आप से जानना चाह रहे थे, आप इतने बहुमत से आए हैं कि वर्तमान सरकार पी0आर0डी0 के जवानों के मानदेय की बढ़ोत्तरी व उनकी सुविधाओं के लिए कुछ करेगी ? आपने कहा जी, नहीं। पी0आर0डी0 के जवानों को कम से कम कितने दिन ड्यूटी देंगे एक वर्ष में नम्बर एक, नम्बर–दो क्या उनको साइकिल, टार्च, मोबाइल आदि आप देंगे ?

'श्री चेतन चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने उत्तर दिया, पहले 185 रुपये मानदेय मिलता था, पिछले साल ही बढ़ा कर 185 से 250 रुपये प्रति दिन मानदेय दिया गया है, अभी फिलहाल जो है कोई भी ऐसी योजना नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक विनती करना चाह रहा हूं, कम से कम पी0आर0डी0 के जवानों के कुछ दिन 365 दिन होते हैं साल में, सौ दिन, डेढ़ सौ दिन तो आप फिक्स कर दें कि उनको ड्यूटी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर पहले ही आ गया है, अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार की ऊसर, परती एवं बेकार पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना

01–श्री पारस नाथ यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी के कारण खेती योग्य भूमि के निरन्तर घटने से अनाज के उत्पादन में कमी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार की प्रदेश की ऊसर, परती एवं बेकार पड़ी हुई भूमि को खेती योग्य बनाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं।

प्रदेश में कृषि योग्य भूमि लगातार घट रही है परन्तु उन्नति किस्म के बीज, उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई साधन की उपलब्धता तथा बेहतर तकनीक के उपयोग में लाये जाने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटा है।

जी हां।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली को छोड़कर शेष 65 जनपदों में बीहड़/बंजर सुधार तथा जलभराव क्षेत्र के उपचार हेतु वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों की फसल को सूखे एवं बाढ़ से बचाने की योजना

02–श्री पारस नाथ यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की फसल को सूखे एवं बाढ़ से बचाने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जी हां। प्रदेश के किसानों की फसल को सूखे एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए फसलोत्पादन की आकस्मिक कार्य योजना बनायी जाती है। यह कार्य योजना मानसून की विभिन्न परिस्थितियों में फसल प्रबन्धन की रणनीति सम्भावित मानसून के अनुसार बनायी जाती है। इस वर्ष अच्छे मानसून की सम्भावना व्यक्त की गयी है, फिर भी मानसून की विभिन्न परिस्थितियों हेतु आकस्मिक योजना तैयार कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार प्रदान कराने की जानकारी

03–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 व 2016–17 में कुल कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है एवं प्रशिक्षणोपरान्त कितने लोगों को रोजगार प्रदान कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2015–2016 में 108647 तथा वर्ष 2016–17 में 72696 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया तथा क्रमशः 13949 एवं 91506 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार (स्व एवं सवेतन) प्रदान किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आई0टी0आई0 की स्थापना की मांग

04–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज में छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टिगत क्या सरकार आई0टी0आई0 की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतन चौहान–

लखनऊ नगर के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज में एक नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या–167/2015/2654/89–व्या0 शि0 एवं कौ0वि0वि0–2015–8 (पी)/2015, दिनांक 28 अगस्त, 2015 के द्वारा रुपये 627.51 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रुपये 250.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को निर्गत की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या–327/2016/3608/ 89–व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0–2016–8(पी)/2015, दिनांक

22 नवम्बर, 2016 द्वारा पुनरीक्षित लागत रुपये 1016.33 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गयी भूमि पर विवाद के कारण वर्तमान तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। विवाद को समाप्त कराने तथा निर्माण कार्य को अतिशीघ्र प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी के स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती मुख्यालय मण्डी परिषद् के भवन की बाउन्ड्रीवाल के निर्माण की जानकारी

05–मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती मुख्यालय पर वर्ष 2016 में मण्डी परिषद् के भवन की बाउन्ड्रीवाल बनाने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त मण्डी परिषद् के रुके भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण (राज्य मंत्री) (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)–

जी नहीं। केवल बाउण्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण का कार्य स्वीकृत था, जिसे पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

नवीन मण्डी स्थल श्रावस्ती में बाउण्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य की परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती में उद्योगों के पलायन तथा नये उद्योग स्थापित न होने से बेरोजगारी रोकने की योजना

06–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में उद्योगों के पलायन तथा नये उद्योग स्थापित न होने से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद से उद्योगों का पलायन रोकने तथा नये उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

जी नहीं। बस्ती जनपद में उद्योगों के पलायन का कोई मामला औपचारिक रूप से प्रकाश में नहीं आया है। उद्योग स्थापना की दिशा में वर्ष 2016–17 में जनपद बस्ती के उद्यमियों द्वारा 2503 उद्यमों का आनलाइन पंजीयन किया गया है। जिसका शत–प्रतिशत ससमय निस्तारण कराया गया। उद्यमों की स्थापना के सापेक्ष विगत वर्ष में 5424 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। गत वर्ष में 3988 लाख रुपये का पूंजी निवेश विभिन्न उद्यमों, विनिर्माण एवं सेवाक्षेत्र में हुआ है। नये उद्यमों की स्थापना एवं रोजगार सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं प्रदेश सरकार की मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना जनपद बस्ती में क्रियान्वित है।

तदैव।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुरुष मुखिया की भांति परिवार में महिला मुखिया की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सहायता प्रदान कराने की जानकारी

07–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में पुरुष मुखिया की भांति परिवार में महिला मुखिया के मृत्यु होने पर उनके बच्चों को पारिवारिक लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रित को रु0 30,000/– की एकमुश्त सहायता धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

दिनांक 22 अप्रैल, 2017 को गोरखपुर के एस0पी0 सिटी श्री हेमराज मीणा द्वारा बिना सर्च वारण्ट के श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा के निजी आवास पर अपराधी छुपाने की बात कहकर तलाशी लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अब हम नियम–300 की सूचनायें लेते हैं। एक सूचना पर कल मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया था कि आज सुनी जा सकती है, सदन भी सहमत था, मा0 लाल जी वर्मा की सूचना है, यद्यपि यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, विनय शंकर तिवारी जी हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है, पहले उनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

तो फिर उन्हीं को कह लेने दीजिए। यद्यपि नियम–300 के औचित्य पर आप कहते तो ज्यादा ठीक होता।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, पहले हमारा आर्गूमेण्ट सुन लें, आप निर्णय पहले ही कर देते हैं, आर्गूमेण्ट सुनते नहीं। ऐसा कोई न्यायालय नहीं है जो बिना आर्गूमेण्ट सुने ही निर्णय दे दे, तो पहले सुन लें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

आपको सुनने के लिए ही तो बुलाये थे।

श्री विनय शंकर तिवारी–

मान्यवर, 22 अप्रैल की घटना है, 22 अप्रैल को मैं अपने आवास पर नहीं था, गोरखपुर का जो हमारा आवास है वहां पूरे जिले की पुलिस बल जाती है और हमारे आवास की तलाशी लेती है और हम आवास पर नहीं होते हैं, हमारे पास फोन जाता है, करीब 25 मिनट बाद मैं अपने आवास पर पहुंच जाता हूं, जब आवास पर हम अपने पहुंचते हैं तो वहां जो पुलिस के मुखिया होते हैं हेमराज मीणा हमने उनसे पूछा भाई आप किसलिए यहां पर आये हुए हैं, क्या काम है, आपके पास कोई सर्च वारण्ट है क्या, मैंने कहा मैं विधायक हूं, तो उन्होंने कहा आप ज्यादा राजनीति मत करिये, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे अपना काम करने दीजिए। हमने कहा मान्यवर, मैं विधायक हूं कृपया अगर आपके पास कोई वारण्ट हो तो उसको दिखाने का काम करें, अगर कुछ गलत हुआ हो, अगर हम अपराधी हों, अगर कोई व्यक्ति गलत हो तो उसको सजा दें, तो उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा कोई वारण्ट नहीं है, ऐसा कोई कागजात नहीं है। तो केवल हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए हमको बदनाम करने के लिए गोरखपुर पुलिस ने भारी संख्या में वहां पर कार्यवाही की। साथ ही साथ हमारे यहां जो गो–पालक थे, जो गो–सेवा करते थे, उनको उठा ले गये, उठाने के बाद उनके साथ बद्सलूकी की गई और पुनः उनको छोड़ भी दिया गया। छोड़ने के बाद जब हमने पुनः आई0जी0 से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरे दिन अखबारों में भी उन्होंने कहा कि मैंने आवास पर छापा नहीं मारा है। तो इस तरह से पुलिस जो है प्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हम आपसे इसमें संरक्षण चाहते हैं कि जो ऐसी कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई में आपका संरक्षण मिले जिससे कि किसी भी सदन के सदस्य को अपमानित न होना पड़े और जो भी इससे सम्बन्धित पक्ष हो, पुलिस हो, जो भी इसके लिए दोषी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाय और उन्हें दण्डित किया जाय, सदन से हमारी यही उम्मीद है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अब आप स्पष्टीकरण दे दें।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विनय शंकर तिवारी जी, इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और पूर्व मंत्री और इस विधान सभा के कई बार सदस्य रहे। माननीय हरि शंकर तिवारी जी के सुपुत्र भी हैं। मान्यवर, जिस घटना के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी जी ने इस सदन के सामने अपना पक्ष रखा है, उस सम्बन्ध में जानकारी सदन को देना आवश्यक है, और घटना की जड़ तक जाना भी आवश्यक है। मान्यवर, जिस घटना के सम्बन्ध में यह बात सामने आई है वह घटना एक लूट की घटना से सम्बन्धित है। मान्यवर, 14–03–2017 को थाना खौराबाद क्षेत्र के अन्तर्गत एक 98 लाख की लूट हुई थी और यह लूट एक बैंक से हुई थी। पेट्रोल पम्प से जो कलेक्शन आता है वह एक एजेन्सी के माध्यम से बैंको में जमा होता है। इस बैंक में 98 लाख रुपया करीब बताया गया और 98 लाख रुपया 14–03–2017 को बाईपास पर दिन में लूट हुई थी और इस पर मुकदमा भी थाना खौराबाद के अन्तर्गत क्राइम नम्बर–183/17, 395, 397 के अन्तर्गत दर्ज हुआ था। इसमें कैशियर अजय प्रजापति, सन आफ मदन लाल थे और ड्राइवर संतोष कुमार थे। मान्यवर, यह घटना जैसे लूट हुई, थाना में मुकदमा पंजीकृत हुआ तो सम्बन्धित थाने के पुलिस के अधिकारियों ने इसमें तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश में यह पता चला कि जो कैशियर अजय प्रजापति है उसके साथ एक शशि प्रकाश चौबे, छोटू पुत्र गिरजा शंकर ने इसका प्लान बनाया था। मान्यवर, 24 घण्टे के अन्दर पुलिस ने 31 लाख रुपया बरामद कर लिया और कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। मान्यवर, शशि प्रकाश चौबे, छोटू एक अपराधी है और बलिया का रहने वाला है। इसने क्या किया कि एक दूसरे मुकदमें में शशि प्रकाश चौबे, छोटू एक सप्ताह के बाद बलिया में जेल चला गया। चूंकि इसका नाम तफ्तीश में आया था तो पुलिस ने रिमाण्ड सीक किया और पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में 22–04–2017 को शशि प्रकाश चौबे, छोटू ने यह बताया कि उसके साथ घटना में एक विजय यादव नाम का व्यक्ति शामिल था और विजय यादव के पास ही 67 लाख रुपया है और गन मैन की जो बन्दूक थी वह भी उसी के पास है तो जब विजय यादव का पता पूछा गया तो उसने यह बताया कि विजय यादव के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। एक दूसरा व्यक्ति सोनू पाठक है वह विजय यादव को अच्छी तरह जानता है और जब सोनू पाठक के बारे में पूछा गया तो उसने यह कहा कि उसका पता नहीं मालूम लेकिन माननीय हरि शंकर तिवारी जी जो इस सदन के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, इनके घर के आस–पास यह मिल सकता है या उनके घर पर यह मिल सकता है। तो जैसे ही पुलिस को यह पता चला कि सोनू पाठक विजय यादव का पता दे सकता है जिसके पास 67 लाख रुपया लूट का बताया जाता था और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, पुलिस ने यकीन इसलिए किया क्योंकि 31 लाख रुपया पुलिस बरामद कर चुकी थी। पुलिस के पास यह संतुष्ट होकर कि सोनू पाठक यदि मिल जायेगा तो विजय यादव का पता मिल जायेगा तो सोनू पाठक को देखने के लिए विजय यादव माननीय हरि शंकर तिवारी जी के यहां पुलिस पहुंची थी। मा0 हरि शंकर तिवारी जी काफी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। उनके ऊपर प्रदेश के एक दर्जन से अधिक थानों में 31 मुकदमे 364 के, 302 के, 307 के मुकदमे पंजीकृत हैं, 31 मुकदमे पंजीकृत हैं। मान्यवर, जब पुलिस उनके हाते में पहुंची तो उन्होंने उनके बारे में जानकारी की और यह भी सही है कि उनके हाते से पूछताछ के लिए 6–7 लोगों को लाया गया। उसमें एक व्यक्ति अशोक सिंह सन ऑफ फेंकू सिंह के पास 12 बोर के 4 कारतूस जिन्दा बरामद हुए और 315 बोर के 7 कारतूस चले हुए बरामद हुए। उसको 96/2017, 25 आर्म्स ऐक्ट में गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।

मान्यवर, जैसा कि यह कहा गया कि आपने पूछा कि सर्च वारण्ट है या नहीं है तो मैं उसी बात का जवाब देने जा रहा हूं कि पुलिस को जब यह विश्वास हो जाए कि किसी मामले में, किसी इन्वेस्टीगेशन में अगर किसी मुल्जिम की तलाश के लिए वह कहीं जा सकती है। मैं आपके सामने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–165 की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैं इसीलिए किताब भी लाया हूं कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। धारा–165 यह कहती है कि जब किसी पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के उचित आधार हैं या किसी ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जिसका अन्वेषण करने के लिए वह प्राधिकृत है, आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने की उसका वह भार साधक अधिकारी है या जिससे वह संलग्न है सीमाओं के अन्दर किसी स्थान में पाई जा सकती है और उसकी राय में ऐसी चीज अनुचित विलम्ब के बिना तलाशी से अन्यथा अभिप्राप्त नहीं की जा सकती है, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने और यथासम्भव उस चीज को जिसके लिए तलाशी ली जानी है ऐसे लेख में विनिर्दिष्ट करने के पश्चात् उस थाने की सीमाओं के अन्दर किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ले सकता है या तलाशी लिवा सकता है। नम्बर–2, उप धारा–1 के अधीन कार्रवाई करने वाला पुलिस अधिकारी यदि साध्य हो तो तलाशी स्वयं लेगा। मान्यवर, यह धारा–165 में प्रोविजन है। मान्यवर, अब इन्वेस्टीगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी ने जब यह विश्वास कर लिया कि उसी इन्वेस्टीगेशन में 31 लाख रुपये चूंकि बरामद हो चुके थे और शेष के बरामद होने की पूरी सम्भावना थी उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कि वह व्यक्ति कहां मिलेगा इसलिए मा0 विनय शंकर तिवारी जी के घर पर गए और घर में वहां पर गए जहां टिन का जो हाता है बाहर जहां पर पब्लिक डीलिंग होती है। हम खासतौर से इस बात को कोट करना चाहते हैं कि इनके पास एक स्थान ऐसा है बाहर, जहां गो–शाला भी है, गाय बंधी हैं, उसमें टिन पड़ी हुई है, वहां पर गए। घर के अन्दर ड्वेलिंग हाउस में प्रवेश नहीं किया जहां पर महिलाएं रहती हैं। उस हाते में

प्रवेश जरूर किया जहां से इस बात की सम्भावना थी कि सोनू पाठक अगर मिल जाएगा तो विजय यादव का पता मिल जाएगा जिसके पास लूट का 67 लाख रुपया था तो नेक नीयती से पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए किया। मान्यवर, जब वे सन्तुष्ट हो गए कि इनके वहां वह व्यक्ति मिल सकता है जिससे केस का पर्दाफाश हो सकता है इसलिए गए। कोई दुर्भावना से या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए और किसी को कोई ऐसा कृत्य नहीं किया कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए नेक नीयती से किसी की जगह तलाश करना चाहे और इस प्रकार सन्तुष्ट होकर जब हमारे पास सी0आर0पी0सी0 है उसको सब मानते हैं उसके तहत पूरी सन्तुष्टि के साथ वहां गए थे और उसके बाद उन लोगों से, जिन लोगों से पूछताछ करने के लिए वे 6–7 लोगों को लेकर के गए उनको पूछताछ करने के बाद तुरन्त ससम्मान वापस भेज दिया और एक व्यक्ति जिसके पास कारतूस निकले थे केवल उसी का चालान दफा पच्चीस में किया गया।

(सदस्य श्री विनय शंकर तिवारी के खड़े होकर बोलने के प्रयास पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मेरी बात पूरी हो जाए तो उसके बाद आप खूब कहिये। मान्यवर, यह तरीका ठीक नहीं है हमने पूरी सदाशयता के साथ आपको पूरा सुना। मान्यवर, इसमें मैं ये समझता हूं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि क्राइम हो रहा है। हम क्राइम के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं हम हर स्तर पर क्राइम का खुलासा करेंगे चाहे हमको उसके लिए कानूनसम्मत तरीके से किसी भी स्थिति तक जाना पड़े। कानूनसम्मत तरीके से किसी भी स्थिति तक जाने के लिए मान्यवर हमको अधिकृत भी किया गया है। सी0आर0पी0सी0 अधिकृत करती है, तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग भी हमको इस बात के लिए अधिकृत करती है कि इन्वेस्टीगेशन हम कर सकते हैं उसके लिए सर्च वारंट की आवश्यकता नहीं है। साथ–ही–साथ हम इस बात पर बल देना चाहते हैं यह कहना कि उनके घर के अन्दर प्रवेश किया। घर के अन्दर उस हाते में प्रवेश किया जहां पर पब्लिक डीलिंग होती थी। जहां पर टीन के पास इनका ऑफिस था, जहां पर पब्लिक डीलिंग होती थी वहीं तक प्रवेश किया। घर की किसी महिला तथा किसी और के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ और हम समझते हैं कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी पूरी की और माननीय सदस्य को इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए और उनको किसी भी प्रकार से इसको महसूस नहीं करना चाहिए और उनको इसमें सहयोग करना चाहिए। कानून में यह भी है कि वह व्यक्ति जिसके यहां तलाशी ली जा रही है, वह उसमें सहयोग करेगा। यह भी व्यवस्था है धारा–165 में चाहें तो हम आपको भेज देंगे। मैं समझता हूं मान्यवर, कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और इसको खारिज कर दिया जाए, चूंकि यह माननीय सदस्य की व्यक्तिगत पीड़ा थी इसलिए आपने सुना और सरकार ने अपना पक्ष रखा अब इस प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री विनय शंकर तिवारी–

जी मान्यवर, पहली बात तो हम इसकी वीडियो फुटेज दे देंगे कि वह हमारे घर में प्रवेश किये हैं। हमने उनसे यह आग्रह किया था कि अगर आपको किसी भी तरह का मुझसे सहयोग चाहिए, अगर कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो उसमें मैं सहयोग देने को तैयार हूं और यदि अपराधी यहां पर है तो जो भी सजा हो उस सजा को मैं भुगतने को तैयार हूं और जो भी कानूनसम्मत सजा हो वह सजा दी जानी चाहिए लेकिन किसी को निराधार बदनाम नहीं करना चाहिए। निराधार उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, जो गौ–सेवक थे उनका कोई अपराध नहीं था, लेकिन उनको भी उनके साथ ले जाकर टॉर्चर किया गया और जिस अशोक सिंह का नाम आ रहा है। अशोक सिंह को हमारे कैम्पस से गिरफ्तार नहीं किया गया, कैम्पस् से बाहर रास्ते में गिरफ्तार किया गया और यह झूठी बात कही गई कि हमारे घर से गिरफ्तार किया गया। यह बात गलत है मान्यवर, और हम केवल इसलिए आपका संरक्षण चाहते हैं कि आप हमें इस बात के लिए व्यवस्था करें कि कम से कम हम अगर उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तब हम दोषी हैं लेकिन यदि हम आपके किसी कार्यवाही में सहयोग कर रहे हैं तो आप हमसे बतायें हम आगे चलकर आपको सहयोग करने को तैयार हैं। कानून के हिसाब से जो भी अपराध करें उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। हम ऐसी मंशा रखते हैं और ऐसी कानून के प्रति सहयोग करने की भावना भी रखते हैं।

(श्री लाल जी वर्मा तथा श्री विनय शंकर तिवारी के बोलने के प्रयास पर)

श्री अध्यक्ष–

अब तो स्पष्टीकरण आ गया है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इसमें एक प्रश्न है अभी। मान्यवर, सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न करिये, भाषण नहीं। माननीय विनय जी आप बैठे, माननीय वर्मा जी आप बोले।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, यह इस सदन के माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला है। उस माननीय सदस्य को पूरा अवसर मिलेगा। आपने औचित्य के प्रश्न के ऊपर चर्चा के लिए तो अनुमति दी नहीं है और किसी माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला है और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है तो उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है।

श्री सतीश महाना–

चर्चा नहीं हो रही है तो इनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

बोल नहीं रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, वे प्रश्न करें जिनका व्यक्तिगत मामला है। आपने किसी सदस्य का व्यक्तिगत मामला है इसलिए अनुमति दी। उनको अपनी बात पूरी कहने का आपने अवसर दिया। अब उनके पास कोई प्रश्न नहीं है। जब उनके पास कोई प्रश्न नहीं है तो राजनैतिक प्रश्न का क्या औचित्य हो गया। राजनैतिक प्रश्न नहीं आने चाहिए। व्यक्तिगत प्रश्न तो खत्म हो गए हैं, उनके पास कहने को कुछ है नहीं, आगे निर्णय आपको करना है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें विनय तिवारी जी। आप वर्मा जी प्रश्न कर लें।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसी के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से उत्तर चाहता हूं। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने दो बातें कहीं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच में टोका–टोकी करने पर)

श्री लाल जी वर्मा–

अब शांत रहें, अब आप बोलोगे या हम बोलेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उपेन्द्र तिवारी जी बैठिए।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया। विस्तृत उत्तर में माननीय मंत्री जी ने अपना जो उत्तर रखा उसी के सम्बन्ध में आपके माध्यम से मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो स्पष्ट आ गया ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, उसी उत्तर पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि घर के अंदर पुलिस नहीं गयी। माननीय सदस्य के पास वीडियो फुटेज है कि पुलिस घर के अन्दर गयी। दूसरा इन्होंने कहा कि श्री हरिशंकर तिवारी जो माननीय सदस्य रहे हैं

और मंत्रि–मण्डल में आपके साथ रहे हैं, जिनके खिलाफ यह कह रहे हैं कि इतना रिकार्ड है, 1997 में उनका सहयोग लेकर सरकार चलाने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

यह तो राजनीतिक बहस है। अब हम अगला औचित्य का प्रश्न लेते हैं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, एक बार सुन लें। मुझे थोड़ी देर बोलने दें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी, माननीय हरिशंकर तिवारी जी वाला विषय आ गया। आपने प्रश्न तो कर लिया है।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, उन माननीय सदस्य का आपराधिक इतिहास को आज बता रहे हैं, उस अपराध के पंजीकृत रहते हुए अपनी सरकार में उनका स्वागत किया, दूसरा वीडियो फुटेज है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया गया है और इसलिए कि गोरखपुर में अकेले आप विपक्ष के जीत गए और यह बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। माननीय हरिशंकर जी के परिवार को अपमानित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया गया है। पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए यह हथकंडा अपनाया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल नहीं, कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप आरोप लगा रहे हैं। कोई ब्राह्मण समाज अपमानित नहीं हो रहा है।

(कुछ सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब संसदीय कार्य मंत्री जी को हमने बुला लिया है, माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बात अभी सदन के सामने नेता बसपा ने कही है, उसमें एक प्रतिशत भी सच्चाई नहीं है। अपराधी केवल अपराधी होता है, उसका जाति से, धर्म से, मजहब से कोई मतलब नहीं होता है। मान्यवर, आपके कहने से पहले मैंने यह कह दिया था कि वह इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे। 31 मुकदमें 364 के 302, 307

गैंगस्टर, गुण्डा एक्ट यह सारे के सारे मुकदमें उन पर चले और पुलिस इनके वहां एक बार नहीं, 31 मुकदमों में पुलिस हर घर में उनके गयी। वह तो इस पूरे प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी इसके लिए विख्यात थे और दूसरे प्रदेशों मे भी विख्यात थे और 15 थानों में उनके खिलाफ यह मुकदमें लिखे गये अगर पुलिस उनके यहां गयी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई कानून अपने हाथ में लिया नहीं गया। पूरी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत पुलिस उनके यहां एक मुल्जिम को ढूढने वहां गयी थी और किसी प्रकार का कानून पुलिस ने उल्लंघन नहीं किया। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस औचित्य के प्रश्न को समाप्त किया जाय और इस प्रकरण को भी समाप्त किया जाय।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विपक्ष में नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं और मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कि सदन में कोई बात गुस्से में नहीं कही जाती है लेकिन आपको गुस्सा आ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है। मान्यवर, यह प्रकरण जैसा अभी माननीय महाना जी ने आपके सामने कहा यह 300 औचित्य का प्रश्न है। श्रीमन् यह बहुत बड़ा मामला था कल 311 में विपक्ष के सारे सदस्यों ने इस मामले को दिया था और आपके कृपापूर्वक आदेश को मान करके आपने स्वयं कल कहा था कि आज इसको छोड़िये कल इसको लिया जायेगा। मैंने आपसे पूछा भी था कि किस नियम में कल ले आयेंगे आपने कहा कि 300 में ले आयें। यह बिल्कुल आपके पीठ से निर्देश थे और आपकी आज्ञा के अनुरूप इसे सदन में आज 300 में रखा गया है। सवाल हरि शंकर तिवारी, विनय तिवारी का नहीं है सवाल हमारा माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का है चाहे पक्ष हो या विपक्ष के लोग हो आज हरिशंकर तिवारी, विनय तिवारी के साथ हुआ है कल किसी के साथ घटना घट सकती है काहे कि हम पब्लिक के आदमी हैं, हम अधिकारियों के यहां काम के लिए जाते हैं, फोन से बात करते हैं जनता की समस्याओं को लेकर के जाते हैं, अखबार में भी हम कई बार पढ़े हैं कि कई माननीय सदस्यों से नोक–झोक हुई है और सत्ता के डर के मारे भले कोई माननीय सदस्य न कहे, कई सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से भी अधिकारियों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है लेकिन चूंकि वह सत्ता में हैं इसलिए अपनी बात कैसे कह सकते हैं। तो सवाल माननीय सदन के जितने माननीय सदस्य इसमें बैठे हैं उनके सम्मान का उनके विशेषाधिकार का है। जैसे एक राधामोहन जी भी हैं उनका भी मामला था उसको मैं छोड़ देता हूं लेकिन एक माननीय सदस्य जो इस विधान सभा का सदस्य है चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कृपापूर्वक मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पूरा डिटेल दिया, हम राजनीति में काम करने वाले भी हैं, कभी सड़क जाम कर देते हैं, कभी धरना–प्रदर्शन में धक्का–मुक्की हो जाता है, कहीं लाठी चल जाती है, कही गोली भी चल जाती है।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सचेतक महोदय से कहूंगा कि कृपया माननीय सदस्यों को बीच–बीच में बाधा डालने से रोकें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का सवाल है माननीय सदस्य विनय जी ने कहा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सुना इन्होंने पूछा भी इनके विशेषाधिकार का प्रश्न है। हरिशंकर तिवारी इस सदन के सदस्य नहीं है उस बात पर मैं नहीं जाता कि हरिशंकर तिवारी आपके सरकार में मंत्री रहे हैं, मेरे भी सरकार में रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके भी सरकार में रहे मेरे भी सरकार में रहे सवाल विनय तिवारी माननीय सदन के सदस्य का है इनके सामने किस तरह से पुलिस, सरकार के अधिकारियों ने दुव्यर्वहार किया जहां तक गोली और कारतूस बरामद हुई। कट्टा पिस्टल नहीं चार कारतूस। कारतूस कोई मुंह से चलाता है कि कट्टा से चलाता है, मुंह से चलायेगा मुंह से कोई गोली तो चलायेगा नहीं और पुलिस चाहे मेरी सरकार हो, आपकी सरकार हो, इनकी सरकार हो, किसी की सरकार हो, हम राजनीतिक, हम लोग कार्यकर्ता हैं पुलिस के पास तमंचा भी रहता है, गोली भी रहती है, जिसको चाहती है, पकड़कर पुलिस चालान कर देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिये श्रीमन् माननीय सदस्य के विशेषाधिकार को ध्यान में रखते हुये, इस माननीय पवित्र सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुये, हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना के विशेष अधिकार को ध्यान में रखते हुये मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले पर दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्व सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।

(श्री लाल जी वर्मा सहित बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

विधायी एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चूंकि मुझे पूरी जानकारी है मैं सदन को वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप संसदीय कार्य मंत्री जी को बोलने दीजिये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस मैटर को खत्म करिये। इस मामले में कोई किसी प्रकार का विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है, इसलिये कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। इसलिये मान्यवर, आप इसको समाप्त करें।

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार का कोई नोटिस भी नहीं है मेरे पास। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार की तरफ से पूरा स्पष्टीकरण आ गया। आपकी सारी बातें आ गयी हैं।

श्री ब्रजेश पाठक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपना कुछ व्यक्तिगत वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप किस नियम में उठायेंगे, आप माननीय मंत्री हैं।

श्री ब्रजेश पाठक–

यह सदन में चर्चा चल रही है। मैं भी अपना कुछ वक्तव्य रखना चाहता हूं।

(श्री लाल जी वर्मा सहित बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह विषयान्तर हो जायेगा। आप सब लोग बैठें। यह विषय समाप्त हुआ। अगली सूचना सदन में की गयी घोषणाओं का अनुपालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। माननीय सुखदेव राजभर जी अपने विचार रखें। यह आपकी सूचना है।

(श्री लाल जी वर्मा सहित बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री विनय शंकर तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय विनय जी आप बैठिये, माननीय वर्मा जी आप भी बैठिये। बहुत प्रश्नोत्तर हो गया। सारा विषय आ गया। यह नियम–300 में नहीं आता।

श्री ब्रजेश पाठक–

मान्यवर, मुझे सुन लिया जाय, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। पैसे लेकर उत्तर प्रदेश में हत्यायें कराई जा रही हैं। मेरी बात सुन लीजिये अध्यक्ष जी। आप मुझे बोलने का मौका दीजिये। किसी विधायक के यहां पुलिस नहीं घुसी। अपराधियों के सरगना के यहां पुलिस घुसी है, जिनका अपराध ठेके पर हत्यायें कराना है, अपहरण कराना इतिहास रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुखदेव राजभर जी अपनी बात रखें। माननीय मंत्री जी आप बैठें। माननीय विनय जी आप भी बैठें। आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विनय शंकर तिवारी–

यह जो कुछ कहा जा रहा है, यह पूरे सदन की गरिमा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठिये। माननीय सुखदेव राजभर जी विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कृपया उनको बोलने दें। अब विषय समाप्त हो गया। जो विषय समाप्त हो गया, अब उसे नहीं खोलेंगे।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, चूंकि हम लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा है, इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिष्कार करता है।

(श्री लाल जी वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बाहर चले गये)

श्री सतीश महाना–

राजभर जी गये हैं, यहां हैं ही नहीं हाउस में, तो बोलेंगे क्या।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 की सारी सूचनाएं निरस्त की गईं। अब मैं नियम–301 लेता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अब उस विषय पर कुछ नहीं होगा। अब हम पिछले विषय से आगे बढ़ गये हैं, पहले मैं नियम–301 की सूचनाओं को पढ़ देता हूं, उसके बाद आप व्यवस्था का प्रश्न रखियेगा।

आज दिनांक 18–05–2017 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं।

पहली श्री प्रेमसागर पटेल जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां अन्तर्गत गड़ौरा चीनी मिल के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल गोरखपुर महानगर में पी0ए0सी0 की पश्चिम तरफ की दीवाल 10 फीट हटाकर, कतिपय मार्ग को चौड़ा करने के सम्बन्ध में है,

तीसरी श्री जगन प्रसाद गर्ग विधान सभा क्षेत्र आगरा उत्तरी में जर्जर सड़कों एवं टूटी नालियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी श्री सन्त प्रसाद जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी अन्तर्गत कुवानों नदी के वनकटा घाट पर पक्का पुल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवीं श्री नागेन्द्र सिंह राठौर फर्रुखाबाद स्थित श्रृगीरामपुर सहित सभी आसपास के आश्रमों में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में है, छठी श्री अजय सिंह प्रदेश में जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं डॉ0 अनीता लोधी राजपूत जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत रामघाट में बहने वाली हजारा नहर के पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, आठवीं श्री संजय गर्ग सहारनपुर नगर के बीचों–बीच बहने वाली ढमोला नदी पर बृजेश नगर के रेलवे ब्रिज के निकट लगभग 200 मीटर लम्बाई पर तटबन्ध एवं पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं श्री आलमबदी आजमी जनपद आजमगढ़ के शारदा सहायक खण्ड–32 के अन्तर्गत दुर्वासा, कौडिया, बीनापारे, फूलपुर, रजवाहा माइनर पर ग्राम सेमराडीह के समीप ट्रैक्टर पुलिया के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं श्री कैलाश नाथ शुक्ल प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश की अवैध हत्या पर रोक लगाये जाने के बाद लावारिस गौ–वंश की रक्षा एवं देखभाल हेतु न्याय पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर गौशाला बनवाने एवं गौ–वंश के गोबर एवं मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं श्री उमाशंकर सिंह जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं में पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं श्री रोशन लाल वर्मा जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में आंधी एवं तूफान से हुयी बिजली के तारों एवं खम्भे टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं श्री बृजभूषण राजपूत गुड्डू भइया जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी अन्तर्गत हैण्डपम्पों की बोरिंग, डी0टी0एच0 प्रेशर मशीनों से कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं श्री पवन कुमार जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं श्री संजय कुमार गुप्ता प्रधान मंत्री के द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :–

1–श्री बाबूराम पासवान,

2–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,

3–श्री सुभाष पासी,

4—श्री महबूब अली,
5—श्री अमिताभ बाजपेई,
6—श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,
7—श्री नरेश सैनी,
8—श्री राकेश सिंह,
9—श्री प्रमोद उटवाल,
10—श्री संजीव सिंह ''बब्बू भैया'',
11—श्री मनोज कुमार पाण्डेय,
12—श्री ओमकार सिंह यादव,
13—श्रीमती साधना सिंह,
14—श्री मनोज कुमार पारस,
15—श्री रवि सोनकर,
16—श्री प्रदीप चौधरी तथा
17—श्री विनय कुमार द्विवेदी।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां अन्तर्गत गड़ौरा चीनी मिल के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सागर पटेल–

ख्मान्यवर, गड़ौरा चीनी मिल सिसवा विधान सभा, निचलौल तहसील अन्तर्गत आता है मिल मालिक 34 करोड़ रुपया किसानों का भुगतान नहीं कर रहा है। किसान परेशान है तथा मिल मालिक द्वारा भुगतान नहीं करने से किसान बहुत परेशान है।

अतः कृपया तत्काल किसानों के गन्ने मूल्य भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

गोरखपुर महानगर में पी0ए0सी0 की पश्चिम तरफ की दीवाल 10 फीट हटाकर, कतिपय मार्ग को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्मान्यवर, गोरखपुर महानगर में बिछिया (वार्ड–3) में, पी0ए0सी0 गेट से रामलीला मैदान होते हुए सरस्वतीपुरम् तथा जिला जेल बाईपास का रास्ता अत्यन्त संकरा होने के कारण रेलवे कालोनी बिछिया आदि क्षेत्रों के वाहन बाईपास होते हुए मेडिकल कालेज, महराजगंज की ओर नहीं जा पाते हैं और इन्हें काफी घूमकर जाना पड़ता है।

इस मार्ग के जो बगल में पी0ए0सी0 कैम्प है जिसका कैम्पस काफी फैले हुये क्षेत्र में है। दोनों के बीच में एक दीवाल है और दीवाल के दूसरी ओर 10 से 15 फीट की जमीन पूरी तरह खाली है सिर्फ फालोअवर के 20 कच्चे मकान है।

यदि पी0ए0सी0 कैम्पस की 10 फीट की जमीन, दीवाल हटाकर पी0ए0सी0 गेट से सरस्वतीपुरम् मार्ग में जोड़ दिया जाये तो पूरे क्षेत्र के विकास और यातायात की बेहतरी हेतु एक समुचित मार्ग मिल जायेगा। 10 फीट जमीन देने से पी0ए0सी0 वर्किंग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के पटल पर वक्तव्य देने हेतु शासन के निर्देश करने हेतु नियम–301 के में यह विषय उठाने की अनुमति प्रदान करें।,

विधान सभा क्षेत्र आगरा उत्तरी में जर्जर सड़कों एवं टूटी नालियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

ख्मान्यवर, आगरा एक ऐतिहासिक पर्यटक नगर है जहां पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक आते हैं। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र आगरा उत्तरी में जर्जर सड़कों एवं टूटी हुई नालियों के कारण पर्यटकों एवं आम जनमानस को काफी कठिनाई का सामना

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करना पड़ रहा है। जिसमें दयालबाग में वीरनगर कालोनी में केदार की दुकान से शहीद भगत सिंह स्कूल तक की सड़क व नाली दयालबाग के कर्मयोगी फौव्वारे से वैभव रेजीडेन्सी में सड़क व नाली, न्यू आगरा में डा0 कुन्टे वाली गली मानसरोवर कालोनी की सड़क व नाली, कुजामल टेंट हाऊस से अरुण गुप्ता के मकान तक श्री गोपाल कुंज कमला नगर में सड़क के दोनों ओर नाली, शिव जनरल स्टोर फ्रैन्डस एन्क्लेव से कबीर एन्क्लेव दयालबाग तक सड़क व नाली, अगवन वाटर वर्क्स से लेकर बल्केश्वर राधा नगर स्टेट बैंक तक सड़क व नाली, प्रेम आनन्द कुंज बृज विहार पुलिस चौकी के सामने कमलानगर सड़क, टैगोर नगर दयालबाग के मार्ग टैगोर नगर ट्रान्सफारमर्स से मकान नं0 121 होते हुए टैगोर नगर पानी की टंकी तक के मार्ग एवं नाली बहुत जीर्ण–शीर्ण हालत में है। इनका निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सड़कों एवं नालियों के निर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करते हैं।,

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र खजनी अन्तर्गत कुवानों नदी के वनकटा घाट पर पक्का पुल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद–

ख्मान्यवर, खजनी विधान सभा में कुवानों नदी के वनकटा घाट पर पक्का पुल न होने के कारण वहां के किसानों के सामने इस पार से उस पार आने–जाने व अपनी फसल की निराई गुड़ाई करने, विद्यार्थियों विद्या अध्यन के लिए आने–जाने में वर्षा के समय में विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा व्यापारियों को अपने व्यवसाय के लिये सामान ले आने एवं ले जाने के लिए काफी दिक्क्त होती है। वहाँ पक्का पुल बन जाने पर धनघटा विधान सभा तथा खजनी विधान सभा एवं अम्बेडकर नगर के लोगों को आने–जाने में काफी सुविधा हो जायेगी तथा राम जानकी मार्ग फोर लेने स्वीकृत है जो इस घाट से मात्र 3 किमी0 दूरी पर है। यहाँ पक्का पुल बन जाने के कारण यहाँ के लोगों को धार्मिक नगर अयोध्या में आने–जाने के लिये भी सुविधा मिल जायेगी।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कुवानों नदी के बनकटा घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।,

फर्रुखाबाद स्थित श्रृगीरामपुर सहित सभी आसपास के आश्रमों में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नागेन्द्र सिंह राठौर–

ख्मान्यवर, जनपद फर्रुखाबाद के आसपास में श्रृगीरामपुर आश्रम, चवन ऋषि आश्रम, धनवन्तर ऋषि आश्रम, रामकृष्ण दुर्गा आश्रम, प्रहलाद आश्रम, तथा श्री श्रृंगी ऋषि

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महाराज के पौराणिक स्थल है। ये तीर्थ आध्यात्म का पुंज, वैराग्य का प्रेरक, तपस्या का प्रतीक तथा योग साधना स्थल के रूप में सर्वमान्य रूप से स्थापित है।

संस्कृति, धर्म तथा आध्यात्म आधारित स्थल होने के कारण फर्रुखाबाद में इन तीर्थ स्थलों के कारण लाखों की संख्या में पर्यटकों का लगातार आना–जाना होता है। ऐतिहासिक रूप से प्रख्यात होने के बावजूद अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया। यदि श्रृगीरामपुर आश्रम सहित सभी अन्य धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण आश्रमों तथा घाटों को क्षेत्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाये तो पर्यटन स्थल के रूप में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं/सुविधाओं से सम्पूर्ण प्रदेश/देश के सभी जनपदों से पर्यटकों का आवागमन बहुत अधिक बढ़ने से प्रदेश की आय से ऐतिहासिक वृद्धि होगी।

अतः श्रृगीरामपुर सहित सभी आश्रमों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये सरकार को सदन के पटल पर नियम–301 के तहत व्यवस्था देने हेतु निर्देश दिया जाय।,

प्रदेश में जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय सिंह–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद बस्ती के हर्रेया विधान सभा क्षेत्र सहित समस्त प्रदेश में जंगली जानवर से फसलों का नुकसान हो रहा है। उक्त के सम्बन्ध में प्रायः आदेश दिये जाते रहे है परन्तु प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण अभी तक लोगों की फसलों की सुरक्षा नहीं हो सकी है। उक्त के अतिरिक्त फसलों के बचाव हेतु खेतों में सोने वाले किसानों को भी जान–माल की हानि का भय बना रहता है जिस कारण जनता में रोष व्याप्त है।

अतः उक्त विषय पर मैं सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत रामघाट के बहने वाली हजारा नहर के पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनीता लोधी राजपूत–

ख्मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिबाई विधान सभा में रामघाट में बहने वाली हजारा नहर के पुल की हालत बेहद खराब, जर्जर तथा क्षतिग्रस्त अवस्था में है। दोनों ओर से हजारों व्यक्तियों का आवागमन रहता है यह पुल अधिक संकरा तथा अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है तथा एक समय में एक तरफ के व्यक्ति ही जा सकते हैं, जर्जर अवस्था के कारण आदमी का चलना भी मुश्किल हो रहा है।

प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिये हजारों श्रद्धालू यहाँ आते हैं तथा यह एक मात्र पुल ही यहाँ आने–जाने का साधन है तथा जर्जर अवस्था के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता हैं। यह मेरे क्षेत्र की अत्यन्त विकट समस्या है यातायात, जनहित तथा जीवनहित में पुल का पुनः निर्माण कराये जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करती हूँ।,

सहारनपुर नगर के बीचों–बीच बहने वाली ढमोला नदी पर बृजेश नगर के रेलवे ब्रिज के निकट लगभग 200 मीटर लम्बाई पर तटबन्ध एवं पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग–

ख्मान्यवर, नियम–301 के माध्यम से लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर के बीचो–बीच घनी आबादी के मध्य बहने वाली ढमोला नदी में 2013 में आई बाढ़ से भारी जान माल की हानि हुई थी जिसका मुख्य कारण बृजेश नगर के रेलवे ओवर ब्रिज के निकट लगभग 200 मी0 लम्बाई पर तटबन्ध न होने के कारण आस–पास की बस्तियाँ जल मग्न हो गई थी। कमोवेश यही स्थिति आज भी विद्यमान है। लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थानीय जनता की मांग के अनुरूप आज तक उक्त समस्या के निदान हेतु कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः लोक महत्व के एक अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सहारनपुर नगर के बीचो–बीच घनी आबादी के मध्य बहने वाली ढमोला नदी पर बृजेश नगर के रेलवे ओवर ब्रिज के निकट लगभग 200 मी0 लम्बाई पर तटबन्ध एवं पिचिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।,

जनपद आजमगढ़ के शारदा सहायक खण्ड–32 के अन्तर्गत दुर्वासा, कौडिया, बीनापारे, फूलपुर, रजवाहा माइनर पर ग्राम सेमराडीह के समीप ट्रैक्टर पुलिया के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी–

ख्मान्यवर, मैं आप द्वारा मा0 सिंचाई मंत्री जी का ध्यान उपरोक्त के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। उपरोक्त पुलिया टूट जाने के कारण ग्रामवासियों को अपने खेतों की ओर ट्रैक्टर ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आपसे निवेदन है कि जनहित में इसका पुनर्निर्माण कराया जाय। इसके लिये मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।,

प्रदेश सरकार द्वारा गो–वंश की अवैध हत्या पर रोक लगाये जाने के बाद लावारिस गो–वंश की रक्षा एवं देखभाल हेतु न्याय पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर गौशाला बनवाने एवं गौवंश के गोबर एवं मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ शुक्ल–

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद गोवंश की अवैध हत्या पर रोक लगाकर सराहनीय कार्य किया है जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। परन्तु इसी के साथ विशेष रूप से देवी पाटन मण्डल की समस्या है कि आम जन अपने अनुपयोगी गो–वंश यथा बछड़े, बैल एवं दूध न दे पाने वाले गायों को लावारिस छोड़ देते हैं जो घूम–घूम कर किसानों की फसल को भारी क्षति पहुंचाते हैं। इस कारण वे गोवंश समस्या हो गये हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे लावारिस गोवंश की रक्षा एवं देख–भाल के लिये न्याय पंचायत अथवा ब्लाक स्तर पर सरकारी गौशाला बन सकता है तथा गोवंश के गोबर एवं मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग की भी योजना बनायी जाये जिससे गोवंश समाज के ऊपर बोझ न बने और समाज उन गोवंश को पालने से रुचि रखे।,

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं में पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमा शंकर सिंह–

ख्मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत ग्राम सभा मुण्डेरा, डुमरी, डेहरी, कोटवारी, बछईपुर, सलेमपुर, बर्रेबोझ, रेकुआ, उरैनी, सोनापाली एवं सुल्तानपुर (रसड़ा) बड़े गांव होने के साथ ही यहां की आबादी भी 10000 से अधिक है। यह सभी गांव टोंस नदी के किनारे बसे हैं जो कि आर्सेनिक से बुरी तरह से प्रभावित है और इन गांवों का भूजल स्तर भी काफी नीचे है। जनहित में इतनी बड़ी आबादी को देखते हुये उपरोक्त गांवों में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत ग्राम सभा मुण्डेरा, डुमरी, डेहरी, कोटवारी, बछईपुर, सलेमपुर, बर्रेबोझ, रेकुआ, उरैनी, सोनापाली एवं सुल्तानपुर (रसड़ा) में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) बनाये जाने हेतु शासन से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।)

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में आंधी एवं तूफान से हुयी बिजली के तारों एवं खम्भे टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 133–तिलहर के अन्तर्गत दिनांक 12–05–2017 शाम को आयी आंधी और तूफान से

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कस्बा तिलहर, ग्राम निगोही, गुरगवां, हमजापुर, पराझरसा, हथगांव, बरैंचा आदि गांवों में बिजली के खम्भे एवं तार जमीन पर टूटकर गिर गये हैं जिससे विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गयी है। जिससे आम जनता बिजली न होने से काफी परेशान हो रही है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण आम जन में आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं। दिनांक 18 मई, 2017,

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी अन्तर्गत हैण्डपम्पों की बोरिंग, डी0टी0एच0 प्रेशर मशीनों से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत 'गुड्डू भैय्या'–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद महोबा के चरखारी विधान सभा अन्तर्गत जमीन पथरीली होने से वहां पर लगे सभी बोरिंग के पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है जिससे यहां पर समस्त बोरिंग फेल हो जाने के कारण पानी का संकट व्याप्त हैं जमीन के नीचे पथरीला भू–भाग होने के कारण गहरी बोरिंग नहीं हो पाती है। सरकार द्वारा हैण्ड पम्पों की बोरिंग डी0टी0एच0 प्रेशर मशीनों से कराये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे यहां का पानी का संकट दूर हो सकता है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार–

ख्मान्यवर, आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से विधान सभा क्षेत्र हाटा के विभिन्न गांवों में पानी की टंकियां बनाई गयी हैं किन्तु कोई भी टंकी चालू नहीं है। असना मंहवी, छपिया तथा पिपरही आदि ग्राम पंचायतों में निर्मित पानी की टंकियां केवल शो–पीस बनकर रह गयी हैं। काम अधूरा है। जनहित में बने ये आधे–अधूरे प्रकल्प सरकारी व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे है। भीषण गर्मी है पानी के लिये जनता परेशान है। व्यापक जनहित में इन पानी की टंकियों को तत्काल आरम्भ किया जाना आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा तथा वांछनीय कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रधान मंत्री के द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कुमार गुप्ता–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश के कई कर्मचारियों को नौकरी का अवसर प्रदान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल कितने लोगों को नौकरियां दी गई हैं और जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, उनमें से ज्यादातर लोग अधिकारियों के घरों पर काम करते हैं और फर्जी रूप से वेतन आहरित करते हैं।

मैं सदन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अधिकारियों के बंगलों से हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुये स्वच्छ भारत मिशन को पूर्ण रूप से सफल करने हेतु इस सदन में चर्चा की मांग करता हूं।,

श्री अध्यक्ष–

अब आप व्यवस्था का प्रश्न रखें।

मा0 सदस्यों के शैडो/गनर को विधान सभा परिसर के बाहर रुकने का स्थान सुनिश्चित कराये जाने एवं सभी सदस्यों के शैडो/गनर उपलब्ध कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम सभी मा0 सदस्यगण चाहे इस सदन के हों या उस सदन के हों, हाउस में अपने कामों को ले करके आते हैं। हमारे शैडो और गनर को गेट के बाहर रोक दिया जाता है। धूप हो, जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो वह अपनी कारतूस, अपनी स्टेनगन को लेकर स्वयं कहां पर रुकें और किस स्थान पर हम सभी सदस्यों को वापस मिलें इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आपसे हम विनती करना चाहते हैं कि वह सुरक्षाकर्मी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं। विधान भवन में या विधान भवन के बाहर किसी दूसरे स्थान पर उन सभी सुरक्षा कर्मियों के बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए, अपनी स्टेनगन, कारतूस रखने के लिए और फ्रेश होने के लिए कोई एक जगह निश्चित होनी चाहिए, यह एक बात। दूसरी बात, इस सदन में जो भी माननीय सदस्य निर्वाचित हो करके आये हैं, जो सरकार के आदेश हैं, हम मा0 विधायकों को दो शैडो या दो गनर मिलते हैं। कुछ माननीय सदस्यों को दो गनर दे दिये गये हैं लेकिन प्रतिपक्ष के सदस्यों को एक ही गनर दिया गया है। कैटेगरीवार सुरक्षा देना सरकार का अधिकार है, हम कैटेगरीवार सुरक्षा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन एक

एम0एल0ए0 होने के नाते सभी सदस्यों को जो दो गनर या दो शैडो दिये जाने की व्यवस्था है, उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं था लेकिन आप वरिष्ठ हैं इसलिए आपको सुन लिया गया है। शैडो, गनर किसको मिलता है यह शुद्ध रूप से अलग मामला है। मुझे उल्लेख नहीं करना चाहिए, मैं लम्बे समय तक इस आदरणीय सदन और अन्य सदन का सदस्य रहा हूं लेकिन मुझे तो हमेशा एक ही मिला है। आपको तो पहले बहुत मिले होंगे, इधर कुछ एक–आध घटा है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

नेता सदन तथा नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान सदस्यों द्वारा टीका–टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

'श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि सदन नियमों से चलता है लेकिन संसदीय परम्पराओं से भी सदन चलाया जाता है। अध्यक्ष जी, यह बहुत पुरानी संसदीय परम्परा है कि मा0 नेता सदन या मा0 नेता विरोधी दल जब अपनी बात सदन में रखते हैं तो किसी भी माननीय सदस्य को बीच में टोका–टाकी नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

लेकिन अध्यक्ष जी, हम लोग देख रहे हैं कि जब माननीय नेता सदन बोलते हैं तो जितना भी प्रतिपक्ष है, हम सब, उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं लेकिन जब–जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े होते हैं, हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जब से सत्र शुरू हुआ है, उधर के सदस्य टोका–टाकी करते हैं और प्रदेश सरकार के मंत्रिगण भी उठकर माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान टोका–टाकी और टिप्पणी करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप इस पर व्यवस्था दे दें। कम से कम मंत्रियों को तो यह आचरण नहीं करना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यहां पर 200 से ज्यादा नये सदस्य आये हैं, अगर संसदीय परम्परा का निर्वहन नहीं होगा तो नये सदस्य क्या सीखेंगे ? तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने सदस्यों को भी इस संसदीय परम्परा का ज्ञान दे दें। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कल डेढ़ घण्टा तक माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने विभिन्न अभिनय के साथ अपनी पूरी बात कही और हम आराम से, पूरी सदाश्यता के साथ हमारे पूरे माननीय सदस्यों ने उनको सुना, जितना भी अभिनय किया उसको भी बर्दाश्त किया।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन वह गुस्सा नहीं हो रहे थे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, गुस्सा हम भी नहीं हो रहे हैं। ऐसा है कि एक मसला मा0 राम गोविन्द चौधरी कहते हैं कि 'जबरा मारे और रोवे न दे' तो यह खुद बहुत बड़े जबर हैं। आजकल पता नहीं क्या–क्या चैनलों पर चल रहे हैं, जो मर्जी चाहते हैं जेब में से निकाल कर छोड़ देते हैं और कई चीजें जेब से निकाल कर छोड़ी गयी। मैं मान्यवर, आपको अलग से बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अलग से बतायेंगे तो हम इनसे भी अलग से पूछेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो अभी एक व्यवस्था का प्रश्न उठा, इस सदन में मा0 नेता विरोधी दल को भी जब चाहें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। पूरी शिद्दत और शान्ति के साथ उनको सुना गया और मैं समझता हूं कि इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना भी कोई औचित्य की बात नहीं है। आपने इसका संज्ञान ले लिया और हमने भी अपनी बात कह दी और हम आगे से भी चाहेंगे कि कोई भी इस प्रकार से टोका–टाकी न हो। हम लोग संसदीय परम्पराओं का पालन करते हैं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, हम किसी को सुनना चाहेंगे तो हम खुद ही बैठ जायेंगे और सुनेंगे। मान्यवर, ऐसा होता रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी को टोका–टाकी करें। वैसे बीच में अगर कोई हास–परिहास की बात आती है तो इस सदन को भी कभी–कभी बोरियत से दूर रखना चाहिए, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, उसके पीछे कोई मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

उसके लिये राम गोविन्द जी पर्याप्त हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–2 पुकारे जाने पर श्री राम गोविन्द चौधरी जी खड़े होकर बोलने लगे)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि राम गोविन्द चौधरी को गुस्सा नहीं आया कल। आपकी कृपा है। इसका मतलब कि संसदीय कार्य मंत्री को हर वक्त गुस्सा आता है और गुस्सा कब और क्यों आता है, इसको हम लोग जानते हैं। (हंसी) तो इसलिये आपके माध्यम से मैं सत्ता पक्ष के लोगो से प्रार्थना करता हूं कि इनको गुस्सा न आये कम से कम कोई उपाय जरूर कर दें। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

तो आप काहे नहीं करते।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, आपने मद संख्या–2 पुकारा।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2016

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या–01 को संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर 31 मार्च, 2016

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या–02 वर्ष 2017 को संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त 31 मार्च, 2016

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या–04 वर्ष 2016 को संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2016

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या–05 को संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2016

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या–06 को संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–7–15 (उप लो0आ0) स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–7–15 (उप लो0आ0) स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन 2008–2009

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन 2008–2009 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन 2010–2011

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन 2010–2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13, 14, 15, 16 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–17।

आगरा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल के रूप में किये जाने सम्बन्धी संकल्प

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं– ''यमुना नदी के किनारे बसा आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आगरा शहर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून एवं जयपुर आदि शहरों से सीधे रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। दिल्ली–मुम्बई एवं दिल्ली–चेन्नई के लिए मध्य पश्चिम एवं मध्य दक्षिण रेलवे नेटवर्क है। विश्व के 07 आश्चर्यों में से एक ताजमहल आगरा की विशेष पहचान है। यहां की अन्य दो धरोहरें आगरा किला और फतेहपुर सीकरी भी विश्व प्रसिद्ध हैं।

मथुरा जिले में जन्मे पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगरा में शिक्षा प्राप्त की। वे एक महान चिन्तक और संगठनकर्ता थे। विलक्षण बुद्धि, सरल व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के अनगिनत गुणों के स्वामी भारतीय राजनीति के क्षितिज के इस प्रकाशमान सूर्य ने भारतवर्ष में समतामूलक राजनीतिक विचारधारा का प्रचार व प्रोत्साहन किया। अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी पंडित दीनदयाल जी उच्च कोटि के दार्शनिक थे, किसी प्रकार का भौतिक माया–मोह उन्हें छू तक नहीं सका। पंडित दीन दयाल जी का उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व–दृष्टि प्रदान करना था। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। पण्डित दीनदयाल जी पत्रकार के साथ चिन्तक और लेखक भी थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा आज दिनांक 18 मई 2017 को इस आशय का संकल्प लेती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सम्मान स्वरूप आगरा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल के रूप में कर दिया जाए।'' (मेजें थपथपाईं गईं।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल मद संख्या–18 भी प्रस्तुत करवा दें दोनों में विचार एक साथ रखना चाहेंगे कि अलग–अलग।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

जैसी आपकी इच्छा।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18 भी प्रस्तुत कर दें।

गोरखपुर हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल के रूप में किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं–''गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यह एक धार्मिक केन्द्र के रूप में भी प्रसिद्ध है जो बौद्ध, हिन्दू, मुस्लिम, जैन और सिख सन्तों की साधना स्थली रहा है। सन्त महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के नाम पर इसका वर्तमान नाम गोरखपुर है। यहां का प्रसिद्ध गोरखनाथ मन्दिर नाथ सम्प्रदाय की पीठ है। यह शहर महान सन्त परमहंस योगानन्द जी का जन्म स्थान भी है। गोरखपुर में हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों का प्रमुख प्रकाशन संस्थान गीता प्रेस स्थित है।

गोरखपुर भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक केन्द्र बिन्दु रहा और आज यह शहर एक प्रमुख व्यापार केन्द्र बन चुका है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय यहां पर स्थित है। गोरखपुर में राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम होता है तथा रामगढ़ ताल भी यहां स्थित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गोरखपुर पर्यटन परिक्षेत्र एक विस्तृत भू–भाग में फैला हुआ है। इसके अन्तर्गत गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल एवं आजमगढ़ मण्डल के कई जनपद हैं। सरयू, राप्ती, गंगा, गण्डक, तमसा, रोहिणी जैसी नदियों से अभिसिंचित, भगवान बुद्ध, तीर्थंकर महावीर, सन्त कबीर, महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की तपोस्थली, सर्वधर्म–समभाव का संदेश देने वाले विभिन्न धर्मावलम्बियों के देवालयों और प्रकृति द्वारा सजाये–संवारे नयनाभिराम पक्षी विहार एवं अभ्यारण्यों से परिपूर्ण यह परिक्षेत्र सभी वर्ग के पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है।

गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा–उद्योग पर आधारित है। यह शहर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, यहां का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा इस आशय का संकल्प लेती है कि सन्त महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के सम्मान स्वरूप गोरखपुर हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल के रूप में कर दिया जाए।''

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल मद संख्या–17 व मद संख्या–18 दोनों पर विचार व्यक्त करना चाहें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार किसी का भी नाम किसी के ऊपर रख सकती है इसमें दोनों महापुरुषों के नाम पर किसी को ऐतराज नहीं है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय देश के जाने–माने नेता थे और गोरखपीठ भी हमारे पूर्वांचल के लिए तो एक शक्ति का आधार भी है। मैं केवल एक बात आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं हमारी जिज्ञासा का समाधान प्रमुख सचिव से स्पष्ट नहीं आ पाया कि संकल्प माननीय मंत्री जी ने पेश किया अगर माननीय मंत्री जी को पेश करना था तो इसको कैबिनेट से पास करते लेकिन इन्होंने एक माननीय सदस्य का हक छीन लिया एक आगरा के माननीय सदस्य से एक गोरखपुर के माननीय सदस्य से संकल्प को प्रस्तुत कराना चाहिए था कि उसके भी क्षेत्र में होता कि माननीय सदस्य ने क्षेत्र का नाम रोशन किया। लेकिन यहां पर मंत्री लोग सदस्यों का ही हक छीन ले रहे हैं। हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है ऐतराज इतना ही है कि माननीय मंत्रीगण तो इसको कैबिनेट में भी रख सकते थे यहां पर रखने का केवल माननीय सदस्यों का अधिकार है या तो गोरखपुर का कोई माननीय सदस्य रख सकता था या आगरा का सदस्य रख सकता था दोनों महा पुरुष हैं इनके नाम पर हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी भी विधायक हैं, सदस्य हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय मंत्री जी विधायक हैं मैंने इसको कई बार सदन में कहा है मंत्री रहते हुए भी आपकी पीठ से यह बात आई है कि आप मंत्री हैं हमको खुद टोका गया तो मैंने इस बात को कहा है यहां पर हमारे पुराने साथी बैठे हुए हैं मैंने कहा कि मैं मंत्री हूं लेकिन पहले मैं अपने क्षेत्र का सदस्य हूं और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हम मंत्री के रूप में भी सदन में बात कह सकते हैं। लेकिन यह मामला दूसरा है संकल्प प्रस्तुत करना माननीय सदस्यों का अधिकार है। माननीय मंत्रीगण क्षमा करिएगा सदस्यों को भी अधिकार होना चाहिए यह दोनों महान पुरुष हैं इसमें किसी को ऐतराज नहीं है।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय नेता विरोधी दल ने जो विषय अभी उठाया है दरअसल नेता विरोधी दल को कुछ न कुछ तो कहना ही था इस सदन के कोई भी माननीय सदस्य जो माननीय मंत्री जी ने यह प्रस्तुत किया वह इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और नियमों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में यह कहीं बात नहीं है कि मंत्री नहीं उठा सकता। वैसे इसका नामकरण एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत भी हो सकता था इसको बिना हाउस में लाए भी हो सकता था लेकिन।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह अधिकार केवल माननीय सदस्यों का है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह बिना यहां लाए भी हो सकता था लेकिन सम्पूर्ण सदन को इसकी जानकारी हो जाए इसके लिए पूरे व्यवस्थित तरीके से यह कोशिश की कि इसको सदन के समक्ष लाया जाय और संकल्प के रूप में पास कराया जाय।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसलिये हम चाहते हैं कि इस पर मत ले लें और वैसे तो यह मा0 नेता विरोधी दल की तरफ से आ गया है। इसको सर्वसम्मति से पास करा दें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विषय केन्द्र सरकार का है या प्रदेश सरकार का है। जो चीज हम कर ही नहीं सकते उस पर हम संकल्प क्या रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 नेता बसपा, यह एक संकल्प है। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। विधान सभा सामूहिक सहमति के रूप में यह संकल्प ले रही है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इसमें इस आशय का प्रस्ताव आना चाहिये कि यह सदन इस तरह का प्रस्ताव करता है या केन्द्र सरकार से मांग करता है लेकिन इसमें इस तरह का प्रस्ताव नहीं है। अगर वह हवाई अड्डा भारत सरकार के सिविल एवियेशन विभाग द्वारा संचालित है तो वह स्टेट गवर्नमेन्ट या उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्यवस्तु ही नहीं है। इसलिये मेरे विचार से इस विधान सभा में यह प्रस्ताव लाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, ऐसा है कि अभी तक यह परम्परा रही है कि हम अपने क्षेत्र के जो भी हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का नामकरण होता रहा है, मैं समझता हूं कि उसको लाने में कोई हर्ज भी नहीं है। हम प्रस्ताव करते हैं कि इसका नाम महायोगी गोरखनाथ जी महाराज जी के नाम पर और पं0 दीनदयाल जी के नाम पर कर दिया जाए। जो विषय आपने उठाया है हम इसको दिखवा लेंगे अगर यह केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता होगा, लेकिन नियमों में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि हम

संकल्प पास नहीं कर सकते। संकल्प पास कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। मान्यवर, इसलिये इस संकल्प को पारित करवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं मा0 राम गोविन्द चौधरी जी का विशेष रूप से आभारी हूं जिनकी इच्छा थी कि गोरखपुर का कोई सदस्य प्रस्ताव करे और ईश्वरीय न्याय है कि गोरखपुर का सदस्य इस अध्यक्षीय पीठ पर बैठ करके यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, गोरखपुर के मा0 सदस्य को हम लोग दूसरी जगह देखना चाहते थे, यहां नहीं देखना चाहते थे।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी शुभेच्छाओं के लिये आपको बहुत–बहुत आभार।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि ''यमुना नदी के किनारे बसा आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। आगरा शहर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून एवं जयपुर आदि शहरों से सीधे रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। दिल्ली–मुम्बई एवं दिल्ली–चेन्नई के लिये मध्य पश्चिम एवं मध्य दक्षिण रेलवे नेटवर्क है। विश्व के 07 आश्चर्यों में से एक ताजमहल आगरा की विशेष पहचान है। यहां की अन्य दो धरोहरें आगरा किला और फतेहपुर सीकरी भी विश्व प्रसिद्ध है।

मथुरा जिले में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगरा में शिक्षा प्राप्त की। वे एक महान चिन्तक और संगठनकर्ता थे। विलक्षण बुद्धि, सरल व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के अनगिनत गुणों के स्वामी भारतीय राजनीति के क्षितिज के इस प्रकाशमान सूर्य ने भारत वर्ष में समतामूलक राजनीतिक विचारधारा का प्रचार व प्रोत्साहन किया। अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी पण्डित दीनदयाल जी उच्च कोटि के दार्शनिक थे, किसी प्रकार का भौतिक माया–मोह उन्हें छू तक नहीं सका। पंडित दीनदयाल जी का उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिये विशुद्ध भारतीय तत्व–दृष्टि प्रदान करना था। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुये देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। पंडित दीनदयाल जी पत्रकार के साथ चिन्तक और लेखक भी थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा इस आशय का संकल्प लेती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सम्मान स्वरूप आगरा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल के रूप में कर दिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मिति से स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि ''गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यह एक धार्मिक केन्द्र के रूप में भी प्रसिद्ध है जो बौद्ध, हिन्दू, मुस्लिम, जैन और सिख सन्तों की साधनास्थली रहा है। सन्त महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के नाम पर इसका वर्तमान नाम गोरखपुर है। यहां का प्रसिद्ध गोरखनाथ मन्दिर

नाथ सम्प्रदाय की पीठ है। यह शहर महान सन्त परमहंस योगानन्द जी का जन्म स्थान भी है। गोरखपुर में हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों का प्रमुख प्रकाशन संस्थान गीता प्रेस स्थित है।

गोरखपुर भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक केन्द्र बिन्दु रहा और आज यह शहर एक प्रमुख व्यापार केन्द्र बन चुका है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय यहां पर स्थित है। गोरखपुर में राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम होता है तथा रामगढ़ ताल भी यहां स्थित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल में गोरखपुर पयर्टन परिक्षेत्र एक विस्तृत भू–भाग में फैला हुआ है। इसके अन्तर्गत गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल एवं आजमगढ़ मण्डल के कई जनपद हैं। सरयू, राप्ती, गंगा, गण्डक, तमसा, रोहिणी जैसी नदियों से अभिसिंचित, भगवान बुद्ध, तीर्थंकर महावीर, संत कबीर, महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की तपोस्थली, सर्वधर्म–समभाव का संदेश देने वाले विभिन्न धर्मावलम्बियों के देवालयों और प्रकृति द्वारा सजाये–संवारे नयानाभिराम पक्षी विहार एवं अभ्यारण्यों से परिपूर्ण यह परिक्षेत्र सभी वर्ग के पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र हैं।

गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा–उद्योग पर आधारित है। यह शहर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, यहां का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा इस आशय का संकल्प लेती है कि सन्त महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के सम्मान स्वरूप गोरखपुर हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल के रूप में कर दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा*

श्री अधिष्ठाता–

मैं नेता बसपा श्री लाल जी वर्मा से आग्रह करता हूं कि वह अपनी बात रखें। अन्य दलों से जो सूचियां आनी थीं, अगर न आई हों तो कृपया उन्हें यहां भिजवा दें।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो संशोधन माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार रखने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैंने बड़े ध्यान से माननीय महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा। महामहिम का अभिभाषण स्वयं का अभिभाषण नहीं होता। सरकार के द्वारा तैयार किया हुआ सरकार के आने वाले समय की क्या कार्य योजना है, क्या नीतिगत उनके फैसले होना है, उसका एक प्रतिबिम्ब होता है। मान्यवर, मैंने बहुत लम्बे समय से इस विधान सभा में विभिन्न अवसरों पर महामहिम के अभिभाषण को देखा है। इस अभिभाषण को इतना अधिक मोटा बनाकर इतना ज्यादा इसमें लिखा गया है और जब मैंने इसको पढ़ने का काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि खोदा पहाड़, निकली चुहिया। पूरे अभिभाषण में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादातर

नोट :-* 16 मई, 2017 की कार्यवाही से।

पिछली सरकार ने जो लेखा अनुदान के माध्यम से विभिन्न विभागों का बजट निर्धारित किया है उसी के सम्बंध में उसमें एक चर्चा करने का काम किया गया है। मान्यवर, इस सरकार को बने हुए लगभग दो माह हो रहे हैं। हमारा यह मानना है कि निश्चित तौर पर दो महीने में कोई बहुत कुछ करने की बात नहीं होती है लेकिन, मान्यवर आज ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में बन रही हैं कि दो महीने में जिस तरह से यह सरकार फेल हुई है जो इनके मुख्य नारे थे उन विषयों पर निश्चित रूप से उसके कारण मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं कुछ कह सकूँ। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य नारा दिया था कि ना गुण्डाराज, ना भ्रष्टाचार और आज पूरे प्रदेश में गुण्डाराज चरम पर है, अपराध चरम पर हैं। मान्यवर अभी हम लोगों ने एक प्रश्न लगाया था और उस प्रश्न पर इस बात की चर्चा करने का काम किया था कि इस सरकार के आने के बाद जो अपराध बढ़े हैं उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना है ? मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अपराध बढ़े नहीं हैं लेकिन मान्यवर, मेरे पास जो आंकड़ा है मैं एक–एक घटना की चर्चा नहीं करूंगा। मा0 चौधरी साहब ने नेता विरोधी दल ने विभिन्न घटनाओं की चर्चा करने का काम किया है। मैं उससे अपने को जोड़ते हुए संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार के बनने के बाद मार्च में यह सरकार बनी है। जनवरी 2017 में 16 डकैती हुई थी।

मान्यवर मार्च में 23 हो गयी और अप्रैल में 33 हो गयीं यानी दोगुने से ज्यादा हो गयीं। लूट की घटनाएं जनवरी, 2017 में 249 थीं मार्च में 412 हुईं और अप्रैल में 421 हो गयीं। मान्यवर, हत्या की घटनाएं जनवरी, 2017 में 286 से थीं मार्च में 397 हुआ ओर अप्रैल में 399 हो गया। मान्यवर, रेप की घटनाएं, जब जनवरी, 2017 में यह सरकार नहीं बनी थी तो 244 थीं मार्च में सरकार बनने के बाद 378 हो गयीं और अप्रैल में 393 हो गयीं। मान्यवर, यह घटनाएं बढ़ रही हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में एक प्रश्न के जवाब में मुझे उत्तर दिया था कि मा0 सदस्य राजनीतिक कारणों से इन मुद्दों को उठाते हैं लेकिन आज उनके परिवार के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं बनी है। मान्यवर, मेरा भी राजनीतिक जीवन लगभग 34–35 वर्ष का हुआ है। 21–22 साल मुझे इस सदन में भी रहने का मौका मिला है। मान्यवर, जिस तरह से आज अपराधी निरंकुश होकर घटनाएं करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अपराध बढ़ा है और अपराधी अपने काम को, जिस तरह से जो वह चाहते हैं उस तरह की जांच भी स्वीकृत करा लेते हैं निश्चित रूप से अपराधियों का हौसला बढ़ा है और उन अपराधियों के हौसला बढ़ने के कारण आज अपराध बढ़ रहे हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी के बार–बार कहने के बाद भी उस पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। मान्यवर, दूसरी बात महिला उत्पीड़न की है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस बात का जिक्र किया गया है कि महिलाएं आज निर्भीक होकर रात के 12 बजे भी चलने का काम कर सकती हैं। मान्यवर, मैंने आंकड़े के माध्यम से बताया कि रेप की घटनायें बढ़ी हैं। गैंग रेप की घटनायें बढ़ी हैं। निश्चित रूप से आज महिलायें आतंकित हैं और जो कल की

घटना है मान्यवर, राज्य अतिथि गृह के सामने ही एक आई0ए0एस0 अफसर की लाश मिलना, मथुरा में जिस तरह से दिनदहाड़े व्यापारियों के घर में फिल्मी स्टाइल में घुसकर लूट करना, गोरखपुर जो मा0 मुख्य मंत्री जी का शहर है, जहां से वह स्वयं आते हैं उस शहर में मार्च से लेकर अप्रैल तक 18 लूट की बड़ी घटनायें होना, एक व्यापारी का उसकी कार सहित जला दिया जाना, यह सारी घटनायें इस बात का द्योतक हैं कि आज इस सरकार का कोई इकबाल नहीं बचा है। अपराधियों को यह महसूस हो रहा है कि हमारे हितों की यह सरकार है।

मान्यवर, इसके पीछे कई कारण हैं। मेरा यह मानना है मैं यह निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता। जिसकी सरकार बनती है उसमें वह अपनी पैठ बैठाने का प्रयास करता है। कानून–व्यवस्था की अगर हिफाजत करना है तो अपराधी को अपराधी मानना होगा। उसमें पक्ष–विपक्ष के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। आज इस सरकार की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज लोग निरंकुश हैं। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी बस्ती में गये थे और जब अधिकारियों ने रोका तो अधिकारियों के विरोध में कुछ हिन्दु युवा वाहिनी के लोग नारा लगाने लगे और अधिकारियों को मजबूर करने का काम किया। आज जिस तरह से पुलिस कर्मियों के मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है। सहारनपुर की घटना आपने देखा जिस तरह से सांसद ने पुलिस कप्तान के घर में घुसकर उनके नेतृत्व में उनके पत्नी और बच्चों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा उसके बाद भी सांसद या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती पहले ही एस0एस0पी0 को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। उसी तरह से बाराबंकी में एक मा0 सांसद द्वारा पुलिस अधिकारियों को धमकी दिया जाना, उनकी खाल निकाल लेने की बात किया जाना। इसी तरह से फतेहपुर सीकरी में जिस तरह से 22 अप्रैल को विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा थाने में प्रदर्शन हुआ और बाद में पुलिस के साथ जमकर संघर्ष हुआ। सी0ओ0 का हाथ तोड़ दिया गया। इसी तरह से मेरठ में 8 अप्रैल को बी0जे0पी0 के एक नेता के गाड़ी से हूटर निकालने गये पुलिस अधिकारियों को जिस तरह से अपमानित किया गया और बाद में उस अधिकारी को वहां से हटा देने का काम किया गया। इसी तरह से शाहजहांपुर में थाने में जाकर सत्तापक्ष के नेताओं के द्वारा चूड़ी पहनाने का प्रयास किया गया। यह सारी घटनायें इस बात को साबित करती हैं और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और अपराध नियंत्रित करने वाले लोगों का मनोबल गिरता है। मान्यवर, 2007 में हमारी सरकार थी जौनपुर में मछलीशहर में हमारे एक सांसद ने गरीबों के मकान को बुलडोजर लगाकर गिराने का काम किया। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने परवाह नहीं किया कि हमारा सांसद है, एस0पी0 को बुलाकर उनको जेल भेजने का काम किया और 05 साल तक वह जेल से छूटने का काम नहीं कर पाये। मान्यवर, जब तक हम इस तरह

का निर्णय नहीं लेंगे, आज राजनीतिक विद्वेष की भावना से मान्यवर, राजनीतिक विद्वेष की भावना से अधिकारी जाता है, कार्यवाई करता है और दूसरे दिन ही उसको स्वतंत्र रूप से एस0पी0 बना दिया जाता है। जब इस तरह विद्वेष की भावना से कार्रवाई करने का कार्य किया जायेगा तो निश्चित रूप से मान्यवर, यह सरकार अपराधों को रोकने का काम नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ मान्यवर, इस सरकार ने युवकों को सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया, सबका साथ–सब का विकास। सबका साथ किस तरह से, सब का विकास किस तरह से ? जिस तरह से गो रक्षा के नाम पर विभिन्न लोगों को डराने–धमकाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से पक्षपात रूप से कार्य किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से भयभीत करने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आज आपके परिवार के लोग भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। मेरा यह मानना है कि जितने भय से आज राजनीतिक लोग अपराधियों से भयभीत हैं, उतना आज तक मैंने देखने का काम नहीं किया। मान्यवर, जहां तक मैं इस बात को कहना चाहता हूं, दूसरा इस सरकार ने कहा कि हम युवकों को रोजगार देंगे और इन्होंने अपने संकल्प–पत्र में कहा था कि सरकार बनने के 90 दिन में सरकारी पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। 60 दिन बीत गए, कार्यवाही प्रारम्भ करने की तो बात छोड़िए, मान्यवर, जो लोग चयनित हुए थे, जो कार्यवाहियां चल रही थीं, आयोग ने चयनित करके भेज दिया, उनको भी ज्वाइन कराने का काम नहीं किया जा रहा है। सारे प्रतिबन्ध लगा दिए गए। इस प्रकार से मान्यवर, रोजगार देने के काम में पूरी तरह से इस सरकार का संकल्प दिखायी नहीं पड़ रहा है। यानी जो संकल्प–पत्र का मुख्य मुद्दा था, उस दिशा में भी इन्होंने कोई सार्थक कार्यवाही करने का काम नहीं किया। दूसरी तरफ मान्यवर, इन्होंने बड़ी–बड़ी मीटिंगों में इस बात को, बड़े जोरदार ढंग से इस आवाज को उठाया था कि हमारी सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी, हमारी पहली कैबिनेट की बैठक में कर्जा माफ हो जायेगा। आम जनता ने, आम किसान ने तो सुना कि जो हमारा कर्जा है, वह माफ हो जायेगा, जिन लोगों ने संकल्प–पत्र पढ़ा, उन लोगों ने भी यह महसूस किया कि चलो, फसली ऋण है, चाहे जिस साल का फसली ऋण है, लेकिन क्योंकि उसमें इस बात को इंगित करने का काम नहीं किया कि केवल एक वर्ष का फसली ऋण माफ किया जायेगा। इन्होंने कहा था कि सभी लघु एवं सीमान्त किसानों का फसली ऋण माफ किया जायेगा। जब कैबिनेट की बैठक हुई, निर्णय लिया गया कि 31 मार्च, 16 तक के फसली ऋण माफ किए जायेंगे। अब बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि माफ कर दिया गया है। यह बैंक आपके तो हैं नहीं कि आपने निर्णय ले लिया, उसके लिए पैसे का इन्तजाम करना है। आपने कितने बैंकों को कितने करोड़ रूपये भेज दिया, किसानों के कर्जे के रूप में ? मैं चाहूंगा कि जब आप उत्तर दें तो इसको बताने का काम करें। एक भी कर्जा अभी माफ नहीं हुआ, ढिंढोरा अलग से पीटने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, युवकों को रोजगार देने की दिशा में मैंने चर्चा करने का काम किया, उस काम को भी नहीं किया गया। दूसरी बात मान्यवर, इस सरकार ने

गरीबों को आवास देने की बात की थी, आज एक भी गरीब के लिए आवास की कोई योजना, मैंने इसमें पढ़ डाला, कहीं दिखायी नहीं दी। मान्यवर, जब हमारी सरकार थी, मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना, एक बड़ी योजना हम लोगों ने लाने का काम किया था। आज किसी भी शहर में चले जाइये, शाहजहांपुर में चले जाइये, गोरखपुर में चले जाइये, मथुरा में चले जाइये हर शहर में तीन मंजिला मकान दिखाई पड़ते हैं, वह मकान गरीबों को निःशुल्क देने का काम बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। आज बहुत से जिलों में मकान बने हैं आवंटन नहीं हो पाया, इसलिए कि जाते–जाते हम लोगों ने बनवाया था। उस मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना के बारे में इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई एक शब्द भी लिखने का काम नहीं किया गया कि हम इस तरह से गरीबों को आवास निःशुल्क देने का काम करेंगे।

मान्यवर, एक और बड़ी घोषणा की गई, कहा गया कि बिजली की आपूर्ति जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय पर 20 घण्टे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, मैंने सोचा कि यह बिजली की आपूर्ति कह रहे हैं और हमारे तमाम सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि होने लगा, अगर घोषणा से बिजली की आपूर्ति होती तो घोषणा सब कर सकते थे, सभी कर देते। बिजली की आपूर्ति मान्यवर बिजली पैदा किये बगैर नहीं हो सकती, इसलिए कि बिजली एक ऐसी आवश्यकता है कि न तो यह स्टोर की जा सकती है और न तो कहीं से उस तरह से उसको अधिक पैदा किया जा सकता है। अगर हमारे जो पावर प्रोजेक्ट हैं, हमें इस बात का उत्तर आना चाहिए, आपने कहा कि 24 घण्टा बिजली मिलने लगी जिला मुख्यालयों पर, 20 घण्टा तहसील मुख्यालयों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टा तो आपने कितना बिजली का उत्पादन बढ़ाया है, जिसके कारण आप इतनी बिजली की आपूर्ति करने लगे। केवल घोषणा से पूर्ति होने लगी, निश्चित रूप से यह सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, हां इनका मीडिया तंत्र जरूर तेज है। मैं सरकार के बारे में मान्यवर कहना चाहूंगा कि बिना उत्पादन बढ़ाये हुए भारतीय जनता पार्टी की जब–जब सरकार बनी है, पावर स्टेशनों को बेचने का काम किया गया है, 1991 में सरकार बनी उस समय भी और 2000 में भी जब इनकी सरकार थी तो टाण्डा पावर प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार के हाथों में बेचने का काम किया गया। एक भी नया प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी के पहले की सरकार में शुरू करने का काम नहीं किया गया, अगर पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा ए0एम0यू0 साइन कर के शुरू करने के लिए कार्यवाही करने का काम किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। मान्यवर, इसी तरह से नौजवानों को रोजगार देने का सवाल, हम सब लोगों ने विशेष अभियान चला कर सरकारी नौकरियों में जो प्रतिबन्ध था उसको लेकर काम किया। मान्यवर, सरकार ने दूसरी एक बड़ी घोषणा की कि हम 15 जून तक सारी सड़कों को गड्ढामुक्त कर देंगे। मैंने एक सवाल किया था मा0 लोक निर्माण मंत्री जो उप मुख्य मंत्री भी हैं, उनसे जानना चाहा कि कितनी ऐसी सड़कें

चिन्हित की गई हैं किलोमीटर की जिनको गड्ढामुक्त करने की आवश्यकता है, उन्होंने इस बात को बताया कि अस्सी हजार किलोमीटर और उसमें से अभी तक दो महीने में तेरह हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम उन्होंने जवाब दिया कि पूरा हुआ, सरसठ हजार किलोमीटर सड़कें हैं, उसके लिए कितने धन की जरूरत है, इसका जिक्र नहीं किया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जब मा0 मंत्री या मा0 नेता सदन या जो भी उससे सम्बन्धित व्यक्ति जवाब देने के लिए खड़े हों तो इस बात को भी इंगित करें।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 नेता बसपा, 20 मिनट का समय हो गया है। अब आप अपनी बात 05 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री लाल जी वर्मा–

ठीक है मान्यवर, आपके निर्देशानुसार हम 05 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे।

मान्यवर, इस तरह से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उसके लिए जो धन है उसका इन्तजाम किया कि नहीं किया, अगर धन का इन्तजाम नहीं किया है तो घोषणा से गड्ढामुक्त हो जायेंगी। मान्यवर, इसी तरह से कर्जा माफी के बारे में मैंने जिक्र किया, फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा। इन्होंने एक और ढिंढोरा पीटा कि हम टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं जो भू–माफियाओं से जमीन पर कब्जा हटवाने का काम करेंगे, बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, दो महीने हो गये। दो महीने हो गये, इस दो महीने में कितने अवैध कब्जा धारकों से कितनी जमीन का छुटकारा, उसको कर्जामुक्त कराने का काम किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि इसको भी बताने का काम करें, गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में अभी भी 4–5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा भुगतान बाकी है, उसको भुगतान कराने के बारे में ठोस कार्यवाही कराने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, गरीबों के बच्चे पढ़ सकें, सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना शुरू की गयी थी, उस दिशा में भी इस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, इन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में 25 मेडिकल कालेज और 8 एम्स स्तर के संस्थान बनायेंगे, केवल घोषणा से तो बन नहीं जायेगा, उसके लिए धन की भी जरूरत है और उससे ज्यादा जरूरत है शिक्षक की। मान्यवर, आप स्वयं उसके ज्ञाता हैं जो हमारे पूर्व में मेडिकल कालेज चल रहे हैं उसके शिक्षक ढूंढने से तो मिल नहीं रहे हैं, हम एम0सी0आई0 का मानक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा ढिंढोरा पिट गया कि 25 मेडिकल कालेज खोल रहे हैं। आप 25 मेडिकल कालेज खोल दीजिये पर शिक्षक कहां से लायेंगे। माननीय मंत्री जी जवाब दे दें कि हमारे मान्यवर अम्बेडकर नगर में मेडिकल कालेज है, 2011–12 से चल रहा है, 3 साल बीतने के बाद उसके एम0सी0आई0 में नॉन क्लीनिकल सब्जेक्ट की मान्यता का आवेदन किया जा सकता है पर किया नहीं गया। हमने एक प्रश्न लगाया कि उसके लिए किया जायेगा उन्होंने कहा कि मानक पूरा नही है, शिक्षक की कमी है, जिसके कारण

पूरा नहीं किया गया तो जो पहले से चल रहे हैं वहां आप शिक्षक पूरा नहीं कर पा रहे हैं 25 और खोल देंगे तो कहां से हो जायेगा। मान्यवर, इस तरह से यह सरकार पूरी तरह से केवल घोषणा के आधार पर काम कर रही है और एक भी अपने वादे को पूरा करने की दिशा में इन्होंने कदम उठाने का काम नहीं किया। पुलिस की भर्ती के लिए इन्होंने कहा कि डेढ़ लाख की सीमा है इसको हम शुरुआत करेंगे। अभी तक इसमें कोई कदम उठाने का काम नहीं किया। 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, उस दिशा में भी इन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। प्रदेश के सभी युवाओं के कालेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त लैपटाप दिया जायेगा, उसके लिए कितने धन की जरूरत पड़ेगी उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं है। सभी युवाओं के कालेज में दाखिला लेने पर स्वामी विवेकानन्द युवा इण्टरनेट योजना के अन्तर्गत प्रति माह एक जी0बी0 इण्टरनेट मुफ्त दिया जायेगा, यह भी शुरू करने का काम नहीं किया गया। हर जिले में एक इन्जीनियरिंग कालेज अथवा पालीटेक्निक कालेज की स्थापना की जायेगी। सभी कालेज में मुफ्त वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस दिशा में भी इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। मेरा यह मानना है कि यह सरकार जिस तरह से केन्द्र की सरकार ने 3 साल बीत जाने के बाद भी 15–15 लाख रुपया देने का वादा किया। 18–20 लाख नहीं पूरा किया, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और पूरा करने का काम नहीं किया। मुझे लगता है कि भाजपा की यह तिलस्मी सरकार उस नई नवेली बहू की तरह साबित हो रही है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ी ज्यादा खनखनाती है जिससे मुहल्ले में सबको पता चल जाये कि बहू काम कर रही है उसी तरह से यह सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर इस सरकार ने एक भी कार्य जो पुरानी सरकार के कार्यक्रम थे उनको गिनाने के अलावा इस महामहिम के अभिभाषण में जो नई योजना का जिक्र किया है उसके लिए संशाधन कहां से आयेंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा रखे गये संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश राजभर)–

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपका अभारी हूं।

डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, जो मा0 सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव लाए हैं वही उपस्थित नहीं हैं, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया है वह पूरे समय यहां उपस्थित रहें, यहां सिस्टम है, भाजपा के लोग बैठे हैं और आप जो कुछ कह रहे हैं, वह लिखा जा रहा है।

श्री ओम प्रकाश राजभर–

मान्यवर, आज चार दिन से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और हमारे नेता विरोधी दल, नेता बसपा, नेता कांग्रेस जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं। हम जितने नए सदस्य आए हैं तो हम लोग बहुत चिन्तित हैं या तो ये लोग ख ग ग ग , बोल रहे हैं या हम लोग। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें हैं, हम उसी पर चर्चा करना चाहते हैं।

'श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने अभी ख्या ग ग, शब्द का प्रयोग किया है जो कि असंसदीय शब्द है। कृपया इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

ठीक है, हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री ओम प्रकाश राजभर–

मान्यवर, सरकार बनने के बाद आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुना नहीं है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि आपने यह पढ़ा नहीं है। पहला काम सरकार ने किया कि जो विकलांग जन कल्याण विभाग नाम था उसका नाम बदल करके दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग रख दिया। इसको आप जान लीजिए क्योंकि अभी हमारे कई मा0 सदस्यगण विकलांग, विकलांग चिल्ला रहे थे, कुछ साथी बोल रहे थे। दूसरी चीज अभी आपने सवाल भी किया था, आप जानकारी कर लीजिए। जो काम दस सालों में नहीं हो सका, उस काम को इस सरकार ने दो महीने के अन्दर कर दिया और दिव्यांग जन की पेंशन 300 से बढ़ाकर 500 कर दी। इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। मा0 सदस्य जरा ओम प्रकाश राजभर की तरफ भी देखिए। हम पहली बार आए हैं, हमारी बात तो सुनिए। आप सुनिए जरा। महोदय तीसरा काम यह हुआ कि दिव्यांग जन जो राज्य सरकार की बसों में सफर करते थे, प्रदेश की सीमा से बाहर जाते थे उनसे किराया लिया जाता था लेकिन इस सरकार ने फैसला ले लिया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कोई भी बस देश के किसी भी कोने में जाएगी तो उसमें दिव्यांग जन को किराया नहीं देना पड़ेगा, वह निःशुल्क जाएगा। चौथी चीज साथियों, मान्यवर, इस दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग जन को उसकी सेवा के लिए जो 5 हजार रुपया पुरस्कार दिया जाता था उसको बढ़ाकर 5 हजार से 25 हजार कर दिया गया है। लोगों ने इसको भी नहीं पढ़ा। विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए सिर्फ इतना जरूर पढ़ा है। मैं तो चार दिन से चिन्तित हूं। चर्चा होनी चाहिए बचपन डे केयर सेण्टर की। बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको भोजन दिया जाता है लेकिन पूर्व की सरकारों का ध्यान उन पर नहीं गया। वह भी बच्चे हैं लेकिन इस सरकार ने बचपन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डे केयर सेण्टर जो चलाया जाता है उसमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करा दी है और आप बार–बार कह रहे हैं कि सरकार कोरे आश्वासन पर चल रही है। हां जरूर हमने इतना देखा है, सुना है। अभी हमारे बसपा के नेता जी एण्टी भू–माफिया टास्फ फोर्स की चर्चा कर रहे थे। पूर्व की सरकारों में हमने देखा है कि अगर सबसे ज्यादा गरीबों की जमीन हड़पने का काम किया गया है तो पूर्व की सरकारों में किया गया है और इस सरकार में ऐसा कोई काम नहीं किया गया है दो महीने के अन्दर। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अगर हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ लीजिए। कहीं भी जिक्र नहीं है झूठ बोलने का। इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि हम 17 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर देंगे लेकिन अब तक आप सिर्फ झूठ बोलकर वोट लेने का काम करते थे, कभी आपने इस पर चिन्तन नहीं किया। मैं अभी बहुत कुछ तो नहीं जानता, मैं तो अभी सीखने के लिए खड़ा हूं लेकिन विपक्ष में बैठे हुए अपने बड़े भाईयों से इतना कहूंगा कि जिन लोगों ने आपको यहां पर भेजा है उन पर चर्चा होनी चाहिए। उनके उत्थान के विषय में चर्चा होनी चाहिए लेकिन हम यहां आकर चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो पहले दिन देखा, पहली बार सुना है कि सदन में भी सीटी बजाई जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव आदरणीय अरूण कुमार जी द्वारा प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इन 27 सालों में लगभग 30–32 बार मैंने भी महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण प्रत्यक्ष रूप से सुना लेकिन जिस प्रकार का सीन उस दिन विधान सभा में उत्पन्न हुआ, उस प्रकार का सीन कभी पहले नहीं देखा। अभी हमारे माननीय नेता सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी बोल रहे थे कि सीटी बजा रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खाली हैं क्या सीटी भी नहीं बजाने देंगे। इनके पास और कोई काम तो बचा नहीं। ये सीटी बजाने का ही काम है इनके पास, कम से कम इनको सीटी बजा लेने दें और सीटी भी जहां पर बजानी चाहिए थी वहां पर सरकारें नहीं बजाई। सीटी इस पवित्र सदन में बजाई अपनी उस मानसिकता को बताने के लिए कि हमारे पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी का अपमान उन गोलों को फेंककर प्रत्यक्ष रूप से किया गया शायद कल नेता प्रतिपक्ष और आज नेता बहुजन समाज पार्टी बोल रहे थे, इस बहुजन समाज पार्टी का जो नेता बन जाता है मान्यवर, मुझे लगता है कि अब उसका समय समाप्त हो गया क्योंकि जो भी बहुजन समाज पार्टी का नेता बना, चाहे वह विधान परिषद् में बना हो, चाहे विधान सभा में बना हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बना हो, उसकी आखिर में बलि चढ़ती ही चढ़ती है। मुझे नेता बहुजन समाज पार्टी की चिंता हो रही थी कि पता नहीं कब तक ये यहां बैठेंगे, क्योंकि इस प्रकार का उदाहरण रहा है हम सब के सामने हमने देखा था। मान्यवर, महामहिम

श्री राज्यपाल जी को धन्यवाद देने का इनके पास साहस नहीं है, इसीलिए इन्होंने उसका समर्थन नहीं किया क्योंकि इन्होंने कभी किसान की चिन्ता नहीं की। नेता प्रतिपक्ष जिस समय सत्ता में आए थे, जिस समय 2012 में वह चुनाव के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम किसानों के ऋण माफ करेंगे। इन्होंने माफ कर दिया होता तो मान्यवर, कुछ बचता ही नहीं। हमने निर्णय किया कि हम उसको माफ करेंगे और हमने कैबिनेट में जितना भी फसली ऋण था उसको एक लाख की सीमा तक सभी का माफ करने का निर्णय ले लिया। अब माननीय लालजी वर्मा जी पूछेंगे कि दो महीने के अंदर आपने इतने कालेज बनाने के लिए कहा था, उनको नहीं बनाया। आपने इतने एम्स बनाने के लिए कहा था, उनको नहीं बनाया, इतनी यूनीवर्सिटीज बनाने के लिए कहा था नहीं बनाई। बहुत सारी बातों का मान्यवर, वह दो महीने के कालखण्ड के अंदर हिसाब–किताब लेना चाहते थे, लेकिन पांच साल में स्मारकों के अलावा क्या बनाया, उसके अलावा कुछ बताने के लिए उनके पास नहीं था। मुझे लगा कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष और नेता बहुजन समाज पार्टी और नेता कांग्रेस क्योंकि ये सभी के सभी एक ही थैली के चट्टे–बट्टे हैं, इनके बारे में मुझे लगा कि यह एक सुझाव देंगे कि सरकार आई है हमारी ये शुभकामनायें हैं आप अच्छा काम करो। हमारा यह सुझाव है कि आप अच्छा काम करो, लेकिन इन दो महीने के कार्यकाल में ही इन्होंने सारी की सारी आलोचनाएं यहां पर कर डालीं। ये स्वस्थ परम्परा होती कि स्वागत करते, खुश होते लेकिन मान्यवर, खुश होने का कारण इसलिए नहीं था क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। जनता ने इनको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। 20 सीटें भी बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं ला पाए और हमको उपदेश दे रहे हैं। मान्यवर, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने यह निर्णय लिया हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कि उत्तर प्रदेश में न तो किसी अपराधी की जाति और न उसकी शक्ल के आधार पर निर्णय नहीं लिया जायेगा। यदि वह अपराधी है तो उसे सजा दी जायेगी और सजा देने का काम हम करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) यह निर्णय नहीं लिया गया मान्यवर, पहले सरकारें होती थीं वहां पर निर्णय होता था कि कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों का साथ लेकिन हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। मान्यवर, पहले जब किसानों को बीज दिया जाता था तो बीज क्रय केन्द्रों पर यह लिखा जाता था कि फलॉ बिरादरी के लिए यह दाम है और फलां बिरादरी के लिए यह दाम है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर विरोध करने लगे)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

ये गलत कह रहे हैं, इसकी जांच करा लीजिए। कृषि मंत्री जी से जांच करा लीजिए।

(विपक्ष के कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ललई जी, संग्राम जी, आप लोग बैठिए। आपको अवसर मिलेगा, आप विरोध करिएगा, अपनी बातें कहिएगा।

श्री सतीश महाना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप कार्यवाही को दिखवा सकते हैं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने यह नहीं कहा कि पिछली सरकारों में किसने कराया था लेकिन जिसको चुन्ने लगे वही तो लोग खड़े हुए। यह क्यों नहीं खड़े हो गए ? आपको क्या परेशानी है, मैंने आपका नाम तो लिया नहीं।

(कुछ सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संग्राम जी, माननीय ललई जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप अपनी बातें कहिएगा। माननीय सदस्य ने किसी दल का नाम नहीं लिया, आप बैठे। माननीय सदस्य ने पिछली सरकारों की चर्चा की है, उसमें सब आते हैं। आप लोगों को मौका मिलेगा, आप अपनी–अपनी बात को कहिएगा। आप सब यहां बोलने वाले हैं, अपनी–अपनी बातों को कहिएगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, न हमने किसी सरकार का नाम लिया, न किसी दल का नाम लिया है। मान्यवर, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर मान लीजिए।

डा0 संग्राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आप इस तरह की बात सदन में रखेंगे, जो आप कह रहे हैं उस पर कोई एक उदाहरण दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संग्राम जी, आप अभी अपनी बातें बोलने वाले हैं और आप मजबूती से अपनी बातें रखते हैं, अभी बैठिए।

(कुछ सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वह सक्षम हैं अपनी बात कहने के लिए आप उन्हें कमजोर न समझें। अपने मंत्रियों पर विश्वास करना सीखिए। महाना जी, अब आप आगे बढ़े यह विषय छोड़िए।

डा0 संग्राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसकी जांच करवा लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जैसे मैंने किसानों के लिए बोला, अब मैं एण्टी भू–माफिया के लिए बोलूंगा तब भी इनको परेशानी होगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय महाना जी, अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, अब मैं प्वांइट वाइस बोलता हूं, अब एण्टी भू–माफियाओं के खिलाफ कहेंगे तो भी कुछ लोगों को परेशानी होगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब आप लोग बैठिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होगी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम लिया हो, किसी पार्टी का नाम लिया हो, किसी सरकार का नाम लिया हो तो बताएं, जिनको परेशानी हो गयी वह खड़े हो गए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय महाना जी, अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने अभी शुरू ही नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब और लोगों को समय दें, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सतीश महाना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जैसा चाहते हैं मैं तेजी से प्रारम्भ कर रहा हूं।

मान्यवर, हमने कहा अवैध बूचड़खाने बन्द हो गये, कई बन्द हो गये जो चल रहे थे। पहले चल रहे थे तभी तो बन्द हुए। मान्यवर, अगर पढ़कर यह बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि वृद्वावस्था पेंशन और किसान पेंशन को हमने 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया तो यह उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उन्होंने कभी जनता के हित की बात की ही नहीं। मान्यवर, एक्चुअल में अभी तक इनकी आंखें नहीं खुली हैं अभी यह पिछले सपनों में हैं। अभी कल माननीय नेता विपक्ष एक कागज दिये थे उनका एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना मान्यवर, यहां तो ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं इनके ऊपर। कितने ग्रन्थ लिखे जा सकते थे, इतना ही नहीं पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गयी थी। मान्यवर, व्यक्ति व्यवस्था से जहां बड़ा हो जाता है वहां पर नहीं चलती और जहां पर सरकारें नहीं चलती उनका वही हश्र होता है जो इस चुनाव के अन्तर्गत हुआ है। इस चुनाव के अन्तर्गत जो हुआ है वही हश्र होता मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कुल 4 सिपाही सस्पेण्ड कर दिये एक बहुत बड़े अधिकारी ने उन 4 सिपाहियों ने कहा कि शाम तक देखता हूं कि कैसे नहीं बहाल होता हूं और शाम होने से पहले एक डी0आई0जी0 लेबिल के अधिकारी को उनके सामने झुकना पड़ा। यह अव्यवस्था थी इस आधार पर सरकारे चलती थी अपराधियों को संरक्षण देने के आधार पर सरकारें चलती थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के नाम पर सरकारें चलती थीं। मान्यवर, इस सरकार में न तो भ्रष्टाचार होगा

और न ही अपराधीकरण होगा, अपराधियों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वह होगी। मैं मान्यवर, केवल इतना कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार का केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं एक नेता जो पहले मुख्य मंत्री रहे हैं अब आप लोग नाराज नहीं होइये, अपने आप उठ जायेंगे जो रहे हैं मान्यवर, उठ गये, मान्यवर, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा मैं नाम नहीं ले रहा हूं मैंने किसी का नाम नहीं लिया और लूंगा भी नहीं जिसका होगा वह समझ जायेगा, उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता था लेकिन फिर भी मैंने लोक निर्माण विभाग के मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, उनके ऊपर एहसान किया था। मान्यवर, आप उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ आपने एहसान किया था लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ आपने उनका अपमान करने का काम किया था। यह उनका वक्तव्य है। अब जिसका होगा वह समझ जायेगा तो इस आधार पर सरकारें चलती थीं कि सरकार के मुखिया को मालूम है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार इकबाल से चलती है। इन साढ़े 4–5 सालों में यह तय नहीं हो पाया कि कौन मुख्य मंत्री और कौन मुख्य मंत्री नहीं है। कोई कहता था कि 4 हैं कोई कहता था कि साढ़े चार हैं जिसका मुख्य मंत्री तय नहीं हो पायेगा वह सरकार के इकबाल के बारे में क्या बतायेगा। सरकार के इकबाल के बारे में तो बतायेंगे हम। इकबाल तो योगी सरकार का है और अपराधी जेल के अन्दर होंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शीतल पाण्डेय जी नये सदस्य हैं इनको मौका दे, अब आपका हो गया।

श्री यासर शाह–

मान्यवर, सतीश महाना जी बहुत सीनियर सदस्य हैं मेरी महाना जी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर सदन आपको बता नहीं पाया आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अधिष्ठाता महोदय जी आप बता दीजिए कि पिछली सरकार में कौन मुख्य मंत्री था अभी तक यह जान नहीं पाये हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यही मैंने कहा था कि जिसका होगा वह खड़ा हो जायेगा आपने खड़े होकर प्रमाणित कर दिया, मैंने तो खड़ा किया नहीं आपको।

'श्री शीतल पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों सदन के संरक्षक और नये सदस्यों के मार्ग–दर्शक होते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नये सदस्यों ने जो विधान सभा के अन्दर अनुभव किया, अभी महाना जी कह रहे थे कि अभिभाषण के समय सीटी बजाई जा रही थी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं एक पार्टी के असन्तुष्ट नेता सेकुलर मोर्चा के गठन की घोषणा किये। उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कुछ बीन बजाने वाले होते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। मान्यवर, सीटी और बीन बजाने दोनों में कुछ तारतम्य है। एक नेता ने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ बीन बजाने वाले हैं और यहां आप लोगों ने सीटी बजाई तो यह दोनों में तारतम्य है और आप लोगों को बहुत चिन्ता हो रही थी उस दिन, कि कानून–व्यवस्था बड़ी खराब है। आपके राज में तो कानून–व्यवस्था जंगलराज में तब्दील हो गयी थी। कोई सो नहीं रहा था, औरतें सड़क पर घूम नहीं रही थीं, और यहां पर मान्यवर, इनके कार्यकर्ता पार्टी के अपनी जीप में पुलिस कर्मियों को बांध करके करीब आधा किमी0 तक घसीटे थे, यह लोग कानून–व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जाति विशेष के थानों में एफ0आई0आर0 तक नहीं हो रहा था और आप कानून–व्यवस्था की बात करते हैं।

'आपको कहे कातिल मेरी मजाल क्या है,
आप ही की शक्ल में कोई दूसरा रहा होगा'।

मान्यवर, किसी भी राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। हमारी सरकार गांव के विकास और किसान के विकास के लिये प्रतिबद्व है क्योंकि गांव में किसान रहते हैं और जिनको पारसनाथ यादव जी ने कहा कि भगवान हैं वास्तव में वह अन्नदाता हैं और आप लोग तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिये अपनी सरकार में क्रय केन्द्र तक नहीं खुलवाये थे। आज हमारी सरकार ने क्रय केन्द्र खुलवाकर सारे किसानों को उचित मूल्य दिलवाने का काम किया है। लेकिन आज आप उपहास उड़ा रहे हैं।

(श्रीमती पिंकी सिंह यादव द्वारा बैठे–बैठे बीच में टोका–टाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री शीतल पाण्डेय–

अरे सुनिये तो पहले, हम आपको भी देख रहे हैं। आप सुनने की कोशिश करिये। आप लोग तो बड़े सभ्य हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शीतल जी, आप इधर बोलिये। उधर मत देखिये, उधर देखना उचित नहीं है।

श्री शीतल पाण्डेय–

मान्यवर, किसानों की कर्ज माफी पर यह लोग उपहास कर रहे थे और इनके राज में लोग खाद और बीज के लिये ब्लाक मुख्यालय पर जाकर धरना–प्रदर्शन कर रहे थे।

श्रीमती पिंकी सिंह यादव–

जिस प्रकार माननीय सदस्य द्वारा टिप्पणी की गयी है एक व्यक्ति विशेष अगर कुछ कह रहा है अगर कोई सदस्य कह रहा है और माननीय सदस्य को इतनी जानकारी होनी चाहिये कि एक महिला सदस्य ने अगर कोई बात रखी है तो इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, क्या यह उचित है ? मैं आपका संरक्षण चाहती हूं और जवाब चाहती हूं।

माननीय सदस्य को इस बात के लिये माफी मांगनी चाहिये, इस तरह की हरकत करने के लिये यहां पर। आप भी विधायक हैं।

श्री शीतल पाण्डेय–

मान्यवर, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शीतल जी, आप इधर बोलें, अपनी बात बोलें।

श्री शीतल पाण्डेय–

मान्यवर, हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया और गन्ना किसानों का जो बकाया मूल्य था उसका भुगतान किया और आज पिछली सरकारों के कारण उनके कुशासन के कारण जनता उदास थी, निराश थी, हताश थी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री शीतल पाण्डेय–

हमारे प्रियदर्शी मुख्य मंत्री के आने से कानून–व्यवस्था में सुधार हुआ है। सत्ता हनक से चलती है। आप लोग अपनी हनक समाप्त कर लिये थे और हमारी सरकार के आने से कानून–व्यवस्था में सुधार हुआ है, किसान खुशहाल है, विद्यार्थी नौजवानों को रोजगार देने के लिए कौशल विकास योजना के तहत् प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिया जा रहा है। मान्यवर, बसपा के लोग भी कानून–व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर बहुत चिन्तित थे। इनके एक विधायक, एक इंजीनियर जो गोरखपुर का रहने वाला था, अग्रवाल था, उससे चन्दा मांगने गये और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कानून–व्यवस्था पर लालजी साहब बहुत भाषण कर रहे थे।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री शीतल पाण्डेय–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

एक आग्रह मैं नये मा0 विधायकों से करूंगा कि यह जो नीतिगत विषय है और पार्टीगत लाइन है, इससे हटकर यदि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा लें तो शायद कुछ बेहतरी हो जायेगी, यह मेरा आग्रह है बाकी तो आपका अधिकार है।

श्री संजय शर्मा–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहत–बहुत धन्यवाद् देता हूं। महोदय, पहली बार सदन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और पहली बार आपके बीच में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सदन को, चेयर को और अपने सभी सम्मानित सदस्यों को नमन करता हूं। महोदय, हमारा एक प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था उससे पहले शपथ के कार्यक्रम में भी हमें बहुत अच्छा माहौल देखने को मिला। ऐसा लगा नेता प्रतिपक्ष, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और सभा के अध्यक्ष महोदय ने जैसा हमें समझाया उससे ऐसा लगा कि ''हम आपके हैं कौन'' जैसा माहौल यहां पर होगा, हम लोग बड़े अच्छे माहौल में बातें किया करेंगे। लेकिन सोमवार को जब मा0 राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, तब से लेकर आज तक ऐसा प्रतीत होता है कि ''हम आपके हैं कौन'' की जगह नगीना फिल्म के गाने ''मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा'' जैसा माहौल बन गया है, ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिली है। महोदय, हम तो नये हैं, लेकिन आप सभी लोग बहुत सम्मानित हैं, बहुत अनुभवी हैं और हम सभी लोग इस प्रदेश की आदरणीय जनता का जनादेश ले करके यहां पर उपस्थित हैं। जो घटनाक्रम हुआ, जो माहौल उस दिन हुआ, उसके बाद उस रात को मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। एक प्रश्न कौंधता रहा कि जो भी घटनाक्रम हुआ, उससे लाभ किसको हुआ क्या इस प्रदेश की आदरणीय जनता को उससे लाभ हुआ, विपक्ष के सदस्यों ने जिन्होंने उस माहौल को खड़ा किया क्या उनको लाभ हुआ या इस सदन को लाभ हुआ, वह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। बहुत सारे लोगों ने उस व्यवहार को निन्दनीय, अशोभनीय बताया, मैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भविष्य में यह व्यवहार चिन्ता के योग्य है और पुनः विचारणीय है। महोदय, हमारी सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनी है। वर्ष 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी। मा0 कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में लगभग डेढ़ साल उस सरकार ने काम किया। उस समय हमारी पार्टी का नारा होता था ''गांव गरीब किसान, झोपड़ियों का इंसान'' ''बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान, दलितों का उत्थान'' ''गडढा मुक्त सड़कें, भयमुक्त समाज और दंगा रहित प्रदेश''। मान्यवर, उस छोटे से कार्यकाल में ये नारे सिर्फ नारे बनकर नहीं रहे बल्कि इन पर काम हुआ और मुझे बहुत गर्व और प्रसन्नता है कि जो राज्यपाल महोदय का इस बार का अभिभाषण था वह इन नारों से कहीं भी दूर नहीं गया। हमें पांच साल का जनादेश इस प्रदेश की आदरणीय जनता ने दिया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इन सब पर खरा साबित हो करके दिखायेंगे। (मेजें थपथपायी गयी।) महोदय, मात्र दो माह का समय और यह सदस्य कहते हैं कि अपराधी बंद क्यों नहीं हुए ? क्या किसी बाड़े में इन्होंने उनको खड़ा करके रखा हुआ था जहां से उनको सीधा ले जाकर जेल में डालना था। एक अपराधी को ढूढ़ते हुए पुलिस अगर किसी माननीय सदस्य के घर पहुंची, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उससे

संदेश इस प्रदेश के अपराधियों को जायेगा कि अगर कोई अपराधी राजनीतिक प्रश्रय लेने की कोशिश करेगा तो वह कहीं से बच नहीं पायेगा। महोदय, जब कोई सरकार बनती है तो इस प्रदेश की जनता दो तरह के कामों की अपेक्षा करती है पहले काम वो होते हैं, जिनमें जनता कुछ नहीं कर सकती, जनता पूरी तरह से इस बात पर आश्रित होती है कि प्रदेश की सरकार क्या करेगी और दूसरी श्रेणी उन कामों की है जो कल्याणकारी श्रेणियों में होती हैं और जिन पर अगर कोई सरकार काम करेगी तो अगली बार चुनी जायेगी और नहीं करेगी तो नहीं चुनी जायेगी। पहली श्रेणी में वो काम आते हैं जो सिर्फ सरकार कर सकती है और जनता अपेक्षा करती है जैसे कानून–व्यवस्था की स्थिति, प्रदेश की सड़कें, प्रदेश में बिजली की स्थिति, पानी की स्थिति, ये चार चीजें ऐसी हैं जिनको कोई व्यक्ति या प्रदेश की जनता अपने निजी संसाधनों से इकट्ठा नहीं कर सकती है। इन चारों विषयों पर माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में विस्तार से जो कहा गया है मैं उसकी भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। महोदय, जहां तक कानून–व्यवस्था की स्थिति है आज अधिकारी 9.00 बजे जाकर कार्यालयों में बैठ जाते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम भी प्रारम्भ करने की योजना है और जो भू–माफिया और एण्टी रोमियो स्क्वायड बनाने के काम हैं वह इस प्रदेश की कानून–व्यवस्था की स्थिति को ठीक करेंगे। महोदय, बताईये, अधिकारी तो वही थे लेकिन क्या वह पहले से 9.00 बजे जाकर नहीं बैठ सकते थे, क्या वो जनता के लिए पहले से उपलब्ध नहीं हो सकते थे ? ऐसी नई सोच जो सरकार की है मैं उसके लिए भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। महोदय, जहां तक सड़कों का प्रश्न है, प्रदेश में सड़कें तो पहले से हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है जटवाई।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा–

महोदय, पहली बार बोल रहा हूं, बोलने दीजिए, यह आपसे आग्रह है।

श्री अधिष्ठाता–

बहुत बड़ी संख्या में सदस्य पहली बार आये हैं।

श्री संजय शर्मा–

मान्यवर, मैं सिर्फ अभिभाषण पर बोल रहा हूं, इससे अलग हटकर कुछ नहीं बोल रहा हूं। महोदय, जटवाई गांव में 20 किलोमीटर दूर जिला हेडक्वार्टर से सड़क बनती थी और दो कि0मी0 का टुकड़ा छूट जाता था पिछले पन्द्रह साल से और उधर से बनती थी तो वही दो कि0मी0 का टुकड़ा छूट जाता था। 15 साल से सरकारें थी, उन्हीं के विधायक थे, लेकिन वो दो कि0मी0 सड़क पिछले 15 साल से गड्ढामुक्त नहीं हुई। आज वहां पर गड्ढे भरे गये हैं और जब मैंने फेसबुक पर एक कमेण्ट किया तो...

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री राम फेरन पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर) महोदय, जहां तक बिजली का प्रश्न है, यह कहते हैं कि बिजली कहां से आयी ? बिजली कहीं से भी नहीं आयी, वह बिजली वहीं थी लेकिन उस बिजली का पहले दुरुपयोग होता था। अभी मा0 महाना जी ने बताया, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है जिसका नाम होगा वह खुद समझ जायेगा। आज प्रदेश को पता है कि कहां 05 किलोवाट का मीटर लगा हुआ था और 40 किलोवाट का उपयोग होता था, तो यह बिजली कहां जाती थी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये, दूसरे मा0 सदस्य को बुला लिया गया है।

श्री संजय शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।

(मा0 सदस्य राम फेरन पाण्डेय के उपस्थित न होने पर श्री नितिन अग्रवाल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए खड़े हुए)

श्री अधिष्ठाता–

मा0 अग्रवाल जी, पांच मिनट का समय आपको दिया जाता है।

'श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, पांच मिनट में पूरी बात कहां आ पायेगी ? कम से कम 10 मिनट का समय दीजिए।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी मजबूरी है।

श्री नितिन अग्रवाल–

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें कहीं हैं मैं उस पर बल दे रहा हूं और अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, यह कहा जाता है कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दर्पण होता है लेकिन मुझे लगता है कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो तथ्य सदन के समक्ष रखे गये, न सरकार उससे सहमत है और न सरकार का आचरण वैसा देखा जा रहा है। कानून–व्यवस्था पर बहुत बड़ी–बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव से पहले की थी। हम सबने देखा था कि तीन महीने पहले विधान सभा का चुनाव हुआ, एक नारा दिया था इन्होंने कि 'न भ्रष्टाचार न गुण्डाराज, अबकी बार भा0ज0पा0 सरकार', पूरे प्रदेश में होर्डिंग्स लगा दिये गये थे, पूरे प्रदेश में दीवालों पर यह नारा पेंट करा दिया गया था। बड़े जोर–शोर से इस नारे को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाया था लेकिन आज सुबह जब हम लोग संसदीय कार्य मंत्री को सुन रहे थे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि हम क्राइम के साथ खड़े नहीं होते हैं मैं तो बताना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, लेकिन अभी वह हैं नहीं। आपकी सरकार जबसे बनी है आप क्राइम के साथ नहीं आप क्रिमिनल के साथ खड़े हैं। (स0पा0 के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) जब आप ही सरकार के मंत्री, आप ही की सरकार के विधायक और सांसद गुन्डागर्दी पर उतर आये हैं और यह पहली बार हो रहा है जब सरकार में न महिलाएं सुरक्षित हैं, जब सरकार में न बूढ़े–बुजुर्ग सुरक्षित हैं, सरकार में न अधिकारी सुरक्षित हैं तो फिर आम जनता का क्या होगा। आपके विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। आपके बरेली के एक विधायक ने एक बैंक के मैनेजर को अगवा किया। बैंक के अंदर घुसकर उसको अगवा किया, उसके साथ मार–पीट करी और उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ लेकिन कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी। आपकी पार्टी के सांसद ने सहारनपुर में आई0पी0एस0 के घर में घुस कर मार–पीट करी लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आप कहते थे कि हमारी सरकार में महिलाएं सड़क पर सुरक्षित नहीं हैं। अरे मैं तो कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में महिलाएं घरों में सुरक्षित नहीं हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कितने प्रकरण ऐसे हुए हैं जब इनकी सरकार में अपराधी घर के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। (सत्ता पक्ष की ओर से शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रवीन्द्र जायसवाल जी, इशारा मत करिये। आप लड़ें नहीं। आप सभी बैठें। जब आपका नम्बर आये तब आप अपनी बात कहें। आप बैठ जायं। बैठिये–बैठिये। माननीय नितिन जी, नीतिगत विषयों पर आइये। मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

जानबूझ कर वह बातें न बोलिये जिससे लोग खड़े हों।

श्री नितिन अग्रवाल–

नहीं मान्यवर, मैं तो जो सच्चाई है बता रहा हूं, जो प्रदेश देख रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वह बता रहा हूं। (सत्ता पक्ष की ओर से शोर)

श्री अधिष्ठाता–

अरे आप लोग बैठिये।

श्री नितिन अग्रवाल–

जब सच्चाई होती है तो मिर्ची लगती है। सच्चाई बहुत जल्दी हजम नहीं होती है। (शोर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं रोक रहा हूं और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। माननीय संजय जी, बैठिये। नितिन जी अब आप समाप्त करें जल्दी। बहुत कम समय में आपने बहुत कुछ कह दिया।

श्री नितिन अग्रवाल–

कानून–व्यवस्था में माननीय अधिष्ठाता महोदय हम लोग देख रहे हैं। रोज अखबार पढ़ते हैं कोई न कोई बड़ी घटना रोज हो रही है प्रदेश में। कहीं व्यापारी लूटा जा रहा है, गोरखपुर में व्यापारी को जिन्दा जला दिया गया, बनारस में 10 करोड़ की लूट हो गई। मथुरा में परसों ही देखा आपने। आखिर जब आप कानून–व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके जन प्रतिनिधि, आपके लोग कानून–व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं तो क्या अधिकार है आपको सरकार में बने रहने का। ख ग ग ग , (सत्ता पक्ष की ओर से शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप ख ग ग ग , को ऐसे प्रतीक न करें।

श्री नितिन अग्रवाल–

रंग को किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अध्यक्ष पीठ पर यहां बैठा हूं और मेरे पास स्वयं भगवा गमछा है। इसलिये यह जो ख ग ग ग , शब्द आया है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। आप लोग बैठें मैंने इसको कार्यवाही से निकाल दिया अब आप लोग खुद न बोलें इसको। इसको मैंने कार्यवाही से निकाल दिया। माननीय शाही जी इसको कार्यवाही से निकाल दिया, अब इस पर क्या बोलना है। माननीय नितिन जी आपका समय खत्म हो रहा है।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे 5 मिनट का समय और दीजिये।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार शर्मा गाजियाबाद का नाम पुकारा गया)

(शोर)

श्री नितिन अग्रवाल–

पांच मिनट का समय दे दें।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्यप्रताप शाही)–

मान्यवर, नितिन जी बहुत अनुभवी सदस्य हैं इस सदन के और भगवा इस देश का प्रतीक रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं स्वंय पहने हुए हूं।

श्री सूर्यप्रताप शाही–

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप स्वयं पहने हुए हैं इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह शब्द ऐसे हैं जो करोड़ों लोगों को आहत करेगें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

मैं उसको कार्यवाही से पहले ही निकाल चुका हूं।

(श्री सुनील कुमार शर्मा का नाम पुकारा गया)

श्री नितिन अग्रवाल–

पांच मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है दो मिनट में अपनी बात कहें। घड़ी देखकर दो मिनट।

श्री नितिन अग्रवाल–

लेकिन दो मिनट में बात पूरी नहीं हो पाएगी।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी मर्जी, कला सीखिए दो मिनट में अपनी बात कहने की।

श्री नितिन अग्रवाल–

श्रीमन् जहां तक किसानों की बात है, कर्जा माफी भी बहुत बड़ा मुद्दा था और सरकार ने वायदा किया था कि सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट बैठक में सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने भी जब चुनाव हो रहा था तो अपनी चुनावी सभाओं में कहा था कि अगर सरकार बनेगी तो सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा माननीय नेता सदन जी भी जब हरदोई आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां सभी किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी वहां करीब एक सवा महीना बीत गया है पहली कैबिनेट की बैठक हुए भी, लेकिन अभी तक सरकार जी0ओ0 नहीं ला पाई है, गर्वनमेंट आर्डर जारी नहीं कर पाई है और एक भ्रम की स्थिति पूरे प्रदेश में किसानों के लिए है।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें। दो मिनट हो गए।

'श्री सुनील कुमार शर्मा–

मान्यवर, यह कानून की बात कर रहे हैं इनके राज्य में ठेकेदार थाने चलाते थे। मान्यवर, आजादी के बाद से देश में पहली बार माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के बाद पहली सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है जो गांव के गरीब,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान, मजदूर और सामान्य व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है माननीय अध्यक्ष जी उससे पहले हमने देखा था अखबारों में पढ़ते थे रोज एक घोटाला, आज टू जी घोटाला, आज अदर सोसायटी घोटाला, कभी सी0 डब्लू जी0 घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी तेल घोटाला, घोटालों की सरकार मानी जाने लगी थी पहली सरकार है तीन साल हो गए माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने राजनीति के शब्दकोष से घोटाला शब्द को ही समाप्त कर दिया। (मेजें थपथपाई गईं) अधिष्ठाता महोदय, माननीय नरेन्द्र जी के नेतृत्व में आज देश ऊंचाईयों पर जा रहा है, पूरे विश्व में हिन्दुस्तान का मस्तक ऊंचा हो रहा है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री, वो कर्म के योगी हैं, और हमारे मुख्य मंत्री जी कर्म के भी और धर्म के योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को उस तरफ ले जा रहे हैं अन्यथा पूर्ववर्ती सरकारों के कारण उत्तर प्रदेश की जो खराब कानून–व्यवस्था थी थाने थानेदार नहीं चलाते थे, ठेकेदार चलाते थे, गुण्डों का राज्य था, मां–बहनों की इज्जत सड़कों पर लूटी जा रही थी, व्यापारी असुरक्षित था, आज हमको कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है मान्यवर, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो चर्चा–ए–आम हो जाती है, आज हमको कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में गुण्डों, भू–माफियाओं के, भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन आ गए हैं। वो अपना आशियाना ढूढते फिर रहे हैं क्योंकि उनका पुराना आशियाना तो उजड़ चुका है लेकिन मैं कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि एण्टी रोमियो, एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स उनको छोड़ेगी नहीं वह बच नहीं पाएंगे। कल हमारे एक सम्मानित विपक्ष के सदस्य कह रहे थे सरकार के लिए कि आप तो भगवान विष्णु से भी बड़े हो गए हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भगवान विष्णु तो अखिल ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं उनसे तो कोई बड़ा नहीं हो सकता लेकिन हम उनके भक्त और अनुयायी जरूर हैं उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया था योगी राज में सज्जन लोग अमृत पिएंगे उन्होंने राक्षसों का सर काटा था अब यहां राक्षस भू–माफिया गुण्डे जेल में जाएंगे सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। चारों तरफ इस प्रकार का वातावरण था कि जनता त्राहि–त्राहि कर रही थी लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज कायम हुआ है अमन चैन का राज कायम हुआ है उससे आज प्रदेश की जनता कह रही है कि जैसे जलते हुए तन को मिल जाए तरूवर की छाया वैसा ही सुख मुझको मिला है योगी जब से राज तेरा आया। आज अधिकारी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे हैं किसानों का एक लाख रुपए तक का फसली ऋण माफ किया जा रहा है। किसानों का गेहूं क्रय केन्द्रों पर नहीं बिकता था बिचौलिए उसको खरीदते थे फिर खरीद केन्द्र पर बेचते थे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुनील कुमार शर्मा–

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बिचौलिए खत्म हुए हैं किसानों का गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीदा जा रहा है। सड़कें गढ्ढामुक्त की जा रही हैं उत्तर प्रदेश

में जो सरकारें ठेकेदारी के नाम पर भ्रष्टाचार करते थे उनके खात्मे कें लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो ई टेंडरिंग की व्यवस्था की है उससे भ्रष्टाचार का खात्मा होगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब अजीत पाल त्यागी जी अपनी बात रखें।

क्या त्यागी जी हैं नहीं।

श्री सुनील कुमार शर्मा–

वह मेरे बराबर बैठे हैं। मान्यवर, मैं बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

त्यागी जी खड़े नहीं हो रहे हैं उन्हें नहीं मालूम कि उनका समय जा रहा है। आप जब तक बोलेंगे तो त्यागी जी का समय कम हो जाएगा।

श्री सुनील कुमार शर्मा–

अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने जो धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को दी थी उसमें से लगभग 700 करोड़ रुपया गाजियाबाद के लिए स्वीकृत किया गया था लेकिन पूववर्ती सरकारों ने वह सारा का सारा पैसा सीवर सफाई के नाम पर गटर में भेज दिया। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेंहनगर जोन में 24 वार्ड हैं वहां पीने के लिए पानी की भारी दिक्कत है। भू–गर्भ का पानी नमकीन है और वाटर सप्लाई बहुत दूर से आती है अगर उस क्षेत्र के लिए मुरादनगर से गंगाजल लाकर वहां पर गंगाजल पेयजल की आपूर्ति की जानी चाहिए। ट्रांस हिंडन क्षेत्र क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल उच्चीकृत किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। मैंने अगले सदस्य को बुला लिया है। शायद त्यागी जी अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं।

'श्री सुनील कुमार शर्मा–

मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अजीत पाल त्यागी–

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय मैं इस सदन में चौथी बार आया हूं जब मैं पहली बार इस सदन में आया था तो बड़े आश्चर्य के साथ आया था कि मैं एक ऐसे सदन में जा रहा हूं जहां मेरे परिवार के बुजुर्ग भी सदस्य रहे हैं यहां पर मेरे काफी बुजुर्ग साथी बैठे हैं लेकिन जब 15 तारीख को मैंने यहां पर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना व यहां की हरकतों को देखा तो मुझे बहुत शर्मिन्दगी महसूस हुई। मैं आज उसकी निन्दा करता हूं और यहां पर अपने विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूं कि सरकार के कार्यों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का विरोध जरूर करना चाहिए लेकिन यह जरूर देखें कि वह कार्य जनहित के हैं कि नहीं हैं। अगर सरकार जनहित के कार्य कर रही है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन कार्यों की सराहना भी विपक्ष को करनी चाहिए। कानून–व्यवस्था की बात हमारे विपक्षी साथी करते हैं मैं कहना चाहूंगा कि इनकी सरकार में एक मंत्री थे गायत्री प्रजापति जो सरकारी सुरक्षा लेकर आपके बीच में थे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उनकी गिरफ्तारी उस दिन हुई जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो गायत्री प्रजापति जी जेल में होते हैं। मैं अपने जनपद गाजियाबाद की पूर्व में हुई एक घटना याद दिलाना चाहूंगा जो मसूरी थाना क्षेत्र में हुयी थी। मैं कहना चाहूंगा कि उस मुकदमे के अन्दर पूर्व में कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी जबकि पूरे दिन एन0एच0 24 पर सड़क जाम की जाती है, थाने के अन्दर बहन–बेटियों के साथ बदतमीजी होती है, थाने के अन्दर आग लगा दी जाती है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। इससे शर्मनाक काम आपकी सरकार और क्या कर सकती थी। आज मैं एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स के बारे में कहना चाहूंगा। एंटी भू–माफिया टास्क फोर्स बनने से पहले जो सरकार थी उसका नारा था 'जो प्लाट खाली है वह प्लाट हमारा है।' मैं आज कहना चाहता हूं कि आज योगी जी की सरकार है, जो प्लाट खाली है वह प्लाट उस प्लाट के मालिक का है, जो उसका मालिकाना हक रखता है, लेकिन अगर किसी के द्वारा कोई कब्जा किया गया है तो यह सरकार उस कब्जे को खाली करायेगी। यह मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं।

(इस समय 02 बजकर 04 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

स्वच्छ भारत के ऊपर विपक्ष का आरोप था। मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की और उसे उत्तर प्रदेश के अन्दर मा0 योगी जी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। खुले में शौंच हमारे स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश को खुले में शौंचमुक्त करायेगी, यह विश्वास विपक्ष के साथियों को रखना चाहिये। मा0 अध्यक्ष जी, स्वच्छता ही जीवन है, यह नारा उत्तर प्रदेश की सरकार का रहेगा।

मान्यवर, मैं किसान बीमा योजना के बारे में कहना चाहूंगा। पूर्व की सरकारों में अगर किसी किसान की फसल जल जाती थी तो उसे अपने मुआवजे के लिये कागजी कार्यवाही कराने में ही महीनों और सालों लग जाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कार्य आगे बढ़ाया है। आज तीसरे दिन किसान को अपना मुआवजा मिल जाता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर मुरादनगर विधान सभा क्षेत्र जो शाहपुर गांव है उसके अन्दर तीन परिवारों की फसल जलने पर उन्हें तीसरे दिन मुआवजा उत्तर प्रदेश की इस सरकार द्वारा दिया गया है। मैं आदरणीय योगी जी की सरकार को बधाई देता हूं जिनके द्वारा यह कार्य किये जा रहे हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का जो निर्णय इस सरकार ने लिया है उसके लिये मैं आदरणीय योगी जी की सरकार को बधाई देता हूं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि गाजियाबाद जनपद में एक सड़क है जिसका नाम मेरठ रोड है जो कभी एन0एच0 58 होती थी, लेकिन अब वह राज्य मार्ग घोषित कर दिया गया है। मा0 सदस्यगण, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अधिकतर उस सड़क से गये होंगे। अगर दिल्ली से हरिद्वार जायेंगे तो उसी सड़क से जाना पड़ता है, दिल्ली से देहरादून जायेंगे तो उसी सड़क से जाना पड़ता है, लेकिन पिछली सरकारों ने उस सड़क के लिये कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा है कि जो 40 मिनट का रास्ता है वह तीन–तीन घंटे में पूरा होता है। गाजियाबाद से मेरठ जाने के लिये 40 मिनट इनफ हैं, लेकिन तीन घंटे तक हम उसे पार नहीं कर पाते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आप सभी से कहना चाहूंगा कि उस सड़क की चौड़ाई बढ़वाई जाए और इस क्षेत्र को जाम मुक्त कराया जाए। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार जो कार्य कर रही है उसके लिये उसे बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, उस पर बल देने के लिये आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज के लिये और आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल जी की वर्षों पुरानी मुराद भी आपने पूरी कर दी, इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, डाक्टर साहब ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, आदरणीय पंकज सिंह जी ने उसका समर्थन किया। पक्ष–विपक्ष के नेता विरोधी दल सहित नेता बहुजन समाज पार्टी सहित तमाम साथियों ने अपने विचार रखे। मैं अपने निर्धारित समय में दो–चार बातें आपके समक्ष कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत से साथी विशेषकर सत्ता पक्ष के साथी जिनको अपार जनसमर्थन के साथ अपार बहुमत मिला है और बड़ी संख्या में चुनकर आये हैं। 325 की जो सदस्य संख्या इनकी आई है, भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी दलों की उसमें 200 के लगभग गैर भाजपाई साथी आये हैं। वह जो दो सौ के लगभग गैर भाजपाई साथी आये हैं वह अपने आपको भाजपाई साबित करने के लिए इतना व्यवधान करते हैं कि मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परम्परा नहीं है और इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जो बातें हैं और सरकार ने जो बाते कही हैं, दोनों में बहुत अंतर है। जहां तक किसानों के कर्जे की माफी का सवाल है, सरकार का कहना है कि हम मार्च, 2016 तक माफ करेंगे। महामहिम राज्यपाल जी अपने अभिभाषण में कहते हैं कि हम दिसम्बर, 2016 तक माफ करेंगे। यह अपने आप में एक ऐसा विरोधाभाष है और मैं समझता हूं कि इस पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। इसी तरह से सिंचाई के मामले में सरकार दूसरी बात कहती है और

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दूसरी बात कही जाती है। उन तथ्यों को देखने के बाद लगता है कि राज्यपाल के अभिभाषण की जो पुस्तिका है इस पर विश्वास किया जाये कि सरकार जो बाते कह रही है उस पर विश्वास किया जाये। तमाम अनुभवी साथियों ने बहुत बाते कहीं। अभी आदरणीय महाना जी बात कर रहे थे, सदन में वह नहीं हैं, लगता है बोलने के लिए वह आये थे, चले गये। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी निर्धारित सीट पर बैठते थे और उनके ठीक पीछे वाली सीट मेरी थी और मैं वहां बैठा करता था और महाना जी सरकार के खिलाफ बोलने के बाद दो दर्जन कागज लेकर के पीछे–पीछे आते थे और माननीय मुख्य मंत्री जी के कान में कहते थे कि आपसे अच्छा मुख्य मंत्री कोई नहीं है, ये काम मेरे कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

तो आप क्या व्यक्तिगत बातें भी सुनते थे ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

जी हां।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ हज मंत्री (श्री मोहसिन रजा)–

क्या आपके पास इसका रिकार्ड है, अगर रिकार्ड है तो आप उसे सार्वजनिक करिये, टेप सुनवा दीजिये। इस तरह की बात आप यहां पर कैसे कह सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

टेप यहां पर नहीं होता है। आप पहली बार मंत्री बने हैं। यह पहली बार मंत्री बने हैं और किसी सदन के सदस्य भी नहीं हैं। इनको बताइये कि यहां मोबाइल और टेप नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष–

मोबाइल, टेप तो नहीं होता है, लेकिन कोई बाजा वगैरह भी तो नहीं होता है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

हां, वह भी सही है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बात कर रहा हूं। कृपया इनको समझाइये। इनको जो कहना है, आपसे कहें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहे। ललई जी, आप मूल विषय पर बोलिये।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद रिकार्ड में कुछ कहना, रिकार्ड में आने के लिए, लिखापढ़ी में आने के लिए कुछ कहना, ख ग ग ग, बात करना इनका चरित्र है।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ विरोध करने पर)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप बोलिये मैंने किसका नाम लिया है।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसन्धान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो दोगली बात की बात कही है मैं समझता हूं कि यह संसदीय शब्दों के भीतर नहीं है और इस पर ध्यान देना चाहिये। हमारी मर्यादा है कि हम परिसर के भीतर क्या बोंले, यह हमारी मर्यादा है कि किन शब्दों का हम इस्तेमाल करें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं असंसदीय शब्द कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गली की बात किये हैं, गाली की नहीं। दो गली की बात किया है इन्होंने, यह गाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसको दिखवा लूंगा। माननीय सदस्यगण, आप लोग कृपया बैठ जायें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी रंग पर इंगित नहीं करूंगा, लेकिन यह एक सच्चाई है कि एक खास रंग का गमछा बांधे हुये लोग अपने मन से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं जो इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक कानून–व्यवस्था का सवाल है मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ इसी से पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है ? 2016, जनवरी से अप्रैल तक डकैती की 77 घटनाएं हुईं। 2017 में इसी कार्यकाल में 91 घटनाएं हुईं। 2016, जनवरी से अप्रैल तक लूट की 1186 घटनाएं हुईं इसी कार्यकाल 2017 में 1352 घटनाएं हुईं। मा0 अध्यक्ष जी, 2016 के कार्यकाल में 1030 घटनाएं रेप की हुईं और इस कार्यकाल में 1266 घटनाएं हुईं। मा0 अध्यक्ष जी यह साबित करता है कि किस तरह का कानून का राज है ? ये तो प्रकाशित है तथ्य है इन्हें कोई झूठा नहीं साबित कर सकता इन्हें पता नहीं है कि झूठ शब्द संसदीय नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे एक साथी अभी–अभी जो सत्ता नए सहयोगी हुए हैं बोल रहे थें चले गयें। मा0 अध्यक्ष जी, यह जब आपके सहयोगी नहीं

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

इस तरह की भाषा का प्रयोग करते अपने मंचों पर अगर उस तरह की भाषा आप सुन लेंगे तो शायद आप उन्हें कभी अपने बगल में बैठने नहीं देंगे और आज यहां आकर के जिस तरह की बात कर रहे थे अगर वह यहां होते तो मैं उन्हें बताता। मेरी विधान सभा क्षेत्र में शाहगंज कोतवाली के अन्दर भादी एक गांव है। गांव के अंदर शराब की दुकान खोली गयी। राजभर समाज के पुरूष और महिलाओं ने उसका विरोध किया। सिर्फ विरोध करने का नतीजा हुआ कि क्रिमिनल लॉ एक्ट–7 और 307 जैसी तमाम धाराएं लगाकर पुरुषों और महिलाओं को जेल में भेज दिया गया। 20–22 दिन वह जेल में रहे उसके बाद जमानत कराकर बाहर आये। ये समाज के हमदर्द लोग उसी रास्ते से आये–गये लेकिन उनका हालचाल लेने नहीं गये। ये लोग हमें आइना दिखाने का काम करते हैं जो अपने समाज के हमदर्द हैं वह इतना नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने अभिभाषण पर बोलिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मैं अभी अपने विषय पर आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी बोल रहा हूँ। मा0 अध्यक्ष जी जहां तक बिजली की समस्या है मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 15 मार्च, 2016 से ही उत्तर प्रदेश के सभी गांव में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे, जिला मुख्यालयों में 22 घंटे और बड़े शहरों तथा धार्मिक स्थानों पर 24 घंटे बिजली देने का काम किया। (व्यवधान के मध्य) मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इन दो महीनों के अन्दर यह सरकार बताए कि क्या किया है ? हमने अपने कार्यकाल में मा0 अखिलेश यादव जी के मुख्य मंत्री रहते हुए, बिजली के उत्पादन को दोगुने से ज्यादा करने का काम किया। 25 सालों के अंदर जितनी लाईने नहीं बनी थीं, जितने सब–स्टेशन नहीं बने थे उससे ज्यादा लाईनों को 25 सालों में जितनी नहीं बनी थीं उससे ज्यादा लाईने, उससे ज्यादा सब–स्टेशन बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। हमने अधिकांश जगहों पर तहसील मुख्यालयों पर जो जिला मुख्यालय से दूर थे वहां अधिकांश जगहों पर ट्रांसफार्मर के स्टोर बनवाने का काम किया था। यह लोग गलतबयानी करते हैं कि 48 घण्टे में हम ट्रांसफार्मर बदल दे रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र का कपसिया एक गांव है। वहां पर 10 दिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। मुझे अधिकारियों से कहना पड़ा तो उन्होंने कहा कि साहब वह गाड़ी हटा ली गयी है इसलिए हमें ट्रांसफार्मर बदलने में दिक्कत हो रही हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र के रहने वाले एक यहां विधायक हैं जो दूसरे क्षेत्र से चुनकर आये हैं।

ईमानदारी से बता दें कि क्या 20 घण्टे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बिजली नहीं रहती थी। रात दिन बिजली नहीं रहती थी और आज 8–10 घण्टे भी बिजली नहीं है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर शोर शराबा उत्पन्न हो गया।)

मान्यवर, यह असत्य बोलने वाले लोग हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, इन्होंने कहा था कि कत्लगाहों को हम बन्द करा देंगे। मुर्गी–मुर्गा कत्लगाह है, बकरी–बकरा कत्लगाह है। मछली काटना कत्लगाह है। कत्लगाहों को बंद कराना है तो हमारी मांग है कि इस विधान सभा से प्रस्ताव पास होकर जाना चाहिए कि भारत सरकार मीट का एक्सपोर्ट बंद करा दे और हिन्दुस्तान में जहां–जहां भी बीफ के कटने के लाइसेंस हैं तत्काल उसको निरस्त किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव में गये थे। मेरी विधान सभा की एक सड़क का उल्लेख किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना की सड़क थी। वह सड़क उत्तर प्रदेश सरकार की सड़क नहीं थी और बजट देने में देरी की गयी। जब उसका टेण्डर हो गया उसके बाद काम शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यहां उनके विधायक भी चुनकर आये हैं उन लोगों ने लिखकर उसको रुकवाने का काम किया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मा0 मंत्री जी मौजूद हैं। अच्छे इंसान हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वह उस सड़क का जल्दी से निर्माण करा दें।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, आप इनको चुप कराइये।

श्री अध्यक्ष–

मैं चुप करा रहा हूं। लेकिन आप उनका उल्लेख कर रहे हैं। कृपया बैठें। कृपया बैठें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मा0 अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार थी तो मा0 श्री अखिलेश जी की सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण योजनायें चलायी थी। एक डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना और दूसरी समाजवादी पेंशन योजना और तीसरी जनेश्वर मिश्र ग्रामीण विकास योजना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय तक गये तो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के मा0 मुख्य न्यायाधीश सहित पांच जजों की बेंच ने इस बात को कहा कि इस देश में अगर सबसे सुंदर कोई पेंशन व्यवस्था है तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पेंशन व्यवस्था है और उसको भी समाप्त करने का इन लोगों ने काम किया है। जिसमें हम लोग आने वाले समय में एक करोड़ परिवारों को

एक हजार रुपया महीना पेंशन देने का इंतजाम करने जा रहे थे। अभी तक हम लोग 55 लाख परिवारों को 500 रुपया महीना दिया करते थे। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि समाजवादी शब्द सिर्फ किसी पार्टी का नाम नहीं है। समाजवादी संवैधानिक शब्द है। उस संवैधानिक शब्द के नाम पर समाजवादी पेंशन रखा गया था। ठीक है आप नाम बदलना चाहते हो बदल लो लेकिन उत्तर प्रदेश के एक करोड़ परिवारों को इस पेंशन योजना के तहत एक हजार रुपये महीना देने का काम करो। उसी तरह से लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत जो गरीबों को 3.0 लाख रुपये से ज्यादा देकर गरीबों के आवास बनवाने का हम काम कर रहे थे। डाक्टर लोहिया इस देश के ऐसे नेता थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी और हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद गोवा में पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराने की भी लड़ाई लड़ी। उनके नाम पर गरीबों के लिए आवास बनाने की जो योजना थी, उन्हें आवास देने का काम था, भले ही उस योजना का नाम बदल दीजिए, लेकिन उन गरीब लोगों को उसी हिसाब से सवा तीन लाख रूपये में उनके आवास बनवाने का काम करिए। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव नेता विपक्ष ने रखा है, उसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

'डा0 श्याम बिहारी लाल–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए आपने जो मुझे अनुमति प्रदान की है, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने चुने हुए नए विधायकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया, उसमें जो आचार्य आपने बुलाये थे, अभिभाषण में मैंने उन्हें भी बहुत ही विचलित हुए देखा। वह आचार्यगण हमें वहां पर समझा कर आए थे कि संसदीय कार्य–प्रणाली की परम्पराओं और मर्यादाओं की पूरी रक्षा करने का कार्य, उत्तरदायित्व सदस्यों का है। मान्यवर, जब यहां पर हमने सीटी बजाने की कला सिखाते हुए देखा तो बहुत विस्मय हुआ, बहुत ही निराशा हुई, बहुत ही हताशा हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व में हमारे जिन सदस्यों ने अभिभाषण के समर्थन में जो बोला है, उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि एक बात जो नेता प्रतिपक्ष ने कही, वह मुझे बहुत अटपटी लगी, वह टिप्पणी हिन्दुओं के बारे में थी। उसमें कहा गया कि आप केवल दो ही देशों में बचे हैं और इससे आप सीख लीजिए। मैं उनको बताना चाहता हूं, इकबाल की उस शायरी की दो लाइनों से कि

> ''यूनान, मिश्र और रोम, सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, नामो–निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा।'

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष से कि हिन्दू डायस पोरा के बारे में जरा उठाकर देखिए, पूरी दुनिया में हम जहां भी हैं, बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं और हमने भारतीय संस्कृति का नाम ऊंचा करने में कोई कमी नहीं रखी है। दुनिया का कोई भी धर्म, दुनिया की कोई भी संस्कृति कमियों से अछूती नहीं है लेकिन यह हमारे यहां ही परम्परा है कि कुछ लोग उन बुराइयों को उजागर करने में लग जाते हैं। मैं वह उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। मैं अपनी पुरानी बात पर आता हूं जिस अभिभाषण के बारे में बोल रहा हूं, उस पर आगे बढ़ता हूं, किसानों के बारे में माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो निर्णय लिए, हमारी विधान सभा है, फरीदपुर, बरेली जनपद में वहां पर आलू बहुत ज्यादा मात्रा में था और वह क्रय नहीं किया जा रहा था, पीछे सालों में किसानों ने उसे फेंका, पूर्ववर्ती सरकार के समय में। इस बार वहां पर आलू का क्रय केन्द्र लगाया गया और हम तो देखते थे, न धान खरीदा जाता था और न गेहूं खरीदा जाता था। मान्यवर, इस बात को नोट करने की जरूरत है और महामहिम राज्यपाल जी ने उस बात को उठाया भी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि फरीदपुर विधान सभा में बिजली विभाग के बारे में पूर्ववर्ती सरकार का एक कारनामा बताना चाहता हूं कि ठेका हुआ उसमें एक योजना के तहत गांव में बिजली लगाने का काम शुरू हुआ, मान्यवर वह तार, वह खम्भे, वह ट्रान्सफार्मर वह सारी चीजें आज तक पड़ी हुई हैं और अब जाकर उस पर अधिकारियों ने जांच करने का काम शुरू किया है, ये कार्य प्रणाली रही। जो अभी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपना जरा उठा कर देखिये तो आपको चीजें नजर आयेंगीं। एक बात और कहना चाहता हूं जहां किसानों की चिन्ता प्रदेश सरकार ने की वहीं हमारी सरकार ने जो सी0सैट लागू हुआ, लोक सेवा आयोग में, जो युवाओं के साथ वहां पर नाइन्साफी की गई, उन युवाओं को दो चान्स देने का काम किया, कहा कि दो अवसर मिलेंगे, अधिक आयु जिनकी हो गयी है, जिनका नुकसान हुआ है उन्हें दो अवसर मिलेंगे। पीछे पूर्ववर्ती सरकार में जो अध्यक्ष वहां पर चुने गये वह पूर्णतया अयोग्य थे, कोर्ट ने उन्हें हटाया। जो लिस्ट थी जिसमें योग्य लोगों को सेलेक्ट होना था उन लोगों को वहां पर सेलेक्ट ही नहीं किया गया और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कैसे लोगों को चयनित किया गया और किन लोगों को चयनित किया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त कीजिए।

डा0 श्याम बिहारी लाल–

मैं इसके अलावा कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने अभी ई–टेण्डरिंग की व्यवस्था शुरू की है जिससे लोगों को सही काम मिल सके, न्यायपूर्ण कार्य हो सके और परियोजनाओं में एम0ओ0यू0 साईन करने की बात हुई है, जिससे कि उसमें देरी न हो, उसमें कास्ट अधिक न बढ़े। इस तरीके के जो ढेर सारे नए काम किये गये हैं, वह बहुत

ही महत्वपूर्ण हैं और प्रदेश सरकार ने पहली बार यह दिखाने की कोशिश की है कि जनता को न्याय मिलना चाहिए। हमें जो बड़ा बहुमत मिला है उस बहुमत पर हम खरे उतर सकें, राज्यपाल जी के अभिभाषण में वह सारी चीजें कोड की गई हैं जो प्रदेश सरकार की मंशा थी। इससे पूर्ववर्ती सरकारों में जो ट्रेजरी थी, उसे ऐसे खर्च किया जा रहा था जैसे कि वह राज्यतंत्र की ट्रेजरी हो। कुछ ही नगरों में बिजली आयेगी, कुछ ही नगरों में विकास होगा यह कहां का इन्साफ था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मा0 योगी जी के नेतृत्व में बनी है और पूरी तरीके से अमन चैन लाने के लिए, विकास करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, हम चाहते हैं अधिकांश सदस्य इस चर्चा में हिस्सा लें, इसलिए अपनी बात को चार मिनट में साढ़े चार मिनट में समेट कर सब लोग बोलेंगे तो अधिकांश सदस्यों को अवसर मिलेगा।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भागीदारी सुनिश्चित कर आपने मुझे कृतार्थ ही नहीं किया है अपितु राजनैतिक पथ प्रसस्त भी किया है, मैं सदैव इसके लिए आपका आभारी रहूंगा साथ ही साथ मैं आपको कोटि–कोटि धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। माननीय अरूण कुमार द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां पर बोल रहा हूं। मान्यवर, आज विश्व के धरातल पर भारतवर्ष में जो गौरव और शक्ति की पहचान समूचे विश्व में स्थापित हुयी है, उसका श्रेय माननीय नरेन्द्र मोदी जी को जाता है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के व्यक्तित्व, कृतत्व और उनकी संस्कृति की आज समूचे विश्व में प्रतिस्पर्धात्मक चर्चा प्रारम्भ हो गयी है। और समूचे विश्व ने यह सहर्ष स्वीकार कर लिया है कि अगर समूचे विश्व में कोई विश्व का नेता है तो वह नरेन्द्र मोदी जी हैं, कोई दूसरा या ओबामा नहीं है। भारत वर्ष के सबसे बड़े भू–भाग उत्तर–प्रदेश कालान्तर से ही उत्कृष्ठ राजनीति के लिए, पवित्र संस्कृति के लिए और श्रेष्ठ कृषि उत्पादन के लिए पहचाना जाता है। ऐसे गौरवमयी भू–भाग उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय योगी जी को समर्पित करके 22 करोड़ जनता को माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कृतार्थ किया है और इतना ही नहीं यहां के विकास और जन–जन के कल्याण की, तृष्णा की तृप्ति करने के लिए जो माननीय योगी जी को नेतृत्व समर्पित किया गया है, यह मुझे लगता है कि बहुत ही पावन कार्य किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज समूचे देश में एक चर्चा प्रारम्भ हो गई है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश ही नहीं बनेगा बल्कि पूरे देश में एक माडल (आदर्श) प्रदेश बनकर उभरेगा। उत्तर प्रदेश का भू–खण्ड एक श्रेष्ठ प्रदेश की गणना में भी सम्मिलित हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी आशा है। माननीय योगी

आदित्यनाथ जी की मैं इसलिए हृदय से अभिनन्दन करता हूं, वन्दन करता हूं जिनकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार समाप्त कर पारदर्शी प्रशासन, जनाकांक्षाओं की पूर्ति एवं सर्वांगणीय विकास करना है। जिनका संकल्प सबका साथ सबका विकास, जिनका लक्ष्य शासन सत्ता में भागीदारी की अनुभूति एवं जन में विश्वास की पुनर्स्थापना करना है। साथ ही साथ इनकी झलकती हुई प्रतिबद्धता है तुष्टीकरण की नीति से अलग हटकर सभी के हितों का संरक्षण ही नहीं अपितु प्रदेश में भोजन, पेयजल, आवास, स्वच्छता (शौचालय), स्वास्थ्य एवं शिक्षा, लाभकारी मूल्य एवं सुरक्षा जैसी पवित्र प्रतिबद्धतायें भी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक दिन दो लड़के मेरे पास आये जिन्होंने अपने सर में एक तरफ योगी जी और एक तरफ मोदी जी का नाम लिख रखा था। जब वे मेरे सामने आये तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या नाटक है ? आज विश्व धरातल पर मोदी जी और हमारे राष्ट्र धरातल पर योगी जी का नाम ऐसा नाम है, ऐसा आचरण है, ऐसी संस्कृति है, जिसको हमें हृद्यागम करना है, यह नाटक करने से काम नहीं चलेगा। इस तरह से हमने उन लड़को को काफी डांटा, हमने कहा कि मोदी जी और योगी जी की संस्कृति अपने मन में, अपने हृदय में उतारिये और उनके अनुसार कार्य करिये, जैसा कि लिखा भी हुआ है। (व्यवधान)

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागौ पांय, बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो मिलाय।

श्री अध्यक्ष–

आप राज्यपाल के अभिभाषण पर संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

इस तरीके से बड़े–बड़े जो आदर्श हैं उनको हमको हृदयागन कर उनके आदर्शों को धरातल पर उतारना है। मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की ओर बढ़ता हुआ कानून–व्यवस्था पर चर्चा करूंगा कि हमारे बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद पीलीभीत में पहले हम देखा करते थे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन जानवरों की भारी संख्या में चोरी नहीं हुआ करती थी या हेड़ी की हेड़ी जानवरों की हत्या होने के लिए, कटने के लिए नहीं जाया करते थे और इतना नहीं रातो–रात पूरे के पूरे बाग कट जाया करते थे और लकड़ी रातों–रात उठ जाया करती थी। इस तरीके की बहुत सारी घटनायें हुआ करती थीं, जेब कटना, लाकेट लूट लेना, यह नित्य प्रति की घटनायें थीं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि दो माह में ही इन सारी घटनाओं पर प्रतिबन्ध लग गया, हमारे यहां तो यह व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है कि चाहे कोई मौखिक या लिखित यदि कोई भी समस्या लाता है तो उसको मैं लालपर्ची पर उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अधिकारी को भेज देता हूं। सम्बन्धित अधिकारी उस समस्या का निराकरण, निदान करता है उसके बाद अगर निदान नहीं कर पाता है तो पीली पर्ची के साथ अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित कर देता है और उच्च अधिकारी फिर समस्या का निदान करता है। यदि नहीं कर पाता है तो वह

हरी पर्ची के साथ अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित करता है और उसके बाद वह अधिकारी भी अगर समस्या का निदान नहीं कर पाता है तो सफेद पर्ची के साथ लखनऊ स्तर के अधिकारियों को वह समस्या भेज देता है। इस तरह की हमारे यहां व्यवस्था है और इस प्रकार से कानून–व्यवस्था पर पूरा–पूरा नियंत्रण हमारे यहां है। मैं यह चाहता हूं सदन से और सारे सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था को अपने–अपने जनपदों में लागू करें ताकि कानून–व्यवस्था पर पूरा–पूरा नियंत्रण रहे। मान्यवर, मैं अपने जनपद के सम्बन्ध में एक विशेष बात कहना चाहता हूं जो कि पर्यटन से सम्बन्धित है। पर्यटन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाह रहा हूं कि वैसे तो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में पर्यटन परिपथों का निर्माण किए जाने का संकल्प दोहराया गया है। इतना ही हमारे बहुत सारे ऐसे पर्यटन केन्द्र हैं जिसमें मथुरा है, वृन्दावन है, अयोध्या है, विन्ध्याचल है, नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, कुशीनगर है। इन सारी जगहों में सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट बनाए जाने की योजना है लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जनपद पीलीभीत में बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक लिलहर शिव सरोवर नाम का स्थान है। यहां पर प्रत्येक अमावस्या को लाखों की संख्या में पर्यटक लोग आते हैं और जिस तरीके से वहां उस सरोवर में स्नान करते हैं। अगर सरोवर में कीचड़ भी है तो कीचड़ में भी स्नान कर लेते हैं और स्नान करने के बाद ऐसा लगता है कि उसके शरीर में किसी ने तेल लगा दिया हो, तैलीय शरीर बन जाता है। इस प्रकार से वहां की यह मान्यता है कि अगर कोई भी उस सरोवर में स्नान करेगा तो निश्चित रूप से उसके चर्म रोग सही हो जाएंगे। इस तरीके से लाखों की संख्या में लोग वहां आते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

इतिहास मत बताइए, आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

बहुत संक्षेप में बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप और किसी समय बता दीजिएगा। यह राज्यपाल का अभिभाषण है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

हम तो अभी कुछ कह ही नहीं पाए हैं। हमें बोलने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

आपका 5 मिनट का समय था, आप 8 मिनट बोल चुके हैं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

बहुत संक्षेप में बता देता हूं उसका इतिहास। यह सब लोगों के सुनने के लायक बात है।

श्री अध्यक्ष–

आप फिर कभी बता दीजिएगा। क्या आपकी इस स्थान को लेकर सरकार से कोई मांग है, अगर है तो मांग कर लीजिए।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

हां, मांग है। मेरी यही मांग है कि लिलहर शिव सरोवर को भी पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाए और इसको भी सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों में सम्मिलित किया जाए। यहां पर भी परिपथ बनाया जाए। ऐसी हमारी मांग है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह अपने में गंगा से अधिक महत्वपूर्ण स्थान है इसीलिए मैं संक्षेप में थोड़ा इसका इतिहास भी बताना चाहता था और संक्षेप में ही बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब तो आपका हो गया।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

मान्यवर, बहुत रुचिपूर्ण है, आप सुन लीजिए। मान्यवर, बहुत संक्षेप में बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अभी और भी तमाम मित्रों को बोलना है।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

मान्यवर, यह सरोवर हमारे यहां द्वापर के युग का है। यहां पर पाण्डव लोग आए थे यहां पर एक घनघोर जंगल था। जहां पर एक कामिल नाम का राक्षस रहता था जिसने पाण्डवों पर हमला कर दिया और उसके बाद भीम ने उसका वध कर दिया लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि इसका यहां पर प्रायश्चित करो तो भीम ने वहां पर एक यज्ञ किया था। यज्ञ हेतु वहां जो यज्ञ वेदी बनाई गई थी चूंकि वे इसको छोड़कर चले गये थे तो वही यज्ञ वेदी कालान्तर में विकसित होते–होते सरोवर बन गया। उस सरोवर में एक बार राजा मोरध्वज हमारे यहां पीलीभीत में हुए हैं उनके एक भाई नीलध्वज थे। उनको कोढ़ हो गया था और उन्होंने जाकर उस तालाब में स्नान किया तो उनका कोढ़ सही हो गया था। तब से वहां पर लोगों के द्वारा यह माना जाने लगा कि उसमें स्नान करने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग ठीक हो जाता है। धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, राज्यपाल जी का जो 101 पेज का अभिभाषण

है इस पर सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता ब0स0पा0, माननीय नेता कांग्रेस तथा अन्य दलों के माननीय नेतागण तथा साथीगणों ने जो विचार रखे, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करती हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रस्तुत अभिभाषण पर संशोधन हेतु बल देना चाहती हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है। सदन में बैठे ज्यादातर सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश का किसान कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखे से प्रभावित रहा है और कर्जे में वह डूबा रहा इसकी वजह से गंभीर समस्यायें उत्पन्न हुईं जिसकी वजह से वह कर्जा वापस नहीं कर पा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की थी कि जैसे ही सरकार आएगी हम कर्जा माफ करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी की उदारता भी दिखी। उन्होंने एक लाख तक की सीमा के लघु, सीमान्त किसानों का कर्जा माफ भी किया परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि यह पर्याप्त नहीं है, जितने भी कर्जे हैं किसानों पर उनको माफ किया जाना चाहिए। मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूं।

श्री अध्यक्ष–

अराधना जी एक मिनट के लिए रुकें। कुछ माननीय सदस्य अपनी व्यथा या भाषण देने की दृष्टि से अध्यक्ष पीठ की तरफ या प्रमुख सचिव जी की ओर आते हैं। उनकी कठिनाई होगी, उनके आगे–पीछे विधान सभा के अनुसेवक उनको पर्ची दे सकते हैं। यहां पर जो बोलने वाले सदस्य हैं उनका और जो ध्यान से सुन रहे हैं उनका और मेरा भी ध्यान भंग होता है। अब आप भाषण जारी रखें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूं। ये वह सदन है जहां पर सुचेता कृपलानी जी मुख्य मंत्री के रूप में बैठी, यह वह सदन है जहां पर महिला प्रधान बजट इसी सदन में पहली बार रखा गया। आज उत्तर प्रदेश का सदन एक और इतिहास का गवाह बना है। पहली बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 42 महिला जनप्रतिनिधि आई है। (मेजें थपथपाई गईं) इसके लिए मैं सदन को बधाई देना चाहती हूं और शायद यह इस बात का संदेश है माननीय अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी अपनी बात पूरी मजबूती और ताकत से कहने के लिए तैयारी कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अगर उन्हें मजबूत करना है तो उन्हें रोजगार से जोड़ना होगा। 33 प्रतिशत आरक्षण हर क्षेत्र में है, सरकारी नौकरियों में है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं और यह सुझाव भी है मेरा कि जिस वर्ग का आरक्षण हो उस वर्ग की महिला को 33 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में मिलना चाहिए जैसे अगर पिछड़ी जाति का आरक्षण है तो उस आरक्षण में 33 प्रतिशत आरक्षण उसी वर्ग की महिला को मिलना चाहिए। वह चाहे पिछड़ी जाति की हो या अनुसूचित जाति की हो, उसी जाति की महिला को उसमें आरक्षण मिलना चाहिए इससे महिला को रोजगार भी मिलेगा और उनका प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा। आज एक बड़ी समस्या है महिलाओं की सुरक्षा

को लेकर और इस सदन में इस बात का चिन्तन भी हुआ है। हम सब इस बात पर काफी चिन्तित हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह की घटनायें महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, इस पर गंभीरता से विचार होगा और वो लोग जो इस कार्य को कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए इसे पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, मध्यांचल और पश्चिमांचल में न बांटा जाए। मेरा सुझाव है कि अगर उत्तर प्रदेश को 403 विधान सभा में बांट दिया जाए और जितनी भी योजनाएं आ रही हैं वह जिले में न जाकर जिला मुख्यालय में न जाकर, विधान सभा के मुख्यालयों पर जाएंगी, पूरे ब्लॉक स्तर पर जाएंगी। यदि हर विधान सभा का अगर विकास होगा तभी उत्तर प्रदेश का समुचित विकास हो सकता है। आज हमारे सामने सदन में बिजली मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि किसी भी प्रदेश का विकास तभी हो सकता है, जब वहां पर उद्योग आएं। उद्योग तब तक नहीं आ सकता है, जब तक बिजली की व्यवस्था पूरी न हो। मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि काफी कर्मठता से माननीय मंत्री जी इस ओर, माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश के अनुसार इस पर काम भी कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार तभी आयेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार तभी मिलेगा जब यहां पर उद्योग के साधन उपलब्ध होंगे और वह तभी हो सकते हैं जब बिजली आयेगी। चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। जहां इसके लिए हमें नयी परियोजनाएं लानी हों या जो परियोजनाएं हैं उनमें क्षमतावृद्धि करनी हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी विद्यालय हैं, मान्यवर, आप भी जानते हैं आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, 80 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है। आज हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर हम उनको कम्प्यूटर की एजूकेशन नहीं दे सकते, उनको इंटरनेट से नहीं जोड़ सकते तो हम आने वाले जिस थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं उसमें हमारी नयी जेनरेशन को उसका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं कर पाएंगे। सिंचाई को लेकर मैंने माननीय मंत्री जी की बात सुनी और मैं सहमत भी हूं कि टेल तक पानी जाना चाहिए परन्तु एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि पानी जाए पर वह समय से पहुंचे और यह सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए होगी। आज हमारे यहां सिंचाई के लिए जो सरकारी ट्यूबवेल गांव में है आज वह निष्क्रिय सिर्फ इसलिए पड़े हैं क्योंकि बिजली नहीं है, अगर हमें उन्हें चलाना है और यह सरकार की मजबूरी भी है क्योंकि उतनी बिजली नहीं है तो वह उन ट्यूबवेल को नहीं चला सकती। अगर उनको हम सौर ऊर्जा से जोड़ देते हैं तो इस समस्या का बहुत हद तक हम समाधान कर सकते हैं। पी0डब्लू0डी0 विभाग का मैंने सुना कि सड़कें गड्ढामुक्त होनी चाहिए। इसमें तेजी से काम भी चल रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में गड्ढामुक्त सड़कें प्रदेश में होंगी। मान्यवर, एक बड़ी चुनौती और भी है कि पी0डब्लू0डी0 की सड़कों की रिपेयरिंग की बात तो हो रही है परन्तु बहुत–सी ऐसी सड़कें हैं जो अन्य विभागों द्वारा बनायी गयी जैसे

मण्डी परिषद्, आर0ई0एस0 जिनके पास रिपेयरिंग का कोई मद नहीं होता। यह वह सड़कें हैं जो सरकार ने बनायी हैं, जिन पर करोड़ों रूपये खर्च हुए हैं और वह केवल रिपेयरिंग न होने के कारण आज क्षतिग्रस्त हैं और समाप्त हो चुकी हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि या तो पी0डब्लू0डी0 इन्हें अधिग्रहीत कर ले, या इन विभागों को रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसा दिया जा सके। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की परिस्थिति हम सब जानते हैं और हमने माननीय मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता भी इसमें देखी। मैं पूर्वांचल से आती हूं और सौभाग्य से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल में भी स्थिति बहुत खराब है, मैं यह अनुरोध करती हूं कि जिस तरह से बुन्देलखण्ड को स्पेशल पैकेज दिया जाता है, पूर्वांचल के लिए भी स्पेशल पैकेज की मैं मांग करती हूं। मैंने महामहिम का अभिभाषण पढ़ा और मैंने दो–तीन बार उसे पढ़ा। मुझे लगा कि शायद सदस्यों के लिए भी उसमें कोई बात लिखी हो, पर शायद वह छूट गयी। मेरा फिर से आपसे अनुरोध है और इस सदन में यह सुझाव रखना चाहती हूं कि बहुत गर्मी पड़ रही है। हम सब जब चुनाव जीत कर आएं हैं पहली गर्मी है, जब क्षेत्र में जाते हैं तो सड़कें तो बन गयी, अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए परन्तु जब गरीब आदमी, किसान, मजदूर खड़ा हो जाता है कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है तो हम मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं और यह मेरी विडम्बना नहीं है यहां बैठे सारे सदस्यों की विडम्बना है। मेरा अनुरोध है कि 200 हैण्डपम्प प्रत्येक सदस्य को मिल जाए ताकि वह अपने क्षेत्र की गरीब जनता की प्यास बुझा सके। मान्यवर, सड़कें बन रही हैं और सरकार बड़ी–बड़ी सड़कें बनवाएगी लेकिन हम सदस्यों के सामने एक समस्या आती है जब हम गांव में जाते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए हमें बहुत कम दूरी की सड़कों की आवश्यकता होती है जो कि किसी योजना में नहीं आ पाती हैं। अगर 10–10 किलोमीटर सड़क सारे सदस्यों को मिल जाए तो कम से कम वह एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ सकते हैं, यह मेरा आपसे सुझाव है। मंहगाई बहुत बढ़ गयी है परन्तु एक समस्या सबसे बड़ी है जो हम 100 मीटर इण्टरलाकिंग या सी0सी0 बनवाते थे आज उसकी कॉस्ट लगभग 10 से 15 प्रतिशत बढ़ गयी है। मैं अनुरोध करूंगी पीठ के माध्यम से, माननीय संसदीय मत्री जी बैठे हुए हैं, जो विधान सभा क्षेत्र विकास निधि है चूंकि खर्च इतना बढ़ गया है लागत इतनी बढ़ गयी है तो विधान सभा क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाकर के 5 करोड़ कर दिया जाय, यह मेरा आपसे अनुरोध है। मैं अपने जिले के लिए केवल एक मांग करना चाहती हूॅ अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतापगढ़ से आती हूं मेरा पिछड़ा जिला है स्वास्थ्य के बड़े सीमित साधन है। मेरा अनुरोध है कि वहॉ एक मेडिकल कालेज की स्थापना जिला प्रतापगढ़ में हो, यही मेरा आपसे अनुरोध है बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री श्रीराम चौहान–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर मंत्री जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं मान्यवर, दो महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। बिगड़ी हुई खराब

कानून– व्यवस्था, ध्वस्त प्रशासनिक तंत्र, हर प्रकार से जर्जर आर्थिक व्यवस्था इन सब में रास्ता निकालने में यह सरकार पूरी तरह से सफल रही है। विपक्ष के लोग दो महीने में ही इस प्रकार से वक्तव्य और भाषण देने का प्रयास किये कि लगा कि पूरा प्रदेश ही बेहाल हो गया है। मान्यवर, दो महीने में ही उत्तर प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश हुई है। गुण्डे माफिया अराजकतत्व यह पूरी तरह से दहशत में हैं या प्रदेश की सीमा छोड़ने का मन बना रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज दिखाई दे इसलिए एक अच्छी शासन–व्यवस्था प्रशासनिक तंत्र को ठीक करने की दशा में यह सरकार पूरी तरह से कामयाब रही है। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जो गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के हितैषी थे राजनीति को एक नया दिशा, एक नया आयाम देने का जिन्होंने प्रयास किया था, जो गरीब को गरीब नहीं दरिद्र नारायण कहते थे और यह जो दरिद्र नारायण है यह हमारा ईश्वर है हमारा भगवान है, दरिद्र नारायण की सेवा करो तो भगवान की सेवा हो जाती है इसलिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बताये हुए रास्ते पर चलती हुई भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में और प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्हीं के विचारों पर आरूढ़ होकर भारतीय जनता पार्टी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छूने का काम कर रही है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय कहा करते थे कि यह जो अन्त्योदय, अन्त जिसका हो गया ऐसे लोगों का उदय, जब अन्त्योदय का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में हर मंत्रालय श्रीमान् मोदी जी के नेतृत्व में और हर मंत्रालय ठीक प्रकार से काम करते हुए पिछड़े, दलित का जिनका अन्त हो गया है ऐसे लोगों को उदय करने की दिशा में पूरी तरह से यह सरकार संलग्न है, प्रयत्नशील है। मान्यवर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी कहते थे शरीर, मन, बुद्वि, आत्मा यह जब तक चारो का विकास नहीं होगा समुचित विकास नहीं होगा, तब तक मानव परिपूर्ण पूर्ण मानव कहलायेगा नहीं। एकात्म मानववाद की दिशा और दशा को ठीक करने की दिशा में मानव के सभी अवयव ठीक प्रकार से काम करने चाहिए, उसका शरीर भी ठीक रहना चाहिए, उसका मन भी ठीक रहना चाहिए, उसकी बुद्वि भी ठीक रहनी चाहिए और आत्मा भी ठीक रहनी चाहिए और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र की भी और प्रदेश की भी बहुत सारी योजनायें विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो पूरी तरह से लोगों के शरीर को ठीक करने की दिशा में काम कर रही हैं। शिक्षा मंत्रालय सभी के मन और बुद्वि को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। एक तरह से कहें, तो पं0 दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती वर्ष पर उनको स्मरण करता हुआ पूरा मंत्रालय अपनी–अपनी योजनाओं को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे कि पुरुषार्थ चतुष्टय, सभी जो मानव है, वह इसलिये मानव है कि उसके अंदर बुद्वि है, उसके अंदर विवेक है, क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये, इसका विश्लेषण करने की उसकी सामर्थ्य है, शक्ति है। इस नाते अर्थ,

धर्म, काम, मोक्ष यह जो चतुष्टय हैं, चतुष्टय के आधार पर व्यक्ति के जीवन की संरचना होनी चाहिये। बाकी जितने भी दर्शन हैं इस देश में व विश्व में वे केवल काम और अर्थ तक अपने विचारों को सीमित करते हैं। लेकिन पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन दिया वह धर्म और मोक्ष, इस पर भी जोर दिया है और इसलिये यह सरकार ठीक दिशा में चल रही है और काम को भी सीमित मात्रा में और अर्थ को भी सीमित मात्रा में अपने पुरुषार्थ और बाहुबल के द्वारा उपार्जित धन ही कारगर होने चाहिये, पराये का धन हमारे लिये लोष्ठवत है 'मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्' और इसलिये इस दिशा में जो विचार संकलन करते हुये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, मुख्य मंत्री, मंत्री काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह सही दिशा में काम कर रहे हैं। बाकी दल के लोग अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं लेकिन हमारी सरकार और हमारा जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय का है, वह समाज और राष्ट्र को प्रमुखता देते हुये बनाया गया है इसलिये इस अभिभाषण की जितनी भी प्रंशसा की जाय, जितनी भी सराहना की जाय, वह कम है। यह अभिभाषण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास करने की गति को नया आयाम देगा। केन्द्र की बहुत सारी योजनायें जो लम्बित थी, जो इस उत्तर प्रदेश में आ गयी होतीं तो शायद चमत्कारिक परिणाम देने का काम करती, लेकिन इस प्रदेश में सरकार ऐसे लोगों की थी, उनको लगता था कि केन्द्र की योजनायें अगर उत्तर प्रदेश में लागू होंगी तो निश्चित रूप से इसका सारा श्रेय मोदी जी को जायेगा, इसलिये केन्द्र की योजनाओं को लागू नहीं किया गया। अब हर मंत्रालय केन्द्र की योजनाओं को लागू करते हुये नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। दो महीने में चमत्कारिक परिणाम सामने आया है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में दिखेगा। एक विकासशील प्रदेश के साथ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता दिखेगा। हर क्षेत्र में प्रगति होगी। यही बात करते हुये मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में लोहरैया से लेकर कुवानो नदी पर एक पुल की बहुत आवश्यकता है। यदि इस अभिभाषण में यह बात होती तो और ज्यादा बढ़िया होता। निश्चित रूप से अभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग तमाम प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी लोगों की गुण्डई चल रही है। 21 तारीख को मेरे ही क्षेत्र में नाथनगर ब्लाक की बैठक में 700–800 लोगों को समाजवादी पार्टी का जो ब्लाक प्रमुख है वह घेर कर पूरे ब्लाक के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर दिगपाल पाल सरीखे लोग थे उन लोगों को पूरी तरह से मारने की कोशिश की और हर प्रकार से पीड़ित करने की कोशिश की और एफ0आई0आर0 होने के बाद भी निश्चित रूप से जो कार्यवाही होनी चाहिये थी, वह नहीं हुयी। जहां पर भी अराजकता हो रही है, गुंडई–बदमाशी हो रही है माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक दिन इशारा किया था कि उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है निश्चित रूप से अब यह लोग संयम बरतें और यह मानकर चलें कि हम हार गये हैं और हारे हुये लोग अपने–अपने

मन–मस्तिष्क, शरीर को ठीक प्रकार से नियंत्रित करें तो निश्चित रूप से अमन–चैन का वातावरण जो खत्म हो गया है वह अपने आप ठीक हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

'श्री बजरंग बहादुर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज इस सदन के अन्दर कुछ दिन पहले जो उत्तर प्रदेश में नयी सरकार बनी, उस सरकार के बनने पर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण इस सदन के अन्दर दिया, मैं निश्चित रूप से आज इस सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश की जनता कराह रही थी। उत्तर प्रदेश की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों ने उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा करने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश के अन्दर गुण्डाराज कायम करने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश के अन्दर भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया और इस नाते जब 2017 का आम चुनाव आया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक संदेश दिया कि अब उत्तर प्रदेश में गुण्डाराज, अब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का राज नहीं चलेगा। उसके नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में प्रचण्ड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। मा0 अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिल सके, कैसे उत्तर प्रदेश के अन्दर खुशहाली आ सके, कैसे उत्तर प्रदेश के अन्दर जर्जर सड़कों की व्यवस्था सुधर सके, कैसे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो 15 सालों से बिजली देखने को नहीं मिलती थी लोग तरस गये थे, उस बिजली व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए इस राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें निश्चित रूप से लायी गयी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी मुख्य मंत्री ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कैसी सरकार होनी चाहिए, उस सरकार की कार्यपद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए। सरकार बने दो महीने हुए उत्तर प्रदेश की जनता को महसूस होने लगा कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं बदल गई हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई है, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के ऊपर यह दिखने लगा कि कोई ऐसी सरकार आई है जो प्रदेश में ईमानदारी से काम करना चाहती है, कोई ऐसी सरकार आई है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहती है। लोग मुख्य मंत्री का पद संभालते थे और संभालने के बाद बहुत सारे काम शुरू हो जाते थे लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने दो महीने के अन्दर इस सदन के सदस्यों को ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता को यह एहसास कराने का प्रयास किया है कि अब यह सरकार जनता की सरकार आ गई है, ऐसा प्रदेश भर की जनता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निश्चित रूप से महसूस कर रही है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे नेता योगी जी बने हैं उस दिन से योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर गतिशीलता प्रदान करने के लिए शाम छः बजे से रात एक बजे तक, दिन में, रात में हर तरफ विकास की बात, हर तरफ प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए अनवरत् भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। दो महीने पहले उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। उसको अगर ठीक करने का प्रयास किया है तो माननीय योगी जी ने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता को यह लगने लगा है कि अब कानून का राज दिखायी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सड़कों की जो स्थिति थी, वह हम नहीं बताना चाहते, पूरा प्रदेश जानता है कि 15 सालों में उत्तर प्रदेश में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकारों की झोलियां भरी गयीं। हमसे पहले जो सरकारें थीं चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो उन लोगों ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। इस नाते मैं कह रहा हूं कि लूटने का काम किया कि कहीं पर भी आम जनता को न्याय नहीं मिलता था। न्याय मिलने का कोई सवाल ही नहीं था, कुछ मुट्ठी भर लोगों के अन्दर न्याय की व्यवस्था समाहित हो चुकी थी, इसलिए आम विधायक हो, सांसद हो, जनता हो वह निश्चित रूप से न्याय नहीं पाती थी और इसी नाते मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, अपने सभी मंत्रि–मण्डल के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। 14 वर्षों के बाद किसी सरकार ने यह साहस दिखाया जो वर्षों पूर्व सड़कें बनी थीं, जर्जर हो गयी थी उसको कोई पूछने वाला नहीं था हमारी सरकार ने पहली बार निर्णय लिया कि नई सड़क नहीं बनेगी, काम चलेगा, लेकिन जो सड़कें जर्जर हैं उसको हम एक तय समय–सीमा के अन्दर ठीक करायेंगे। निश्चित रूप से कुछ प्रतिपक्ष के सदस्य अपने भाषणों के माध्यम से आरोप लगा रहे थे कि सरकार पक्ष–विपक्ष देख करके काम कर रही है। मैं कल ही इस भाषण को सुनने के बाद गया था, मैं कुशीनगर, महराजगंज और देवरिया जिनमें विपक्ष के तीन विधायक हैं और बाकी सत्तापक्ष के विधायक हैं। मैं यह जानकारी हासिल करने गया था सरकार किस तरह से विकास करना चाहती है। अगर बजरंग बहादुर सिंह के क्षेत्र में 04 करोड़ रुपये, 05 करोड़ रुपये सड़कों के गड्ढामुक्त के नाम पर, नवीनीकरण के नाम पर जा सकता है तो नौंतनवां विधान सभा में भी 4 करोड़ रुपये से ऊपर का सड़क देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्री बजरंग बहादुर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दिनों के बाद बोले हैं, दो मिनट समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष–

चुनाव में नहीं बोले क्या ?

श्री बजरंग बहादुर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने सड़कों को ठीक कराने का काम शुरू किया है। निश्चित रूप से मैं यह समझता हूं कि यह पहली बार हो रहा है और होना भी चाहिए था। हम भी इसके पक्षधर हैं कि नई सड़क न बने, जो प्रदेश में अब तक सड़कें बन चुकी हैं, उन सड़कों की जनता लाभ ले सके उस दिशा में निश्चित रूप से इस सरकार को काम करना चाहिए। (एक सदस्य द्वारा वक्ता के आगे से जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

बोलने वाले मा0 सदस्य के आगे से नहीं जाना चाहिए।

श्री बजरंग बहादुर सिंह–

बिजली के क्षेत्र में हमारी सरकार ने साहसिक निर्णय लिया। हम लोग विधायक थे, 30 तारीख जब आता था तो हमें शक्तिभवन आना पड़ता था मंत्री जी को एक पत्र थमाना पड़ता था कि मेरे क्षेत्र में बिजली का शिड्यूल 30 तारीख तक बढ़ा दीजिए। लेकिन हमारी सरकार ने मात्र 15 दिन के अन्दर, मैं मा0 ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं हमारी सरकार ने 15 दिन के अन्दर साहसिक निर्णय लिया, हम गांवों को 16 घण्टा, 18 घण्टा बिजली देंगें, तहसीलों को 20 घण्टा बिजली देंगे, जिला मुख्यालयों को 24 घण्टा बिजली देंगे। हम एक महीने से लगातार देख रहे हैं, कभी–कभी मजाक में हम लोग कह देते हैं कि चलो एक चीज से छुटकारा मिल गया कि अब तो जनता यह नहीं कहती है कि बिजली कब आयेगी ? लगातार जनता को बिजली मिलने का काम निश्चित रूप से हो रहा है। मैं इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वह क्षेत्र वास्तव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हमारे यहां पर सिंचाई मंत्री जी भी होंगे। हमारा राप्ती नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है, रोहिणी नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है और घोंघी नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या रहती है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं बाढ़ से बचाव कार्य के लिये फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र को भी देखने का काम करियेगा। दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र में दो बड़े पुलों की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष के लोग बैठे हैं, जो बड़ी–बड़ी बातें कर रहे थे, उनसे भी कहना चाहता हूं। मैं 2012 में विधायक था। उस समय माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। मैं उनसे मिला था इन दोनों पुलों की स्वीकृति उन्होंने स्वीकृत शब्द लिख कर दिया था और उसका इस्टीमेट भी आया था और वह पी0एफ0ए0डी0 से स्वीकृत भी हो चुका था लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अधिकारी बैठाये गये थे। सचिव मुख्य मंत्री का काम उस समय देख रहे थे शम्भू सिंह यादव। मैं उनके पास दौड़ता रहा लेकिन

उसकी स्वीकृति जारी नहीं हुई। मैंने प्रेस वार्ता भी कर दी थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने भी उस पुल की स्वीकृति के लिये प्रेस वार्ता कर दी थी लेकिन उन पुलों की स्वीकृति उस सरकार में नहीं हुई इस नाते माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि इन पुलों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगें। वहीं दूसरी तरफ फरेन्दा की शान, फरेन्दा की पहचान फरेन्दा शुगर मिल के नाम से थी। माननीय मंत्री जी हैं, मैं गन्ना मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। फरेन्दा की शुगर मिल एन0टी0पी0सी0 की शुगर मिल है इस नाते माननीय मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि उस मिल के नाम से बड़ी भारी सम्पत्ति है, बड़ी भारी मात्रा में सम्पत्ति है। वह मिल बन्द हो गई है। हम लोगों ने केन्द्रीय कपड़ा मंत्री से भी मिलने का काम किया था, उनसे भी आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश के साथ को–आर्डिनेशन बनाया जाय। उस को–आर्डिनेशन में यह तय किया जाय कि आप भारत सरकार की जमीन को वापस करके उत्तर प्रदेश सरकार को दें और उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से उस मिल को चलाने का काम करे। आज के अवसर पर इतना ही कहते हुए मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्रीमती सुषमा पटेल–

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया। कृपया इसे सम्मिलित कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि जिस प्रकार माननीय सांसदगणों को अपने संसदीय क्षेत्र के किसी एक गांव को गोद लेने की सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसी प्रकार सभी विधायकों को भी अपने विधान सभा के किसी एक गांव को विधायक आदर्श ग्राम के नाम से गोद लेने की योजना बनाई जाय। (सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप उनको अपने विचार व्यक्त करने दीजिये।

श्रीमती सुषमा पटेल–

साथ ही उस गांव में आधारभूत संरचना का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, कृषि विकास, तथा युवाओं, युवतियों के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जायं। महोदय, इससे प्रत्येक वर्ष लगभग 500 ग्रामों का समग्र विकास होगा और ग्रामीण जनता का विधायिका के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करती हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के पाण्डेय जी हैं, उनका नाम भी गया है। निवेदन है अगर समय दे दें तो समय की भी पूर्ति हो जायेगी और (सत्ता पक्ष के सदस्यो के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो काम हमारा है उसको आप काहे करते हैं। जो काम हमारा है उसको आप न करिये। जैसे आप समय ले रहे हैं तो उतनी ही देर में आप बोलेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह–

जितनी देर में बजरंग भाई ने बोला है उसके 1/10वें भाग में बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपका कहना है कि उन्होंने कम समय लिया है, यह बात सही है। जितना समय उन्होंने लिया है उतने में आप भी बोलें।

श्री उमाशंकर सिंह–

बस यही। बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष जी।

श्री रितेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया है और आदरणीय राज्यपाल के अभिभाषण पर मा0 नेता विरोधी दल के द्वारा रखे गए संशोधन पर बल देते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभिभाषण में एण्टी रोमियो स्कॉट के बारे में बात कही गई है। एण्टी रोमियो स्कॉट जहां एक हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थापित की गई है लेकिन मुझे लगता है कि एण्टी रोमियो स्कॉट कहीं न कहीं संविधान के अनुच्छेद–19 का घोर उल्लंघन है। जो कि एक नागरिक को यह ताकत देती है कि वह एक जगह से दूसरी जगह स्वतंत्रता से जा सके वहां पर स्वतंत्रता से बैठ सके, लेकिन हमने देखा है कि माननीय नेताओं द्वारा, हमारी सरकार द्वारा लाल बत्ती तो हटा दी गई है लेकिन वह लाल बत्ती किसी और कलर में लोगों के गले में जाकर फंस गई है। उसको आप देखते हैं वीडियों भी वायरल हो रखे हैं लोग पार्कों में पहुंच जाते हैं लोग वहां पर बैठे होते हैं, महिलायें अपने परिवारजनों के साथ बैठी होती हैं चाहे वह भाई हो चाहे पिता हो, चाहे कोई युवा जोड़ा हो तो देखा जाता है कि यह लोग लाल बत्ती गले में लटका करके, लोगों को पार्कों में दौड़ा ले रहे हैं इससे कहीं न कहीं संविधान के अनुच्छेद–19 का घोर उल्लंघन हो रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो मॉरल पुलिसिंग हो रही है यह जो मॉरल पुलिसिंग एण्टी रोमियो स्कॉट द्वारा की जा रही है यह जनता में पूरी तरह से अराजकता फैला रही है। आप देख रहे हैं कि लोग खुद को मॉरल पुलिस समझ करके और जनता के बीच में जा करके उसको परेशान करने का काम किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी मैं इस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे संविधान में जो हमको राइट दी गई हैं उसको कहीं न कहीं आपके संरक्षण की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, क्रय केन्द्र के बारे में कहा गया था, क्रय केन्द्र के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी अपने क्षेत्र के बारे में एग्जाम्पिल के रूप में देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में जो क्रय केन्द्र खोले गए हैं मैं उनमें से दो पर गया था। यह बहुत अच्छी योजना है बहुत सारे क्रय केन्द्र होने चाहिए और खासतौर से गरीबों को वहां अपना अनाज देने की सुविधा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

जब आप वहां गए तो क्या मिला।

श्री रितेश पाण्डेय–

जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि एक महीने में मात्र 33 लोगों का ही अनाज वहां पर आया और उससे ज्यादा लोगों का नहीं आया। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार गरीबों को प्रोत्साहन देने का काम करे वहां पर वह आयें और अपना अनाज दें ऐसा न हो कि लोगों के वहां पहुंचने पर उन लोगों को कोई कमियां निकाल कर चाहे वह नमी की बात हो, चाहे क्वालिटी की बात हो, वहां से गरीबों को जो भगाने का काम किया जाता है खासतौर से जो वहां पर आढ़तिया होते हैं पूरी तरह से पूरी मजबूती से अनाज वह लाकर देने का काम करते हैं इसको भी रोकने का काम किया जाए। तीसरा बेसिक शिक्षा को लेकर मेरा सुझाव है उसको भी ले लिया जाए, बेसिक शिक्षा में जब लोग स्कूलों में पहुंचते हैं ड्रेस लेने के लिए और मिड–डे–मील पाने के लिए इससे हमें क्रिटिकल थिंकर्स नहीं मिलते हैं यहां पर सदन में आने के बाद क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष–

आपका सुझाव क्या है।

श्री रितेश पाण्डेय–

इसमें हमको यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे युवा हैं उनके अन्दर किस तरह से हम क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करें ना कि सिर्फ रट्टा पाठ पढ़ाने का प्रयास करें और जो चीज हिस्ट्री में नहीं है उसको कहीं न कहीं बाहर से दिखा करके खासतौर से धर्मों में पेश करके उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा आखिरी सुझाव यह है कि हम लोगों ने देखा था किसी अभिभाषण में सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक धर्म विशेष की बात रखी गई है और यह कहीं न कहीं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और अनेकों धर्म के लोगों की, उनकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, तो कहीं एक धर्म को लेकर हम अपने सेक्यूलर ढांचे को तोड़ने का काम न करें। बल्कि सेक्यूलर ढांचे को और मजबूत करने के लिए इसमें और भी धर्मों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको भी लेने

का काम करें। मैं एक बार पुनः मा0 नेता प्रतिपक्ष की बातों पर बल देते हुए धन्यवाद देता हूं।

श्री तेजेन्द्र निर्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा है इसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बहुत समय बाद शायद कोई ऐसा अभिभाषण होगा जिसमें साफ नीयत से सरकार काम करना चाहती है यह इससे परिलक्षित होता है और शायद यही विपक्ष की पीड़ा का कारण है उन्हें लगता है कि सरकार साफ नीयत और स्पष्ट नीति के साथ काम करना चाहती है। इसीलिए विपक्ष को यह पच नहीं रहा है। प्रशिक्षण के दौरान मैं सोच रहा था माननीय नेता विपक्ष का अभिभाषण भी हमने सुना कि इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी लेकिन वह अभिभाषण में कुछ भी नहीं ढूढ पाए केवल एक प्रिटिंग की त्रुटि जिसमें तारीख बदल गई केवल एक त्रुटि ढूंढ पाए पूरे अभिभाषण में बाकी सब चीजें वह अभिभाषण से हटकर ही बोलते रहे। वह इसमें कोई बिन्दु नहीं निकाल पाए यह सरकार के अभिभाषण से स्पष्ट होता है कि यह सरकार अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करना चाहती है। वह पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसी स्थाई व्यवस्था देना चाहती है जो विकासोन्मुख हो और उससे हर वर्ग को जाति और धर्म से ऊपर उठकर लाभ मिल सके। सरकार के अभिभाषण से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सरकार किसान, मजदूर, गरीब, कमजोर, असहाय लोग, महिला, छात्र सभी के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प है और भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक पारदर्शी प्रशासन देना सरकार का उद्देश्य है। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि प्रदेश में कानून का राज हो अभी अपने भाषण के दौरान बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा और सरकार के इकबाल पर बहुत सवाल उठाए मुझे नहीं याद है मेरे से बहुत पुराने सदस्य यहां होंगे मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि इकबाल का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि इधर माननीय मुख्य मंत्री योगी जी के मुंह से वाक्य निकलता है वह 15 मिनट के अन्दर उत्तर प्रदेश में कानून बन जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह उससे अलग हटकर बोले। यह इकबाल की पराकाष्ठा है कि योगी जी का वाक्य निकलते ही सुबह अधिकारी बैठे मिलते हैं। इकबाल का इससे बड़ा उदाहरण विपक्ष ने दिया है मैं आपकी ही तरफ बता रहा हूं मेरे दूसरे मा0 सदस्य ने भी चिन्ता जाहिर की है एण्टी रोमियो स्क्वाड पर, यह चिन्ता अपने आप बताती है कि एण्टी रोमियो स्क्वाड कितना अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा एक और उदाहरण इस सदन में पेश हुआ एक माननीय सदस्य ने अभिभाषण के दौरान सीटी बजाई, परन्तु यदि वह हजरतगंज के चौराहे पर सीटी बजाते तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती इसीलिए सदन के अन्दर आकर उन्होंने सीटी बजाने का काम किया यह सरकार का इकबाल है कि माननीय सदस्य अन्दर सीटी बजा सकते हैं बाहर उनकी भी हिम्मत नहीं है। अगर हो तो वह सीटी बजाकर दिखाएं उन्हें पता चलेगा कि सरकार का इकबाल क्या है। एक

इकबाल वह था कि जब खुद दुराचारी मंत्री पाक्सो जैसे आरोपों में आरोपित होने के बाद भी मंच पर माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ बैठे हैं और पुलिस उन्हें ढूढ रही थी लेकिन वह मिल ही नहीं रहे थे मुख्य मंत्री रोज कहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी होगी लेकिन वह मुख्य मंत्री जी के साथ मंच पर बैठकर भाषण दे रहे थे। एक इकबाल वह था सोच में कितना अन्तर है हम पंडित दीन दयाल जी के अनुयायी हैं हमारे नेता मोदी जी कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए काम करना है तो अपने सिलेण्डर की सब्सिडी छोड़ दो। ईमानदारी से काम करो और हम आगे बढ़कर सब्सिडी छोड़ने का काम भी करते हैं। एक नेता वह हैं और एक विचारधारा यह है कि आप नाम तो लोहिया जी का लेते हैं अन्य आदर्शवादी नेताओं का नाम लेते हैं लेकिन मौज उड़ाते हैं सैफई में जाकर, वहां पर नाच देखो और वहां पर अपना जन्म दिन मनाओ वो भी 100–100 करोड़ रुपए खर्च करके दोनों की विचार धारा में और काम करने में कितना मूलभूत अन्तर है मान्यवर, इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। यह लोग हम पर अक्सर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, इस पूरे अभिभाषण में कहीं ऐसा बिन्दु नहीं कि कोई कह सके कि यह वर्ग हमसे अछूता रह गया। पटरी पर बैठने वाले से लेकर धोबी का काम करने वाले से लेकर सभी जाति सभी वर्ग के लोगों के लिए योजना बनाई गई है हम उनके लिए काम करना चाहते हैं हम हर जगह जहां व्यक्ति पीड़ित है उस क्षेत्र में जाकर काम करना चाहते हैं। अभी मुझे ऊर्जा मंत्री जी की तरफ देखकर याद आया उन्होंने योजना बनायी है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों को पूरे 24 घण्टे बिजली मिल सके, यह बहुत संवेदनशीलता के साथ उठाया गया कदम है और यह इस बात का भी उदाहरण है कि हम गरीब आदमी को लेकर कितने संवेदनशील हैं। हम पर तुष्टीकरण के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, लेकिन हमारे अभिभाषण में साफ है कि हमारी कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी वर्ग विशेष के लिये हो या किसी जाति विशेष के लिये हो। जहां तक अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की बात है तो उन अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में भी हम चाहते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक बन्धुओं के बच्चे भी उच्च से उच्च शिक्षा ले सकें, अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकें, जिसके लिये वहां पर सेन्ट्रल स्कूलों की तर्ज पर राजकीय विद्यालय बनाने की योजना इसमें है। अभी तक का क्या था कि सरकारें भाषण देती थीं और सुशासन के नाम पर चर्चा बहुत होती थी, लेकिन उसका एक्जीक्यूशन नहीं होता था जिससे घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन में काफी अन्तर रह जाता था। परन्तु सरकार चाहती है कि आम आदमी को वहीं पर डी0एम0 और एस0पी0 मिल सकें और समय के अन्दर ही उन्हें वहीं जिले में ही न्याय मिल सके, बिना वजह उन्हें लखनऊ या अन्य किसी जगह के चक्कर न लगाने पड़ें।

मान्यवर, इस अभिभाषण में लोगों की मूल समस्याओं को लेकर चाहे भोजन की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, चाहे स्वच्छता की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, सभी का सन्दर्भ लिया है और सभी के बारे में कोई न कोई अच्छी व कारगर योजना बनाकर सामने लाए हैं और शायद इसीलिये विपक्ष

को इससे दिक्कत हो रही है कि कहीं अगर यह योजनाएं जमीन पर आ गईं तो क्या होगा। बुन्देलखण्ड जैसा पिछड़ा क्षेत्र जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं था, उसके बारे में एक बहुत बड़ी योजना सरकार लेकर आई है और वह योजना जमीन पर दिखाई भी दे रही है।

मान्यवर, मेरे बहुत से बन्धु किसानों से संबंधित सारी योजनाओं के बारे में बता चुके हैं, चाहे गेहूं क्रय की बात हो, चाहे आलू क्रय की बात हो और आलू की खरीद तो पहली बार ही हुयी है। 06 कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए हैं ताकि नयी तकनीक, बीज और बहुत सारी जानकारी किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिये मिल सके। 20 जिलों में 20 कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा रहे हैं ताकि कृषि शिक्षा को बढ़ावा मिले, कृषि प्रसार को बढ़ावा मिले, उस पर नया शोध चलता रहे और किसान की आमदनी बढ़ती रहे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री तेजेन्द्र निर्वाल–

मान्यवर, मैं समापन की तरफ ही बढ़ रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं बताना चाहूंगा। मेरा जिला शायद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम अभिभाषण में आया है। खुले में शौंच से मुक्त अगर कोई जिला है तो वह शामली है। मेरा जिला इसमें प्रथम आया है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र शामली में सबसे बड़ी समस्या जाम की है। उस छोटे से कस्बे से होकर 06 बड़े हाई–वे गुजरते हैं और उसको लोग जामनगरी कहने लगे हैं। बाईपास का काम पिछली सरकार में पांच साल पहले पास हो चुका था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं शुरू हो सका, क्योंकि उस सरकार को उस क्षेत्र में वोट नहीं मिले। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि उस बाईपास पर काम शुरू कराया जाए।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र दंगा पीड़ित क्षेत्र है, वहां पर हजारों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमें लिखाये गये, वह पढ़ने वाले बच्चे थे मुकदमों से उनका भविष्य बरबाद हो गया। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर सरकार कोई इंजीनियरिंग कालेज, कोई मेडिकल कालेज खोल रही है तो इस क्षेत्र को भी उसमें प्राथमिकता देते हुये मेरे क्षेत्र में उसकी अनुमति प्रदान की जाए और एक इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज खुलवाया जाए। मेरे क्षेत्र की जो बहनें हैं उनके लिये कोई राजकीय विद्यालय नहीं है और अगर है भी तो ऐसी जगह पर है कि वहां पर जाना–आना बहुत मुश्किल काम है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज खोला जाए। यह केवल इसलिये नहीं कि मेरा जिला खुले में शौंच से मुक्त है, बल्कि इसलिये ताकि अन्य जिले भी इससे शिक्षा ले सकें। मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ था और उस अभिभाषण को देख कर और पढ़ कर मैं उसका पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, आपकी यह सभी मांगे औचित्यपूर्ण हैं, आप मा0 मंत्री जी को लिख कर दे दीजियेगा।

'श्री भूपेश चौबे–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन का पूरा ध्यान एक विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा 403 अंकों में गिनी जाती है और हमारा जनपद सोनभद्र जहां पर 403 क्रमांक का विधान सभा क्षेत्र है मैं उस अन्तिम छोर के जिले से आता हूं और इस सरकार का संकल्प है कि अन्तिम व्यक्ति का उत्थान और इसलिये राज्यपाल जी के इस अभिभाषण में सर्वांगीण विकास, सबका साथ, सबका विकास का जिक्र है इसीलिये मैं पूरी तौर पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूं, लेकिन कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कि जहां सोनभद्र जनपद अन्तिम छोर पर स्थित है, वहीं उस जनपद को पूरे देश में दो चीजों के लिए जाना जाता है, पहला पूरे भारत में ही नहीं दुनिया का सबसे पुरातन फासिल्स यदि है तो सोनभद्र के सलखन में स्थित है, लेकिन उस पर अभी तक किसी सरकार का ध्यान नहीं गया, उसकी पहचान भारत के स्तर पर नहीं लाई गई, जबकि अभी तक अमेरिका स्थित उस फासिल्स पार्क की चर्चा होती है, उससे पुराना फासिल्स हमारे भारत में स्थित है और वह भी सोनभद्र के सलखन में। दूसरी पहचान जो भारत के लिए दृष्टिगत है कि यह जनपद ऐसा जनपद है जो चार राज्यों से जुड़ा हुआ है और पांचवे राज्य का वह स्वयं हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का वह सोनभद्र जो झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से जोड़ने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र है जो कि के0बी0सी0 का भी क्यूशचन रहा है। इसलिये सोनभद्र के ऊपर विशेष ध्यान इस पीठ का रहे इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सोनभद्र जनपद जहां बहुत जल का संकट होने के साथ–साथ जल का भण्डारण भी है। यहां रिहन्द डैम है, धंधरौल का डैम है और नगवा का डैम है, ओबरा का डैम है और पांचवा डैम तनहर परियोजना के तहत तैयार होने की स्थिति में है। लेकिन मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी जो महामहिम राज्यपाल के उद्बोधन में भी है, इस पत्र में भी कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सोनभद्र जनपद चयनित है इसके लिए मैं कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ दो बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि धंधरौल का डैम जहां पर उस डैम में 4600 मिलियन घन फुट पानी संचित करने की क्षमता है, उससे 430 किलोमीटर लम्बी नहरों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन धंधरौल बांध का पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा जहां एक तरफ डेढ़ सौ हेक्टेयर जमीन और दूसरी तरफ सवा सौ हेक्टेयर जमीन असिंचित पड़ी हुई है। महोदय, जहां साढ़े चार सौ किलोमीटर नहरों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से बारह हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करते हैं, वहीं पास में दीपक तले अंधेरा है, पूर्वी छोर पर सौ हेक्टेयर और पश्चिमी छोर पर लगभग डेढ़ सौ हेक्टेयर भूमि असिंचित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर भी आकृष्ट कर दीपक तले अंधेरे को बुझाने का काम किया जाये, वहां पर किसानों के साथ न्याय किया जाये। वहीं जहां नगवां का डैम है जहां 3645 मिलियन घन फुट पानी संचित करने की क्षमता है लेकिन उसके आस–पास के लगभग 63 गांवों को असिंचित होते देखना हम लोगों के लिए शर्म का विषय है, इसलिये थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाये। इन चीजों में मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं क्योंकि अभी हमारा जिला जनजातीय बाहुल्य भी है, जनजातियों के विकास के लिए कौशल विकास के तहत यह बीस नम्बर और इक्कीस नम्बर पर विशेष रूप से तमाम जिलों का नाम उद्वृत है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा भी जिला जनजातीय बाहुल्य है तो कौशल विकास योजना के अन्तर्गत विशेष योजना के तहत इसे रखा जाये। साथ ही साथ आश्रम पद्धति विद्यालय के तहत वहां भी कुछ विद्यालय संचालित हैं, उस विद्यालय को भी उच्चीकृत करने की जो सरकार की योजना है, उसके साथ हम सब सोनभद्र के लोग गौरवान्वित हैं। साथ ही साथ कोन क्षेत्र में आश्रम पद्धति विद्यालय एक और स्थापित होगा तो उस क्षेत्र के गरीब आदिवासियों का भला करने में हम सबको सुविधा होगी। उस क्षेत्र में एक पर्यटन का बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि पर्यटन के विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि रोजगार भी देता है और हमारी पहचान भी बढ़ाता है और हमें गौरव का भान भी कराता है। इसलिए सोनभद्र एक ऐसा जनपद है कि जहाँ जब सब जगहों का टूरिस्ट प्लेस बन्द होता है बरसात के दिनों में, तो सोनभद्र की प्राकृतिक छटाएं इस प्रकार से खिलती हैं कि वहां का पर्यटन उस समय चल सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए यह एक अवसर होगा उत्तर प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा यदि सोनभद्र को पर्यटन क्षेत्र के लिए विशेष प्राथमिकता के आधार पर चुना जाए। हमारे क्षेत्र में एक भूमि समतलीकरण स्कीम की भी बहुत जरूरत है पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते, इसलिए भूमि समतलीकरण के लिए भी उस दिशा में यदि हम सब काम करेंगे तो एक अच्छा अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल दीजिए।

श्री भूपेश चौबे–

धन्यवाद प्रस्ताव देने के साथ–साथ ही मैं यह कह रहा हूँ कि जो हमारे क्षेत्र की बड़ी ज्वलंत समस्याएं हैं कुछ विषय इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ मैं जुड़वाना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारा जिला ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है वहां से बिजली का बहुत उत्पादन होता है। बिजली मंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सौनभद्र से बिजली पैदा होती है इसलिए सौनभद्र के ऊपर विशेष ध्यान दें। सब जगह 18 घंटे और 20 घंटे दिया जा रहा लेकिन हम यदि पैदा करते हैं तो यदि हम मां के

रूप में हैं तो थोड़ा मुझे सोंठ–सुठौरा अधिक दिया जाए। ऐसा मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं आप उनसे मिल लीजिएगा (हंसी के ठहाके)।

श्री भूपेश चौबे–

जी मैं मिला भी हूँ, उनसे निवेदन भी किया है। उनकी विशेष कृपा भी है हमारे जिले में। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय का विशेष सुधार भी दिख रहा है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और, जो तमाम हॉस्पिटल खोलने की बात है दो हॉस्पिटल खोलने का आग्रह हमने भी किया है यदि इसमें जुड़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि हमे काफी दिनों से यह मन में शौक था कि कभी इस गुम्बद में आकर के बैठने का अवसर मिले। जब सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते थे, पुलिस लाठी बरसाती थी तो हम लोग भी सोचते थे कि चलो एक दिन इस सदन में आएंगे तो अपनी बात रखेंगे। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जब पहला दिन महामहिम का अभिभाषण चल रहा था तो जिस प्रकार से सीटी बजायी जा रही थी तो मैं अपने विपक्ष के नेता बड़े आदरणीय हैं मेरे जिले के प्रभारी रहे हैं तो कल उनकी एक टिप्पणी मुझे बड़ा आहत कर रही थी, क्योंकि उनकी बातों से मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ मेरे जिले में जब गये तो व्यक्तिगत मिलकर के उनके भाषणों के बारे में मैंने सीखने का प्रयास किया। लेकिन, कल जब इन्होंने कहा निरीक्षण, औचक निरीक्षण तो मैं आहत हुआ। क्योंकि जब आप प्रभारी मंत्री के बीहॉफ पर जाते थे तो अधिकारी दूसरी व्यवस्थाओं में व्यस्त होते थे कि मंत्री जी आ रहे हैं उनकी आओ भगत करना है उनकी व्यवस्था करनी है। लेकिन, जब हमारी प्रभारी मंत्री अर्चना पाण्डे जी गयीं तो अधिकारी व्यस्त था कि हास्पिटल साफ हो कहीं कोई गंदगी न मिल जाए। स्कूल चले समय से यह दबाव हमारे मंत्री जी के औचक निरीक्षण से है और आप जब निरीक्षण में जाते थे प्रभारी मंत्री के नाते दौरा करते थे तो अधिकारी दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते थे। मान्यवर एक बात कहके निवेदन के साथ कि यदि विपक्ष ने जिस प्रकार से उस दिन सीटी बजाई भारत में एक बड़ा अभियान चल रहा है स्वच्छता अभियान का तो अगर एक सीटी अपने–अपने क्षेत्रों में बजाते तो शायद अपने गांव को स्वच्छ करने तथा अपने क्षेत्र की जनता को स्वस्थ रखने में अपना योगदान करते। इस पूरे निवेदन के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए क्योंकि अंतिम जिले से मैं आता हूँ सरकार की जो यह मंशा है ''सबका साथ–सबका विकास'' यह महामहिम के अभिभाषण में है, इसके प्रति मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नितिन अग्रवाल जी हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, वह बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री हरिओउम यादव जी बोलें।

श्री हरिओउम यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में जब यह दस्तावेज हमने पढ़ा तो यह महसूस हुआ कि यह वास्तव में झूठ का पुलिन्दा है। इस अभिभाषण में जो बातें कही गयी हैं उसमें किसानों को छला गया है, किसानों के साथ धोखा हुआ है और सबसे बड़ा धोखा हुआ है पिछड़ों के साथ। इसमें कहीं भी पिछड़ों के उत्थान का जिक्र नहीं है। जो किसानों के ऋण माफी की बात है उसमें किसानों के साथ क्रूर मजाक किया गया है। जब भाषण हुए थे तब देश के प्रधानमंत्री जी ने मंचों से कहा था कि किसानों के सम्पूर्ण कर्जे माफ करेंगे। तब कहीं जिक्र नहीं था कि हम फसली ऋण माफ करेंगे। जब कर्जा माफी की मीटिंग हुयी तो उसमें एक शर्त लगा दी गयी कि 31 मार्च 2016 तक के कर्जे माफ किये जायेंगे। जो किसान लोग हैं वह जानते हैं कि 31 मार्च तक जो किसान फसली ऋण लेते हैं उनका रिन्युअल करा लेते हैं। 31 मार्च तक किसी किसान पर फसली ऋण बकाया नहीं रहता है। वही किसान रह जाते हैं जिन्हें ऋण देना नहीं होता या दोबारा ऋण लेना नहीं होता। जब 31 मार्च तक ऋण रिन्युअल नहीं होगा तो आगे किसान को फसली ऋण नहीं मिल सकता। बहुत से विधायक किसान परिवार से आये हैं यह लोग जानते हैं। इसलिए किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है और नारा था किसान का और नौजवान का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों के साथ धोखा किया किसान के साथ और नौजवान के साथ। इसलिए मान्यवर, मैं इस अभिभाषण के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस देश में अगर किसानों की किसी ने बात रखी है तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने रखी है। हिन्दुस्तान में अगर किसानों के ऋण माफ करने का फैसला किसी ने लिया था तो सन् 1990 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने लिया था और उसके बाद किसानों के दुर्घटना बीमा का अगर किसी ने फैसला लिया था तो समाजवादी नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लिया था। एक लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा किसानों को देने का काम समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया था और सन् 2012 में उस दुर्घटना बीमा की राशि को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के तत्कालीन नौजवान मुख्य मंत्री ने, 01 लाख से 05 लाख बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया था तो हिन्दुस्तान में अकेले उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था। यह किसानों की बात करते हैं, हम उस क्षेत्र से चुनकर आते हैं जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है। सिरसागंज विधान सभा ऐसी है, जिसमें पूरे देश के सबसे अच्छे आलू का उत्पादन होता है, जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज में होता है। माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर कम से कम डेढ़ सौ, दो सौ कोल्ड स्टोरेज हैं और पूरी आलू की बेल्ट है–आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और

कानपुर तक लेकिन आलू किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। क्या क्रूर मजाक किया गया किसानों के साथ कि आलू का भाव 487 रुपया कुन्तल, सवा दो सौ रूपये एक कट्टे पर खर्चा आता है, 50 किलो का कट्टा होता है।

(सत्तापक्ष के एक सदस्य के कुछ बोलने पर)

श्री हरिओउम यादव–

यह हमारी नीति के कारण नहीं हुआ है, वह आपकी नीति से, नोटबन्दी की वजह से पूरा आलू फेंका गया, अगर देश के किसानों को किसी ने बर्बाद किया है तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री ने बर्बाद किया है।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री हरिओउम यादव–

सुनने का साहस रखिए, अध्यक्ष जी, जो आलू 800 रुपये कट्टा बिक रहा था, 1600 रुपये कुन्तल बिक रहा था और नोट बन्दी के आने के बाद वह आलू 200 रुपये कुन्तल किसी ने नहीं खरीदा। कई कोल्ड स्टोर मालिक यहां बैठे हैं और बहुत से आलू उत्पादक भी बैठे हैं। मेरे जनपद के कई विधायक हैं जो आलू पैदा करते हैं।

(एक मा0 मंत्री के कुछ कहने पर)

श्री हरिओउम यादव–

क्या कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष–

आज हमारी बात सुनिए।

श्री हरिओउम यादव–

मान्यवर, वह हमारे जनपद के मंत्री हैं, हमारे साथी हैं, पुराने। पहले हमारे ही साथ थे, उधर चले गये।

श्री अध्यक्ष–

क्या आपको तकलीफ है कि आपके साथी होकर उधर चले गए ?

श्री हरिओउम यादव–

हां, मान्यवर, तकलीफ है।

(हंसी)

श्री हरिओउम यादव–

और मान्यवर, इसलिए तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष–

कि मंत्री हो गए वह ?

श्री हरिओउम यादव–

मान्यवर, इसलिए तकलीफ है कि कैसा झूठ बोलकर सत्ता में आए। चार–चार मुख्य मंत्री बना दिए। हमारे क्षेत्र में एस0पी0 सिंह बघेल को मुख्य मंत्री घोषित कर दिया, पूर्वांचल में मौर्या जी जो पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री हैं, उन्हें मुख्य मंत्री घोषित कर दिया, चार–चार मुख्य मंत्री घोषित कर दिए और हमारा सब बैकवर्ड इन्हीं के नाम पर चला गया, (हंसी) और पश्चिम में लक्ष्मीकान्त बाजपेयी को घोषित कर दिया (हंसी), अध्यक्ष जी, वोट ले लिया इनके नाम पर, हमारा पूरा बघेल आगरा, अलीगढ़ मण्डल का बीजेपी में चला गया कि एस0पी0 सिंह मुख्य मंत्री बनेंगे, चला गया उधर, कुशवाहा और मौर्या भी चला गया। यहां बड़ी इज्जत थी, लौट कर यहीं आ जाओगे, बढ़िया रहोगे, आपका सब वोट ये लोग ले लिए झूठ बोल करके, अगर झूठ बोलना कोई सीखे खूबसूरती से तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। साम्प्रदायिकता के नाम पर, क्या हम लोग हिन्दू नहीं है ? असत्य बोल–बोल करके सत्ता में आ गए। मान्यवर, अभी तो इन्होंने देश में धार्मिक उन्माद फैलाया है और अब यह जातीय उन्माद फैला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इशारा राम गोविन्द जी की तरफ कर रहे है। (हंसी)

श्री हरिओउम यादव–

मान्यवर, मैं किसानों की समस्या पर बोल रहा था। किसानों के नाम पर जीत कर आए हैं, किसानों की बात सुनो। अगर इस देश में किसी ने किसानों की लड़ाई लड़ी है मान्यवर, तो देश में दो ही नेता पैदा हुए हैं, एक मा0 चौधरी चरण सिंह और दूसरे आदरणीय मुलायम सिंह यादव।

(सत्तापक्ष की तरफ से श्री अखिलेश यादव का नाम लेने पर)

श्री हरिओउम यादव–

हां, अखिलेश यादव जी, अगर किसी ने सबसे ज्यादा किसानों का काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। अगर सबसे ज्यादा किसानों का काम किसी ने किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है, अखिलेश यादव उस महान पिता के महान पुत्र हैं, अखिलेश यादव इस देश के भविष्य हैं, किसानों के भविष्य हैं। आप लोग असत्य बोल कर के सत्ता में आ गए, जनता को गुमराह कर के आ गए, जनता दो महीने में ही कराह गई है। मान्यवर, अपराध की सारी सीमाएं टूट गई हैं, ऐसे अपराध कभी नहीं हुए जो दो महीने में हुए हैं। मान्यवर, अपराध चर्म सीमा पर है, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जांचों के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, सामने आ जायेगा सब, डराया जा रहा है, एक्सप्रेस–वे की जांच हो रही है, हम तैयार हैं जांच के लिए, हमारी पार्टी तैयार है जांच के लिए, लेकिन ऐसा एक्सप्रेस–वे दूसरा बनाकर दिखा दो तब जानें। जो अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस–वे बनाया है, वैसा बनाकर दिखा दो, तुममें अगर हिम्मत है तो 40 प्रतिशत भूमि एक्वायर कर गये हैं अखिलेश जी, ऐसा एक्सप्रेस–वे बनाकर दिखाइये बलिया का। बातों से काम नहीं चलेगा, काम कर के दिखाइये।

मान्यवर, जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली मंत्री बैठे हैं यह हमारे पड़ोसी हैं मथुरा से हैं, सदन को गुमराह मत करिये, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं हमारा बगल का जिला है हमारे मण्डल के हैं ये 18–20 घण्टे की बात कर रहे हैं टी0टी0 जोन है आगरा और हमारा आधा टुण्डला विधान सभा मा0 मंत्री जी का है, बता दें यह ईमानदारी से टुण्डला में कितनी बिजली आ रही है देहात में। दस घण्टे, बारह घण्टे भी नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब आप समाप्त करें, सब लोग 5–5 मिनट बोल रहे हैं, आप बोल गये हैं सात–साढ़े सात मिनट। आप वरिष्ठ हैं, आप अपनी बात बिल्कुल संक्षेप में होम्योपैथिक की तरह कह दीजिए।

श्री हरिओउम यादव–

मान्यवर किसानों के हित में भी नहीं बोलने देंगे, यह सदन जनता के हित के लिए है। मान्यवर, आलू किसानों के साथ इन्होंने क्रूर मजाक किया है। किसानों के साथ धोखा किया है। आलू किसानों के 20–25 जनपद ऐसे हैं जो पूरा आलू की बेल्ट है, लेकिन आलू के लिए इनकी कोई योजना नहीं है। पूरे दस्तावेज में बतायें, कहीं आलू किसान की कोई योजना है, आलू किसानों के साथ क्रूर मजाक किया गया है, 487 कुन्तल तो बीज भी नहीं पड़ता उसका।

पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह बघेल)–

अब आलू फिकेंगे नहीं और अब किसान आत्महत्या भी नहीं करेंगे, कुछ व्यवस्था की है, पहली बार की है। पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राईज पर खरीदा गया है।

श्री हरिओउम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, इनसे पूछ लीजिए इन्होंने कहां स्टोर बनाये हैं, कहां खरीदा जा रहा है, कहां व्यवस्था की है, कितना असत्य बोलते हैं यह, पूरे प्रदेश में कहीं भी एक कुन्तल आलू खरीदा हो तो यह सदन में बतायें, यह किसानों को कितना गुमराह करेंगे, कितना असत्य बोलेंगे। यह असत्य बोल कर सत्ता में आये, जनता सबक सिखा देगी, 2022 में 23 भी नहीं आओगे, उससे पहले 2019 में ही आपको पता लग जायेगा, इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यह किसानों के साथ मजाक न करें। किसानों की आलू की उपज का मूल्य ठीक–ठाक करायें और किसानों के साथ अन्याय न करें। मान्यवर, हम लोग किसानों की लड़ाई और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में आये हैं, इन्होंने पिछड़ों के साथ धोखा किया है। इन्हीं शब्दों के साथ नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

'श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बात के लिए आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया।

एक माननीय सदस्य–

मान्यवर, जैमर लगे होने के बाद भी मोबाइल पकड़ता है, यहां लगातार मोबाइल बज रहे हैं, जैमर काम नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मोबाइल लेकर यहां नहीं आना चाहिए, मैं तो नहीं लेकर आता हूं। मोबाइल पर चर्चा नहीं होगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी।

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी–

महोदय मैं उन 238 विधायकों में से एक हूं जो पहली बार जीत कर इस सदन में आये हैं। मैं आदरणीय योगी जी की सरकार के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की 22 करोड़ जनता को एक आत्तायी सरकार से मुक्ति दिलाई और गुण्डा राज का खात्मा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय योगी जी की सरकार के नेतृत्व में यह प्रदेश उत्तरोत्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और यह सरकार सबका साथ सबका विकास के अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब होगी। प्रदेश सरकार द्वारा अपने किये वादे के अनुसार प्रदेश में 86 लाख किसानों का एक लाख तक का फसली ऋण माफ करने का जो कार्य किया गया है, उसके लिए मैं सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे की निर्वाध विद्युत आपूर्ति के निर्णय और निर्वाध विद्युत आपूर्ति करने के भी सरकार के निर्णय के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूं। शहरी क्षेत्रों में ट्रान्सफार्मर जब खराब होता था, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण हो हफ्ते–हफ्ते 10–10 दिनों तक ठीक नहीं किये जाते थे लेकिन सरकार ने पहली बार यह निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रान्सफार्मर को 24 घण्टे में और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रान्सफार्मर को 48 घण्टे में बदलने का कार्य किया जायेगा। सरकार के इस निर्णय के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं बांदा से जिसके सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि किसान कर्ज माफी को एक समान लघु और सीमान्त मानकर के कर्ज माफी की कार्यवाही की गयी। बुन्देलखण्ड में 1971 का जो सीलिंग एक्ट है, प्रदेश के अन्य जनपदों की वनस्पति बुन्देलखण्ड के सातों जनपदों में ढ़ाई गुना जमीन ज्यादा है। जैसे 18 एकड़ अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में है तो 45 एकड़ तक बुन्देलखण्ड का एक किसान अपने यहां रख सकता है लेकिन जो लघु और सीमान्त का जो मानक है वह प्रदेश में एक है। बुन्देलखण्ड की जमीनों की पैदावार उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की जमीनों की पैदावार में ढ़ाई गुना कम है मैं इस सदन के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि

पैदावार के हिसाब से जिस प्रकार सीलिंग एक्ट में ढ़ाई गुना वृद्धि की गयी है, लघु और सीमान्त का दायरा भी उसी अनुपात में किया जाये। सिंचाई के क्षेत्र में भी सरकार ने बुन्देलखण्ड के किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए आगामी दो वर्ष के लिए जो कार्य योजना बनाई है, उसमें 110 नये टयूब वेल स्थापित करने का फैसला लिया है, सरकार के इस कदम की भी मैं सराहना करता हूं तथा साथ में यह मांग भी करता हूं कि ट्यूबवेल के साथ–साथ पम्प कैनाल की योजनाएं भी बुन्देलखण्ड में चलाई जाएं इसलिए कि बुन्देलखण्ड में नदियों का पर्याप्त जाल है और एक बाण सागर योजना जो मिर्जापुर और सोनभद्र के लिए है उसमें जनपद चित्रकूट और आंशिक भाग बांदा को भी जोड़ने का काम किया जाए। मैं यह सरकार से मांग करता हूं। पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा जहां 15 जून तक गड्ढामुक्त सड़क बनाए जाने की कार्य योजना तैयार की गई है जिससे प्रदेश की जनता को आवागमन की सुविधा सुलभता के साथ मिलेगी। 85 हजार किलोमीटर सड़क को गड्ढामुक्त किया जाना प्रस्तावित है। सरकार के इस निर्णय की भी मैं सराहना करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पहले मेन रोड ज्यादातर पिछली पूर्ववर्ती सरकारें मेनरोड ठीक करने का काम करती थीं। पैच–वैच लगा दिए बाकी सब सीता–राम। अबकी बार ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुदूर में चाहे वह जंगल हो, दूरस्थ एरिया हो, सबको एक साथ गड्ढामुक्त सड़कें 15 जून तक बनाने का सरकार का जो निर्णय लिया गया है वह सराहनीय है। सरकार के इस कदम की भी मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं। वहीं एक ओर जहां पहले इन विभागों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। इस सरकार ने सभी विभागों में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ठेके उठाने का काम प्रारम्भ कराया है। इस तरह एक तरफ जहां माफिया और गुण्डाराज का खात्मा होगा वहीं दूसरी तरफ ठेका प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। सरकार के इस कदम की भी मैं बहुत–बहुत सराहना करता हूं एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

बस अब समर्थन कर दीजिए, समाप्त करिए।

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी–

सरकार नए–नए आए हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, आप लोगों के संरक्षण में थोड़ा बोल लें।

श्री अध्यक्ष–

आप नए नहीं पुराने कार्यकर्ता हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी–

सरकार सदन में पहली बार चुनकर आए हैं। इसी तरह मैं जनपद बांदा क्या पूरे बुन्देलखण्ड के विषय में एक बात बताना चाहूंगा कि महोदय वहां अन्ना प्रथा की बड़ी विकराल समस्या है। अन्ना प्रथा से किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है। अन्ना जानवर, अन्ना पशुओं का मतलब कि जिनका कोई रखरखाव नहीं है। बरसात में निकलिए, चाहे अभी निकलिए तो वे दो–दो, तीन–तीन हजार के झुण्ड में हैं और किसानों के खेत के खेत,

एरिया का एरिया उजाड़ते हुए चलते हैं। उनसे किसान बहुत व्यथित और पीड़ित है। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा कि अन्ना प्रथा पर भी एक प्रभावी कार्य योजना बननी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे यहां तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय जी ने बांदा मेडिकल कालेज का आनन–फानन में बड़ा–बड़ा विज्ञापन कराके उद्घाटन तो कर आए लेकिन आज भी बांदा मेडिकल कालेज जो है वह मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरीके से वंचित है। न वहां स्टाफ है, न कोई उपकरण है और न ही वहां पर डाक्टर हैं कि मरीज पहुंचते भी हैं तो उनको किसी भी प्रकार की मेडिकल कालेज की सुख–सुविधा का कोई लाभ नहीं मिलता। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार उन पर काम करने का निर्णय ले तथा चित्रकूट जनपद को जहां भगवान राम 12 वर्ष रहे, वहां के विकास की व्यापक योजनाएं बनाकर काम किया जाए क्योंकि आप देखेंगे कि चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश संयुक्त सीमा पर है। जो मध्य प्रदेश का एरिया है वह आपको टोटल विकसित मिलेगा लेकिन जैसे ही आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो लोग जान जाते हैं कि उत्तर प्रदेश आ गया इसलिए चित्रकूट के बारे में भी उसको फ्री–जोन करके उसके विकास की एक व्यापक कार्य योजना सरकार बनाए। यह मेरा सरकार से अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिए।

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी–

समाप्त करें चलिए आपके आदेश का पालन होगा। पहली बार मैं सदन में बोला हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री राम चन्द्र यादव–

महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में धन्यवाद के प्रस्ताव पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, खलिहान, नौजवान और महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा उस दिशा में जब माननीय योगी जी की सरकार ने काम करना प्रारम्भ किया है निश्चित रूप से ऐसे काम का वह प्रभाव गांव, गरीब, खलिहान में दिखायी पड़ने लगा है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का किसानों के लिए लिया गया निर्णय, नौजवानों के लिए लिया गया निर्णय, महिलाओं के लिए लिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके चलते आज नौजवान, छात्र, महिलाएं और किसान आज समाज का हर तबका अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में वह सरकार चली गई जिस सरकार में सत्ता हथियाने के लिए बड़े–बड़े नारे देकर के पिछले दिनों में सत्ता में आने के पहले ये जो हमारे प्रतिपक्ष के साथी हैं, जो हमारी सरकार के ऊपर उंगुली उठाते हैं, इन्होंने बड़े–बड़े नारे दिये थे। इनके नारे थे किसानों हमको समर्थन दो, नौजवानों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समर्थन दो, हम आपको रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों हमको समर्थन दो हम किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे, किसानों को कर्जा माफ करेंगे। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की ये प्रतिपक्षी लोगों की जो सरकार चली गई है इस सरकार ने पूरे प्रदेश में नौजवानों को छलने और ठगने का काम किया है। बेकारी भत्ता का एलान करने के बाद जिस एजेण्डे में जिस घोषणा–पत्र में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया था उसी घोषणा–पत्र को समाप्त करने वाले लोग सामने बैठे हुए हैं। हमारी बेटियों को छलने का काम किया गया था। कन्या विद्या धन योजना में उस समय कोई शर्त नहीं लगाई लेकिन सरकार बनने के बाद में प्रतिपक्ष में बैठे हमारे साथियों ने कण्डीशन लगाने का काम किया। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर उनको छलने का काम किया गया। किसानों को कर्ज माफ करने के नाम पर किसान आयोग का गठन करके उनको लाभकारी मूल्य देने का जो ऐलान किया था इस प्रतिपक्ष की सरकार ने एक पैसे की उन्हें मद्द करने का काम नहीं किया। आज वे लोग हमारी सरकार पर जब आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की वह सरकार जिस सरकार ने यादव सिंह जैसे लोगों को सपोर्ट किया हो। यादव सिंह को बचाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक जिस सरकार ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हों, आज वह सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम पर आरोप लगाती है। मैं कहना चाहता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर जिन गांवों का चयन प्रतिपक्ष की सरकार ने करके डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर गांव की तरक्की और विकास का खांका खींचा था उन गांवों में ठेका, पट्टा बांटकर माफियाओं को पूरे के पूरे पैसे डकारने का अवसर प्रतिपक्ष की सरकार ने प्रदान करने का काम किया था। मैं अपने जनपद की बात बताना चाहता हूं। मेरे जनपद में मेरी विधान सभा क्षेत्र में 27 ऐसे गांव चयनित किये गए थे, उन 27 गांवों में विकास के नाम पर अगर लोहिया आवास बनाने की बात मैं करूं, अगर सड़कों के बनाने की बात मैं करूं, अगर बिजली के कामों की बात मैं करूं तो फैजाबद जनपद के एक माफिया ने पूरे के पूरे गांव के कामों पर डकैती डालने का काम किया था और जब मैंने इसे उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उठाने का काम किया तो उस समय तीन अधिकारियों को निलम्बित करने का काम सरकार को करना पड़ा था। मान्यवर, आज वे लोग जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, उत्तर प्रदेश के किसानों की गाढ़ी कमाई पर डकैती डालने का काम किया था। आज वह हमें उपदेश दे रहे हैं, इन्हीं लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो रिटायर्ड लोग थे, जो इंजीनियर थे, जो आई0ए0एस0 थे, जो आई0पी0एस0 थे उन लोगों को उन कुर्सियों पर बैठाने का काम किया जिससे उनका खजाना भरा गया है। इन्होंने एक ऐसी कार्य संस्कृति डाली कि जो किसी काम लायक नहीं है उन पर सारे कामों का बोझ डाल दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के श्रीमन् योगी जी की सरकार को, जिन्होंने पूरी कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में वह आई0ए0एस0 अफसर जो प्रशिक्षित हो कर के आएं हैं, आज वह जिलों में काम करने जा रहे हैं। कहीं

से भी पूरे के पूरे प्रदेश में आज अफसरों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। हमें पूरी तरह से मालूम है कि हमारे जनपद फैजाबाद में प्रतिपक्ष के साथियों की जब सरकार थी तो अधिकारियों को कमरे में बन्द करके उनसे दस्तखत करवाए जाते थे, जिसके प्रमाणित तथ्य मेरे पास हैं। मान्यवर, आज मैं कह सकता हूं, हमारी स्वयं की कांस्टीट्यूऐंसी में उत्तर प्रदेश सरकार के एक पूर्व मंत्री ने जो बाराबंकी जनपद के रहने वाले हैं, दस हजार लोगों की भीड़ लेकर के खानकीपुरा गांव की दलित बस्ती पर हमला करवाते हैं। हमला करने वालों की भीड़ द्वारा जिस समय उस क्षेत्र के डिप्टी एस0पी0 और एस0ओ0 को घेरकर पीटा जाता है, वहां के तत्कालीन कप्तान मोहित गुप्ता ने जब एफ0आई0आर0 दर्ज करायी तो उस वक्त 150 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। पूरी सरकार चली गयी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। श्रीमन्, मोहित गुप्ता पर दबाव बना करके जिन घरों में लूटपाट की गयी थी, जिन घरों का सत्यानाश किया गया था, उन्हीं वरिष्ठ लोगों के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का काम प्रतिपक्ष की सरकार ने किया था।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, उन लोगों को न्याय कहीं से नहीं मिला। आज मैं कह सकता हूं जिस गांव पर दस हजार लोगों की भीड़ ने उत्पात मचाया था उसमें तत्कालीन पूर्व मंत्री का नाम था, उनको मुल्जिम नहीं बनाया गया। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कानून–व्यवस्था पर हमारी सरकार को कोसने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का विधायक था मेरे ऊपर और मेरे तमाम साथियों के ऊपर, प्रतिपक्ष के साथियों की जब सरकार थी तो फर्जी मुकदमें दर्ज कराए गए थे। कई लोगों को जेल भेजने का काम किया गया था। जो व्यापारी थे, जो कारोबारी थे, जो गरीब थे, जो कमजोर थे उन लोगों को जेल भेजने वाले प्रतिपक्ष में जो लोग बैठे हैं, आज हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं जिस मुकदमें में हमें और हमारे साथियों को जेल भेजने का काम किया गया था, मैंने अपने क्षेत्र की उस महान जनता के बल पर यह कहा था कि अगर हैसियत है तो गिरफ्तार करो, जेल जाने के लिए तैयार हूं, इनकी हैसियत नहीं पड़ी। आज यह लोग जिन्होंने अपनी सरकार के रहते कानून को तोड़ने का काम किया, वह लोग जिन्होंने जनता को ठगने का काम किया, नौजवानों को ठगने का काम किया, हमारी बहन–बेटियों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, व्यापारियों को बर्बाद करने का काम किया। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की यह सरकार जिसने कानून की शपथ खायी है, आज पूरी तरह से कानून को अपने हाथ में लेने वालों को दण्डित करने का काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिए।

श्री राम चन्द्र यादव–

श्रीमन्, एक मिनट में अपनी बात को पूरा करना चाहता हूं। आज पूरी तरह से जिन परिवारों पर यह कहर बरपा है, उन परिवारों पर आपके माध्यम से मैं संरक्षण चाहता हूं। उनको सभी फर्जी मुकदमों से बचाना चाहता हूं। मैं यह अपील करते हुए पुनः महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर समर्थन करता हूं बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अनिल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पहली बार का विधायक हूं। इस बात का मुझे गर्व है कि जहां से मैं विधायक हूं वहां से आप 4 बार विधायक रह चुके हैं। आज मुझे इस सदन में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिससे मैं पहले से सीख रहा था राजनीति के बारे में आज वह यहां पर लिखित में मेरे गुरू हैं और आप सबके गुरू हैं इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल जी के अभिभाषण में संशोधन में संशोधन के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसे मैं कहना चाहता हूं। मैं यहां पर सदन में पहुंचा हूं यहां जीतकर आया हूं कि जनता का काम कर सकूं। जनता का काम करना सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य हैं और जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य बैठें हैं उन सभी का भी कर्तव्य है। आरोप–प्रत्यारोप तो चलता रहेगा लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति गरीब, कमजोर, असहाय, परेशान लोगों के बारे में सोचता है मैं उससे अपनी सोच को जोड़ता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो बाते लोग यहां कहते हैं कि मैंने यह किया वह किया, यह कर चुका हूं वह कर चुका हूं, मान्यवर, जिन्होंने झूठे वायदे किये आज उस तरफ है कल फिर इस तरफ आयेंगे फिर उस तरफ जायेंगे मुझसे कोई इससे सरोकार नहीं है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए चुनकर यहां पर आया हूं। वहां की जनता ने मुझे इस सुनामी, इतनी बड़ी सुनामी में जिताकर यहां भेजा है। मैं लहर के विपरीत जीता हूं मैं पहली बार विधायक हूं इसलिए क्षमा चाहता हूं अगर मुझसे कुछ गलत निकल जाये।

मान्यवर, जब आप विधायक थे तो हमारे यहां नहरों में टेल तक पानी पहुंचा करता था लेकिन आज की डेट में वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। सरकार ने जो वायदे किये हैं कि हम हर खेत में पानी पहुंचायेंगे तो उसके अनुरूप हम चाहते हैं कि खेत तक न हो तो टेल तक तो पानी पहुंचा ही दे इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां बिजली की है। बिजली के तार बहुत सालों से जर्जर हैं खराब है, लोहे के हैं, वह टूट जाते हैं उन्हें बदलवाने का काम किया जाय। तीसरा, राशन में बहुत धांधली हैं वहां गरीब किसी को राशन नहीं मिलता है और उनको मिलता है जिनके पास 10–10 बीघा खेत हैं। अब यह किसकी व्यवस्था है यह मैं नहीं जानता लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राशन में बड़ी धांधली हो रही है इसकी

जांच कराकर, जैसा आदेश हुआ है कि जांच कराकर नये राशन कार्ड बनाये जायेंगे तो वह जांच हो लेकिन यह उचित जांच हो, जांच अभी सही तरीके से नहीं हो पाती है उन्हीं लोगों को लाभ दे दिया जाता है जो यहां पर मिले हुए है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गरीबों के लिए मकान। मैं यहां सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं बहुत गरीब परिवार से था मुझे भी वहां पर पहले इन्दिरा आवास हुआ करता था वह मिला था मेरे पिता जी को, जब मेरे पिता जी को इन्दिरा आवास मिला था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी मैं बहुत छोटा था इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में वहां गलत काम हो रहा है पैसा देकर लोग गरीब का हक मार लेते हैं। उस पर जांच कराकर सही लोगों को उनका आवास दिया जाय इसलिये मैं आपके जरिये अनुरोध करता हूं कि इन कामों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे बाबा कहा करते थे 'निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटि छवाय' जब आपका निन्दा करने वाला कोई होगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम क्षमा चाहते हैं। मान्यवर, एक चीज और रह गयी है, बीमारी के सम्बन्ध में बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां हास्पिटल है लेकिन उसमें न डा0 बैठते हैं और न वहां दवाई मिलती है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वहां के जानकार हैं, आप सब जानते हैं, आप वहीं के पैदा हुये हैं, वहीं के बगल का गांव मेरा भी है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन बांतों पर जरूर ध्यान देंगे, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

'डा0 संग्राम यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल श्री राम गोविन्द चौधरी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिये अवसर दिया है। मान्यवर, जिस दिन से राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सदन में चर्चा शुरू हुयी। उस पर धन्यवाद प्रस्ताव डा0 अरुण कुमार जी ने और उसका समर्थन माननीय सदस्य पंकज सिंह जी ने किया। सारे सदस्य इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल जी का अपमान हुआ। मान्यवर, हम भी जब पहली बार चुनकर आये थे तो यही सदन गवाह है कि प्रजातंत्र में विरोध और महामहिम राज्यपाल का विरोध हम इसलिये कर रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के किसी कोने पर कोई घटना हो जाती थी तो दो घन्टे नहीं बीतता था, ख्रग्ग,

श्री अध्यक्ष–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कृपया आप हमारी बात सुनिये, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। आप राज्यपाल जी के आचरण पर चर्चा कर रहे हैं या उनके अभिभाषण पर बोल रहे हैं और अगर आप राज्यपाल के आचरण पर बोलते हैं तो यह कतई कार्यवाही का भाग नहीं होगा। जिस दिन महामहिम राज्यपाल जी ने यहां पर अभिभाषण किया था, उस दिन अप्रिय दृश्य उपस्थित हुआ था और उस पर हमने अपना निर्णय सुरक्षित कर रखा है इसलिये उनके आचरण पर न बोलिये। जो भी आप बोलेंगे वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। मैं प्रेस से भी कहूंगा कि वह अंश बाहर नहीं जायेगा।

डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहा हूं। मान्यवर, हम कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे। हमारे नेता आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसानों के लिये काम हो रहा था, जो नौजवानों के लिये काम हो रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की सीटें सर्वाधिक बढ़ाने का काम किया था। मान्यवर, आप जिस जनपद से चुनकर आते हैं वह जनपद गवाह है और माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, उनको इस देश में न जाने कहां–कहां जाने का अवसर मिला होगा। लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेस–वे बनाया है, हिन्दुस्तान की धरती पर जिस पर पहली बार फाइटर विमान उतरा था, पूरे देश ने देखा था और हमने उत्तर प्रदेश को एक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया था। मान्यवर, पंकज सिंह जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की धरती राम की धरती है, यहां पर कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए, वह कह रहे थे कि यहां पर हर तरफ वाद था, जातिवाद था, धर्मवाद था, क्षेत्रवाद था नहीं कुछ था तो राष्ट्रवाद नहीं था, आप इसे पंकज सिंह के उद्बोधन में देख लें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की वह महान धरती है जिसने आजादी के आन्दोलन में योगदान दिया, हमारे पुरखों की कुर्बानियां हैं देश की आजादी के आन्दोलन में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भागीदारी है। हम राष्ट्रवाद पर बहस नहीं कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसान के सवाल पर बहस हो, छात्र नौजवान के सवाल पर बहस हो, हम बहस को चलाना चाहते हैं क्योंकि हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने गांव के गरीब और किसान की उंगलियों को ताकत दी थी कि किसान का बेटा अपना मोबाइल निकाल करके 108 डायल करता था तो 15–20 मिनट के अन्दर उत्तर प्रदेश के मा0 अखिलेश यादव जी की एम्बुलेंस ऐसे गरीब के दरवाजे पर जाने का काम करती थी। मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, मैं सरकार के सामने कहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जो 100 डायल की स्कीम चलायी तो उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का पहला राज्य था जिसने 100 डायल स्कीम को चलाया था और अन्य राज्यों के चीफ सेक्रेटरी ने आकर उसकी भूरि–भूरि प्रशंसा की थी। पहले एक थानेदार को एक जीप नहीं मिलती थी, ना जाने कैसी–कैसी जीप थी लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने थानों को काफी

संख्या में और काफी अच्छी गाड़ियां दीं, इस प्रकार से हमने किसान को ताकत देने का काम किया था। 100 डायल की स्कीम चलाकर हमने गांव के अन्तिम छोर के व्यक्ति को, गरीब किसान की उंगलियों को ताकत देने का काम किया था। वह आज 100 डायल मिलाता है तो 15 से 20 मिनट के अन्दर उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पहुंच करके समस्या का समाधान करने का काम करती है। हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन जिसको हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि यह जो समाजवादी पेंशन जो चलाई जा रही है इससे बेहतर कोई गरीब के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती है। उस समाजवादी पेंशन को जांच के नाम पर रोक करके आज गरीब के चूल्हे को बन्द करने का काम इस दो महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मान्यवर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से चुना हुआ छात्रसंघ का अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां का मैं भी महामंत्री रहा हूं, मान्यवर, इलाहाबाद छात्रसंघ का अध्यक्ष, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् से छात्रसंघ का अध्यक्ष चुना गया था और उपाध्यक्ष मेरी समाजवादी पार्टी से चुना गया था वह कुलपति के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आन्दोलन चला रहे थे लेकिन उस आन्दोलन को पुलिस के इशारे पर, सरकार के इशारे पर कुचलने का काम हुआ और 25 नौजवानों को इलाहाबाद की पुलिस लाइन में पुलिस द्वारा लातों और जूतों से मसल करके उन्हें नैनी के सेन्ट्रल जेल में भेजने का काम हो रहा है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर त्राहि–त्राहि मची है, एक आई0ए0एस0 ऑफीसर की राजधानी क्षेत्र में मीराबाई जैसे वी0आई0पी0 इलाके में हत्या कर दी गई। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो किसान दुर्घटना योजना थी, जो समाजवादी पेंशन योजना थी उसे रोक दिया गया है। मान्यवर, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जो गरीब था, गम्भीर बीमारी से पीड़ित था, किडनी की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से पीड़ित था, उसके इलाज के लिए पैसा दिया था। आप पी0जी0आई0, लोहिया अस्पताल से पता कर लीजिए, सरकार के लोग बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, गरीबों के इलाज पर जो पैसा दिया जा रहा था उसे बन्द कर दिया गया है। आज न तो पी0जी0आई0 के पास पैसा है न डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान के पास पैसा है, मैं सरकार से विनती और प्रार्थना करता हूं कि जो ऐसे असाध्य रोगों कैंसर, हार्ट और किडनी से पीड़ित लोग हैं ऐसे गरीब, किसान और उपेक्षित मजदूर लोगों के इलाज के लिए आपकी पीठ से निर्देश हो जाए कि उनके इलाज के लिए पैसा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं एक वरिष्ठ मंत्री ने सदन के अन्दर कहा कि किसान क्रय केन्द्रों पर, बीज के गोदामों पर लिस्ट जारी कर दी जाती थी कि कौन किस बिरादरी का है और बिरादरी के हिसाब से। उसको सुविधा देना तय किया जाता था।

मान्यवर, अगर इस तरह की बात सदन के अंदर उठायी जायेगी तो यह ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 'सबका साथ, सबका विकास'। मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप पूछिये नहीं, समाप्त करिये, समाप्त करिये।

डा0 संग्राम यादव–

इस देश के अन्दर अल्लामा इकबाल ने गीत गाया था कि– 'सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलिस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना'।

श्री अध्यक्ष–

आपका धन्यवाद।

डा0 संग्राम यादव–

मान्यवर, इन्हीं भावनाओं के साथ श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी–

मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा मैं सुन रहा हूं। मैं भी पहली बार इस सदन में चुनकर आया हूं। जब चुनाव का परिणाम आया था तो मुझे भी बड़ा विस्मयबोधक लगा था कि 403 सीटो में, जिस उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि जाति के आधार पर चुनाव होता है, बहुमत की सरकार बनना मुश्किल है। चुनाव के पहले पोलिटिकल पंडित कह रहे थे कि स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। मतगणना स्थल से बाहर निकला और जब समाचार मिला कि 325 सदस्य हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी दलों के चुनकर आये हैं तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ ? किन्तु जब यहां अपने प्रतिपक्षी सदस्यों को सुन रहा हूं और जिस तरह से वह कुतर्क कर रहे हैं, तब लग रहा है कि यह परिणाम इनके कृत्यों के कारण ही आया है। मैं, आप जिस आसन पर बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, उसी आसन पर बैठने वाले, 6 बार के विधायक रहने वाले आदरणीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की विधान सभा से उनको पराजित करके आया हूं। (मेजें थपथपायी गयीं।) मुझे लोग कहते थे कि सतीश जी भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे प्रदेश में होगी, आप क्यों परेशान हैं, माता बाबा अन्तिम दो दिनों में चुटकी बजाकर परिणाम बदल देते हैं, वह चुनाव नहीं हारेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार के जो कुकृत्य थे, जो कुशासन था, जो गुण्डागर्दी थी, जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार और गुण्डागर्दी के कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव रहा। अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित सदस्य ने सही कहा। जब हम कह रहे थे कि हमारी सुनामी चल रही है, आप बह जाओगे तो

उस समय ये लोग नहीं मानते थे, कहते थे कि बहन जी की सरकार बनेगी। आज उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे पक्ष में सुनामी चल रही थी वह इनके भ्रष्टाचार और गुण्डागर्दी के कारण से। अध्यक्ष जी, अभिभाषण के पक्ष में कुछ बातें बिन्दुवार कहूंगा क्योंकि आप बार–बार निर्देश देते हैं कि बिन्दुवार कहिये। आजादी के बाद की सभी सरकारों को हमने नहीं देखा है लेकिन जितनी सरकारों को हमने देखा है, जबसे होश संभाला है, योगी जी की सरकार ने शपथ–ग्रहण करते ही जिस तरह से, जिस अंदाज में काम करना शुरू किया है, शायद भारतवर्ष के इतिहास में पहली प्रदेश की सरकार होगी जिसने बिना कोई समय गंवाये, शपथ लेते ही, जिस तरह से अपने लोक कल्याण संकल्प–पत्र के किये गये वायदों को पूरा करना शुरू किया है। मैं तो सुनता था कि प्रारम्भिक समय हनीमून पीरियड होता था सरकारों का, विपक्षी भी कहते थे कि अभी तो 6 महीने सरकार का हनीमून पीरियड है इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज तो एक महीने की सरकार के ऊपर जिस तरह से सवाल खड़े किये जा रहे हैं। आपके द्वारा बनाये गये अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वह थोड़े छिटक रहे हैं इसलिए कानून–व्यवस्था में थोड़ी समस्या है। आपकी सरकार के समय में पुलिस के थानों को आपके सत्ताधारी दल के कारिन्दे संचालित करते थे, पुलिस की कार्यप्रणाली बिगड़ी हुई थी, पुलिस का मनोबल गिरा हुआ था, हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए। आपके समय में सरेआम फोरलेन पर परिवार के एक सदस्य के ब्रह्मभोज से लौट रहे परिवार के मां–बाप के सामने, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं दृश्य का, रोना आता है, मां–बाप के सामने सरेआम फोरलेन पर एक बेटी के साथ बलात्कार होता था और आप हमारे ऊपर कानून–व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। इस सरकार में मां, बहनें रात में भी सुरक्षित चल सकें, उनके ऊपर कोई उंगली न उठा सके कोई सीटी न बजा सके एन्टी रोमियो स्कवाएड बनाने वाली सरकार के ऊपर आप कानून–व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारी सरकार, आपने भी एक बार कर्जा माफ करने का ढोंग किया था और किसका कर्जा माफ किया था ? जो आप ही की पार्टी के एक नेता, जो सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिये मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके व उनके पुत्र द्वारा संचालित केवल को–आपरेटिव बैंकों के कर्जदारों का कर्जा माफ किया था और वह बैंक पिछले 10 साल से बन्द थे शायद किसी ने कर्जा भी नहीं लिया होगा। हमारी सरकार ने तो 86 लाख किसानों को फायदा पहुंचाते हुए साढ़े तैंतीस हजार करोड़ रुपये का प्राविधान करते हुए किसानों के किसी भी बैंक से लिये एक लाख रूपये तक के फसली कर्ज को माफ किया है, ऐसी सरकार की आलोचना कैसे कर सकते हैं आप। बिजली की दुर्दशा हमने देखी है। हम दिन भर अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तब टिकट भी नहीं मिला था। थक कर जब रात को घर जाते थे तो सोने के लिये भी पंखा नहीं चलता था छत पर बिस्तर लगाकर सोना पड़ता था। ऐसे उत्तर प्रदेश में आज मैं धन्यवाद देता हूं अपने नौजवान बिजली मंत्री जी को, पहली बार वह भी मंत्री बने हैं लेकिन जितनी कुशलता से उन्होंने प्रबन्धन किया है

उन्हीं टूटे तारों, उन्हीं पुराने ट्रांसफार्मरों के भरोसे आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली मिल रही है और आज जब मैं विधायक बना था पहले दूसरे दिन अम्बार लग गया था शिकायतों का। लोग कहते थे भइया महीने भर से ट्रांसफार्मर खराब है नहीं बदला जा रहा है आज हफ्ते दस दिन से हमारे पास ट्रांसफार्मर की कोई शिकायत नहीं आती है। क्योंकि वह बिजली विभाग को सूचना देते हैं और 48 घण्टे में उनका ट्रांसफार्मर बदल जाता है। (मेजों की थपथपाहट) मैं कहना चाहता हूं हमने पिछले 10 सालों में, 2009 में मेरी शादी हुई थी उसी साल उसी दिन गेहूं तौला जा रहा था क्रय केन्द्र पर। बार–बार दौड़ कर मैं जा रहा था। उसके अगले साल से गेहूं क्रय केन्द्र खुलते हुए मैंने नहीं देखा। इधर लगभग 8–9 सालों से गेहूं क्रय केन्द्र बन्द हैं। हमारी सरकार ने 5 हजार। बड़ी–बड़ी किसानों की बात हो रही है, धरतीपुत्र की भी बात हुई है लेकिन क्रय केन्द्र पर बात नहीं की है हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने। 5 हजार क्रय केन्द्र हमारी सरकार ने खोले। 40 लाख टन गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 80 लाख किया और इतना ही नहीं इसके बावजूद हमारे सारे विधायक लगातार क्रय केन्द्रों का दौरा करते रहे कि कहीं भी उसमें कोई ढिलाई न होने पाए। हम किसानों की चिन्ता करते हैं, आप केवल किसानों के नाम पर खनन माफियाओं को बढ़ावा देते हैं। किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। मान्यवर, 18327 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों का भुगतान तो कराया ही हमारी सरकार ने। जगह–जगह जो चीनी मिले बंद थीं उसका उदाहरण है आपकी और बसपा सरकार ने जिन चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम निजी लोगों को बेच दिया था या बंद कर दिया था लगातार हमारे प्रधानमंत्री और हमारी प्रदेश की सरकार उन चीनी मिलों को चलाने का प्रयास कर रही है। महोदय, जिस तरह से हमने अपने लोक कल्याण संकल्प को पूरा करते हुए, पिछले 10 सालों में, मेरी पास एक छोटी कार हुआ करती थी और मैं जब बांसी से अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर मुड़ता था तो मेरी पत्नी अगर गाड़ी में बैठी होती थी तो कहती थी धीरे चलिये नहीं तो गाड़ी कहीं टूट न जाय, कहीं फंस न जाय। यह मेन रोड की हालत हुआ करती थी। आज हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर शपथ ग्रहण के बाद (शोर) साहस रखिये सुनने का। आपका संकट यही है, आप ने जनता की भावनाओं को नहीं सुना, अध्यक्ष जी इसलिये यह दुर्दशा हुई है। आज भी यह सबक नहीं ले रहे। अध्यक्ष जी, प्रमुख सड़कों की स्थिति यह थी कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है यह समझना मुश्किल होता था। हमारी योगी जी की सरकार ने न केवल प्रमुख सड़कों बल्कि अभी हमारे भाई प्रकाश जी कह रहे थे, तमाम दूर दराज की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प लिया है बल्कि धन की व्यवस्था कर दी है। टेन्डर हो रहा है, टेन्डर हो चुके हैं, काम होने जा रहा है। हमारी कांग्रेस की सम्मानित सदस्या आराधना मिश्रा जी ने कुछ दूसरे विभागों की सड़कों की चर्चा की थी। मेरे पास मंडी परिषद् के लोग आये थे मुझसे सड़कों के बारे में पूछने आये थे। आप चिन्ता न करें मंडी परिषद् की सड़कों की मरम्मत भी सरकार करा रही है। दूसरी संस्थाओं के द्वारा बनाई गई सड़कों की भी मरम्मत सरकार करा रही है।

बंधों की कटान पर, अभी बाढ़ का समय आने वाला है, लोग परेशान होते, बिना किसी की मांग के, बिना जनता के आन्दोलन के हमारी सरकार ने इन बांधों के रेन कट को और बंधों के बीच में जो जगह है, उसको पूरा करने का प्रयास किया है। हम महोदय इस प्रदेश के मुख्य पर्यटक स्थलों को फोर लेन की सड़कों से जोड़ने की बात इस अभिभाषण में की गई है। मैं इसका समर्थन करता हूं अन्त में मेरे क्षेत्र की एक–दो मांगों को मैं रखना चाहूंगा इसको सरकार के प्रस्ताव में जोड़ा जाए। महोदय वही बड़े नेता जिनको हराकर मैं यहां आया, उसी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी को उनके मुख्य मंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र में लेकर गए। एक भिलोरी–भिलोरा जगह है, वहां पर एक चीनी मिल का शिलान्यास हुआ। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार का सब्जबाग दिखाया गया, लेकिन मैं आज उस चीनी मिल के शिलान्यास का पत्थर खोजता हूं तो मुझे नहीं दिखाई देता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं सिद्धार्थनगर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें हमारी इटवा विधान सभा और भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसलिए जिस चीनी मिल का शिलापट्ट गायब हो गया, वह सपना साकार नहीं हुआ, वहां पर चीनी मिल की स्थापना हो, चूंकि मैं कालेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं, हमारे क्षेत्र की जनता को विशेष उम्मीद है। सरकार की हर जिले में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की योजना है। मैं मांग करना चाहता हूं वह इंजीनियरिंग कालेज सिद्धार्थनगर के कोटे में हमारे विधान सभा क्षेत्र में खोला जाए, ताकि हमारे यहां के युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं बहुत–बहुत धन्यवाद।

(श्री राजीव कुमार का नाम पुकारा गया उनके उपस्थित न होने पर)

'श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में मैं धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं आपने इसके लिए मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मैं इस सदन में आपको और संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जहां पिछले समय में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने के लिए ऊंगली भर कुछ लोग बोल पाते थे बाकी तड़पते हुए रह जाते थे आपने बहुत उदारता पूर्वक नये विधायकों को जो अवसर दिया इसके लिए आप बहुत धन्यवाद् के पात्र हैं। (मेजें थपथपाई गईं) और यह समान अवसर हम सबको मिल रहा है और यह देखने में आ रहा है कि पहली बार के विधायकों के अन्दर भी विलक्षण मेधा है और वह तर्कों के आधार पर अपनी बात सदन में रख रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस बार मुझे विपक्ष से बहुत निराशा है कि पिछली बार विपक्ष में बैठे थे और पहला सदन हमें याद है पहले सदन में लगभग यही बात रहा करती थी कि हमारी सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी आई है हम कुछ काम करने जा रहे हैं और हमारे पक्ष के कुछ आठ–आठ नौ–नौ बार के विधायक जिनमें से आज अनेक मंत्री हैं वह सब भी सौजन्यतापूर्वक तत्कालीन सरकार को अवसर देते थे। लेकिन इस बार देखने में कुछ दूसरा दृश्य आ रहा है बार–बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है आरोप लगाये जा रहे हैं मैं विपक्ष से अपेक्षा करता हूं कि वह कृपया खीझें नहीं, यह सरकार जो एक अच्छे भाव से काम करने निकली है उसे काम करने का अवसर दें। 6 महीने हो जाएं आप ठीक से समीक्षा करें हमारे कामों में कोई त्रुटि हो तो बतायें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोपों में हमें कुछ बातें सोचनी पड़ेगी, आखिर गड़बड़ कहां हुई, मुझे अच्छी तरह से याद है गलती तो सब काम करने वाले करते हैं गलती बार–बार हो तब पीड़ा होती है। पिछले लगातार चार साल तक विपक्ष में सरकार को हम लोग बोलते रहे कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनको आए तीन साल हो गए सबसे पहले राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम में जो गरीबों को दो रुपये और तीन रुपये किलो गेहूं देने की और चावल देने की बात थी, और जिसकी कवरेज 22 करोड़ की जनता में 16 करोड़ लोगों के लिए थी उसका सबसे पहले अनुपालन किया जाए। दो ढाई साल हो गए कोई सुनवाई नहीं। 31 मार्च 2016 से आप लोगों ने तब काम शुरू किया। वह काम कैसा था इस सदन में जितने सम्माननीय विधायक बैठे हैं वह सब जानते हैं कि किस तरीके के राशन कार्ड बने हैं आज भी कितनी बुरी स्थिति है। यह तो मेरे एक साथी विधायक ने इस मामले को उठाया है उसको साधुवाद देता हूं नहीं तो सिवाय बड़ी–बड़ी बातों के हममें से कोई यह सोचने को तैयार नहीं है कि 16 करोड़ की कवरेज में प्रदेश की सब गरीब जनता या मेहनतकश लोग आने वाले हैं। उनकी समस्या के ऊपर भी कोई बात उठा ली जाए। आप लोगों ने तब खाद्य और रसद विभाग में काम किया था तो यह किया था कि गरीबों के कार्ड मिलें या न मिलें राशन मिले या न मिले हम केवल राशन के कोटेदारों को या तो बर्खास्त कराएंगे या उनकी दुकानों का संरक्षण करेंगे। उसका परिणाम सामने है अभी मेरे भाई संग्राम सिंह जी ने हमारे वरिष्ठ नेता की टिप्पणी पर बड़ा दुख जताया उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भेदभाव किया यह आपको सहन नहीं हुआ और सहन न होने वाली भी बात है। इस सदन में आने वाले लोग यह कभी नहीं चाहते कि वह अप्रतिष्ठित हों। लेकिन वह यह भी तो सोचें कि आखिर वह क्या गलतियां हुई जिसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। माननीय अध्यक्ष जी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है पिछली सरकार में वर्ष 2014–15 और 15–16 दो वित्तीय वर्षों में जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले गरीब लोग हैं यहां बहुत बार यह बात दोहराई गई है कि गरीब की कोई जाति धर्म नहीं होता है उसकी शादी अनुदान योजना में पिछली सरकार ने जो काम किया वह अपने आपमें हालांकि कठोर शब्द बोलने से मैं बचता हूं लेकिन यह बहुत ही अफसोस वाली बात है। आपके दस्तखत के दो उत्तर तो मेरे पास हैं। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से नेता विपक्षी दल ने मुझे यह उत्तर दिया कि गरीब बेटियों की शादी के लिए अनुसूचित वर्ग में हमारे पास इस वक्त

बजट की व्यवस्था नहीं है। 2014 और 2015 में सामान्य वर्ग में भी गरीब परिवार की पात्र बेटियों को शादी अनुदान में देने के लिए पैसा नहीं है माननीय वर्तमान नेता विपक्षी दल के दस्तखत से उत्तर है। उस समय के जो पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं साहिब सिंह सैनी जी उनके द्वारा यह उत्तरित है कि पिछड़े वर्ग की गरीब बेटियां जो पात्र श्रेणी में हैं उनकी शादी के लिए भी हमारे पास बजट नहीं है। उसी सत्र में माननीय आजम खां साहब जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे संसदीय कार्य मंत्री के साथ उनका उत्तर था 2014–15 में हमने इतनी धनराशि से इतनी गरीब अल्पसंख्यक समाज की बेटियों की शादी का बजट दिया और 2015–16 में इतने बजट के आधार पर बेटियों की शादी का बजट दिया। अब आप यह बताइए कि सरकार से गलती तो होती है एक दिन की दो दिन की एक महीने की बहुत हुई तो 6 महीने की बहुत हो गई तो एक वित्तीय वर्ष की दो वर्ष बाद जब मैंने यह प्रश्न उठाए और इन प्रश्नों को लेकर मैं तत्कालीन चीफ सेक्रेट्री के पास गया मैंने उनसे यह कहा कि मेरे अपने पिछले 18 वर्ष के सार्वजनिक राजनैतिक जनप्रतिनिधि के रूप में कभी यह अनुभव नहीं मिला कि कोई समाज या कोई अल्पसंख्यक समाज यह मांग रखेगा कि हमारी बेटी को अनुदान दो दूसरे की बेटी को अनुदान न दो। तो हमने तो इसका अर्थ यह निकाला कि इस तरीके की विसंगति बनाई जाएगी और हमारे पक्ष से यह आवाज उठेगी तो यह बात कही जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है या जाति या धर्म की बात करती है। चीफ सक्रेट्री साहब को भी समझ में आया शायद उन्होंने मुख्य मंत्री जी को भी फीड बैक दिया होगा दो साल के बाद आपकी सरकार के द्वारा इस विसंगति को ठीक किया गया संग्राम सिंह यादव एक सामान्य से आरोप पर विचलित हो रहे थे यह तो सच बात मैं बता रहा हूं मैं अभी अपने युवा ऊर्जा मंत्री इनकी एक भावना की बड़ी कद्र करता हूं एक हमारे यहां वर्तमान सरकार में सर्वदा योजना को लाया सर्वदा योजना क्या है कि बिजली की चोरी या चेकिंग कनेक्शन के पहले हम अपने समाज के प्रत्येक वर्ग व प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले नागरिक को उसकी गलती सुधारने का सम्मानजनक अवसर दे सकें। पिछली सरकारों में हुआ क्या कि बिजली कम्पनी के अधिकारी मा0 अध्यक्ष जी, मैं जिम्मेदारीपूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि कलेजा फट सा जाता है जब लगातार बहुसंख्यक रिश्वत पर जीने वाले यह सरकारी अधिकारी समाज और खासकर उसके गरीब तबके को चोर बताने का काम करते हैं। मैंने पिछले सदन में भी लगातार इस बात को उठाया कि जिन क्षेत्रों में रेवेन्यू लॉस की बात की जाती है, उस क्षेत्र के एस0डी0ओ0 और उस क्षेत्र के जे0ई0 की तनख्वाह के सापेक्ष में उसके घर, मकान और उनकी जमीन–जायदाद की कभी जांच हुयी है ? मेरी अपनी जानकारी में यह पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वर्ग को यह अवसर दिया है कि पिछली सरकार की बिजली की सही सप्लाई न देने के कारण उस समय के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण देने के कारण अगर कहीं बिजली के कनेक्शनों में कमी आई है, बिजली के कनेक्शन अपेक्षित नहीं हो पाए हैं तो जहां पुराने बकाये के लिये पूरा सरचार्ज माफ किया है, वहीं गरीब लोगों को

मुफ्त कनेक्शन की अनुमति दी है और इसके साथ–साथ उन्हें मुख्य धारा में आने का अवसर भी दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, इसी बिजली के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात संक्षेप में कह लीजिये। आपको दोनों पक्ष बहुत आदर के साथ सुन रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 असीजा जी हमारे मित्र हैं। वह बहुत बढ़िया बोलते हैं। लांछन तो हमारे ऊपर ही लगा है, लेकिन उनको बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अब जब मा0 नेता विरोधी दल उनकी बातों का और उनके बोलने का समर्थन कर रहे हैं तो फिर मा0 सदस्य आप बोल लीजिये।

श्री मनीष असीजा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात पर और ध्यान दिलवाना चाहता हूं। सदन में हम सभी की चर्चा का भाव यह है कि सत्ता में आने के बाद अगर शीर्षस्थ नेतृत्व कुछ अच्छी योजनाएं लाता है तो आखिर परिणाम गलत क्यों होते हैं। इसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूं। कोई भी सरकार यह नहीं कहती है कि हम बिजली चोरी को बढ़ावा देंगे या खराब काम करेंगे, लेकिन आखिर कमी कहां होती है, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं। आज आपके सभी साथी विधायकों ने लगातार एक ही पक्ष पर एक ही एजेंडा लिया कि सरकार को नीचा दिखाना है। मैं नीचा दिखाए बगैर आपको तथ्यों से अवगत कराता हूं। बिजली विभाग में संविदा पर जो कर्मचारी भर्ती हुये, जिनका सब स्टेशन्स पर मेन्टीनेंस के ठेके का काम था या डिस्कनेक्शन का काम था, वह प्रोफेशनल लोग होने चाहिये थे, वह अपने–अपने कार्य में गुणी और अनुभवी लोग होने चाहिये थे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया कि सरकार के जी0ओ0 में उनको नौ हजार रूपये प्रतिमाह बैंक के खाते के द्वारा जाना चाहिये था, लेकिन वह सीधे भर्ती किये गये और उनके ऊपर एक टैग लग गया कि इस वक्त तुम बिजली कम्पनी से जुड़े हुये अधिकारी या कर्मचारी हो, उनको तीन–तीन हजार रुपया दिया गया, चार–चार हजार रुपया दिया गया। वह बहुत रागी थे, क्योंकि वह गरीबों की बस्ती में सवेरे शिकार के लिये निकलते थे। मैं कोई दोमुंहा सांप या ऐसा कोई शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन वह खूंखार भेड़िये की तरह जब गरीबों की बस्ती में निकलते थे और शाम को जब लौटते थे तो हजार रुपया रोज वापस लेकर लौटते थे। वह तीस–तीस, चालीस–चालीस हजार रुपये ऊपर का कमाते थे तो बिजली की व्यवस्था कहां से सुधरनी थी। बिजली की व्यवस्था सापेक्ष तरीके से सुधरेगी, अगर हम प्रोडक्शन सही करेंगे, उसका वितरण सही करेंगे, लेकिन उसके साथ–साथ उपभोक्ता के घर तक हम

सही तरह से लाइन लायेंगे और फिर उसकी सही वसूली करेंगे। हमारे बीच में बहुत बड़ा फाल्ट रहा है और उस फाल्ट का नतीजा अगर इस प्रदेश की जनता ने भुगता है तो परिणामस्वरूप आपको भी भुगतना पड़ा।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कानून–व्यवस्था के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। कानून–व्यवस्था के ऊपर हर समय हर काल में बोला जा सकता है। अपराध हर जगह थे। बात अगर है तो बस एक कि अपराधों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। मा0 योगी जी ने कल बहुत अधिकार के साथ बहुत साहस के साथ, लेकिन प्रफुल्ल मन से और बड़े अच्छे मन से यह बात बोली कि अब किसी गुण्डे–माफिया या किसी नेता को कोई ठेका नहीं जाने दिया जायेगा। अगर मैं सही बात कह रहा हूं तो सदन मेरा समर्थन करे।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ठेका नहीं मिलेगा, बसपा के लोगों को नहीं मिलेगा, किसी नेता को नहीं मिलेगा। हो कैसे सकता है कि कपड़े में दूध को समेटने से दूध रूकने वाला तो है नहीं। पिछली बार जितने ठेके जितने टेण्डर उठे, मैं अपने जिले की बात बताता हूं मेरे जिले में आपकी समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े परिवार का हस्तक्षेप भी है और वर्तमान में उनके सांसद भी हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 के ठेके उठे, पी0डब्ल्यू0डी0 के ठेके उठने के बाद, उसकी एक पेटी होती है जैसे मतदान पेटी होती है वैसे ही टेण्डर की पेटी होती है, उस पेटी की रखवाली करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी तत्कालीन सत्ताधारी दल के दो जिम्मेदार लोगों के गुट हथियारबन्द होकर सारी रात पहरा देते रहे। चार प्रमुख अखबार हैं, चारों प्रमुख अखबारों की वह लीड खबर थी। जो कुछ होना था, उसका परिणाम तो सामने आया। पन्द्रह–बीस लाख की जनता अखबार में जब पढ़ रही है कि एक सत्ताधारी दल के जिम्मेदार लोग और कार्यकर्ता टेण्डर की पेटी का पहरा दे रहे हैं, लेकिन ठेका हथियाने के बाद जो खराब सड़के बन रही हैं उसकी तरफ न कोई पहरा है और न कोई ध्यान। उसका परिणाम है कि हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने 15 जून तक की तारीख दी है कि वह पूरे प्रदेश को गड्ढामुक्त करने वाले हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपराध के ऊपर यह बोला कि ठेकेदार माफिया, अपराधी या नेता नहीं होगा उसके पीछे भाव क्या था। अपराध कहां बढ़ जाता है। मेरे जिले का तो मुझे मालूम है, बाकी सब सम्मानीय विधायक बतायेंगे कि पिछली सत्ता में खुलेआम शराब की तस्करी सत्ता के संरक्षण में होती थी और इसको कमोवेश बाद में जाकर आपके दल के सर्वोच्च मुखिया के मुख के द्वारा भी सुना गया। समस्या यह है कि अपराध आपके समय में भी हुआ और हमारी सरकार में भी होगा, लेकिन अपराध की वृत्ति क्या है ? दो साल डी0एम0 के बगल में, जहां जज रहते हैं उनके बगल में, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी के क्षेत्र की बात करता हूं, जवाहर बाग में दो साल तक दो हजार से ज्यादा लोग उस जमीन को घेरे रहे, उत्पात करते रहे। वहां पर आये दिन बवाल हुये, वकील पिटे। यह बात अगर मैं गलत कहता हूं तो आप मेरा खण्डन कर दीजियेगा। उसके बाद जो डी0एम0 और एस0पी0 के दरवाजे के बगल

में जो 280 एकड़ की इतनी बड़ी जमीन है उस पर उत्पात हो रहा था। डी0एम0 ने और कप्तान ने रिपोर्ट भेजी शासन को लेकिन शासन ने सुना नहीं। एक स्थानीय वकील ने हाईकोर्ट में जाकर अर्जी दी। हाईकोर्ट में जाकर अर्जी देते हैं और 20 जून को उनको स्टे मिलता है, स्टे मिलने के बाद की कार्यवाही भी होती है और उसके बाद कन्टेम्प्ट होता है, उसके बाद लगभग एक साल बाद।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, जवाहर बाग के मैं तथ्य बता रहा हूं, यह मैं बिल्कुल सही तथ्य बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह भी नहीं कि जवाहर बाग के लिए मैं किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी कर दूं, लेकिन यह पूरी सरकार की जिम्मेदारी है कि दो साल के उत्पात के बाद, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी, कन्टेम्प्ट के बाद भी जब वह खाली कराने के लिए सरकारी लोग फोर्स के लोग पहुंचे, चाहे वह कोर्ट के आदेश के अनुपालन में गये हों या सत्ता के आदेश के बाद गये हों, तो दो पुलिस के अधिकारी शहीद होते हैं। आपने अभी इकबाल की बात करी, तो इसके पक्ष में मैं यह कहना चाहता हूं कि इकबाल यह है आपका और हम लोगों की बात तो सीधी–सीधी है कि लाख शिकायतें करने के बाद भी पिछली बार जहां भ्रष्टाचार की कोई सुनवाई नहीं हुई, इस बार मैं जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के रूप में इस सदन में एक बयान देना चाहता हूं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी क्रिडेबिलटी अगर कोई रहने वाली है तो यह है कि भ्रष्टाचार के विरोध में अगर कोई शिकायत किसी भी कोने से उठकर आयेगी तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जायेगी।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सदन में मेरी बात को, खासकर विपक्ष ने भी मेरी बात को, नेता विरोधी दल ने जैसे सुना उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए एक बार फिर अपनी सरकार के लिए पूरी दृढ़ता के साथ मैं यह कह सकता हूं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देने जा रही है जिसका आगाज माननीय योगी जी ने स्वयं सवेरे सात बजे से लेकर रात ग्यारह बजे तक काम करके लगातार हमारे माननीय मंत्रियों ने यह व्यवहार अपनाकर और साथ में योगी जी ने सर्वथा सहज उपलब्धता दिखाई है। पहले के चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना हम सबके ध्यान में होगा। माननीय योगी जी सबके लिए उपलब्ध हैं। एक नई कार्य संस्कृति के साथ भारतीय जनता पार्टी सबका सहयोग लेते हुए बाइस करोड़ जनता की सेवा करने का काम करेगी। आपने मुझे अवसर दिया आपका बहुत–बहुत आभार।

'श्री विनोद कटियार–

मान्यवर, आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको कोटि–कोटि धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष महोदय बहुत सारी बातें किसानों पर हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट मा0 नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इस सदन की पुरानी परंपरा यह रही है कि हमेशा चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो और चाहे बजट का सत्र हो, सदस्य एक सत्ता पक्ष से और एक विपक्ष से हमेशा बोलता रहा है। मा0 अध्यक्ष आप पुरानी कार्यवाही निकलवा लीजिए हमेशा यह परंपरा रही है कि मैंने सत्ता पक्ष में रहकर भी अध्यक्ष से हमेशा यह आग्रह किया है कि दो सत्तापक्ष से बुलवाइए और एक विपक्ष से बुलवाइए लेकिन मेरी बात कभी नहीं मानी गयी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात हमेशा मानी गयी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर आपने वह परम्परा डाली जो मैं चाहता था आपको धन्यवाद। लेकिन दो, तीन, चार थोड़े से मा0 सदस्य हैं विपक्ष से।

श्री अध्यक्ष–

थोड़े कहां हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इसमें भी नए मा0 सदस्य जीतकर आए हैं थोड़ा इनको भी अवसर दीजिए। आप तो सबके संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं आप जो कह रहे हैं दो सदस्य।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वह दो नहीं तीसरा बोल रहे हैं। मान्यवर, आपको बुलवाने का पूरा अधिकार है चाहे जिसको बुलवाइए।

श्री अध्यक्ष–

नहीं ऐसा नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी। मा0 नेता विरोधी दल सत्तापक्ष में थे और मैं स्वयं नेता विरोधी दल के पद पर था। हमारी लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाता था उस समय और संख्याबल की दुहाई दे करके उस समय सत्तापक्ष दो–दो तीन–तीन सदस्यों को बुलवाने के बाद विपक्ष के एक सदस्य को मौका देता था। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, जब पूर्व में वह व्यवस्था रही है तो संख्याबल को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर 325 की संख्या यहां पर है तो हम उसको 75 की संख्या पर हम यह नहीं चाहेंगे कि 75, 325 पर भारी हो। इसलिए संख्या बल के अनुपात में मान्यवर, वैसे तो चाहिए एक और चार लेकिन अगर आपकी कृपा हो तो कम से कम एक और तीन का भी अनुपात रहेगा तो भी यह उचित रहेगा। चूंकि लगभग 225 नए सदस्य मान्यवर चुनकर आये हैं और चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों वो सभी मा0 सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाइए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर मैं हमेशा यह समझता हूँ कि जो नए मा0 विधायक चुनकर आये हैं उनको अवसर मिलना चाहिए और हम तो फर्क करते हैं कि विपक्ष के और सत्तापक्ष के जो नए मा0 सदस्य चुनकर सदन में आये हैं वह बढ़िया बोल रहे हैं। मान्यवर हमेशा यह परंपरा रही है कि एक सत्तापक्ष और एक विपक्ष। मैं हमेशा मांग करता रहा हूं कि सत्तापक्ष के दो और विपक्ष का एक सदस्य। लेकिन इसका भी तो ईमानदारी से पालन हो जाये।

श्री अध्यक्ष–

इसी का तो हम पालन कर रहे थे। आपकी जो पुरानी इच्छा है उसी आधार पर एक विपक्ष का और दो सत्तापक्ष के मा0 सदस्य, ऐसा चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि इधर से तीन बोल गये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपको ऐसा लगता है कि यह इधर के हैं लेकिन यह लोग यहां तक हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं जानता हूं। आप जो कहेंगे उसको मैं स्वीकार करूंगा।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, कभी–कभी ऐसा भी हुआ है कि उस पीठ पर बैठकर लोग कभी–कभी ऐसा भी निर्णय दिये हैं कि विपक्ष के दो और सत्तापक्ष से एक बुलवाया गया है। मान्यवर, ऐसा भी दृष्टान्त है।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन यह कभी–कभी हुआ है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, पीठ का निर्देश सर्वोपरि है लेकिन 325 का संख्या बल लेकर हम आये हैं यह हम कोई पाप नहीं किये हैं। सभी मा0 सदस्यों को यहां पर अभिव्यक्ति व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो आप अभी तक चला रहे थे 2–1, यही जारी रखें।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि यह विषय सीधा हमसे जुड़ा है और हमारी किसी कार्य प्रणाली को प्रश्नवाचक बनाता है ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरे मन में ऐसी कोई आकांक्षा अभिलाषा कोई योजना नहीं थी कि इधर के ज्यादा बोलें या इधर के कम बोलें। मैं स्पष्ट कर दूं कि न ही कोई संख्या बल की बात है। जनतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक दल का एक दृष्टिकोण होता है। बल्कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के 3–4 लोग इस आदरणीय सदन में हुआ करते थे। हम और राम गोविन्द जी को याद होगा। तो दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस बार एक नई बात यह हुयी कि बहुत भारी संख्या में कुछ नये सदस्य आये हैं। पुराने सदस्य बोलते हैं तो उनको उनसे सीखने को मिलता है। यद्यपि कई बातें बीच में ऐसी आयीं जो सीखने के लायक नहीं थी। मेरी कोशिश यह है कि सब बोल लें। अगर सब लोग सहमत हों तो आज और कल हम लोग 8–9–10–11 बजे तक बैठें। सब लोग बोलें ऐसी हमारी इच्छा है। अगर बीच में कहीं कोई त्रुटि आयी तो वह इसलिए आयी कि एक साथ उधर के दो सदस्य बोल गये तो हमने सोचा कि एक इधर से और बुलवा दें। बहुजन समाज पार्टी से जब एक बहन जी बोली थीं और उसके बाद एक सदस्य और बोल गये थे और मैं अनुग्रहीत हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष का, मा0 वर्मा जी का और मा0 मौर्या जी का कि उन्होंने समय रहते हमको सचेत किया।

श्री विनोद कटियार–

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने जो लोक कल्याण संकल्प–पत्र 2017 के माध्यम से सरकार की जो भी योजनायें आयी हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही योगी जी ने पहली कैबिनेट में पहला काम किया कि 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया और किसानों की कितनी हमदर्द है इसका सबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो दे दिया लेकिन विपक्ष जिन्होंने किसानों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, अगर सोचा होता तो फसल बीमा योजना लागू की होती। अगर फसल बीमा योजना आज लागू होती उत्तर प्रदेश में तो किसानों को बहुत लाभ मिलता, दैवी आपदा की वजह से जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। हमें मालूम है कि गांवों में पहले बिजली 2, 4, 5, 6, 7 घण्टे से ज्यादा नहीं आती थी, जैसी ही हमारी सरकार बनी,

हमारी सरकार ने, हमारे ऊर्जा मंत्री जी और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय के माध्यम से जिला मुख्यालय को 24 घण्टा, तहसील मुख्यालय को 20 घण्टा और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टा ऊर्जा आपूर्ति की जा रही है। यह बहुत ही साहसिक निर्णय है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को इससे लाभ मिल रहा है। मान्यवर, मैं भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, मेरी विधान सभा क्षेत्र में 20 वर्ष पुरानी एक योजना थी, एक तापीय योजना, जिसमें 1320–1320 मेगावॉट के 02 विद्युत प्रोजेक्ट लगने थे, जिसके लिए भूमि का आवंटन हो चुका था लेकिन कोयले के आवंटन की वजह से वह प्रोजेक्ट आज तक चालू नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में जैसा आपको पता है कि मां, बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी और अगर निकलती भी थी तो शाम को 6.00 बजे से पहले–पहले घर पहुंच जाती थी क्योंकि ऐसा होता था कि अगर घर नहीं पहुंचे तो कहीं पापा और कहीं मम्मी और कहीं भाई आ जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मां, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन हमारी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और एण्टी रोमियो स्क्वायड बनाया गया। आज रात 12.00 बजे भी हमारी मां, बहनें जाती हैं तो घर, परिवार के किसी व्यक्ति को, अभिभावक को कोई चिन्ता नहीं होती है, उन्हें मालूम है कि योगी जी की सरकार है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होने वाली है। गन्ना किसानों के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत पुरानी सरकार नहीं है, दो माह की सरकार है और इस दो माह की सरकार में हमारे गन्ना मंत्री जी ने जिस तरह से 18 हजार करोड़ से ज्यादा चीनी मिल के जो किसान थे, उनको पैसा दिलाया, यह अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। मुझे नहीं लगता है कि आज तक के इतिहास में दो माह में 18 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा किसी की भी सरकार रही हो, उसने इतनी जल्दी दिलवाया हो और अभी भी हमारे गन्ना मंत्री जी कह रहे हैं जो शेष बाकी पैसा किसानों का रह गया है वह अविलम्ब समय से पहले दिलवा दिया जायेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारे किसान केन्द्रों के लिए, 20 किसान केन्द्र जो खोले जाने हैं, निश्चित रूप से इसके बारे में आने वाले समय में बहुत लाभ होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र अगर दिल्ली से कलकत्ता चलेंगे तो बीच में आयेगा और अगर लखनऊ से झांसी होते हुए बाम्बे जायेंगे तो भी बीच में आयेगा। इसी विधान सभा क्षेत्र में एक जगह है, भोगनीपुर और भोगनीपुर के पास में एक भौवी सागर तालाब है, 50 एकड़ का, बहुत बड़ा तालाब है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उस भौवी सागर तालाब को पर्यटन के रूप में डेवलप कराया जाए तो निश्चित रूप से भोगनीपुर का चौतरफा विकास होगा और पर्यटन के माध्यम से सरकार को भी लाभ मिलेगा। मान्यवर, किसानों को फसलों के लिए सहकारिता के माध्यम से ऋण मिलता है, उस ऋण पर 3 परसेण्ट ब्याज का जो निर्णय लिया गया है, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में वह निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। ग्राम्य विकास के माध्यम से अभी विपक्ष के लोग कह रहे थे कि आवास बनाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से

(इस समय 05 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही पीठासीन हुए।)

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में 05 लाख 73 हजार आवासों को बनाया जाना सुनिश्चित हुआ है। यह बहुत ही बड़ी योजना है। इसी बीच में हमारे सिंचाई मंत्री जी अभी बैठे हुए थे, सिंचाई के माध्यम से जो हमारी सरकार के द्वारा योजना लाई गई है कि हर नहर में टेल तक पानी पहुंचेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, उसी योजना के तहत मैं विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर और सिकन्दरा की एक बहुत बड़ी योजना है अमहट कैनाल योजना, अगर उस योजना का द्वितीय चरण चालू हो जाता है तो इससे भोगनीपुर, सिकन्दरा और पूरे कानपुर देहात के सभी लोगों को लाभ मिलेगा और पानी टेल तक पहुंचेगा, इसको भी मैं चाहता हूं कि इसमें शामिल कर लिया जाय। मान्यवर, बहुत सारी योजनायें जो सरकार के द्वारा दी गई हैं उन विषय पर न बोलते हुए मैं अपने क्षेत्र के बारे में बोलना चाहता हूं। भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र 403 विधान सभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर कहा जाय तो अतिश्योक्ति न होगी। हमारे विधान सभा क्षेत्र जालौन, गरौठा लोक सभा क्षेत्र में आता है और जालौन, गरौठा लोक सभा क्षेत्र में पांच विधान सभायें हैं, कालपी, उरई, गरौठा, जालौन और भोगनीपुर, चार विधान सभा क्षेत्र मे बुन्देलखण्ड विकास निधि के माध्यम से जो पैसा आता है, उसको दिया जाता है, लेकिन भोगनीपुर को अलग छोड़ दिया गया है, मैं चाहता हूं कि अगर भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र को बुन्देलखण्ड से जोड़ दिया जाय तो निश्चित रूप से ऐसा क्षेत्र जो इतना पिछड़ा हुआ है, हमारा क्षेत्र मैं समझता हूं आधे से ज्यादा भू–भाग जंगली है और इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है अगर भोगनीपुर को बुन्देलखण्ड विकास निधि का लाभ मिले तो निश्चित रूप से यह भोगनीपुर क्षेत्र भी विकसित क्षेत्रों में गिना जाने लगेगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री विनोद कटियार–

मान्यवर, बहुत सारी योजनाओं के बारे में मैं मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जो समस्यायें हैं, आप इसमें जरूर सम्मिलित करेंगे, बहुत–बहुत धन्यवाद।

सुश्री अदिति सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन पर बल देते हुए मा0 नेता प्रतिपक्ष व अन्य वरिष्ठ साथियों द्वारा सदन में संशोधन पर रखे गये अपने विचार से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं कि प्रदेश में कानून–व्यवस्था की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है इस सदन में, इसमें ऐड करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि अधिकतर लोग इस सदन में मुझसे वरिष्ठ हैं और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पर मुझे यहां चुनकर और मेरे जो सपोर्टर्स हैं वह अधिकतर युवा वर्ग है, युवाओं में इस समय बहुत ज्यादा यह ट्रेण्ड आ रहा है और इसकी इतनी चर्चा नहीं हो रही है

जितनी होनी चाहिए पर ड्रग कल्चर उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ता जा रहा है, जो किसी टाइम में पंजाब का हाल था वही हाल अब उत्तर प्रदेश का धीमे–धीमे हुआ जा रहा है, जहां हेरोइन, स्मैक, कोकीन और अन्य ड्रग एवं एल्कोहल की सेल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और इससे हमारे प्रदेश के युवा एक तो उनकी जो अपनी लाइफ है अपनी जिन्दगियां हैं वह इफेक्ट हो रही हैं, उनकी पढ़ाई–लिखाई इफेक्ट हो रही है और इससे क्राइम भी बढ़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि इसमें कार्रवाई कराई जाय, इस पर कानून को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट ऐक्शन लेना चाहिए और रिहैबिलिटेशन सेण्टर्स सेटअप करने चाहिए। एक और हाल ही में स्टेप लिया गया था कि हाई–वे पर जो भी जहां भी एल्कोहल यानी शराब बेची जा रही थी, आदेश था कि वहां शराब न बेची जाये। वहां से हटाकर बहुत सारे रेजिडेन्शियल एरियाज् यानी रिहाइशी एरियाज् में शराब के ठेके चल रहे हैं, बेची जा रही है, जिससे महिलाओं और बच्चों को खास तौर से बहुत ज्यादा प्राब्लम्स हो रही है। यह पूरे प्रदेश में मैं जिससे भी बात करती हूं यह समस्या उठकर आ रही है। मेरा अनुरोध है कि इस पर ज्यादा एक्शन लिया जाये और सोचा जाये कि अगर हमने हाई–वे से रिमूव किया है तो एक डिफरेन्ट जोन बनाना चाहिए जहां एल्कोहल की सेल हो, जहां शराब को बेचा जाय ताकि रिहाइशी एरियाज में उस चीज को न बेचा जाये। साथ ही साथ मैं अपने जिले की मैं विधान सभा क्षेत्र रायबरेली 180 सदर विधान सभा क्षेत्र से हूं वहां अमृत योजना के अन्तर्गत हाल ही में सीवेज प्लांट का एक प्रोजेक्ट पास किया गया है उसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगी कि पानी के निकासी का भी प्रोजेक्ट पास किया जाये क्योंकि रिसर्च से पता चलता है कि जब दोनों एक साथ बनाई जाती हैं, स्ट्रार्म वाटर ड्रेनेज पानी की निकास और सीवेज सिस्टम तो दोनों की लाइफ लाइन बढ़ जाती है और सरकार का एक बार जो पैसा खर्चा होता है तो बार–बार उसको रिपेयर नहीं कराना पड़ता है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी क्योंकि मेरे क्षेत्र में सदर यानी शहर भी लगता है, वहां जहां भी 3 फेज लाइन हैं जैसे 33 किलोवाट्स की लाइन होती हैं, वहां अण्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण कराना चाहिए क्योंकि अक्सर ये लाइनें लोगों के घरों पर गिर जाती हैं और उससे बहुत ज्यादा एक्सिडेन्ट्स होते हैं। लास्ट में मेरा प्वाइन्ट यह रहेगा कि जो सिंचाई विभाग से पहले सड़कें बनती थीं जो नहर पट्टियां कहलाती हैं, सिचांई विभाग के पास उनका कन्ट्रोल होता है, उनका चार्ज होता है, उन सड़कों को बनवाने का और रिपेयर वर्क करवाने का। चूंकि सिंचाई विभाग के पास इस चीज का न तो ज्यादा बजट आता है और न तो किसी चीज की एक्सपेटीज है। अधिकतर यह सड़कें बिल्कुल ढह जाती हैं और उनका रिपेयर वर्क हो ही नहीं पाता है। मेरा अनुरोध है कि इनको पूरी तरीके से पी0डब्लू0डी0 या किसी और कार्यदायी संस्था को ट्रांसफर कर दिया जाये ताकि इस पर काम न रुके और हम लोग हर समय बस एन0ओ0सी0 लेते न फिरें। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती सरिता भदौरिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विधान सभा के प्रथम सत्र में महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपके द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। हमारा सौभाग्य है कि हम देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से चुनकर आये हैं और

इस प्रदेश ने देश को 9–9 प्रधानमंत्री दिये हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि 11 मार्च को आये परिणामों ने इस प्रदेश की करोड़ों जनता ने और लाखों कार्यकर्ताओं ने हमको प्रचण्ड बहुमत देकर इस विधान सभा में भेजने का काम किया है। मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से अपनी इटावा विधान सभा की ओर से चूंकि आदरणीय अध्यक्ष जी मैं जिस विधान सभा से चुनकर आई हूं वह विधान सभा इस प्रदेश में बहुचर्चित विधान सभा है, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से और अपनी तरफ से अपने लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश की करोड़ों जनता को बहुत–बहुत बधाई देना चाहती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं। मान्यवर, हमको प्रबोधन के कार्यक्रम में जो उद्बोधन सुनने को मिले और उन उद्बोधनों को सुनने के बाद मेरे मन मे जो नेता विपक्ष के प्रति एक आकृति बनी, एक भावना बनी, मुझे लगता था कि यह बहुत ही गम्भीर और निश्चित ही विपक्ष की भूमिका का निर्वहन बहुत ही शालीनता के साथ करेंगे लेकिन पहले दिन के सदन के वातावरण में जो वातावरण यहां पर प्रस्तुत किया गया, निश्चित ही मेरे जैसी तमाम पहली बार चुनकर आईं सम्मानित बहनें और इस सदन के तमाम सम्मानित नये विधायकों ने नये सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को देखने का काम किया है मुझे इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे आचरण की ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। मेरे मन में जो इनकी आकृति थी उस आकृति को भी धूमिल करने का काम उस दिन आदरणीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के अवसर पर किया गया। हम पिछले 5 वर्षों की प्रदेश की सरकार में सुन रहे थे कि काम बोलता है, मैं जिस विधान सभा से चुनकर आई हूं वह विधान सभा लगातार जिस मा0 नेता के नाम से उस शहर को पहचाना जाता था। मुझे शर्म आती है और मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मैं उस इटावा की निवासिनी हूं जिस इटावा का नाम लेने के बाद प्रदेश में लोग कहा करते थे, कि वहां की सरकार है तो सरकार के कारनामे कैसे थे अभी हमारे विपक्ष के आदरणीय सदस्य किसानों की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे। मैं बहुत ही गम्भीरता के साथ इस सदन में अपना पक्ष रखते हुए बात रखना चाहती हूं कि पहले की सरकार के समय में जो भूमि पर कब्जे किए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा उनकी जांच के लिये एक समिति का जिलेवार गठन किया गया है और उस समिति के गठन की सबसे बड़ी आवश्यकता किसानों को है। अभी जो किसानों की बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे समिति की आज सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे इटावा के अन्दर है क्योंकि इटावा में अगर कहीं पर भी सबसे ज्यादा इस प्रदेश में जमीनों पर कब्जे करने का काम किया गया है तो वह पूरे उत्तर प्रदेश में इटावा के अन्दर किया गया है इसलिए मैं पिछली सरकार की निन्दा करती हूं और आप सबको यह बताना चाहती हूं कि जब हम चुनाव के मैदान में निकले। हमको यह बात गर्व से मालूम थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नाम से जनता तैयार है। एक बहुत ही अचरज का काम इस चुनाव में हुआ। मैं बहुत ही गम्भीरता के साथ कहना चाहती हूं कि जब हम 2014 के चुनाव में जनता के बीच में गए हमने कभी जातिवाद की बात नहीं की, हमने धर्मवाद की बात नहीं की, हमने किसी मजहब की बात नहीं की और जनता ने 2014 के चुनाव में जो अप्रत्याशित परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए और उसके बाद जो लोग हमको कहते थे कि ये लोग झूठ बोल सत्ता में आ रहे हैं, ये देवता हैं, ये देवों का काम करेंगे। ये लोगों को

गुमराह करके आये हैं। हम देवता बनकर 2014 में आए थे और उस देवता का प्रमाण पत्र 2017 में इस उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया है और यह साबित कर दिया है कि वास्तव में हम लोग देव लोक से आए हैं और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ऐसा काम करेंगे कि आपको लगेगा कि राम राज्य की स्थापना इस उत्तर प्रदेश में हुई है। मैं बहुत ही गम्भीरता के साथ अपने विद्युत मंत्री को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। तमाम कामों की योजना मुझसे पूर्व हमारे सदस्यों ने यहां पर की है। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। मैं गम्भीरता से कहना चाहती हूं कि जिस उद्योग नीति के साथ, जिस सिंचाई नीति के साथ, जिस कृषि की नीति के साथ, जिन विकास की योजनाओं के साथ हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में काम करने वाली है लेकिन हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, हम लोगों को पीड़ा नहीं देना चाहते, हम लोगों को अपमानित नहीं करना चाहते क्योंकि जब हम लोगों के बीच में चुनाव में वोट मांगने जाते थे तो इटावा में तमाम बेबस लोग और विधवा महिलाएं अपने पेट पर हाथ रखकर और पेट पर दाबकर कहती थीं कि बिटिया हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कृपा करके जब तुम जीतना तो हमारी जमीनों का वापस करवाने का काम करना। मैं ऐसे सैंकड़ों उदाहरण देना चाहती हूं और प्रमाण के साथ देना चाहती हूं। मैं आपको आमंत्रित भी करना चाहती हूं कि आप आएं, मेरे साथ चलें, इटावा की धरती पर मा0 विकास पुरुष के विकास को देखने का काम करें। देखें कि किस तरह से वहां पर विकास की अनदेखी की गई है। देखें कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में हेंवरा से विकास शुरू हुआ और सैफई में जाकर समाप्त हो गया। सैफई में बड़ी–बड़ी गगनचुम्बी इमारतों में पूरे प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अपव्यय किया गया और आज वे गगनचुम्बी इमारतें सैफई के लोगों की आहें सुन रही हैं, सैफई के लोगों की चीखें सुन रही हैं। जिनकी जमीनों पर कब्जे किए गए, जिनके मकानों पर कब्जे किए गए और वे कहते हैं कि काम बोलता है। काम नहीं उनके कारनामे बोले। मैं बहुत ही गम्भीरता के साथ आपको कहना चाहती हूं कि

किसी को क्या गरज सोचे कभी तुझको मिटाने की
आपके ऐमाल काफी थे, आपकी हस्ती मिटाने को।

इसलिए हम सरकार में आए हैं। हमने गम्भीरतापूर्वक सरकार को संचालित करने का मन बनाया है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मेरे सम्मानित मंत्रि–मण्डल के लोग यहां बैठे हैं। इस नौजवान मंत्रि–मण्डल के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य काम करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार काम करने जा रही है। मेरी अनुपमा बैठी हैं, आदरणीय श्रीकान्त जी बैठे हैं, आदरणीय मौर्य जी बैठे हैं, आदरणीय स्वतंत्र देव जी बैठे हैं, आदरणीय हमारे संदीप सिंह जी बैठे हैं। ऐसे हमारे तमाम नौजवान मंत्री जो उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने का काम करेंगे और इस उत्तर प्रदेश में अपने–अपने विभागों के द्वारा साबित करके दिखाएंगे कि सरकारें कैसे चलती हैं, सरकारें जमीनें कब्जा करने से नहीं चलती हैं, सरकारें विरोध करने से नहीं चलती हैं, सरकारें मोदी जी की नीति पर काम करने से

चलती हैं। हम काम करके दिखाएंगे, हम साबित करके दिखाएंगे। मैं एक और बात गम्भीरता के साथ कहना चाहती हूं। हमने इस उत्तर प्रदेश की धरती पर इटावा जो आपकी पहचान थी आदरणीय नेता विरोधी दल यहां पर नहीं हैं, मेरा मन था कि उनके सामने मेरा उद्बोधन होता। वे यहां से चले गए। सरकारें ऐसे चला नहीं करतीं मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिन–जिन जमीनों पर कब्जे किये गए, जिनके मकानों पर कब्जे किये गए और जब पिछली सरकार थी तब हमारे यहां इटावा में एक नारा चला करता था कि समाजवाद का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है और आज उस नारे का समाप्त करने का वक्त आ गया है। अब नेता विरोधी दल भी हमारे बीच आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुर्भाग्यशालिनी हूं जो मैंने इटावा में जन्म लेने का काम किया है लेकिन मैं आपको बड़ी गम्भीरता के साथ बताना चाहती हूं कि आज इटावा में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का है, इटावा में विधायक भारतीय जनता पार्टी का है और आने वाले 2019 और 22 के चुनाव में मैनपुरी भी हमारी होगी यह बात मैं बहुत ही गम्भीरता के साथ बता रही हूं। मैं आपको बताने जा रही हूं कि **''अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिये में जान होगी, वही दिया जल पायेगा''** (मेजों की थपथपाहट) ये घमंड की बात नहीं है ये मैं बहुत ही गम्भीरता के साथ आपके बीच में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ी हुई थी। मान्यवर, पूरे प्रमाण के साथ नाम लेकर बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के फूफा और जीजा ने 6 बीघे जमीन लिखवाई और 12, 14 बीघे पर कब्जा कर लिया। मैंने खड़े होकर उन जमीनों को खाली कराने का काम किया। मैंने 3 कब्जे पिछली दो महीने की सरकार में वापस कराये हैं और जो अवैध थे जिनकी कोई लिखा–पढ़ी नहीं थी और आने वाले समय में भी केवल इसी विहाफ पर मैं चुनकर इटावा से आई हूं कि उन जीजा और फूफा को जमीन कब्जाने के विरोध में कटघरे में खड़ा करने का काम करूंगी और पीठ पर बैठे हुए माननीय अधिष्ठाता महोदय से निवेदन करती हूं कि ऐसे तमाम उन नेताओं की जांच करें जिन्होंने गरीब की एक बीघे जमीन लिखवायी और 10 बीघे पर कब्जा करने का काम किया। इटावा का गरीब पेट पर हाथ रखकर रो रहा है। इटावा का आज का वातावरण मैं आपको बताऊं इटावा के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे 14 वर्ष के बाद राम अयोध्या में वापस आए हों और रावण की सोने की लंका जलकर खाक हो गई हो। ऐसा महसूस कर रहे हैं इटावा के लोग और मैंने कहा कि हम संकल्प लेकर निकले हैं। 20 वर्ष के राजनैतिक जीवन में मैंने बार–बार कहा कि सैफई की सोने की लंका के ताबूत में कील ठोंकने का काम करूंगी और आज वह कील ठोककर आपके बीच में आई हूं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि सरकारें तो आती और जाती रहती हैं, पर निष्ठा के साथ हमारे मंत्री और हमारी सरकार काम करेगी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्य मंत्री हम सबको प्राप्त हुआ है। टोकने के बाद आपने मुझे ठीक याद दिलवाया अयोध्या का जब प्रकरण था तब आपके माननीय नेता ने हमारे चम्बल के पुल पर दीवाल खड़ी करके कहा था कि

इस चम्बल के पुल से परिन्दा भी पर नहीं मार पाएगा लेकिन परिन्दों ने पर मारे और आपकी सहमति से जो हुआ, उस समय आपने जो काम किये जो गोलियां चलवाईं, जो निहत्थों का शोषण किया उसके लिए कभी उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वह भविष्य के गर्त में है कि उसका फैसला कैसे होगा और कब होगा ?

(विपक्ष की ओर से आवाज आई कि मा0 अधिष्ठाता महोदय, भगवान श्रीराम आज तक तिरपाल में रह रहे हैं, ये आपकी ही पार्टी की दया दृष्टि से है, हमारे भगवान पर तो विचार करो मंदिर बनाने का काम तो करो।)

हमारी जो पहचान थी। मैं अपनी पहचान की बात कर रही थी। आदरणीय सदस्य मेरी बात सुनिये, आप चुपचाप बैठिए, मैं अपनी पहचान की बात कर रही थी।

(सत्तापक्ष से आवाज आई हमारे भगवान टेन्ट में नहीं रहेंगे हम मंदिर वहीं बनाएंगे)

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा बीच में टोका–टाकी करने पर)

आप मेरी एक मिनट बात सुनिये जिन माननीय नेताओं के कारण हमारे इटावा की पहचान गुम हो गई थी उस इटावा से हमारे आदरणीय प्रदीप दुबे जी यहां प्रमुख सचिव के रूप में बैठे हैं। हां आपकी भी सरकार में थे और मेरी पूरी बात सुनिये हमने शिशुपाल जी ''शिशु'' जैसे कवि जिन्होंने समाज को कुछ देने का काम किया, जिन्होंने मरघट पर कविता लिखकर संदेश देने का काम किया है कि ये पिछली सरकार की तरह चलने वाली सरकार नहीं है हम जानते हैं। ''स्वर्णभस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए और दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए'' इसलिए इतराने की आवश्यकता नहीं थी। आपने इतना इतराया कि मैंने पहले ही कहा था कि 'किसी को क्या गर्ज सोचे कभी तुझको मिटाने की, तेरे अरमान काफी थे तेरी हस्ती मिटाने को' और आज अपनी हस्ती को मिटाकर, अपने–आप को लुटाकर, अपनी बदहवास स्थिति में आप यहां पर बैठे हैं और हम पर आरोप लगा रहे हैं। हम जनता के बीच से आएं हैं और जनता से चुनकर आएं हैं, आप भी आएं हैं लेकिन आपकी इतनी कम संख्या है। अभी आपके विपक्ष के बीच से एक व्यक्ति ने कहा था कि इतनी बड़ी सुनामी में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत जाऊंगा। मुझे आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में अपना समर्थन प्रस्तुत करती हूं और उत्तर प्रदेश की विधान सभा के माध्यम से अपने तमाम करोड़ों लोगों को धन्यवाद देती हूं, अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूं और माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे नेता विरोधी दल, हमारे आदरणीय बसपा के सभी नेताओं का मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया गया। यहां पर मुझे कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन पहले दिन के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण सरीखा नहीं। अब कि बार ठीक–ठीक अवसर प्राप्त करें जो हमारे मन के अंदर आपकी कल्पना है, अच्छे से बन कर जाए। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

(इस समय 05 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

'श्री कमल सिंह मलिक–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन जी, अपितु वह नहीं हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं, अपने सभी वरिष्ठ साथियों एवं मेरे साथ प्रथम बार चुने हुए उन साथियों का, नेता प्रतिपक्ष का जो मुझे यहां सुनने के लिए बैठे हैं। मान्यवर, मेरी सरकार को प्रदेश में जनता ने प्रचण्ड बहुमत दिया है जो इस बात का प्रमाण है कि जनता की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं क्योंकि पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी, कानून–व्यवस्था से त्रस्त थी। मान्यवर, उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने इतने अल्प समय में जनहित के इतने फैसले लिए हैं जिसके कारण प्रदेश की जनता को आशा बंधी है बल्कि पूर्ण विश्वास जगा है कि जनता की शासन में पूर्ण भागेदारी है और हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई और जनता के लिए है। हमारी सरकार का एजेंडा 'सबका साथ सबका विकास' है। मान्यवर, हमारी सरकार ने भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न कार्य योजनाएं तैयार की हैं। वह सारी योजनाएं मेरे साथियों ने सदन के पटल पर रखी हैं। हमारी सरकार समाज में विकास की पंक्ति में खड़े अन्तिम व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति के साथ खड़ा करना चाहती है। यही हमारी सरकार की अन्त्योदय की कल्पना है। महामहिम जी के अभिभाषण के मर्म को समझने की आवश्यकता है जिसे योजनाओं से कम अपितु उनकी नीयत से समझा जा सकता है। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार अल्प रास्ते अपनाकर यश बटोरने का प्रयास कदापि नहीं करेगी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के भौतिक विकास के लिए प्रकृति का उपभोग जनता की आवश्यकताओं के उपयोग के लिए करेगी, भौतिकवाद की अन्धी दौड़ के लिए नहीं। मान्यवर, हमारे महान पूर्वजों ने हमें मार्यादित उपभोग का संस्कार दिया है, प्रकृति का दोहन करने का नहीं। हमारी सरकार प्राकृतिक सम्पदाओं को सहेजकर आने वाली पीढ़ियों को सौंपने का कार्य करेगी। हमारी सरकार प्रदेश की जनता में इतनी समझ पैदा करने का प्रयास करेगी जो इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो सके कि हम प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के रक्षक हैं जो आने वाली कोटि–कोटि संतानों की धरोहर है। जहां तक प्रदेश की कानून–व्यवस्था का प्रश्न है, प्रदेश की जनता हमारी सरकार में अपनी सुरक्षा को लेकर पूर्ण आश्वस्त है। मेरा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं वह 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है। मेरी विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर है, जहां चुनाव से पहले चोर घरों से पशुओं को चुरा कर ले जाया करते थे। आज खुले जंगल में भी पशुओं को बांध दो तो कोई हाथ नहीं लगाता। आज किसान अपने घर पर निर्भय हो कर सोता है। पहले गर्मी में बिजली आने का समाचार बनता था, आज बिजली जिस दिन गयी है, यह समाचार बनता है। मान्यवर, मेरे स्वयं के क्षेत्र में भी विगत 15 वर्षों से विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं खुली, मैं सरकार से निवेदन करता हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि मेरे यहां कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई मेडिकल कालेज खुले। विगत 15 वर्षों में मेरे यहां कोई नई सड़क नहीं बनी। जबकि गढ़मुक्तेश्वर मेरठ के राजमार्ग को जोड़ता है, बुलन्दशहर के राजमार्ग को जोड़ता है उन सड़कों को मेरी सरकार चौड़ीकरण करके 4 लेन करेगी ऐसा मेरा निवेदन है। जिस समय हरिद्वार उत्तराखण्ड में चला गया उस समय मेरी बीजेपी की सरकार ने बृज घाट को और तिगरा तक के क्षेत्र को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने का वायदा किया था वह अभी अधूरा है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि उसको पूर्ण करें। मान्यवर, मेरे यहां कार्तिक पूर्णिमा पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा अध्यात्मिक मेला लगता है जहां 8 दिन तक कुम्भ की तरह तम्बू और टेण्टों में लोग अपने घर से आकर गंगा मैया के दोनों तरफ हापुड़ व अमरोहा जिलों में एक नगर बसाते हैं जहां 3 से 4 करोड़ लोग 8 दिन के अन्दर में आकर गंगा मैया का स्नान कर तीर्थ लाभ उठाते हैं जिस मेले को भगवान कृष्ण ने महाभारत के उपरान्त भूतात्माओं की शांति के लिए यज्ञ कर और पिंडदान कर शुरुआत की थी। मान्यवर, इस मेले को मेरा सरकार से निवेदन है कि एक शासनादेश कर सरकार के स्तर से लगाने की कृपा करें।

मेरा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर कृषि की दृष्टि से दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल गंगा मैया और यमुना मैया के बीच में फैला है। उसमें कृषि विकास के नये आयाम तय किये जा सकते हैं। लेकिन वहां के बेइमान ग्रुप की एक मात्र चीनी मिल के कारण से किसानों का भयंकर शोषण हुआ है। मान्यवर, मेरे यहां खेतिहर जातियां और उनके बच्चे 20 सालों से रोजगार न मिलने से एन0सी0आर0 और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। भू–माफियाओं के द्वारा वहां की कई हजार एकड़ भूमि जो भू–माफियाओं ने कब्जाई है उस भूमि को हम नये औद्योगिक क्षेत्र बसा करके उनको रोजगार देने का काम कर सकते हैं। मान्यवर, हमारे यहां सिंचाई के लिए कई नहरे हैं जहां पानी कम आता है उसका भी सरकार संज्ञान लेगी। मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मैया का जो घाट है वह उत्तर भारत ही नहीं पूरे भारत के लिए श्रद्वा व आस्था का केन्द्र है जो दिल्ली से लगभग 70 कि0मी0 पर है एक घन्टे में वहां पर पहुंचा जा सकता है लेकिन वहां पर ट्रान्सपोर्ट की कोई भी ठीक व्यवस्था नहीं है। ट्रेने हैं तो मात्र एक–आध ट्रेन वहां रुकती है मेरा निवेदन है कि ट्रेनों का स्टाप वहां बढ़ाया जाय और ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था की जाय। मेरे क्षेत्र में अभी तक मेट्रो नहीं है यह लगभग 70 कि0मी0 दिल्ली से है एन0सी0आर0 के चारो तरफ जितने भी क्षेत्र हैं वहां एक साल के अन्दर सारी मेट्रो जा रही हैं 80 कि0मी0, 90 कि0मी0 तो मेरे क्षेत्र को भी मेट्रो से जोड़ा जाय यह मेरा सरकार से निवेदन है।

मान्यवर, मेरी विधान सभा का नाम वर्तमान में अभिलेखों में गढ़मुक्तेश्वर है जबकि वह सही में गढ़मुक्तेश्वर हैं जहां भगवान शंकर के गणों की मुक्ति हुई थी इसलिए वह गढ़मुक्तेश्वर है, उसको अभिलेखों में ठीक कराया जाय यह मैं निवेदन करता हूं।

मान्यवर, आपसे पक्ष और विपक्ष मिलकर मर्यादित सरकार देंगे और मिलकर ऐसे प्रदेश का निर्माण करें जहां हम मान्य संवेदना के संरक्षण के वातावरण का निर्माण कर सकें और स्वराज्य में स्वशासन के लिए प्रतिबद्वित और संकल्पित सरकार दे सकें। मान्यवर, एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में 2009 में एक घटना घटी थी नेशनल हाई–वे पर। सिम्भावली थाने पर 3 दिन तक जाम लगा करके माताओं, बहनों के साथ अत्याचार हुआ था दुराचार हुआ था। उस घटना में लगभग 1200 लोगों के नाम रिपोर्ट हुई मात्र 2 लोग जेल गये और उस घटना को राजनैतिक संरक्षण देकर के दबा दिया गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं ऐसी घटना की किसी सक्षम एजेंसी के द्वारा जांच कराने की कृपा करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी से जिन्होंने कल अपने अभिभाषण में दो प्रश्नचिह्न छोड़े थे उसमें थोड़ा सा मेरे एक साथी ने संज्ञान लिया था मैं आपके निवेदन से उस पर कुछ बोलना चाहता हूं आप बोलें तो मैं कुछ बोलूं। मान्यवर, उन्होंने कहा था, अपितु सदन के अन्दर जातिगत या धार्मिक शब्द का कोई नाम उच्चारण करें लेकिन वह हमारे गुरू हैं संसदीय ज्ञान के और सभी लोग नये आने वाले जो अपने विधायक हैं वह ऐसा भी मानते हैं उन्होंने कहा था कि यहां का जो मुसलमान है वह प्रदेश का ही है यह बताने की कृपा करें कि प्रदेश से आया है या कहीं और से आया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं मुसलमान कहीं से नहीं आया मुसलमान उसका ब्लड हमारा है वह हमारा भाई है, हमारा बन्धु है वह यहीं का है अगर उसकी धार्मिक आस्थायें काशी से छोड़कर काबे में चली गयीं तो उनके दादा और पिताजी के नाम नहीं बदल सकते उनके पूर्वजों के नाम नहीं बदल सकते, वह हमारा भाई है। उन्होंने एक बात और कही थी कि 1400 साल के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो हिन्दू है, नेपाल के अन्दर हिन्दू है और चाइना, कोरिया, पूर्वी जितने देश है वह सारे बौद्व धर्म के अनुयायी हैं और भगवान बुद्व भी यहीं हमारे यहां बिहार में पैदा हुये और पूरी दुनिया उनको पूजने के लिये यहां आती है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के अन्दर इस्लाम का विस्तार हुआ। मित्रों, हमारा देश कभी भी चाहे कितने भी वैभवकाल में रहा हो, हमने न कभी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, न कभी धार्मिक अतिक्रमण किया है। मित्रों, सृष्टि के कालखण्ड के अन्दर दो–ढाई हजार साल का कालखण्ड कोई बहुत बड़ा कालखण्ड नहीं होता। आज अगर आप दुनिया में जाकर देखेंगे, यूरोप और अमेरिका में जाकर देखेंगे तो हर तीसरे घर के अन्दर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। वृन्दावन के अन्दर जाकर देखिये, लाखों अंग्रेज कहां पैदा हुये वह वहां कृष्ण का भजन कर रहे हैं। पुनः यह गौरवशाली आपके पूर्वजों की संस्कृति आपके साथ खड़ी होगी और आपके साथ यह गौरवशाली भारत का निर्माण करने के लिये हमारी सरकार आपके साथ मिल करके और उत्तर प्रदेश का विकास करके हम दुनिया को दिखायेंगे। अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल जी के

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

(श्री मनोज कुमार पारस का नाम पुकारे जाने एवं कई सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, हमारे पास जो अनुरोध–पत्र हैं उन्हीं की संख्या बहुत भारी है। मैं एक सुविधा दे रहा हूं कि कल तक इस पर चर्चा रहेगी और अभी भी चर्चा जारी रहेगी। जो माननीय सदस्य किसी कारणवश न बोल सकें, वह कम शब्दों में और अधिकतम डेढ़ सौ शब्दों में अपना लिखित वक्तव्य भी हमारे सचिवालय को दे सकते हैं और वह कार्यवाही का भाग होगा और माननीय सदन की कार्यवाही में समुचित रूप में छापा जायेगा, मानो आपने सदन में यहां पर भाषण दिया है। बस वह बड़ा लम्बा–चौड़ा न हो। बस मुख्य–मुख्य बात सूत्र में लिख दें। विपक्ष के जो माननीय सदस्य न बोले हों वह भी दे सकते हैं और इधर माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी अधिकार है कि वह भी अपना लिखित भाषण दे सकते हैं लेकिन वह 150 शब्दों के भीतर हो तो ठीक रहेगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

जो वर्तमान में सदन में मौजूद हैं केवल उन्हीं को यह छूट है। यह नहीं है कि जो सदन में नहीं है वह भी लिखकर अपना भाषण देने लगे। जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं और अपना समय दे रहे हैं उनमें से ही ले लीजिये, यह न हो कि बाहर से भी लोग लिखकर दे दें।

श्री अध्यक्ष–

कल भी यह सुविधा रहेगी। क्योंकि बोलना सब चाहते हैं और एक अच्छे वातावरण में सब बहस कर रहे हैं। थोड़ा–बहुत तनाव, थोड़ी बहुत नोक–झोंक अगर न हो तो आनन्द नहीं आता इसलिये थोड़ी नोक–झोंक भी अच्छी है और आगे भी हो। लेकिन सदन ठीक चल रहा है और जो माननीय सदस्य जिनके मन में अभी हो कि सदन में अभी हमको समय मिल सकता है तो वह अभी काहे लिखकर दे रहे हैं। सम्भव है कि अभी कल तक उनको अवसर मिल जाये।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, 6.00 बज रहा है।

श्री अध्यक्ष–

6.00 कोई पहली बार तो नहीं बज रहा है हजारों वर्ष से बज रहा है। आप क्या चाहते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, जब आपने यह सुविधा दे ही दी और यह परम्परा भी रही है कि नये जो सदस्य हैं हालांकि वह सब अच्छे से बोल रहे हैं, छात्र नेता हैं, अच्छे पढ़े–लिखे लोग हैं पक्ष में हो या विपक्ष में हों। मैं पहली दफा देख रहा हूं कि अच्छी–अच्छी बात वह कह रहे हैं। लेकिन टाइम तो हो ही गया है। जब आप लिख करके मांग रहे हैं, कार्यवाही का अंग तो बन ही जायेगा। कल ये हो सकता है कि कल शुरू से बुलवा दीजिए, सुबह आप जीरो ऑवर ले लीजिए उसके बाद चर्चा प्रारम्भ करा दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री जी तो इस पर सहमत ही हो जायेंगे बाकी सदस्य भी सहमत हो जाएं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अब कल ले लीजिएगा चर्चा जारी रखें, अब आज समय हो गया है।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, आपने कल भी कहा था कि हम कल बोल लेंगे तो मान्यवर, आज कम से कम 7 बजे तक सदन चले, एक घण्टे में लगभग 12 लोग बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग नियम पालन करें तो एक घण्टे में 12 लोग बोल लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सदन को सात बजे तक चला लीजिए।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि टाइम हो गया, मान्यवर, आपके मुताबिक टाइम होने में अभी 6 घण्टे 5 मिनट बाकी है। बारह बजने में अभी 6 घण्टे 5 मिनट बाकी हैं उसके बाद टाइम होगा, अभी टाइम नहीं हुआ है।

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''–

जब विधान सभा का अगला चुनाव आयेगा तब इनका बारह बजेगा।

श्री मनोज कुमार पारस–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हमारे नेता मा0 राम गोविन्द चौधरी जी द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है, ऐसे समय में एक शायर ने कहा कि–निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन की जहां,

चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले,
जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नजर चुरा के चले, जिस्म–ओ–जां बचा के चले।

मान्यवर, भोली–भाली जनता को जिस तरह से झूठे वायदों में उलझाकर, जिस तरह से झूठे सपने दिखाकर यह प्रचण्ड बहुमत की सरकार आपको बनाने का मौका मिला। ऐसा लगता था कि ये सपना उत्तर प्रदेश की जनता इतनी जल्दी भूल नहीं पायेगी लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र दो महीने में जनता का विश्वास आपकी सरकार से उठ गया। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून की क्या व्यवस्था है, कानून की स्थिति क्या है। यहां पर बैठे हुए मेरे सम्मानित सदस्य जब हमारी लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश में थी और हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे तब तुलना किया करते थे और मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि उस समय उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था दूसरे प्रदेशों के मुकाबले काफी अच्छी थी। लेकिन यदा–कदा जहां इनको मौका मिलता था, चाहे सदन में मौका मिलता था, चाहे मीडिया के सामने हमेशा कानून–व्यवस्था की खिल्लियां उड़ाने का काम ये लोग किया करते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में क्या हो रहा है, मात्र 15 से 20 दिन के अन्दर तीन बार सहारनपुर साम्प्रदायिकता की आग में झुलस गया, जल गया। यह हमारा हिन्दुस्तान सर्वधर्म का देश है, यहां अपने–अपने हिसाब से सभी को अपने–अपने धर्म के अनुसार रीति–रिवाज, त्यौहार मनाने का अधिकार है। 14 अप्रैल को भी हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर साहब की जयन्ती थी। सहारनपुर के लोगों ने अपने तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयन्ती मनाने का काम किया और वह इकट्ठा होकर के एक जुलूस की शक्ल में सड़क ग्राम दूधली की ओर चलते हैं, प्रशासन के अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, कोई अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद जब उस गांव के सामने पहुंचते हैं तो वहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग इस बात का विरोध करते हैं कि इसकी अनुमति नहीं है और पिछले 11 सालों से ऐसी शोभा–यात्रा नहीं निकाली गयी है। वहां पर प्रशासन भी रोकता है लेकिन एक वर्ग विशेष के लोग, एक पार्टी विशेष के लोग जबरदस्ती गांव में घुसने का प्रयास करते हैं, प्रशासन के रोकने पर भी रुकते नहीं हैं। जब ऐसा होता है तो वहां पर मौजूदा हमारे लोकप्रिय सांसद जो उस समय मौके पर थे वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों से धक्का–मुक्की करने का काम किया, जिसकी वजह से वहां पर जो जुलूस की शक्ल में लोग गये थे, जबकि ग्राम दूधली के लोग उस जुलूस में नहीं थे। जो उसका आयोजक था वह उस गांव का नहीं था, दलित समाज के लोग उस जुलूस में नहीं थे लेकिन जो लोग जबरदस्ती जुलूस को निकालना चाहते थे उन्होंने वहां पर पथराव करने का काम किया और पथराव करने के बाद, वहां पर जो नंगा नाच हुआ, लोगों के घर तोड़ दिये गये, घर उजाड़ दिये गये, दुकानें तोड़ दी गयीं, आग लगा दी गयी, जिसका सारे मीडिया में प्रचार हुआ और आपने टी0वी0 के माध्यम से देखा भी होगा, अखबारों के माध्यम से पढ़ा भी होगा। उसके बाद भी यह तांडव रुका नहीं। जब

प्रशासन और फोर्स अधिक मात्रा में वहां पर पहुंची और उनको खदेड़ने का काम किया गया तो रास्ते में जितने भी धर्म और समाज के लोगों की वहां पर दुकानें थीं उन दुकान वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और दुकानें लूट ली गयी। इस सबके बावजूद भी शांति नहीं होती है और 3.00 बजे से 6.00 बजे तक सहारनपुर में एक अम्बेड़कर चौक है उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद जिस समुदाय का कोई भी व्यक्ति, चाहे बेचारा अपने बच्चों के साथ खरीददारी करने आया हो, बीमार हो, उसकी धर्म और जाति पूछ–पूछकर के उन लोगों के साथ बर्बरता की गयी, उनके साथ मारपीट की गयी। इस सबके बाद भी उनकी मनमानी नहीं रुकी, बगल में एस0एस0पी0 का कार्यालय था, एस0एस0पी0 के रेजीडेंस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया और बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सम्मानित लोक सभा सदस्य एस0एस0पी0 की कुर्सी पर बैठकर यह कहते हैं कि आज हमारा राज्य है, आज हमारी सरकार है, भगवा सरकार है, ऐसे जुलूसों पर कोई पाबन्दी नहीं लगा सकता। अपनी समस्या बताइये हम इस तरह की समस्याओं का हल करने का काम करेंगे। वहां पर एस0एस0पी0 महोदय के बच्चों ने गौशाला में जाकर अपनी जान बचाने का काम किया और आज तक इकतरफा कार्यवाई की गयी। उन लोगों को न तो कोई मुआवजा दिया गया, जिन लोगों के घर लूटे गये, दुकानें तोड़ी गयी, न जिन लोगों ने अत्याचार किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी। अगर निष्पक्ष रूप से कार्यवाई की गयी होती तो शायद उसके बाद 04 मई को घटना घटी वह नहीं घटती। फिर वहीं घटना घटती है 04 मई को उसके पड़ोस में शिमलाना गांव में महाराणा प्रताप जी की जयन्ती के उपलक्ष में वहां पर फिर इस तरह का आयोजन होता है, उसकी भी कोई परमीशन नहीं ली जाती। जबकि वहां पर सम्मानित सरकार के कई मंत्रियों को जाना था, बगैर परमशीन के प्रोग्राम रखा जाता है और वहां पर फिर हुजूम इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर जुलूस की शक्ल में नारे, ढोल बजाकर, डी0जे0 बजाकर वहां से निकलते हैं और ग्राम शिमलाना जो दलित लोगों का गांव था उसके सामने पहुंचते हैं वहां पर भी वही नजारा होता है, वहां पर भी लोग पूछते हैं कि जब इसकी अनुमति ही नहीं है तो इस डी0जे0 की आवाज कम कर दो, बन्द कर दो लेकिन उस समय भी डी0जे0 की आवाज को बन्द नहीं किया जाता बल्कि और जोर से बजाया जाता है, भड़काऊ नारे लगाये जाते हैं और यह कहा जाता है कि यह भारतीय जनता पार्टी, भगवा पार्टी की सरकार है आज किसी में हिम्मत नहीं है जो इस तरह के जुलूसों को रोकने का काम कर सके। उस समय वहां पर दलित समाज के लोग एकत्र हो जाते हैं और भारी तादाद में एकत्र हो जाते हैं तो दूसरे समुदाय के लोगो के भी इकट्ठे होने के बाद उस जुलूस को रोकने की वजह से उन पर पथराव करने का काम करते हैं और पथराव करते–करते उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और यह खबर पूरे आस–पास सहारनपुर के गांवों में फैल जाती है और फिर जो नंगा नाच होता है, हजारों की तादाद में एक धर्म विशेष के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और

उस गांव के 50 घर जला दिये जाते हैं और 50 घरों में तोड़फोड़ कर दी जाती है, बच्चों को, औरतों को, पीटा जाता है और यहां पर यह बर्बरता नहीं रुकती। दलित समाज के छोटे–छोटे बच्चों को आग में झोंकने का काम किया जाता है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय प्रशासन वहां मूकदर्शक बना हुआ था, प्रशासन वहां पर उनके हाथ–पैर जोड़ने का काम कर रहा था न कि उनको रोकने का काम कर रहा था। जब यह बात बराबर में फैली तो शब्बीरपुर एक गांव पड़ता है वहां के दलित बस्तियों में भी आग लगा दी जाती है। वहां पर रविदास मंदिर को तोड़ दिया जाता है। अम्बेडकर मूर्ति को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के साथ–साथ जब उन लोगों के ऊपर कार्यवाही होती है तो एकतरफा कार्यवाही होती है और दलित समाज के 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीन मुकदमें लिखे जाते हैं और उन तीनों में 10 लोगों को नामजद किया जाता है और 100 अज्ञात लोगों को लिया जाता है। और उसके बाद यह घटना यहीं पर रुक जाती अगर निष्पक्ष रूप से कार्यवाही हो गई होती। उसके बाद 14 तारीख को जो वहां पर गांधी मैदान है। उस गांधी मैदान में दलित समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और इसलिये इकट्ठा होते हैं अपनी बात कहने के लिये, शान्तिपूर्वक कहने के लिये कि अब कम से कम हम अपनी बात का ज्ञापन दे सकें। हम वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी बात बता सकें। उसके बावजूद उन पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है और जब लाठी चार्ज की आग पूरे शहर में फैलती है तो पूरा शहर एक बार फिर साम्प्रदायिक आग में जलने लगता है। हजारों–करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। हजारों लोगों की जान खतरे में आ जाती है। पुलिस चौकियां जलाई जाती हैं, बसें जला दी जाती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह तो सहारनपुर का हाल है। ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं। (कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी आपका नम्बर आता है।

श्री मनोज कुमार पारस–

मान्यवर, मैं चौधरी साहब को, अपने विपक्ष के नेता जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की घटना को आपको दिखाकर आइना दिखाने का काम किया है। आपको बताने का काम किया है। हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम यह चाहते हैं कि सरकार रहे, सरकार का इन्कलाब भी रहे और सरकार का इकबाल भी रहे और सरकार सबको साथ लेकर चलने का काम करे। लेकिन आपसे बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे जनपद बिजनौर में, जब से 19 तारीख से सरकार ने शपथ ली थी तब से आज तक मेरे जनपद बिजनौर में 30 लूट और डकैती की घटनाएं घट चुकी हैं। 30 लूट और डकैती की घटनाएं सरकार के 19 से आज तक और उसके बाद 9 लोगों के साथ रेप की बलात्कार की घटनाएं घटी हैं। जनपद बिजनौर जो बहुत शांतिप्रिय जनपद है

वहां के लोगों के बारे में हमारे साथी भी जानते हैं और आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वहां इस तरह की घटना घटी है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये।

श्री मनोज कुमार पारस–

हमारे नेता विपक्ष ने जो इन सारे मुद्दों को, पूरे प्रदेश की आवाज को उठाकर आपको आइना दिखाने का काम किया, इसलिये आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी प्रचन्ड बहुमत की सरकार बनी है। इस प्रचन्ड बहुमत की सरकार में आपको सीख लेनी चाहिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी से, जिन्होंने कल्याणकारी योजना चलाने का काम किया और ऐसी–ऐसी योजना चला करके इस प्रदेश का विकास करने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें।

श्री मनोज कुमार पारस–

जैसे मेट्रो लेकर आये, यहां से लेकर सड़कों का अच्छा निर्माण किया। बिजली का भी 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे देने का काम किया। अन्त में मैं आपसे और ज्यादा न कहते हुए क्योंकि आप कम समय देने की बात करते हैं लेकिन आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कब तक घर वापसी के नाम पर, कब तक लव जेहाद के नाम पर, कब तक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, कब तक नोटबन्दी, कब तक एन्टी रोमियों स्क्वायड के नाम पर, बूचड़खानों के नाम पर इस प्रदेश की जनता गुमराह करते रहोगे। अब भी समय है कि इस घमन्ड से दूर हो करके प्रदेश की जनता के विकास के लिये काम कीजिये, माननीय अखिलेश यादव जी से सीख लेने का काम कीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त कीजिये। बहुत–बहुत धन्यवाद आपका। माननीय प्रतिभा जी आप अपनी बात शुरू कीजिये।

श्री मनोज कुमार पारस–

मान्यवर, अन्त में मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुए और चन्द लाइनों से अपनी बात को खत्म करता हूं। यह आपके लिये खास तौर से

'जो उड़ते हैं ऐन के आसमानों में जमीं पर आने में वक्त नहीं लगता,

हर तरह का वक्त आता है जिन्दगी में, वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता।'

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत आभारी हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्रीमती प्रतिभा शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हेतु आपने हमें बोलने का अवसर प्रदान किया, हम आपका आभार प्रकट करते हैं लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस दिन जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान संसदीय आचरण की धज्जियां उड़ गई थीं और उस समय जब गोले फेंके जा रहे थे और उनका बुरी तरह से अपमान किया जा रहा था निशाने बनाकर गोले फेंके जा रहे थे और सीटियां भी बजाईं जा रही थीं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक तरह से देखा जाय तो हम सभी लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिये इस सदन में बात उठाते हैं। राज्यपाल जी सम्मानित व्यक्ति हैं हम माननीय अध्यक्ष जी से यह प्रार्थना करते हैं कि उनका पद संवैधानिक पद होता है और उनके सम्मान की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की होती है तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे कि इस कृत्य की पुनरावृत्ति कभी न हो। अभी नेता प्रतिपक्ष ने कल के दिन में बहुत सारे पुलिन्दे रखे, बहुत सारी घटनाएं रखीं हम लोगों के बीच में। उन्होंने यह कहा कि यह घटना हुई, यह घटना हुई। अभी हमारे भाई यह कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि 15 साल की गुन्डागर्दी जो हमारे यहां हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इससे जनता ने बहुत सारी उम्मीद लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। बहुत सारी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हैं। हम यह कहना चाहेंगे अकबरपुर विधान सभा 206 जिस विधान सभा से मैं हूं। वहां तो लगातार अत्याचार होते हैं, झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, नकली शराब इतनी ज्यादा बंट रही थी, लेकिन इन दो महीनों की सरकार में पूरी तरह से रोकथाम हो गई है जगह–जगह लोगों को पकड़ा जा रहा है। जगह–जगह जेल भेजा जा रहा है। कहीं भी झूठे मुकदमें नहीं लिखे जा रहे हैं। हमारी सरकार ने 85 लाख लोगों का, किसान लोगों के जो कर्जे माफ किए हैं, जो वायदे किए हैं, उस पर खरी उतर रही है योगी जी की सरकार बनने के साथ ही साथ हम यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि योगी जी ने रात–दिन काम किए हैं, रात–दिन मेहनत कर रहे हैं जिस दिन से सरकार बनी है यह दो महीने की सरकार है। क्या दो महीने के बच्चे से आप एक गिलास पानी मांग सकते हैं नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कल एक बात रखी कि भारत माता की जय, बोलने वाले, हम यह कहना चाहेंगे कि भारत माता कोई एक महिला नहीं हैं भारत माता हमारी भारतीय संस्कृति है हम भारतीय संस्कृति की जय बोलते है हम किसी ऐसे व्यक्ति की जय नहीं बोल रहे, जय तो भारत माता की आपको भी बोलनी चाहिए और हमें भी बोलनी चाहिए, भारत माता हमारे देश की हैं, हम उस जमीन में रहते हैं, हमारी संस्कृति की जय है हमारे आचार–विचार की जय है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कल यह भी कहा कि योगी जी हाथ से गौ–माता को चारा खिला रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी तो हम ये कहना चाहेंगे जब हम किसी का आदर करते हैं किसी का सम्मान करते हैं या ईश्वर को जब हम भोग लगाते हैं तो हाथ से ही लगाते हैं, योगी जी अपने हाथ से गाय को खिला रहे हैं (मेजें थपथपाई गईं) इसका मतलब वह यह दिखा रहे हैं कि हम अपने हाथ से गाय को खिलाकर मनुष्य ही नहीं पशुओं का भी सम्मान करते हैं। गाय हमारी देवतुल्य है इसलिए गाय को अपने हाथ से खिला रहे हैं तो हाथ से खिलाना सम्मान की बात है। इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात हो गई इसमें कौन सी हास्यास्पद बात हो गई, अभी बार–बार यह प्रकरण आ रहा है कि भगवा रंग, भगवा रंग

त्याग और तपस्या का रंग होता है, भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी का नहीं है भगवा रंग आप सबका है जो त्याग करता है और तपस्या करता है उसका है भगवा रंग, जो योगी जी पहन रहे हैं हमारे मुख्य मंत्री जी पहन रहे हैं तो हम तो यह कहेंगे यह त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है भगवा रंग। जो त्याग करता है तपस्या करता है ऐसी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और यह त्याग और तपस्या के बल पर आई है। वास्तव में हम यह कहते हैं सन्यास ले रहे हैं, सन्यास का मतलब यह होता है कि हम सांसारिक चीजों से सन्यास ले रहे हैं और योगी जी ने जो सन्यास ले रखा है तो उनका सन्यास केवल सांसारिक चीजों से है ना कि कर्म से है, कर्म तो वह कर ही रहे हैं और हमारा यह मानना है कि उनको कर्मयोगी कहना चाहिए क्योंकि रातदिन काम कर रहे हैं हमारी विधान सभा क्षेत्र में झूठे मुकदमें खत्म हो गए हैं किसानों का पूरी तरह से कर्जा माफ हो गया है सारे लोगों को पूरी तरह से न्याय मिल रहा है। बिजली 24 घंटे आ रही है एक फोन के बाद ट्रान्सफार्मर तुरन्त बदल जाता है। आप चाहे तो पता कर सकते हैं। हमारा यह कहना है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह वास्तव में न्यायसंगत है हम उसके पक्ष में अपनी बात रखते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष–

दो माननीय सदस्य खड़े हैं इसमें जो नये माननीय सदस्य हैं वह बोल लें।

'श्री सुरेन्द्र–

मान्यवर, मैं दो दिन से प्रतिवेदन दे रहा था मैं आपसे शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि आप हमारे सम्मानित हैं लेकिन कहीं न कहीं यह जरूर भूल हुई है। इस सदन में मैं भी पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं मेरा यह सौभाग्य है और मेरे जिले का भी सौभाग्य है नेता प्रतिपक्ष मेरे जिले के हैं, बड़े भाई हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूं। आदरणीय हमारे विधान सभा अध्यक्ष जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए अपनी बात को प्रारम्भ करता हूं। बन्धुओं हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया है वह सरकार की नीति और नियत है। लेकिन नीति का निर्धारण, उसका परिणाम लेना और परिणाम तभी आता है जब नेतृत्व की नीयत अच्छी होती है। जब नेतृत्व की नीयत अच्छी होती है तो नीति का परिणाम आने में कहीं दिक्कत नहीं होती है। बन्धुओं हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय जो हमारे बड़े भाई बोल रहे थे मुझे कुछ तो आनन्द भी आ रहा था स्वाभाविक है कि जनपद और क्षेत्र का लगाव हो जाता है। निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं कि बलिया की धरती पर सामाजिक जीवन में हमारे राम गोबिन्द चौधरी जी का भी एक अस्तित्व है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि मैं जय प्रकाश का चेला हूं सीना ठोककर आदरणीय चन्द्रशेखर जी का चेला हूं लेकिन शायद उस समय आप भूल गए शरमा गए कि आप अखिलेश के भी चेला बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो प्रार्थना करूंगा कि आप भी इधर आ जाइए विपक्ष शून्य प्रदेश में शासन चलाकर दिखा दिया जाय कि अब भारत की राजनीति में प्रदेश की राजनीति में योगी जी के चरित्र के सामने अब विपक्ष खड़ा होने वाला नहीं है मैं प्रार्थना कर रहा हूं और वह दिन आएगा वह इसलिए आएगा कि समाजवादी आप कहते हैं लोहिया को भी आप समाजवादी कहते होंगे तो मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय जनेश्वर मिश्र को कोई समाजवादी कहे तो प्रणाम करके स्वीकार किया जाएगा। लेकिन कोई अन्य लोगों को समाजवादी कहता है तो समाजवादी मत कहिए हो सकता है कि आप दीर्घजीवी हों तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि पौत्र के नेतृत्व में आपको काम करने को मिले।

श्री अध्यक्ष–

आपका आधा समय बीत गया है। आप अभिभाषण तक अपने को रखें।

श्री सुरेन्द्र–

माननीय राज्यपाल का जो प्रतिवेदन है उसमें जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो इससे अछूता हो एक तरफ भारतीय राजनीति में हमारे आदरणीय नरेन्द्र मोदी का चिन्तन है गर्भस्थ शिशु के बारे में भी चिन्तन किया है भाषण दिया था एक जगह कि चार माह में बच्चे में प्राण आ जाता है और चार माह से लेकर तीन वर्ष तक की अवस्था में किसी भी बच्चे में कोई सोचने की क्षमता नही होती है उन्होंने घोषणा किया है कि भारत की धरती पर भले ही विश्व में यह चिन्तन हुआ हो या न हुआ हो लेकिन भारत की धरती पर ऐसा चिन्तन होगा कि इस तीन वर्ष तक के बच्चों के ऊपर चिकित्सीय शोध होना चाहिए यह पहला चिन्तन है। भाइयों एक तरफ छोटे बच्चे की चिन्ता दूसरी तरफ हमारे उद्बोधन में आया है 80 वर्ष के आदमी की भी चिन्ता 80 वर्ष के बुजुर्ग जो आज अपने परिवार से बिछुड़कर व्यथित हो जाते हैं उनके लिए वृद्धाश्रम खोलने की व्यवस्था हमारी सरकार ने अपनी घोषणा में की है। साधारण चिन्तन यह नहीं है। तीसरी तरफ बन्धुओं अभी आप लोग बोल रहे थे अभी हमारे भाई रोमियों पर बोल रहे थे। आप भगवा रंग की सीटी दिखा रहे थे तो मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप काला शर्ट के बाद काला गमछा भी लेकर इसको संरक्षण देने का काम करिए तो और आनन्द आएगा। दूसरा बन्धुओं।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर रहिए कपड़ों पर न जाइए।

श्री सुरेन्द्र–

बिजली के क्षेत्र में सरकार काफी काम कर रही है। मैं बलिया की धरती से सम्बंन्ध रखता हूं मेरे दोआबा विधान सभा क्षेत्र में धन्य हैं हमारे आदरणीय योगी जी मैं आपको सलाम करता हूं आपके चिन्तन को प्रणाम है कि जैसे बिजली चमकती है वैसे ही चमकता हुआ बिजली मंत्री बनाया है। आपने ऐसी व्यवस्था दी है कि एक फोन पर चाहे ट्रान्सफार्मर की बात हो या अन्य बात हो एक फोन पर काम हो जाता है। यह साधारण

उपलब्धि नहीं है दो महीने के कार्यकाल में आपकी यह पवित्र नीयत ही है कि आप चाहते हैं कि हम हर क्षेत्र में सफल हो जाएं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे आदरणीय मंत्री जी मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं बलिया की धरती पर अध्यक्ष जी एक ऐसी विलक्षण योजना आपको सुनने को मिलेगी कि जब सह नेता प्रतिपक्ष बेसिक शिक्षा मंत्री से हटे थे एक एक अध्यापक 15 स्कूल का प्रधानाचार्य होता था और करोड़ों करोड़ कमाता था मैं नाम ले सकता हूं उस व्यवस्था में कितना बढ़िया सुधार हो गया है हमारे मोदी जी के चिन्तन के आधार पर मोदी के ध्वजवाहक के रूप में बलिया की धरती पर मैं हूं एक विधायक के रूप में मैं हूं। पवित्र ईमान जाति है जिसकी सेवा जिसका कर्म, दीन–दुखियों को न्याय दिलाना राजनीति का धर्म इनका बन गया है। योगी जी और मोदी जी के लिये कहता हूं कि 'सूनी पटरियों पर रेल हो गया, टूटे हुये दिलों में भी मेल हो गया, टूटे हुये दिलों में भी मेल हो गया', उसी का परिणाम है कि 325 संख्या मिली है। 'सूनी पटरियों पर रेल हो गया, टूटे हुये दिलों में भी मेल हो गया, मानो या न मानो भारत की धरती पर फिर से पटेल हो गया, भारत की धरती पर पटेल हो गया'। भाईयों, आप कहते थे कि हिन्दू धर्म कैसे बढ़ेगा। जिस देश के नेता के चिन्तन के चरणों में पूरी दुनिया नतमस्तक है, आज पूरा विश्व योग करने के लिये तैयार हो गया, आज पूरा विश्व वंदे मातरम् गाने के लिये तैयार हो गया। हमारे बड़े भाई राम गोविन्द चौधरी जी शायद नहीं जानते हैं कि आर0एस0एस0 के लोगों ने ही राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा और हमारे संघ के संस्थापक पूज्य डा0 हेडगेवार जी ने स्वयं स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी यहां के लोग, स्वार्थी लोग अपने लिये जियेंगे, उसके बाद अपने बेटे के लिये जियेंगे, उसके बाद अपनी बेटी के लिये जियेंगे। यह कौन से सामाजिक जीवन का चरित्र है कि मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा नाती, यह तो राजनीतिक जमींदारी हो जायेगी। मैं तो कहता हूं कि एक तरफ राजनीतिक जमींदारी है, एक तरफ राजनीति के अत्याचारी हैं, एक तरफ राजनीति के व्यापारी हैं और एक तरफ राष्ट्र के पुजारी हैं। राष्ट्र के पुजारियों से राष्ट्र का भला होने वाला है। मेरी अपनी मान्यता है कि आने वाले कल का भारत योगी जी के सपनों के मुताबिक, योगी जी के चरित्र के सामने, मोदी जी के चिन्तन के सामने पूरा विश्व बौना होगा और पूरा विश्व भारत माता की जय बोलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सन्दर्भ में नेता प्रतिपक्ष मा0 श्री राम गोबिन्द चौधरी जी और बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री लालजी वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यूं तो अभिभाषण के बारे में और प्रदेश की इस वक्त की जो स्थिति है उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और सच यह है कि मैं दूसरी बार चुनकर आया हूं, उस वक्त भी

नेता प्रतिपक्ष उधर मंत्री की हैसियत से बैठते थे, लेकिन इस बार जब मैंने उनको देखा तो वाकई में मेरा दिल यह हुआ कि मैं उनको सच्चे दिल से बधाई दूं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के जिन–जिन मुद्दों को उठाया है और समाज के उन लोगों के दर्द को भी उठाया है जिनकी आवाजें शायद कहीं दबी हुयी हैं या जिनके बारे में यहां चर्चा नहीं हो पाती है। महोदय, मैं फिलहाल अपने को उसमें नहीं ले जाना चाहता हूं। चूंकि जो बात हमारे नेताओं ने कह दिया है वह काफी है, मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूं। मेरे क्षेत्र की एक–दो बाते हैं जो मैं आपके माध्यम से सदन में लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इसका निस्तारण हो जाए, पीड़ितों को न्याय मिल जाए तो मैं उनका आभारी रहूंगा। महोदय, मेरे क्षेत्र में अभी लगभग 25 दिन पहले की घटना है। प्रकाश सोनकर जो मुबारकपुर रोड पर ठेला लगाकर फल बेचता था और एक मामूली विवाद में कुछ लोग गाड़ी से जा रहे थे और एक मामूली विवाद हुआ और उस मामूली विवाद में गाड़ी से एक साहब उतरे और उन्होंने सीधा उसको गोली मार दी और प्रकाश सोनकर जी की वहीं मौके पर मौत हो गई। चूंकि मेरा क्षेत्र था और एकदम से एक ऐसी घटना हो गई जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि मामूली बात पर यह घटना हुई। मैं भी गया वहां पर, मैने देखा उनके छोटे–छोटे तीन–चार बच्चे हैं और विधवा बहुत जोर–जोर से रो रही थी, सारे लोग बहुत दुखी थे। तो उसमें पांच लोग नामजद मुल्जिम हुये और आज लगभग पच्चीस दिन गुजर जाने के बाद एक मुल्जिम तो उसमें गिरफ्तार हुआ मगर अभी तक चार मुल्जिम खुलेआम घूम रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। इसलिये महोदय मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह उन मुल्जिमों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और साथ ही साथ प्रकाश सोनकर की विधवा के लिए दस लाख रुपये के मुआवजे की मांग करता हूं। महोदय एक और दूसरी बात अपने क्षेत्र से ही जुड़ी हुई कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब दूसरी सरकार थी हमारे समाजवादी भाईयों की उस वक्त भी मैंने यह बात कई बार कही। बहुत अनुरोध किया, निवेदन किया और मैं इन लोगों का आभारी भी हूं कि इन लोगों ने मेरी विधान सभा में बस डिपो बनवाया। बस डिपो बनकर लगभग छह–आठ महीने से तैयार है, मगर वह संचालित नहीं हो पा रहा है। मुबारकपुर बुनकर बाहूल्य क्षेत्र है, यहां छोटे कारोबारी रहते हैं, बुनकरों का बाहुल्य क्षेत्र है और मैंने पहले भी बताया था कि वहां छह बजे के बाद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध है कि इस बस डिपो को भी चलवा दें ताकि हमारे लोगों को उनकी समस्या से निदान मिल सके और वहां पर जो बस डिपो बना है उसका लोगों को फायदा हो सके। महोदय, एक और बात कहना चाहता हूं हालांकि मुस्लिम समाज का विधायक हूं कहते हुये यही लगता है कि कहीं हमारे भाई यह न समझे कि गलत चीज की वकालत कर रहा हूं। लेकिन अपनी जिम्मेदारियां इस बात को कहने के लिए मजबूर भी करती हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन के सभी माननीय सदस्य बराबर अधिकार रखते हैं। आप स्वयं के अपने परिचय में ऐसा मानकर न चले कि आपकी प्रतिष्ठा कम है। जितनी प्रतिष्ठा किसी भी माननीय सदस्य की है वैसी ही प्रतिष्ठा आपकी है। आप बोंले।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि माहौल ऐसा बन गया है। अभी बूचड़खाने की बात हो रही थी, बहुत चर्चा हुई यहां पर और विपक्ष के कई लोगों ने तो कहा ही, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा। हमारे सत्ता पक्ष के भाईयों ने भी कई बार कहा। कोई नहीं चाहता। मैं चूंकि उसी समुदाय से हूं कोई ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा कोई अवैध बूचड़खाना चले या ऐसी कोई कटान हो जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होता है, लेकिन महोदय यह भी एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। यह एक ऐसा देश है जहां हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं और सबकी अपनी अलग–अलग मान्यतायें हैं। सबकी अपनी जिन्दगी जीने के तरीके हैं, सबके अपने खानपान के तरीके अलग हैं। आजादी से लेकर आज तक मुस्लिम समाज में एक ऐसी जाति है जिसका जीवनयापन इसी बिजनेस से होता है और यही उनका धंधा है। मैं जानता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी लगभग पन्द्रह हजार–बीस हजार की आबादी में लोग रहते हैं। यह कुरैशी समाज के लोग हैं और उन्होंने मुझे दिखाया और पूरी फाइल दिया कि वह लोग लाइसेंसधारी हैं। आज से नहीं साठ साल से हैं। उनके बाप–दादों के जमाने से उनके पास लाइसेंस हैं और उनका लाइसेंस रिन्यूवल भी हुआ। मगर अब कोई कारण बताकर उनका रिन्यूवल रुक गया है। अब जब लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि उनको अवैध कहा जायेगा कि भई अब आपका लाइसेंस वैलिड नहीं है तो लिहाजा आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इसको सहानुभूति से देखे इसको किसी धर्म और जाति से जोड़कर न देखे। मान्यवर, मैं तो सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार इसको सहानुभूति से देखे इसको किसी धर्म और जाति से जोड़कर न देखे। मान्यवर, अगर लगता है ये कानूनी तौर पर पात्र हैं इन्हें निर्मल किया जा सकता है, हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है। आजमगढ़ के मुबारकपुर में मेरे क्षेत्र के लोग मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलकर गये हैं उनको भी फाइल दिया है। इसीलिए, मैं यह अनुरोध कर रहा हूँ। मान्यवर मैं सिर्फ दो सेकेण्ड लेना चाहता हूँ। चूँकि जब मा0 मुख्य मंत्री जी ने शपथ लिया तो मुझे बड़ी किरियोसिटी थी और मैंने पता किया कि मा0 योगी आदित्यनाथ जी चूँकि गोरखनाथ के पीठाधीश भी हैं। एक जानी–मानी शख्सियत हैं। वहां पर मुझे पता चला कि गोरखनाथ मंदिर के आस–पास बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज की दुकाने हैं और मैंने पूछा मेरे जानने वाले लोगों से कि भाई तुम लोग वहां रहते हो तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आती है, कोई परेशान तो नहीं करता है और मैं जो सच है वहीं कह रहा हूँ और मुझे लोगों ने बताया कि नहीं 'भ्म पे सपाम वनत हनंतकपंद' वह हमारे लिए एक बड़ी ही आदरणीय हैं और हमारी देखरेख करते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है।

लेकिन, यह एक विडंबना है बाहर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे हमारे समाज के लोगों में और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों में एक डर पैदा किया जाए। मान्यवर एक बंटवारा हो रहा है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर–शराबा उत्पन्न हो गया)

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

मा0 बहुत विनम्रता से मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ। मान्यवर हमारे सदस्य बहुत नाराज हो गये हम पर।

श्री अध्यक्ष–

नहीं वो नाराज नहीं हैं।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

मान्यवर, आप सुन लें। मैं वह विधायक हूँ जिस विधान सभा से चुनकर के आता हूँ वहां पर लगभग एक लाख पन्द्रह हजार मुसलमान हैं और तीन चुनाव लड़ा दो जीता, पार्लियामेंट का हार गया। एक भी सी0डी0 अगर कोई दिखा दे कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कभी धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगा हो तो मैं अभी इस्तीफा दे दूँगा। मान्यवर मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ मेरे दूसरे भाई ने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग कौन हैं, वह हमारे भाई हैं। बिल्कुल हम आपके भाई हैं। हम आपके वह अंग हैं कि आप लाख चाहें हमें कभी अलग नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष–

बहुत अच्छा।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

मान्यवर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक एक–दूसरे को अपनाएंगे नहीं तब तक यह प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मान्यवर इसलिए मेरी किसी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं किसी को ठेस नहीं पहुंची है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर एक बात गुड्डू जमाली के भाषण में आई है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल वही बूचड़खाने बन्द किये गये जो सुप्रीमकोर्ट और एन0जी0टी0 के नाम के अनुसार नहीं चल रहे थे। और, पूरी तरह से मा0 उच्चतम न्यायालय और एन0जी0टी0 के नार्मस को फालो करने के बाद ही कार्यवाही की गयी है इसमें कुछ भी

गलत नहीं है और आगे भी जो मा0 न्यायालय का और एन0जी0टी0 का कोई निर्देश होगा उसको पालन करेंगे और कोई भी वैध चलने वाला नहीं बन्द किया गया है।

श्री संजय कुमार–

मान्यवर मैं संजय कुमार गुप्ता 253–विधान सभा क्षेत्र चॉयल, पहली बार चुनकर आया हूँ। मान्यवर मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहां पहली बार बोलने का अवसर मिला। मा0 अध्यक्ष महोदय पहले दिन जब मैं विधान सभा में आया था तो मैं यह सोचकर आया था कि इस लोकतंत्र के महामंदिर में एक ऐसा वातावरण होगा जिस विधान सभा से पूरा प्रदेश संचालित होता है। 22 करोड़ जनता की यहां पूरी योजना बनती है यहां पर देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ था कि हमारे महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, सीटियां बजाई गयीं। आज अगर एंटी रोमियो पर मेरे किसी साथी ने बात किया तो मैं कह सकता हूं कि इन्हीं जैसा मेरा कोई साथी था जो शायद यहां पर सीटी बजाकर उस चीज का भी परिचय दिया जो सदन में नहीं होना चाहिए था उन पर टारगेट करके कागज के गोले फेंके गये उनको चोट लग सकती थी। एक संवैधानिक प्रमुख जिनका अभिभाषण सुनने हम लोग पहली बार चुनकर आये थे। यहां पर उनकी सुरक्षा में लगे तमाम लोग उनको बचा रहे थे। लेकिन यह हमारे माननीय राज्यपाल जी की दृढ़ता है कि इतने विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा अभिभाषण एक घण्टे तक पढ़ा और विरोधियों को यह महसूस हो गया कि राज्यपाल महोदय अपनी दृढ़ इच्छा में कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। आज वही हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे सामने बैठे हुए हैं। कल जब उनका अभिभाषण हो रहा था तो उन्होंने कानून–व्यवस्था पर बात किया। मथुरा की एक घटना उठायी, इलाहाबाद की एक घटना उठाई। मा0 अध्यक्ष महोदय, चूंकि इलाहाबाद मेरा जिला है कौशाम्बी के चायल से मैं विधायक हूं। उस घटना में मैंने खुद दौरा किया था। हमारे डिप्टी सी0एम0 साहब ने भी दौरा किया था। वह जो चार हत्यायें हुयीं थीं जिसमें दो बहनों का एक साथ गैंगरेप हुआ था। मान्यवर, इन्होंने सदन में कहा कि अपराध बढ़े हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि अपराध करने वाले कौन थे, मान्यवर, अपराध करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो आज जेल के अंदर हैं। जिन्होंने पांच लोगों ने मिलकर उन दोनों बहनों के साथ गैंगरेप किया। पूरे परिवार की हत्या की। उनके घर पर समाजवादी पार्टी का झण्डा लगा था और उनकी हत्या इसलिए कर दी गयी क्योंकि उन लड़कियों के साथ पहले छेड़खानी हुयी थी उन लड़कियों ने 100 नम्बर डायल करके पुलिस को बुलाया था जिसमें वह यादव परिवार दण्डित हुआ। उसके बाद उसके प्रतिशोध में पूरे परिवार का खात्मा किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन अपराधों के पीछे कौन है। मा0 नेता विरोधी दल मेरे सामने बैठे हैं। मेरी बात गलत हो तो मेरी इस बात का जवाब दे दें। पांच लोग जो उसमें नामजद हैं। एक ही परिवार के लोग हैं। एक ही समाज के लोग हैं समाजवादी के सदस्य हैं। उनके घर में समाजवादी का झण्डा आज भी लगा हुआ है। उस अपराध के लिए आप हमारी योगी जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की

सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह सच है कि पहले इनकी सरकारों में जब अपराध होते थे तो एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती थी। अगर किसी मजबूरी में एफ0आई0आर0 लिखी गयी तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी और उसको अपना ग्राफ बनाकर प्रस्तुत करते थे। मान्यवर, आज जो सुशासन चल रहा है। हर आदमी की एफ0आई0आर0 लिखी जाती है। हमारी सरकार इस बात की चिन्ता नहीं करती कि अपराध का ग्राफ कहां जाएगा। थाने के अंदर आज पीड़ित को न्याय मिलता है। पीड़ित सम्मान के साथ थाने में बैठता है। समाजवादी के समय में थाने बिकते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग में डी0एम0, एस0पी0 के रेट निर्धारित होते थे। मैं चूंकि पहले नगर पंचायत का चेयरमैन रहा। अब मैं विधायक बनकर आया हूं। मैं इस बात का गवाह हूं। जिस तरीके से मुझे थानों के रेट पता हैं कहिये तो मैं सदन में रेट भी बता दूं। जी0टी0 रोड के थाने क्या रेट हुआ करते थे। ग्रामीण थाने क्या रेट हुआ करते थे और जिस तरीके से योग्य दारोगाओं के बजाये पैसे के बल पर जिन लोगों की पोस्टिंग हुआ करती थी। वहां पर जो 'सत्यमेव जयते' लिखा रहता था उस थाने के अन्दर उस शब्द की डेली हत्या होती थी। थाने में जो लिखा रहता था कि 'परित्रणाय साधुनाम विनाषाय च दुष्कृताम', कहीं चरितार्थ नहीं होता था। आज वही लोग कानून व्यवस्था पर बात करते हैं। जिन्होंने महामहिम राज्यपाल को नहीं बक्शा। इस देश प्रदेश में वही लोग आम आदमी को क्या बक्शेंगे। और यह कहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी संघर्ष से पैदा हुयी है। मैं जानता हूं कि आपकी समाजवादी पार्टी संघर्ष के कोख से पैदा हुयी है। इसीलिए हल्ला बोल जैसी चीजों में भी आपने नाम कमाने का काम किया है। मैं यहां सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नौजवान भ्रष्टाचार का शिकार होते थे। आज हमारी सरकार है। नौजवानों, बेरोजगारों को आस जगी है। छात्रों के साथ जिस तरीके से अन्याय होता था। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। इलाहाबाद शिक्षा का हब है। वहां पर लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसी संस्था है और उन संस्थाओं में जिस तरीके से वहां अपराधियों की नियुक्ति की जाती थी। अनिल यादव नाम के जिस आदमी को लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाकर भेजा गया था उसका अपराधिक इतिहास भी किसी से छिपा नहीं है। बिना किसी योग्यता के उसको चेयरमैन बनाया गया था। आप सोचिये पी0सी0एस0 पैसे से बनते थे, अध्यापक पैसे से बनते थे, टी0जी0टी0, पी0जी0टी0 जैसी नौकरियां दस से बीस लाख रूपये में बिका करती थीं और सेटिंग कहां होती थी। कोई कहता था कि मैंने चाचा के यहां बात कर लिया है और कोई कहता था कि मैंने चच्चा के यहां बात कर लिया है। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं। कोर्ट ने अनिल यादव जैसे लोगों को अयोग्य ठहराया है और उनके आदेश से वह हटाये गये हैं।

(समाजवादी पार्टी के श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', डा0 संग्राम यादव तथा कुछ अन्य सदस्य खड़े होकर विरोध करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप लोग बैठिए, वह आपके अनुसार नहीं बोलेंगे और आप उनके अनुसार नहीं बोलेंगे।

(व्यवधान के मध्य)

श्री संजय कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में बिजली 8 घण्टे मिलती थी। आज योगी जी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली मिलती है, तहसील में 20 घण्टे बिजली मिलती है और जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे बिजली मिलती है और 24 से 48 घण्टे में ट्रान्सफार्मर चेन्ज होते हैं, इससे इन्हें तकलीफ हो रही है। मान्यवर, इनकी सरकार में जमीनों पर कब्जा होता था। मेरी विधान सभा में समाजवादी पार्टी का जो जिला महासचिव था, किस प्रकार से उसने जमीनों पर कब्जा किया, पूर्व उसकी जमीन जिसमें उनके पूर्वजों की मजारे बनी हुई थीं, उनको जे0सी0बी0 से तुड़वा कर उन जमीनों पर कब्जा करने का अपराध किया है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार बोलने का प्रयास करते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठिए। न आप उनके अनुसार बोलते हैं और न वह आपके अनुसार बोलेंगे। आप कृपया बैठिए। आप किसी के विचार को नहीं रोक सकते। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं।

(व्यवधान के मध्य श्री संजय कुमार बोलते रहे लेकिन कुछ स्पष्ट सुनायी नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष–

आप समझते हैं कि शोर मचाने से समस्या का समाधान हो जायेगा तो आप मचा सकते हैं। आपके अनुसार वह नहीं बोलेंगे, उनके अनुसार आप नहीं बोलेंगे। यही तो पक्ष–विपक्ष है। आप बैठ जाइये, आप हमारी बात सुनिए। आप कृपया बैठिए, आप जबर्दस्ती सुनायेंगे क्या ? आप आदरपूर्वक बैठें, आप आदरणीय हैं। आप कृपया बैठ जायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, जो असंसदीय हो उसे आप कार्यवाही से निकाल दें लेकिन मैंने पूरी बात सुनी है, उसमें एक भी शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाइये, अभी हमारी बात नहीं आयी है। आप मेरी बात को सुन लें। आप अच्छा चिल्ला सकते हैं यह हो सकता है, लेकिन आप हमारी बात भी तो सुनें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन निवेदन करने में चिल्लाने की क्या जरूरत है, हम तो घर–परिवार के हैं। हमारा निवेदन यह है कि आपका भाषण उनको नहीं अच्छा लगता है तो वह चिल्लाते हैं तो मैं रोकता हूं, उनका भाषण आपको अच्छा नहीं लगेगा, स्वाभाविक है। विपरीत विचार मिलते हैं ? यह आदरणीय सदन है और भिन्न–भिन्न विचार यहां पर आते हैं और भिन्न विचारों से इस सदन की महिमा, गरिमा और गौरव बढ़ता है। वह बोल रहे थे, आपको नहीं अच्छा लगा, आपकी बारी जब आयेगी, तब आपकी बात उनको नहीं अच्छी लगेगी। मेरा अनुरोध है कि सब को सब का भाषण ध्यान से, गहराई से सुनना चाहिए। अगर कोई बात मानहानिकारक हो तो उसे कार्यवाही से निकाल देने की बात मैं कई बार कह चुका हूं। अब आप बतायें कि आपको क्या कहना है ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

अध्यक्ष जी, मुझे यह कहना है कि इन्होंने अपराधियों की एक जाति को इंगित करते हुए समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया है। मेरा यह मानना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती।

श्री अध्यक्ष–

बिल्कुल ठीक।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, कल, परसों मथुरा की घटना में अगर ऐसी जाति के लोगों का नाम आ गया, जिस जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था तो क्या शर्मा जी यह कहेंगे कि भाजपा के लोगों ने हत्या की है ? क्या यह कहने का नैतिक अधिकार उन्हें मिल जायेगा ? मेरी इस पर पहली आपत्ति है, इन्होंने जो कहा है, उसे कार्यवाही से देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

कुछ भी असंसदीय होगा, वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, दूसरी बात, इन्होंने मेरी जाति का नाम लेकर कहा, इसलिए मैं खड़ा हूं। जाति तो बदली नहीं जा सकती, भारत के संविधान के अनुसार धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं बदली जा सकती, इस पर मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन डाक्टर लोहिया चाहते थे कि जाति खत्म हो, आप काहे को पकड़े हैं, उसको ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, अब तो हमारी बिरादरी के लड़के दूसरी बिरादरियों में बहुत करने लगे हैं।

श्री अध्यक्ष–

करने लगे न ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

लेकिन उन महिलाओं की जाति नहीं बदली जा सकती, उनके बच्चों की जाति हमारी जाति होगी। दूसरी बात मा0 अध्यक्ष जी, लोक सेवा आयोग की बात जो इन्होंने कही है, आप हिन्दुस्तान की किसी भी एजेन्सी से उसकी जांच करा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है और उसकी सूची जारी करा दें कि उस अध्यक्ष के कार्यकाल में किस जाति के कितने–कितने अधिकारी चयनित हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

लोक सेवा आयोग पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, उन्होंने कहा है। सिर्फ दो निवेदन हैं दोनों पर विचार कर लें और जाति के आधार पर अपराधी को पार्टी से जोड़ना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

वह बात हो गई, लोक सेवा आयोग एक संस्था है उस संस्था के बारे में आप भी टिप्पणी कर सकते हैं, कोई भी वक्ता टिप्पणी कर सकता है, सदन इसीलिए होता है।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तीन व्यक्तियों का पैनल जाता है, आपने कैसे कह दिया कि अनिल यादव योग्य नहीं थे, अगर योग्यता नहीं थी तो राज्यपाल ने नियुक्ति कैसे कर दी।

श्री अध्यक्ष–

आपको हमने अनुमति नहीं दी थी, आप कृपया बैठें।

श्रम एवं सेवायोजन, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मा0 सदस्य ने लोक सेवा आयोग पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का जिक्र किया, किसी प्रकार का कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोला है।

श्री संजय कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यह भी आरोप लगाता हूं पूर्व की सरकार ने न्यायालय की भी अवहेलना की है, मेरे पास एक पूरी फाइल है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, मा0 नेता विरोधी दल खड़े हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं नहीं कहता, आपने कहा वह ठीक भी है, यह सदन है इसमें हमको बोलने का अपना अधिकार है, लेकिन ऐसी बात भी बोलनी चाहिए जो किसी को आहत न करे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मा0 सदस्य संग्राम सिंह यादव ने श्री राज्यपाल पर कुछ बात कह दी, तो आपने कहा उस पर चर्चा न करें, क्योंकि वह संवैधानिक पद है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद भी संवैधानिक पद है, तो जब से लोक सेवा आयोग बना है तब से कितने उसके चेयरमैन हुए हैं, उनकी सूची निकलवा दीजिए, जिस लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की मा0 सदस्य बात कर रहे हैं, उसके कार्यकाल की सूची निकलवा दीजिए, किस जाति के लोग चयनित हुए हैं, जब से लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है तब से कितने लोग उसके चेयरमैन हुए हैं और किस–किस जाति के हुए हैं और कितनी उनकी योग्यता रही है और उनके कार्यकाल में किस–किस जाति के लोग चयनित हुए हैं, इसकी पूरी सूची निकलवा दीजिए। अब हम राज्यपाल की योग्यता पर तो यहां बहस करेंगे नहीं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की योग्यता पर हम यहां बहस नहीं कर सकते, मा0 सदस्य के ज्ञान पर उनकी विद्वता पर हमें कोई शंका नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने लोक सेवा आयोग के बारे में मा0 न्यायालय की टिप्पणी का जिक्र किया।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

नहीं, यह कहा कि जिस पर इतने अपराधिक मुकदमें हों, यह चर्चा की। सुनिये मौर्या जी अब हम लोग भी जानते हैं, अब ऐसा कोई नहीं है। हम लड़के नहीं हैं जो समझा देंगे, आपकी हम लोग आदर–प्रतिष्ठा करते हैं, बात सुन लीजिए। मैंने कल ही अपने सम्बोधन में कहा था मा0 अध्यक्ष जी कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, कहीं धरना होता है, प्रदर्शन होता है, कहीं बस फुंक जाती है, किसी भी पार्टी का आदमी, कहीं ढेले चल जाते हैं, इतना धक्का–मुक्की होती है, कहीं गोली भी चल जाती है, पुलिस गोली चला देती है कई लोग मर जाते हैं उसमें कई लोगों पर 302, 307, 305 के मुकदमें हो जाते हैं, अगर मैं ही आपसे कहूं कि इसी सदन में जितने मा0 सदस्य बैठे हुए हैं, उनके ऊपर किस पर कितने–कितने केस हैं, उसी का सर्वे करवा दीजिए। हम तैयार हैं, विपक्ष तैयार है कि मा0 सदन में बैठे हुए मा0 सदस्यों पर किस–किस पर कितने–कितने अपराधिक मुकदमें हैं, सर्वे करवा दीजिए। मैंने शुरू में ही कहा कि जो नए मा0 सदस्य आये हैं वह विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े–लिखे लोग हैं, सदन

की गरिमा के अनुरूप बात होनी चाहिए, कोई बात जुबान से फिसल जाय वह अलग की बात है।

श्री संजय कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सरकार से मुझे बड़ी आस जगी है, मैं जिस भरवारी नगर का चेयरमैन था, वहां पर हर साल दूषित पेय जल से 10–5 मौते हुआ करती थी। मैंने माननीय आजम खान जी से वह हमारे कैबिनेट मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे मैंने कार्य–योजना बनाकर मैंने नई पाइप लाइन के लिए पैसे मांगे मेरी बगल के नगर पंचायतों को पैसे दिये गये, नया सवेरा योजना में सड़क सुधार योजना में 10–10, 20–20 करोड़ रुपये बगल के नगर पंचायतों को दिये गये, मेरी नगर पंचायत को चार आने नहीं दिये गये और इसलिए नहीं दिये गये क्योंकि वहां पर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का था, वह माननीय कैबिनेट मंत्री जी को बर्दाश्त नहीं था। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो भेदभाव पूर्ण यह शासन सत्ता चली, भेद–भाव तरीके से 7 नगर पंचायतों वाला हमारा जिला एक हमारी नगर पंचायत में मैं अकेला भाजपा का चेयरमैन था, मेरी नगर पंचायत को फूटी कौड़ी नहीं दिया गया। अन्य नगर पंचायतों में जहां समाजवादी के चेयरमैन थे, हमारी तुलना में 20–20, 25–25 गुना ज्यादा वहां पैसा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज योगी जी की ऐसी सरकार आई है जो भेद–भाव से ऊपर उठकर, जाति–पाति से ऊपर उठकर, धर्म सम्प्रदाय से ऊपर उठकर एक कानून का राज्य स्थापित करना चाहती है और आज 60 दिन की सरकार है 60 साल तक गैर भाजपाई सरकारों ने उत्तर प्रदेश में शासन किया है और 60 साल तक शासन करने वाले लोग आज 60 दिन में इतना बेचैन क्यों हो गये कि यहां पर गोले फेकने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था सदन के अन्दर खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं जब आपको कहता हूं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक साल की बात कही है कि एक साल का समय दीजिये आपको उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर दिखेगा। चाहे वह सत्ता पक्ष का विधायक हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो, कोई भी सत्ताधारी नेता अगर अपराध करेगा कानून उसको बक्शेगा नहीं, ऐसी स्वच्छ छवि के हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी स्वच्छ छवि के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज मुझे गर्व है कि मै उस उत्तर प्रदेश की विधान सभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसके अध्यक्ष आप जैसे विद्वान व्यक्ति हैं और हमारे मुख्य मंत्री योगी जी जैसे व्यक्ति हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूं, आज महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित होने वाला है, राम का नाम धर्म सम्प्रदाय से न जोड़ा जाये। राम एक संस्कृति है, राम जीवन का आधार है, राम के नाम से जीवन शुरू होता है और राम नाम सत्य से जीवन का अन्त होता है। राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

'श्रीमती कमलेश सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं भगवान विदुर की धरती बिजनौर की चांदपुर विधान सभा से जीत कर आई हूं और पहली बार जब मैं यहां जीत कर आई थी तो मेरा मन बहुत खुश था कि मैं पहली बार विधान सभा में जाऊंगी, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा लेकिन यहां जिस तरह का व्यवहार किया गया, मैं पूरा उस पर नहीं जाना चाहती, मेरे सारे भाई–बहनों ने उस विषय पर बता दिया। मैं इतना कहना चाहती हूं कि उस दिन के व्यवहार से जो महिलाओं को ठेस पहुंची है वास्तव में वो बहुत ही कष्टकारी है, हम सब बहनों को बहुत कष्ट हुआ है लेकिन कहा भी गया है कि 'यत्र पूजते नारी तत्र रमन्ते देवता' जहां बहन बेटियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं और जिस समाज जिस परिवार में बहन बेटियों की इज्जत नहीं होती वह परिवार कभी तरक्की नहीं करते। माननीय अध्यक्ष जी अभी कानून का पाठ हमारे एक माननीय पूर्व मंत्री जी पढ़ा रहे थे और वह कह रहे थे कि किस तरह की व्यवस्था है, दलितों के साथ ऐसा हुआ। मैं उनको बताना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी, वे मंत्री थे, मुरादाबाद के चन्देरी गांव में दलितों के साथ ही, अभी उन्होंने बताया कि सबको अपने–अपने धर्म के अनुसार पूजा–पाठ करने का अधिकार है तो वहां चन्देरी गांव में हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के मन्दिर पर लाउड स्पीकर बजाकर पूजा अर्चना करने का काम हमारे दलित समाज के लोग कर रहे थे तो कुछ समाज विशेष के लोगों ने उस मन्दिर के लाउड स्पीकर को उतारने का काम किया। जब हम इधर बैठे हैं क्योंकि वह बार–बार इधर उंगली करके कह रहे थे तो ये सारे लोग उस चंदेरी काण्ड में उसका न्याय मांगने के लिए गए थे। वहां पिछली सरकार में सत्ता में बैठे यही लोग थे जिन्होंने निर्दोष लोगों को जेल में भेजने का काम किया था और अभी जो कानून बनाने वाली बात बता रहे थे उनको मैं बताना चाहती हूं कि जिस तरह से वहां थाने में बैठा कर शासन–प्रशासन ने जूतों से मेरे भाईयों को पीटने का काम किया था तो क्या वह कानून था और पता नहीं क्या कारण रहा। मैं और मेरी मा0 मंत्री गुलाबो देवी जी हम दोनों को भी वहां थाने में बैठाया गया। रात को 12 बजे छोड़ने का कौन सा कानून है कि किसी महिला को उसके परिवार के व्यक्ति को जब तुम जेल भेज रहे हो, उसके ड्राइवर को जेल भेज रहे हो तो ये ऐसा कौन सा कानून था कि उन महिला को थाने से छोड़ दिया जाता है। ये कौन सा कानून था मैं पूछना चाहती हूं। हम दोनों बहनें, हम चश्मदीद गवाह हैं कि जो व्यक्ति वहां जेल में थे उनको जो पानी दिया गया था तो वह टॉयलेट का पानी लाकर दिया गया था जहां शौचालय को जाते हैं। पानी तक सही से नहीं दिया गया था, ये कौन सा न्याय है, हर व्यक्ति अपना विरोध प्रकट करता है। ऐसी पिछली सरकार की कानून–व्यवस्था थी। ये अभी बिजली पर बार–बार आरोप लगा रहे हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र का एक मामला था। एक गरीब परिवार में एक बेटी की शादी थी, बेटी की डोली उठकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चली गई। चूंकि उस समय मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा था तो रात को उस गरीब परिवार के व्यक्ति ने कटिया लगाई और अपने घर में बिजली जलाने का काम किया तो पुरानी सरकार में बैठे हुए विधायकों के इशारे पर अगले दिन उस परिवार के घर में छापा लगाया गया। उस गरीब परिवार से 10 हजार रुपये वसूले गये। यह कहां की कानून–व्यवस्था है। जब शाम को मैं अपने क्षेत्र में निकली तो उस गरीब परिवार की बुढ़िया अपने घर की चौखट पर बैठी रो रही थी। मैं आपको प्रमाण पत्र के साथ दे सकती हूं, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, बोलीं रात को कटिया लगाई थी और बिजली वाले सुबह आए 10 हजार रुपया लेकर गए हैं और मैंने 6 प्रतिशत के ब्याज पर वह पैसे लाकर दिए हैं जबकि हमारी सरकार ने सर्वदा योजना चलाई है। अगर किसी अपराधी ने अपराध किया है तो उसको उसकी भूल सुधारने का मौका दिया है। हमारी सरकार ने यह किया है कि अगर कोई कटिया डालेगा तो तुरन्त उसको कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी विपक्ष में बैठे हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि तुम्हारे भगवान टाट में बैठे हैं। मैं उनको कह दूं कि भगवान सबके हृदय में हैं। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि 14 वर्ष के बाद भगवान श्रीराम अयोध्या में आए थे। शायद ये भूल गए कि वह वनवास पूरा हो गया और मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी और इस प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री श्री आदित्यनाथ योगी के रूप में भगवान राम और लक्ष्मण हमें मिले हैं और अब अयोध्या में आने की पूरी तैयारी हो गई है। मान्यवर, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगी। महामहिम राज्यपाल ने अपना जो अभिभाषण सुनाया था, मैं उसकी प्रशंसा करती हूं और उसका पुरजोर समर्थन करती हूं। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दिनांक 31, 12, 16 व 31, 03, 16 के टंकण/छपाई में हुयी त्रुटि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक टेक्निकल इरर है। एक त्रुटि है पेज नंबर–3 पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में तो मैं चाहता हूं कि आपका संज्ञान लाकर ये त्रुटि आपकी अनुमति से ठीक हो जाए। मान्यवर, कैबिनेट का भी फैसला यह हुआ था कि 31 मार्च, 2016 तक लघु एवं सीमान्त कृषकों को जितना भी फसली ऋण दिया गया है, उसको माफ करने का निर्णय लिया गया था। यह 4 अप्रैल, 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ था। इसके पहले संकल्प में भी हमारे आया था इसके पहले हमारा जो घोषणा–पत्र है उसमें भी आया था लेकिन गलती से पेज नं0–3 पर ये नीचे से सातवीं लाइन है। पेज नंबर तीन राज्यपाल जी के अभिभाषण की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि 31–12–16 तक किसानों द्वारा लिये गए एक लाख रूपये तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया गया तो मेरा मान्यवर, अनुरोध यह है कि आपकी अनुमति से यह जो भूलवश त्रुटि हुई। यह त्रुटि यदि आप अनुमति दे दें तो ठीक हो जाएगी। 31–12–16 के स्थान पर 31–03–16 है, मैं

इसलिए कह रहा हूं कि सारे समाचार–पत्रों में भी यह छपा है। 4 अप्रैल की कैबिनेट की मीटिंग में इसको पास किया गया पूरा सबको मालूम है। संकल्प–पत्र से लेकर अब तक जो भी हमारी घोषणा हुई, वह यही थी कि 31–03–2016 तक जो भी लघु और सीमान्त कृषकों का ऋण है वह हमने 1 लाख रुपये तक की सीमा का माफ किया लेकिन भूलवश यह 31–12–16 छप गया तो हम चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से यह ठीक हो जाए और इसमें किसानों की जगह पर लघु और सीमान्त कृषक होना चाहिए तो यह पूरी तरह से टंकण त्रुटि कहिए या छपाई की त्रुटि कहिए यह है आपकी अनुमति से हम इसको ठीक कराना चाहते हैं। मान्यवर, इसकी अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप इसे सदन में ले आए हैं तो शायद नेता विरोधी दल इसमें कुछ कहना चाहते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रस्तुत हो चुका है। वह स्वयं पढ़ चुके हैं और आप स्वयं उसको पढ़ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

और पहले आप कह रहे थे कि वह नहीं पढ़े हैं।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

उसी पर मैं आ रहा हूं। उस पर पक्ष और विपक्ष के तमाम सम्मानित सदस्यों के विचार भी आ चुके हैं। उस पर नेता विरोधी दल का भी विचार आ चुका है, सभी माननीय दल बसपा, कांग्रेस के विधान मण्डल दल के नेताओं के भी विचार आ चुके हैं। इसीलिए श्रीमन्, चूंकि विपक्ष अल्पमत में है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए इनको बैठा दीजिए। मैं सरकार का और आपका दोनों का सहयोग करने के लिए ही हमने उस बात को उठाया।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं, अपने और आपके सम्बन्धों में कि हमको आपसे बात करने में किसी की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मैं आपका सहयोग करने के लिए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री का सहयोग, सरकार का सहयोग करने के लिए ही मैंने सचेत किया था कि महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है, वह संविधान के भी विपरीत है और नियमावली के भी विपरीत है। मैंने उसको दिखाया भी था आपको कल ही यह है जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो आज कह रहे हैं मैंने उसको कल ही कहा लेकिन न ये माने और न आप माने तो मेरी तो यह मजबूरी है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यह कभी परम्परा रही ही नहीं है।

कभी भी नहीं जब से इस सदन का गठन हुआ है, इस पवित्र सदन का तब से कभी भी परम्परा नहीं रही कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में या जो बजट भाषण जो माननीय वित्त मंत्री जी यहां पढ़ते हैं उनको कभी भी बीच में सुधारा जा सके।

श्री अध्यक्ष–

लोकसभा में भी ऐसे उदाहरण हैं जब बजट भाषण में संशोधन हुआ है।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

नहीं वह तो कमेटी बनी, वहां दूसरी व्यवस्था है। वहां भाषण पढ़कर के पहले कमेटी में चला जाता है तब पूरा बजट आता है पर यहां पर वह व्यवस्था नहीं है तो मेरा इस पर विरोध है। अब इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, कभी परम्परा भी नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष–

लोकसभा में हुआ है। परिपाटी के आधार पर हुआ है।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

यह लोकसभा नहीं है। परिपाटी लोकसभा की यहां नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रार्थना सुन लीजिए, अब आप पक्ष नहीं बनिए।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं पक्ष नहीं बन रहे हैं, आप सबको सुन रहे हैं।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

आप निष्पक्ष हैं आप सर्वेसर्वा हैं। निष्पक्ष भी हैं सर्वेसर्वा हैं। जब इस सदन में बात आ गई, चर्चा में आ गई। सारे लोगों ने उस पर अपनी बात कह दी तो कोई हम कोर्ट में तो मुकदमा करने जा नहीं रहे हैं। वह बात आई गई उसको रहने दीजिए, उसका क्या फायदा है। ये परम्परा बिगड़ेगी श्रीमन्। ये चाहे पीठ की मुरव्वत कह दीजिए, चाहे आपकी मुरव्वत कह दीजिए चाहे यह कह दीजिए कि सरकार अभी नयी है, मंत्रियों से भी हम लोगों का व्यक्तिगत सम्पर्क है। संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश में और देश में इनका मान–सम्मान बढ़े। मैंने कल भी सचेत इसीलिए किया था कि या तो कल मेरा भाषण शुरू होने के पहले ही यह बदल गया होता। जब मैंने इस बात को उठाया था तभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने मुझसे मेरी राय ली होती और आप उस पर निर्णय दे देते। माननीय अध्यक्ष जी, अब बीच में यह बात सम्भव नहीं है कि अब इतने भाषण के बाद, सभी लोगों के विचार करने के बाद फिर इसमें कोई संशोधन किया जा सके।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह महामहिम का भाषण है और आपके सामने सदन में आकर उन्होंने पढ़ा। उस मूल भाषण में अगर यह बात है तो उसको परिवर्तित यहां तो नहीं किया जा सकता। मान्यवर, जहां तक बजट का अपने उद्धरण दिया, बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते

हैं और वह स्वयं उसमें संशोधन का प्रस्ताव कर देंगे तो संशोधित मान लिया जायेगा लेकिन महामहिम जी ने जो पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसे ही लोकसभा में कई दृष्टान्त है जब छपाई में त्रुटि हुई।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, छपाई की त्रुटि आप कह रहे हैं लेकिन महामहिम राज्यपाल जी ने तो नहीं कहा कि छपाई की त्रुटि है तो अगर उनकी तरफ से कोई संदेश इस तरह का नहीं आया है तो उसे किस तरह से बदला जा सकता है या तो महामहिम राज्यपाल की तरफ से आपको यह संदेश प्राप्त हो, उसको आप सदन में रखें तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जा सकता है लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रस्ताव पर महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिसको उन्होंने एक–एक शब्द पढ़ा और मीडिया ने, टी0वी0 ने सुना, दिखाया गया, उसमें बिना उनके संदेश के कोई परिवर्तन किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपको मालूम है कि यह भाषण उनका संदेश नहीं है, आप सबने तो लम्बे समय तक सरकार चलायी है, यह तो कैबिनेट का तैयार किया हुआ मसौदा होता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, अब इतना नहीं हो। चलिए इस पर कोई मुकदमा करने थोड़े जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं यह बात नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री उसका संशोधन प्रस्ताव लाने के अधिकारी भी नहीं हैं। इसको चलने दीजिए, कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन के भीतर वह अपनी....

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसका मतलब कि आप हमारे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी में अंतर कर रहे हैं। कल हमारी बात को आपने नहीं माना।

श्री अध्यक्ष–

अन्तर कहां कर रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, कल की कार्यवाही में है, मैंने कल इस बात का ध्यान दिलाया था कि श्रीमन् कैबिनेट ने यह किया है और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह है। यह विरोधाभासी है।

श्री अध्यक्ष–

आपने आर्टिकल–176 की ओर ध्यानाकर्षित कराया था।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, इसके बाद उसको भी कहा था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपने जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आर्टिकल–176 पर तो कहा था। पिछली सरकार में जब माननीय अखिलेश यादव यहां के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने सभी माननीय सदस्यों को कौल और शकधर की एक किताब भेंट की थी। वह किताब इसीलिए थी कि उसमें बहुत–सी रूलिंग्स थीं और वह रूलिंग्स इसी प्रकार की थी। उसमें यह भी है कि अगर कोई इस प्रकार की क्लेरिकल मिसटेक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो उसको सुधारा जा सकता है। हम आपसे निहायत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि बाकी सब चीजों का संज्ञान लेते हुए चूंकि माननीय राज्यपाल का अभिभाषण जो है, यह पहले विभागों से कैबिनेट को जाता है और कैबिनेट इसको पारित करने के बाद महामहिम को भेजती है। अब यह त्रुटि हो गयी तो मैं चाहता हूं कि यह सम्भव नहीं है कि महामहिम दोबारा इसको पुटअप करें। हमारे सामने जो रास्ता है कि सदन में कोई चीज अगर आती है तो उसको आपके संज्ञान में लाकर, आपसे प्रार्थना करके हम उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं, अगर आप अनुमति दे तों हमारा कहना यह है कि कोई ऐसी बड़ी भूल नहीं है, केवल तारीख की गलती है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो दोनो वरिष्ठ नेता तैयार ही है कह रहे हैं हम लिहाज करते हैं आपका।

श्री लाल जी वर्मा–

मेरा यह निवेदन है कि जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि क्लरिकल मिस्टेक वह तब तक था जब तक कि महामहिम ने यहां पढ़ा नहीं जब यहां सदन दोनों साथ, जो सदन बुलाया गया उसमें पढ़ा और उनके मुखारबिन्द से वह शब्द आया। तो फिर उसमें संशोधन तो अब हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष–

इसमें संशोधन इसलिए हो सकता है अगर न हो सकता होता तो आप लोग संशोधन प्रस्ताव क्यों देते।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, उसको स्वीकार करेंगे संशोधन।

श्री अध्यक्ष–

यही तो यह प्रस्ताव लायें हैं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आप बोल रहे हैं तो हम कैसे बोलें।

मान्यवर, जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसमें संशोधन है कि इस शर्त के साथ धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया गया कि इसमें यह मान लिया जाय तो यह तो संशोधन हमारा पास हो गया तब तो।

श्री अध्यक्ष–

हमने आपका ध्यानाकर्षण उस बात पर किया कि उसमें संशोधन शब्द नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि अब रोज नई परम्परा इस सदन में पड़ेगी तो अब तो सर से पानी ऊपर चढ़ा जा रहा है कई परम्परायें नई पड़ गयीं कभी भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। यह एक ऐसा मामला था कि आपके कक्ष में भी बात हुई थी हम उसमें कुछ नहीं बोले, मामला ही ऐसा था वह परम्परा पड़ गयी एक और परम्परा पड़ी मैं कितनों का जिक्र करूं और महामहिम राज्यपाल जो यह माननीय नेता विधान मण्डल बसपा ने कहा दोनों हाउस के माननीय सदस्य यहां मौजूद थे समवेत् सदन, समवेत् सदन में यह पढ़ा गया, यह अभिभाषण विभागों से बनता है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैंने ठीक कहा। सब देते हैं बनता है, कैबिनेट में इस पर विचार होता है कैबिनेट इसको पढ़ती है, कैबिनेट पास करती है महामहिम राज्यपाल के पास जाता है वह इसको पढ़ते हैं, कोई इसमें त्रुटि होती है तो फिर वह लौटाते हैं फिर त्रुटि साफ होकर के फिर महामहिम के यहॉ जाती है यह सब प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और सब प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने दोनों माननीय सदनों के सदस्यों के बीच इसको उन्होंने रखा और यही नहीं, पढ़ा उनकी गरिमा अलग है और आपकी गरिमा सर्वोच्च है, वह अलग है आपने खुद इसको पढ़ दिया। आप वाचन किये वह भी वाचन किये दोनो माननीय सदनों के सदस्य यहां मौजूद थे और बिना पुनः, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा अभिभाषण वापस हो फिर अभिभाषण पेश हो या तो पूरा यह अभिभाषण फिर से हो यह सत्र पूरा फिर से हो और पुनः अभिभाषण बने और तब यहां पर उसको फिर लाया जाय तब तो यह सम्भव है, बीच में सुधार का सम्भव नहीं है। यह न संवैधानिक है न नियमानुकूल है, न परम्परानुकूल है, न माननीय पवित्र इस सदन की गरिमा के अनुकूल है न इस पीठ के अनुरूप है, न इस कुर्सी के अनुरूप है, न उस कुर्सी के अनुरूप है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, नियमों में यह व्यवस्था है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 4 दिनों तक चर्चा होगी और उसमें संशोधन माननीय सदस्य दे सकते हैं और इसी के तहत यह जो आज एजेन्डे में संशोधन छपे हैं यह उसी एजेन्डे के तहत छपे हैं, यह उसी नियमावली के तहत छपे हैं कि संशोधन देने का अधिकार हमको है। हम संशोधन दे सकते हैं और उस संशोधन के ऊपर मतदान कराया जाता है। हम यह देते हैं कि क्योंकि राज्यपाल ने अपने भाषण में यह सब छोड़ दिया, बाकायदा उसका प्रोफार्मा दिया है, आप इस बात पर यह सोच सकते हैं कि हम संसदीय कार्य मंत्री रख सकते हैं, लेकिन हममे से कोई सदस्य भी अगर इस प्रस्ताव को रख दे और यह सदन

चाहे तो उसको पास कर सकता है। अगर आप इस पर सहमत नहीं होंगे तो हम किसी सदस्य से रखवा देंगे और वह संशोधन ऐसा होगा। संशोधन को पास करने का और संशोधन को फेल करने का अधिकार इस सदन को है। अगर आपको याद हो, इस सदन में पहले एक माननीय मुख्य मंत्री हुये हैं श्री सी0बी0 गुप्ता और सी0वी0 गुप्ता जी के जमाने में इसी प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किये गये थे और संशोधन के ऊपर मतदान हुआ था और संशोधन के ऊपर मतदान होने के बाद मतदान गिर गया था यानि सत्ता पक्ष के पक्ष में संशोधन पास नहीं हुआ था और वह धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर गिर गया था और उसके बाद जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मान्यवर, मैं इसलिये इस बात को कोड कर रहा हूं कि संशोधन किसी माननीय सदस्य के द्वारा अगर दिया जाय तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। यह मेरा सबमिशन है और यह पूरी तरह संविधान सम्मत होगा, यह पूरी तरह नियमावली के सम्मत होगा, कोई इसको चैलेन्ज नहीं कर सकता। हम किसी माननीय सदस्य के द्वारा इसको रखवा देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह संवैधानिक मामला है और जो संशोधन इसमें गया है यही जाता है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह–यह चीज नहीं है किन्तु खेद है इसको भी जोड़ दिया जाय। कोई ऐसा संशोधन कभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई माननीय सदस्य दिया गया हो कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में यह निकाल दिया जाय, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी जब से इस सदन का गठन हुआ है और आज तक। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह जोड़ दिया जाय लेकिन महामहिम के अभिभाषण से यह निकाल दिया जाय, कोई भी आज तक इस तरह की न परम्परा रही है और न परिपाटी रही है। यह न संवैधानिक है केवल यह जोड़ दिया जाय, यह होता है। राज्यपाल के अभिभाषण में हमको, संसदीय कार्य मंत्री को, इस सदन को उसमें से कुछ भी घटाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अभिभाषण पुनः महामहिम राज्यपाल जी के यहां वापस जाये और वहॉ से संशोधन करके आये और फिर वह अपना अभिभाषण यहां पढ़े और फिर उस पर चर्चा हो, तब पास हो यही रास्ता है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह जो नियमावली है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमावली का हवाला दिया। राज्यपाल का सभा को अभिभाषण तथा संदेश के सम्बम्ध में। इसमें दिया है कि ऐसे प्रस्ताव की चर्चा पर संकल्पों के विषय से सम्बद्व नियम यथोचित परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे। परन्तु ऐसे प्रस्ताव या उस पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिये किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु यह भी कि और कोई ऐसे संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे जो मूल प्रस्ताव के अन्त में शब्द जोड़ने के रूप में न हों। अंत में जो मूल धन्यवाद का प्रस्ताव है उसके अंत में मूल प्रश्न के शब्द के जोड़ने के रूप में न हों। कोई परिवर्तन करने का नहीं हो सकता केवल अंत में जोड़ा जा सकता है और वह जोड़ने सहित अगर संशोधन प्रस्ताव आता है तो इसमें लिखा है प्रस्ताव संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित स्वीकृत होने पर अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल को अर्पित किया

जायेगा। अब मान्यवर, निश्चित रूप से यह प्रक्रिया है अंत में जोड़ना। अन्त में जोड़ने के रूप में आ जाता है तो उसके सहित आप पास कर सकते हैं, उसके रहित पास कर सकते हैं। वह धन्यवाद प्रस्ताव आप देंगे। इसलिए मान्यवर, अगर इसके बाद भी, चूंकि यह विधिक विषय है और मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी परम्परा न बने जिससे कि हम सब लोगों को बाद में किसी तरह की असुविधा हो और आपको भी किसी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े इसलिए यदि कहीं निर्णय लेने में असुविधा हो रही है तो निश्चित रूप से इस विषय पर विधि–विशेषज्ञों की राय ले लें या आप इस पर निर्णय सुरक्षित कर लें और फिर से सोच विचार कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 वर्मा जी ने पूरी बात को स्वीकार कर लिया। देखिये, जब हम संशोधन दे सकते हैं जब संशोधन देने की परम्परा रही है। यह आज से नहीं है नियमों में व्यवस्था रही है।

श्री अध्यक्ष–

अभिभाषण सदन की प्रापर्टी हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, आप निर्णय दे दीजिएगा लेकिन पहले हमारी बात को सुन लें। मेरा सिर्फ यह कहना है कि संशोधन देने का अधिकार हमारा है और उस संशोधन पर विचार करने का काम सदन का है। क्योंकि सदन ऐसा करता रहा है हमने एक नहीं बल्कि दर्जनों संशोधन दिये हैं और उन संशोधन के माध्यम से हम चाहते कि यह आ जाए। जो शब्द हमसे छूटा है वह केवल इतना है कि ''लघु और सीमान्त कृषक'', उसमें लघु एवं सीमान्त किसानों के स्थान पर ''किसान'' छप गया। लघु और सीमान्त कृषक बढ़ाने की बात है और जहां तक 31–12–2016 की जो बात है उसके स्थान पर 31–03–2016 कर दिया जाय। इसको हम एक लाइन में उस तरीके से ले आयेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है और यदि आप विधि–विशेषज्ञों की राय की बात कर रहे हैं तो एडवोकेट जनरल की राय ले लेंगे और उसके बाद पेश कर देंगे। लेकिन यह क्लियर होना चाहिए, हम कोई गलत परम्परा नहीं डाल रहे हैं, संशोधन की परम्परा मेरी बनाई हुई नहीं है, जिस दिन से यह नियमावली बनी उस दिन से यह संशोधन देने की परम्परा है। इसमें कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं हो रहा है, वह संशोधन हो रहा है जो कि जगजाहिर है जिसको उत्तर प्रदेश की समस्त मीडिया ने, अखबार पढ़ने वालों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिसको बाकायदा सुना, हमारे संकल्प–पत्र में भी है और उसके बाद जो 04 अप्रैल की कैबिनेट में पारित हुआ वह 05 अप्रैल को सारे समाचार–पत्रों में उसी प्रकार से छापा गया कि हम 31–03–2016 तक का जो ऋण लिया गया था, उसको माफ किया गया। विपक्ष की ओर से जो सुझाव आया है हम उसको उस तरीके से भी ले लेंगे और हम यह जरूर चाहेंगे कि कल हम उस रूप में इस संशोधन को पेश कर देंगे। अब हम चाहेंगे कि इसको विचार करके सुधरवा लें। यह सही है कि कोई कोर्ट

में नहीं जा रहा है लेकिन कोई कोर्ट को कंसील भी नहीं करना चाहता। जो चीज कल ध्यान नहीं दे पाये, कल जिस समय आप बोल रहे थे हो सकता है कि उस समय मैं पांच मिनट के लिए बाहर गया हूं। जैसे मैंने देखा कि आपने बोलना शुरू किया तो मैंने सोचा कि नेता सदन को यहां होना चाहिए, मैं तुरन्त नेता सदन को फोन करने के लिए गया ताकि उनको बता दें कि आपने बोलना शुरू कर दिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर सुनें, अभिभाषण को ठीक करने की प्रक्रिया, संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया, यदि राष्ट्रपति द्वारा अपनी अभिप्रमाणित प्रति में कतिपय शुद्धियां की जाती हैं तथा यदि यह शुद्धियां अन्य मुद्रित प्रतियों में न की गई हों तो सचिवालय सदस्यों को यह प्रतियां बांटने से पहले शुद्धिकरण जारी कर देता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण किये जाने और उसकी प्रति पटल पर रखे जाने के बाद किसी मंत्रालय को अभिभाषण में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसमें सुधार की प्रक्रिया यह है कि सम्बन्धित मंत्रालय राष्ट्रपति का ध्यान उस ओर दिलाता है और जब राष्ट्रपति उस त्रुटि को सुधारने का अनुमोदन कर दें तो राष्ट्रपति सभा को संदेश भेज सकता है जिसे सीधे अध्यक्ष को सम्बोधित किया जा सकता है या किसी मंत्री के माध्यम से उस तक पहुंचाया जा सकता है तथा जब उसकी घोषणा कर दी जाए और उसे सभा पटल पर रख दिया जाए तो उसे विधान सभा के अधिकारी द्वारा उसको अभिलेख में शामिल कर लिया जाता है। श्रीमन्, प्रक्रिया यह है। यही मैंने शुरू में कहा और यही मैं कल भी कह रहा था। हमारी बात को आपने गम्भीरता से नहीं सुना, सदन ने नहीं सुना, बल्कि उस पर उधर से दो चार माननीय सदस्यों की आलोचना भी आ गयी कि नेता विरोधी दल तो अवैधानिक कह रहे थे और नियम विरुद्ध कह रहे थे। मैं इन्हीं सब त्रुटियों पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। लेकिन हम विरोध पक्ष के हैं, हमारी बात तो सब नकार देना है। आज वह गले की घंटी बन गयी। तो यह प्रक्रिया है, अगर महामहिम राज्यपाल जी को यह मंत्री जी सूचित करें, वह आपको निर्देश दें या संदेश दें तो कल आप उसको कर सकते हैं, आज यह सम्भव नहीं है। आज महामहिम राज्यपाल को जाकर मंत्री जी संदेश दें कि यह त्रुटि हो गयी है और वह अगर आपको संदेश देते हैं तो उसको आप सदन में पढ़कर के सुनायेंगे और उसके बाद इसमें कोई कार्रवाई कर सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

अब इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। आपने भी लोकसभा की बात कही, कृपापूर्वक आपने भी लोकसभा की बात कही।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आपकी बात पूरी हो गयी, अब हम शुरू करें। देखिये, मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है, यह तो और बात है कि भूलवश हो गया। लेकिन हम अभी भी इसी राय के हैं

कि संशोधन विधान सभा में दिया जाता है और विधान सभा को उसको पारित करने का अधिकार है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने प्रक्रिया को पढ़कर सुना दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

पूरी बात सुन लें उसके बाद टिप्पणी करें, शोर शराबे में बहुत सी चीजें रह जाती हैं एक तो क्रम टूट जाता है बोलने का। पूरी बात सुन लें हमने तो बीच में बोला नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप बोलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मेरा यह कहना है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर जो संशोधन दिये जाते हैं उसके ऊपर इस सदन को विचार करने का अधिकार है, उसके ऊपर अपना मत देने का अधिकार है और उसको पक्ष या विपक्ष में पारित करने का अधिकार है। यह मेरा स्पष्ट मत है। हम आपकी बात भी अगर पूरी तरीके से मान लें तो हमारे जोड़ने से भी काम चल जायेगा। हम उसको एक लाइन का प्रस्ताव ले आयेंगे, हम कोई चीज कन्सील नहीं करना चाहते हैं, छुपाना नहीं चाहते हैं और जग जाहिर करके करना चाहते हैं। हम इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि एक मद खत्म हो जाए तब हम आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर मान लिया नहीं होते आप लोग, तो हम यह कल जीरो ऑवर में प्रस्तुत करते। हमने आपसे कह भी दिया था इसलिए अभी भी मैं अपनी बात को अब दोहराकर, आपका और सदन का समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैं अभी भी उस अपनी बात के ऊपर बल देता हूं और हम यह जरूर चाहते हैं कि आप इसके ऊपर विचार कर लें। हमारे पास जितने विकल्प हैं हम उनका भी इस्तेमाल करेंगे और लीगल राय भी आज ही लेंगे। विपक्ष की तरफ से यह सुझाव आया कि इसके ऊपर लीगल राय ले लें। हम इसके ऊपर लीगल राय भी ले लेंगे। जो सरकार का पक्ष था वह मैंने आपके सामने क्लीयर कर दिया। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कल निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप समय मांग रहे हैं न ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, समय इसलिए मांग रहे हैं कि विपक्ष एक राय नहीं हुआ, इन्होंने भी लीगल राय की बात कही, हम उसके ऊपर भी तैयार हैं। जितने भी विकल्प हमारे पास हैं संविधान–सम्मत, कानून–सम्मत, नियमावली–सम्मत बनाना चाहते हैं और कोई नई

परम्परा ऐसी नहीं डालेंगे जिससे सदन की गरिमा को और माननीय सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचे।

(नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने तो सबेरे ही कहा कि इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, इनके कोई गुस्से का कोई दवाई करते। जब स्पष्ट है कि माननीय मंत्री राज्यपाल से जाकर कह सकते हैं, राज्यपाल उसको शुद्ध करके आपको संदेश दे सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह एक विकल्प है, लेकिन जब एक बहस चली कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो मेरा अभी भी मानना है कि यह हाउस अपने आप में सुप्रीम है यह अब हाउस की प्रापर्टी है। हम संशोधन इसमें मांग सकते हैं। संशोधन पर मत दे सकते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके निर्वाचन के दिन भी इस बात को कहा था कि यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा देश की और विधान सभाओं से सर्वोच्च है। कभी–कभी लोक सभा में भी इस विधान सभा के उद्धरण दिये गये हैं। एक दो बार दिये गये हैं, इस विधान सभा के और इस पीठ के जो निर्देश रहे हैं उसको भी एक दो बार वहां पर लोक सभा में रखा गया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा मामूली विधान सभा नहीं है। यहां पर एक से एक माननीय विद्वान सदस्य अध्यक्ष आसन पर विराजमान हुए हैं। कम से कम आप तो विद्वान हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, कोई भी गलत परिपाटी अगर पड़ गई, कोई भी शोध विद्यार्थी यही कहेगा कि इतने विद्वान अध्यक्ष के रहते संसदीय परम्परा में यह कैसे गड़बड़ हो गया। संसदीय परम्पराओं का सवाल है, संसदीय मर्यादाओं का सवाल है, सदन का सवाल है, परिपाटी का सवाल है, संविधान का सवाल है, इसलिये आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी आपकी पीठ से ऐसा निर्देश नहीं होना चाहिए जिससे संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन हो सके यह मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

175(2) में वह भी हो सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कुछ नहीं हो सकता मंत्री जी, नहीं तो और फंस जायेंगें। क्यों जिद कर रहे हैं। सब साफ बात कह दी आपका सहयोग हम लोग कर रहे हैं फिर क्यों जिद पर अड़े हैं। तो कराइये। सब कैंसिल नहीं हो जाये तो हमसे पूछियेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही है मैं उसी के आधार पर अपना अभिमत व्यक्त करने और फिर व्यवस्था देने जा रहा हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने लोक सभा का उद्धरण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदय का कि अभिभाषण में यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो किस प्रकार से उसमें संशोधन होगा। जहां तक मैं समझ पाया हूं। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जहां तक मैं समझ पाया हूं जब तक वह अभिभाषण दिया नहीं जाता तब तक संशोधन करने की प्रक्रिया है और जब अभिभाषण इस आदरणीय सदन में आ गया या किसी भी सदन में हुआ। यहां पर हम इस आदरणीय सदन की चर्चा कर रहे हैं तो जब यहां पर अभिभाषण आ गया तो अभिभाषण उत्तर प्रदेश विधान सभा की इस आदरणीय सदन की सम्पत्ति बन गया। और जब अभिभाषण आ जाता है तो उसके बाद सभी सदस्यगणों को उसमें संशोधन का अधिकार होता है इसलिये कि अभिभाषण कोई अधिनियम नहीं है। अधिनियम भी होता है तो यहां पर डिस्कशन का, संशोधन का अधिकार होता है। और इसीलिये सभी माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप में भी और दलगत रूप में भी अभिभाषण की विषय वस्तु पर संशोधन देते हैं। माननीय नेता विरोधी दल और संसदीय कार्य मंत्री ने इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई के लिये विचार किया है जो मैं समझ पाया हूं माननीय वर्मा जी के तर्क सुनकर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के तर्क सुनकर। माननीय वर्मा जी के तर्क सुनकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि हम विधिक राय भी ले लें तो मैं समझता हूं कि इस विषय को हम कल उचित समय पर दोबारा प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक सूचना और देना चाहते हैं कि कल 433 महिलाओं को जेल भेजने वाली बात कही गई थी मान्यवर, वह सही नहीं थी। मैंने रिपोर्ट मंगवा ली है केवल थाना मंझोला में उसी विषय को लेकर मुरादाबाद जनपद में केवल एक महिला जेल में हैं बाकी सभी लोगों की या तो जमानतें हो चुकी हैं और उस विषय से संबंधित केवल एक महिला जेल में आई है, ऐसी रिपोर्ट आई है मान्यवर। यह हम सदन को आपके माध्यम से सूचित करना चाहते हैं।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18–5–2017 को नियम–51 में, यह संयोग ही है कि कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुई हैं और सभी 51 सूचनायें स्वीकृत की जाती हैं।

पहली सूचना श्री रघुराज प्रताप सिंह आयुक्त महोदय, वाराणसी के आदेश पत्र संख्या–3641/9–201(2009–12) रा0सं0 दिनांक 20–4–2016 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू'' जनपद हरदोई विधान सभा बिलग्राम–मल्लावां क्षेत्र में सढ़ियापुर से राजघाट होते हुये मेंहदीघाट पुल तक बंधा का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री वीरेन्द्र यादव जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत जंगीपुर बाजार ग्राम गोबिनापुर और बौरा में 33/11 के पावर हाउस का शिलान्यास होने के बावजूद निर्माण कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध

में, चौथी सूचना श्री प्रेम सागर पटेल जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र रिसवा अन्तर्गत कप्तानगंज ठूठी वारी मार्ग की सड़क तत्काल बनाये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'' जनपद बस्ती के हर्रैया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मनोरमा नदी को सरयू–घाघरा से जोड़े जाने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री रफीक अंसारी जनपद मेरठ के निर्वाचन क्षेत्र सं0 48 में राजकीय कन्या इण्टर कालेज हापुड़ रोड मेरठ को दो पालियों में प्रारम्भ कराने एवं स्टाफ की कमी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना श्री अनिल कुमार दोहरे जनपद कन्नौज के माछा थाना अन्तर्गत दिनांक 15–5–2017 को कु0 पिंकी के साथ हुये बलात्कार के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह जनपद अमेठी में शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में (दिनांक 16–5–2017 को स्वीकार), नवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सलोन अन्तर्गत दिनांक 2–5–2017 को किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प पर सप्लाई इंस्पेक्टर व तहसीलदार सलोन द्वारा की गई कार्यवाही पर लीपापोती किये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री अभिताभ बाजपेई कानपुर नगर में उपभोक्ता फोरम न्यायालय को 25 किमी0 दूर किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव महिला विभाग में सहायक अधीक्षक संवर्ग के पदों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव जनपद बाराबंकी में रिलायंस इंस्टीट्यूट एवं जे0 आर0 एग्रो से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में पुरुष चिकित्सालय 100 बेड एवं महिला चिकित्सालय को 50 बेड का कराये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में सरकार की घोषणा के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, सोलहवीं सूचना श्रीमती सुनीता जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र जमनियां में विद्युत तारों एवं वोल्टेज की कमी को दूर करते हुये विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, सत्रहवीं सूचना श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय जनपद चित्रकूट में वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में सूखा एवं ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में, अट्ठारहवीं सूचना श्री तसलीम अहमद जनपद बिजनौर में नेशनल हाई–वे 74 के समीप हुये अवैध कब्जे एवं निर्माण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, उन्नीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में ब्लाक ठेकमा, मीरा से लालगंज, वेली से रोहुआ, पसिका से सेन्दुरी तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, बीसवीं सूचना श्री अक्षयवर लाल गोंड जनपद बहराइच में दिनांक 17–5–2017 को आई आंधी व तूफान से हुये नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, इक्कीसवीं सूचना श्री राकेश सिंह जनपद रायबरेली की रजबहों एवं माइनरों के हेड भाग के शिल्टअप हो जाने के सम्बन्ध में, बाइसवीं सूचना श्री नरेश सैनी जनपद सहारनपुर में लोहिया आवास के निर्माण हेतु दूसरी किश्त जारी किये जाने के सम्बन्ध में, तेइसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया जनपद बदायूं के

विधान सभा क्षेत्र दातागंज में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, चौबीसवीं सूचना श्री उमेश मलिक जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधान सभा के अन्तर्गत शाहपुर ब्लाक तथा बुढ़ाना ब्लाक डार्क जोन में होने के कारण नलकूपों एवं बोरिंग से प्रतिबन्ध हटाये जाने के सम्बन्ध में, पच्चीसवीं सूचना श्री सन्त प्रसाद जनपद गोरखपुर की खजनी विधान सभा क्षेत्र में जी0जी0सी0 मार्ग एवं सिकरी मार्ग के उच्चीकरण न होने से जल निकासी में हो रही समस्या के सम्बन्ध में, छब्बीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश जनपद मथुरा के अन्तर्गत राज्य सरकार का राज्य सम्पर्क मार्ग पर बाई पास बनाये जाने के सम्बन्ध में, सत्ताइसवीं सूचना डा0 आर0 के0 वर्मा जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज अन्तर्गत सई नदी पर ग्राम सिंहनी व लढवत के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, अट्ठाइसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के कतिपय अर्धनिर्मित मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, उन्तीसवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद जनपद खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो रही कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में, तीसवीं सूचना श्री ज्ञानेन्द्र लखनऊ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बनारसी दास वार्ड संख्या–50 में व्याप्त गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, इकत्तीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल प्रदेश के बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, बत्तीसवीं सूचना श्री नितिन अग्रवाल जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उमरन ग्राम सभा में दिनांक 3–5–2017 को दलितों पर किये गये अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तैंतीसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी बाजार में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, चौंतीसवीं सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली की नहरों की सफाई एवं पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में, पैंतीसवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर स्थित मालीपुर से रामगढ़ तक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, छत्तीसवीं सूचना श्री असलम अली जनपद लखनऊ के थाना चिनहट दिनांक 09–5–2017 को श्रीमती रजनी की पिटाई के उपरान्त पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सैंतीसवी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के राजस्व गांव रायपुर में आकाशीय विद्युत के कहर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, अड़तालीसवीं सूचना श्री आलमबदी जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत दुर्वासा कौड़िया बीनापारे फूलपुर रजवहा माइनर पर ग्राम सिमरा डीह के समीप स्थिति पुलिया का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, उन्तालीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, चालीसवीं सूचना श्री रविन्द्र जायसवाल वाराणसी उत्तर विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, इक्तालीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में वर्ष 2011–12 में आई भीषण बाढ़ से शहर की मुख्य सड़क के कट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, बयालीसवीं

सूचना श्री मनोज कुमार पारस जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत बन्द पड़ी सहकारी कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, तेंतालीसवीं सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा जनपद फिरोजाबाद अन्तर्गत दशहरा घाट से शिव मन्दिर सोफीपुर के पास यमुना नदी पर पर्यटन स्थल को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में, चवालीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग प0 उत्तर प्रदेश में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, पैंतालीसवीं सूचना श्रीमती साधना सिंह जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय अन्तर्गत बबुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में। छियालीसवीं सूचना श्री रवि सोनकर जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा/पाऊ में एक तहसील की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, सैंतालीसवीं सूचना श्री श्याम धनी डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ में विगत 6 माह से पैरामेडिकल स्टाफ को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, अड़तालीसवीं सूचना डा0 नीरज बोरा जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज की कतिपय सड़कों व नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, उन्चासवीं सूचना श्री सुभाष पासी जनपद गाजीपुर के ग्रा0 व पो0 भीमपार निवासी विनय कुमार का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में, पचासवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी जनपद सीतापुर में विधान सभा क्षेत्र सेवता में विद्युतीकरण की समस्या का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में इक्यावनवी सूचना श्री रामचन्द्र यादव जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली की ग्राम पंचायतों में विभिन्न कारणों से उत्पन्न पेयजल संकट का निवारण किये जाने हेतु समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में तथा बावनवीं सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर में औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत स्थित में गुडलक स्टील ट्यूब लि0 की ईकाई द्वारा हो रहे प्रदूषित जल उत्प्रवाह से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

(मा0 सदस्य श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी के अनुरोध पर मा0 अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत)

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न में फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 36 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 19 मई, 2017 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 18 मई, 2017
सचिव, विधान सभा,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 160 विधान सभा (300) 13–09–2017–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।